(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

ग्रंक 2) सप्तम विधान सभा के द्वितीय सत्र का 40 वां दिवस संख्या 24)

मंगलवार
दिनांक 31 मार्च, 1981
~~दिनांक 8 अप्रैल, 1981~~

विधान सभा की बैठक म. पू. 11·1 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचंद विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न 1

प्रश्न संख्या 594

श्री शोभराज मल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

श्री चुन्नीलाल।

घुश्मेश्वरजी मन्दिर, ग्राम शिवाड़ को अनुदान

595. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) तहसील सवाई माधोपुर के ग्राम शिवाड़ में घुश्मेश्वर जी के मन्दिर को अनुदान की वार्षिक कितनी राशि दी जाती रही है ? उक्त राशि सन् 1975 से नहीं देने का क्या कारण रहा है ?.

(2) क्या यह सही है कि देवस्थान आयुक्त द्वारा इस राशि को रोक लिया गया है ? क्या सरकार उक्त राशि मन्दिर को दिलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

वन मंत्री श्री दुलाराम : (1) सवाई माधोपुर तहसील से ग्राम शिवाड़ में स्थित मन्दिर श्री घुश्मेश्वरजी के मन्दिर को देवस्थान विभाग द्वारा सहायता अनुदान की 1590) रु. की राशि स्वीकृत है। इस राशि का वर्ष 1975 से अभी तक उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराने से संबंधित व्यक्ति को चुकारा नहीं किया गया है।

(2) इसका उत्तर प्रश्न के भाग (1) में दिया जा चुका है।

श्री चुन्नीलाल : अध्यक्ष महोदय, सन् 75 से पहले जो यह अनुदान की राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र के बाद जिस व्यक्ति को मिलती थी उसने तहसीलदार को उपयोगिता प्रमाण पत्र पेश कर दिया था। तहसीलदार सवाई माधोपुर उस उपयोगिता प्रमाण पत्र को रख कर बैठा हुआ है और उस व्यक्ति से कुछ घूस लेना चाहता है। इस लिए यह रोक रखा है।

श्री दुलाराम : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस प्रकार का प्रश्न किया है कि तहसीलदार ने रोक रखा है। अगर लिखवा कर देते है तो जांच करवा लेंगे।

(श्री दुलाराम)

उस व्यक्ति को प्रमाण पत्र पेश करना होता है जिसको अनुदान की राशि दी जाती है।

श्री चुन्नीलाल : जिस व्यक्ति को अनुदान की राशि मिलती थी 1950) रु. उसने उपयोगिता प्रमाण पत्र तहसीलदार को कभी का दे रखा है। लेकिन तहसीलदार उस उपयोगिता प्रमाण पत्र को रोक कर बैठा हुआ है। देवस्थान विभाग को नहीं भेजा गया है। कुछ चाहता था। मैं भी व्यक्तिगत रूप से तहसीलदार से मिला हूं।

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् 75, 76, 77, 78, 79, 80, चार साल से जनता पार्टी ने क्यों नहीं किया, मैं निवेदन नहीं कर सकता। अब जो प्रश्न आया है तहसीलदार कोई घूस लेना चाहता है, आप लिखवा कर दे दीजिये, मैं जांच करवा दूंगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके द्वारा सवाल पूछना चाहता हूं क्या उपयोगिता प्रमाण पत्र तहसीलदार को देना पर्याप्त नहीं है? तहसीलदार को प्रमाण पत्र मिलने के बाद सरकार के पास भेजना चाहिये था। और....

श्री दुलाराम : आप एक एक सवाल पूछते जाइये, मैं जवाब देता जाऊंगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : क्या तहसीलदार को उपयोगिता प्रमाण पत्र देना आवश्यक है?

श्री दुलाराम : इसमें जवाब दे दिया है। तहसीलदार को उस व्यक्ति द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र दिये जाने पर नियमानुसार दिया जाना जरूरी है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं पूछना चाहता हूं जब माननीय सदस्य ने सूचना दी है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज दिया है, तहसीलदार ने उसके बाद प्रमाण पत्र नहीं भेजा है तो फिर भी कुछ लिखने की जरूरत है? क्या आप तहसीलदार के खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लेना चाहते हैं?

श्री दुलाराम : अकेला तहसीलदार ही नहीं है। तहसीलदार और निरीक्षक दोनों ही जांच कर रिपोर्ट देते हैं तब उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी होता है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री दाऊ दयाल जोशी (दीगोद) : क्या दोनों ने जांच रिपोर्ट पेश कर दी है?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सदस्य ने कह दिया कि तहसीलदार को भेज दिया। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा क्या आप तफतीश करेंगे कि तहसीलदार को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है? अगर प्राप्त हो गया है तो कोई एक्शन लेंगे।

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री दुलाराम)

मैंने निवेदन कर दिया अगर विभाग की कुछ कमी होगी तो उसको जांच करवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, सन् 75 से पेमेंट नहीं हुआ है, कौन जिम्मेदार है ?

श्री दुलाराम : उसके लिए जनता पार्टी की सरकार दोषी है ।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जनता पार्टी कहां से आ गई, यह समझ में नहीं आता । कुछ समझने की कोशिश करनी चाहिए ।

श्री छोगाराम बकोलियां (रेवदर) : समझ कर ही जवाब दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आसन पैरों पर है ।

श्री दाऊ दयाल जोशी : यह कोई तरीका नहीं है....।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । कृपया स्थान ग्रहण करें । अगला प्रश्न ।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी ।

कृषि भूमि के आबादी भूमि में रूपान्तरण की दरें

596. **श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ब्यावर नगर के लिए कृषि भूमि आबादी क्षेत्र में आ गई है, उसे आबादी में परिवर्तन करने की क्या दर सरकार द्वारा निश्चित की गई है ?

(2) क्या राज्य के अन्य शहरों में कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तन करने की दर घोषित है ? यदि हां, तो ब्यावर नगर के लिये ये दरें आज तक निर्धारित क्यों नहीं की गई ?

(3) ब्यावर नगर के लिए कृषि भूमि की आबादी में परिवर्तन करने हेतु सरकार कब तक दरें घोषित कर देगी ?

पंचायत राज मंत्री (श्री हनुमान प्रभाकर) : (1) दर तय कर दी गई है जो जोन 1, 2, एवं 3 हेतु क्रमशः 10.00 रु. 7.50 रुपये एवं 6.00 रुपये प्रति वर्ग गज है।

(2) जी हां, ब्यावर के लिए भी तय कर दी गई है ।

(3) दरें नियमों में दी हुई हैं एवं जोन्स का निर्धारण विज्ञप्ति दिनांक

Page No.4

(४)

(श्री हनुमान प्रभाकर)

10-2-1981 के द्वारा जारी की जा चुकी है।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया 10-2-81 को आदेश जारी कर दिये हैं, नगर परिषद ब्यावर के पास आज तक वह आदेश नहीं पहुंचे हैं। आज तक क्यों पड़े हैं इसका क्या कारण है ?

श्री हनुमान प्रभाकर : आदेश भेज दिये गये हैं। नहीं पहुंचे हैं तो जांच कर ली जायगी। माननीय सदस्य प्रतिलिपि चाहेंगे तो प्रतिलिपि दे दी जायगी।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज(जमवा रामगढ़): क्या दरें निर्धारित हो गई हैं ?

श्री हनुमान प्रभाकर : जी हां।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। राजस्थान के अन्दर बड़े-बड़े शहरों में कृषि-भूमि पर लोगों ने आबादी के लिहाज से कब्जा किया हुआ है। क्या राज्य सरकार करोड़ों रुपयों की आमदनी के लिए युद्ध-स्तर पर कार्य कर ऐसी कृषि भूमि को आबादी में घोषित करेगी ?

श्री हनुमान प्रभाकर : ब्यावर से सम्बन्धित प्रश्न है।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह नीति का प्रश्न है। इसमें लाखों रुपयों की आमदनी का सवाल है····।

श्री दाऊदयाल जोशी : क्या राज्य सरकार को कल के अखबार में छपे समाचार का ध्यान है कि 26.4 करोड़ रुपये की इन्कम इस आबादी····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : आज जितनी कृषि भूमि है उस पर आबादी के लिए जिन्होंने कब्जा कर लिया हैं····।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : जैसा कि प्रश्न में स्पष्ट है, क्या राज्य के अन्य शहरों में परिवर्तन करने की दरें घोषित हैं····।

एक माननीय सदस्य : माननीय मंत्री जी ने कहा, हां। तो सदन में प्रकाश डाल दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा।

श्री हनुमान प्रभाकर : सारे राजस्थान को पांच केटेगरीज में बांटा गया है, सबकी दरें अभी यहां बताना मुश्किल है।

(व्यवधान)

श्री विष्णु प्रकाश बजारी : अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रतिलिपि भी नहीं मिली। कृपया दिलाने की व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, जिलाधीश सक्षम है।

Page No.5

(5)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा।

(व्यवधान)

माननीय भगवान दास शास्त्री ! मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा जो कोई भी माननीय सदस्य पूरक प्रश्न पूछना चाहें वे कृपया आसन के माध्यम से पूछें। अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 597

श्री सी० पी० जोशी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें :)

श्री भैरूलाल (विभाजन संख्या 110)

वन विभाग द्वारा जारी परिवहन अनुज्ञा पत्र संख्या

598. **श्री भैरूलाल** (मनोहर थाना) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में वन विभाग द्वारा जारी की जाने वाली टी० पी० पास बुक (परिवहन अनुज्ञा पत्र) वन मण्डल कार्यालय में ही रखी जाती है ?

(2) क्या यह भी सही हैं कि उक्त अनुज्ञा पत्र वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी के कार्यालय में न रखी जाने के फलस्वरूप दूर दराज ग्रामों में बसी हुई कृषक जनता को अपने कृषि औजार हेतु आंरा मशीनों पर लाई गई अपने पेड़ों की लकड़ी को वन विभाग के कर्मचारी परिवहन अनुज्ञा पत्र के अभाव में जब्त कर उन कृषकों के विरुद्ध केस चलाते हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि जिला वन मण्डल अधिकारी के कार्यालय में उक्त परिवहन अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने में ग्रामों में बसी हुई दूर दराज ग्रामीण कृषक जनता को आर्थिक बोझ वहन करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह परिवहन अनुज्ञा पत्र कुछ क्षेत्रीय वन अधिकारी के कार्यालय में रख कर कृषक जनता को आर्थिक भार से बचाने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन मन्त्री (श्री दुलाराम) : (1) जी नहीं।

(2) यह सत्य नहीं है कि परिवहन अनुज्ञा पत्र विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी के कार्यालय में ही रखे जाते हैं। बिना ट्रांजिट पास के लकड़ी का परिवहन पाये जाने पर ही नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(3) खण्ड (2) में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। अतः ग्रामीण कृषक जनता को आर्थिक बोझ वहन करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भैरूलाल : अध्यक्ष महोदय, खण्ड (1) में आपने यह फर्माया जी नहीं, तो क्या मैं यह मानकर चलूं कि प्रदेश में अनुज्ञा पत्र हर रेन्जर के यहां प्राप्त हो जायेंगे ?

श्री दुलाराम : ऐसा है, माननीय अध्यक्ष जी, राज्य सरकार ने पत्र संख्या एफ

(श्री दुलाराम)

2 (2) रे बे 8173 दिनांक 10-9-75 द्वारा ये आदेश दिये थे कि राज्य के भीतर वन पैदावार के परिवहन हेतु ट्रान्जिट पास वन विभाग के अधिकारी, जो कि सहायक वन संरक्षक के नीचे के दर्जे के हों, द्वारा ही जारी किये जायेंगे। कृषकों की कठिनाई को मद्दे नजर रख कर राज्य सरकार द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन कर सम संख्यक आदेश दिनांक 3-10-77 द्वारा सहायक वन संरक्षक के स्थान पर क्षेत्रीय वन अधिकारी (रेन्जर) को ट्रान्जिट पास जारी करने के हेतु अधिकृत कर दिया गया है। परिणामस्वरूप अनुज्ञा पत्र की पुस्तक क्षेत्रीय वन अधिकारी के पास ही उपलब्ध रहती है।

श्री भैरूलाल : अध्यक्ष महोदय, मनोहर थाना जिला झालावाड़ से 52 मील करीब है और अनुज्ञा पत्र क्षेत्रीय कार्यालय में न रखे जाने के फलस्वरूप मण्डल कार्यालय में ही जाना पड़ता है। तो रेन्ज के कर्मचारी उन काश्तकारों की ट्रान्जिट पास के अभाव में लकड़ी जब्त कर लेते हैं और काश्तकार के काम आने वाले औजार को नहीं बनने देते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा यह सब जो कुछ हो रहा है रेन्ज में ट्रान्जिट पास नहीं होने से हो रहा है। झालावाड़ जाते हैं तो 30) रु० अतिरिक्त खर्चा हो जाता है इसलिये मेरा निवेदन है कि मनोहर थाना कस्बे में ट्रान्जिट पास बुक रखी जाय जो अभी तक नहीं रखी जा रही है।

श्री दुलाराम : मनोहर थाना में रेन्जर की पोस्ट है, ट्रांजिट पास जारी नहीं करते हैं, अगर जारी नहीं किया है और किसी किसान के साथ दुर्व्यवहार किया है तो जांच करवा लूंगा। अगर रेन्जर है तो अवश्य पास करते होंगे।

श्री भैरूलाल : मनोहर थाना में रेन्जर की पोस्ट है लेकिन कई सालों से रेन्जर कायम नहीं है। असिस्टेन्ट रेन्जर ही वहां काम कर रहा है तो अब क्या रेन्जर की पोस्ट कायम कर दी जायगी ?

श्री दुलाराम : अगर रेन्जर की पोस्ट है तो ट्रान्जिट पास जरूर किये जाते होंगे।

श्री भैरूलाल : रेन्जर की पोस्ट है लेकिन लगभग 2-3 साल से असिस्टेन्ट रेन्जर काम कर रहा है। वहां रेन्जर की पोस्ट होते हुए भी नहीं भेजा जा रहा है इसलिये काश्तकारों को परेशानी उठानी पड़ती है। अब क्या वहां रेन्जर भेजा जा रहा है जिससे काश्तकारों को परेशानी न उठानी पड़े।

श्री दुलाराम : 2-3 सालों से रेन्जर नहीं है तो अब मैं रेन्जर भिजवा दूंगा।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : जो रेन्जर है उनको ट्रान्जिट पास जारी करने के अधिकार दिये गये हैं लेकिन विशेष रूप से मैं झालावाड़ जिले के लिये निवेदन करूंगा कि वहां पांच क्षेत्र हैं और पांच तहसीलें हैं लेकिन केवल एक जगह रेन्जर है बाकी सब जगह डिप्टी रेन्जर लगे हुए हैं। सब लोगों को झालावाड़ आना पड़ता है और वहां पर 8-8 दिन तक डी. एफ. ओ. नहीं मिलता

(श्री अनंग कुमार)

है तो क्या डिप्टी रेन्जर लगे हुए हैं वे ट्रांजिट पास जारी कर सकें, ऐसी कुछ मन्त्री महोदय व्यवस्था करेंगे ?

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि डिपार्टमेंट के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। अगर कोई शिकायत मिलेगी तो नियमानुसार उस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री चतुर्वेदी जी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मनोहर थाना से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मनोहर थाना में रेन्जर की पोस्ट है। इससे अधिक और क्या जानकारी चाहिये। रेन्जर है तो टी० पी० दिलवायें।

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े जोर से बोल रहे हैं। जो जनता पार्टी के राज्य में घपले हुए हैं वे बता रहे हैं। अब मैं तुरन्त व्यवस्था करवा दूंगा····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

कृपया शान्त रहें।

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं उसी जिले से आता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, निराकरण करवायें।

श्री अध्यक्ष : निराकरण हो गया।

अगला प्रश्न।

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट····

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय सदस्य। समय व्यर्थ न करें।

श्री अनंग कुमार जैन : मैंने प्रश्न पूछा था, जवाब नहीं आया····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, हमें प्रतिदिन दिक्कत आती है····।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आपने यह बात पूर्व में कह दी है····

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, अगला प्रश्न। मुझे खेद है समय नहीं दिया जा सकता है। आपने पूछ लिया उसका उत्तर आ गया।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

मैं इजाजत नहीं दूंगा। माननीय सदस्य, प्रश्न ले लिया गया है....।

नीम का थाना छावनी स्थित चिकित्सालय

599. **श्री मोहन लाल मोदी** (नीम का थाना): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नीम का थाना छावनी जिला सीकर में कब से सरकारी अस्पताल स्थापित था? इस अस्पताल को क्यों हटाया गया है?

(2) क्या यह सही है कि छावनी नीम का थाना उप खण्ड मुख्यालय है और वहां सारे सरकारी कार्यालय हैं?

(3) क्या सरकारी भवन व डाक्टर के रहने के क्वार्टर भी वहां बने हुए हैं?

(4) आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों व नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुन: सरकार कब तक इस अस्पताल को चालू करने का विचार रखती है?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री (श्री हीरा लाल देवपुरा) : (1) नीम का थाना छावनी जिला सीकर में जयपुर के सीकर ठिकाना के समय से एक डिस्पेन्सरी चालू थी जिसको दिनांक 19-6-1957 से क्रमोन्नत कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बना दिया गया था। कस्बा नीम का थाना क्षेत्र में निम्न चिकित्सा संस्थायें कार्यरत थीं :—

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र

मातृ शिशु कल्याण केन्द्र

कपिलदेव अस्पताल

नीम का थाना कस्बे में एक ही स्थान पर इतनी चिकित्सा संस्था होने के कारण छावनी पर एक मातृ शिशु कल्याण केन्द्र रहने दिया गया, वहां वर्तमान में एक डिस्पेन्सरी की सुविधा भी उपलब्ध है एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को पंचायत समिति नीम का थाना के ही ग्राम सिरोही में स्थानांतरित कर दिया गया।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) नीम का थाना कस्बा छावनी से करीब 5 किलोमीटर दूर है। वहां छावनी के इस कस्बे के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध हैं।

श्री मोहन लाल मोदी : मन्त्री महोदय ने यह बताया कि वहां डाक्टर की व्यवस्था इस वक्त है, तो मैं जानना चाह रहा हूं कि उन्होंने कहां बजट में दवाइयां देने का प्रावधान कर रखा है? मन्त्री महोदय, मैं

(श्री मोहनलाल मोदी)

इतना आपकी जानकारी में बता दूं कि पी. एच.सी. के डाक्टर को बराये नाम रख रखा है। दवाइयां क्या वहां एक टिंचर का पनेड़ा तक लगाने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए निवेदन करना चाह रहा हूं कि सारे सरकारी कार्यालय वहां हैं, इसलिए इस जगह इस डिस्पेन्सरी का रहना आवश्यक है।

श्री हीरा लाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, नीम का थाना कस्बे में डाक्टर है। जितनी बात बतायी है, एक ही नाम से है वहां पर एक हैं। एक बात माननीय सदस्य ने कही कि दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। अगर ऐसी बात है तो उसको मैं कह दूंगा, समुचित व्यवस्था हो जायेगी।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि आपके बजट में डिस्पेन्सरी नहीं है। पी. एच. सी. सिरोही का डाक्टर आकर बराये नाम बैठता है। आपने कहा कि नीम का थाना कस्बे में कपिल होस्पिटल है तो नीम का थाना कस्बे से छावनी 4–5 किलोमीटर है सारे सरकारी कार्यालय और जनता छावनी से नजदीक पड़ती है।

श्री हीरालाम देवपुरा : डाक्टर वहां डेपुटेशन पर नहीं है। डाक्टर है, इसलिए उसकी चिन्ता न करें। डाक्टर दूसरी जगह से आकर बैठता था। छावनी पर मातृ शिशु कल्याण केन्द्र और दूसरा शहरी परिवार कल्याण केन्द्र चल रहा है, उसके साथ दिया हुआ है। उसमें अगर दिक्कत मैडिसन की बता रहे हैं तो उसकी समुचित व्यवस्था करेंगे। वहां पर जो इलाज के हिसाब से होनी चाहिए, वह रहेगी। बाकी 5 किलोमीटर पर बड़ा अस्पताल है, कपिलदेव अस्पताल में सब सुविधायें हैं और कोई विशेष केस होता है तो वहां चला जाता है।

श्री मोहन लाल मोदी : अब मन्त्री महोदय जानकारी करा लें, वहां कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, बराये नाम डाक्टर बैठा हुआ है। वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत है, भूतपूर्व उद्योग मन्त्री माननीय सूर्य नारायण चौधरी ने राजनीतिक दृष्टिकोण से वहां से अस्पताल को दूसरी जगह भिजवा दिया।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। पहले मुझे नाम पुकारने दीजिए। श्री दाऊ दयाल जोशी।

महाराव भीमसिंह चिकित्सालय, कोटा

600 **श्री दाऊ दयाल जोशी (टीगोद)** : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) महाराव भीमसिंह अस्पताल, कोटा नगर में मरीजों की आउटडोर और इनडोर संख्या का प्रतिदिन औसत क्या है ?

(2) अस्पताल में नियुक्त स्टाफ और शय्याओं की संख्या के संदर्भ में दोनों का क्या अनुपात है ?

(3) क्या यह अनुपात सरकार कम मानती है ? यदि नहीं, तो इस अनुपात को घटाने के बारे में सरकार क्या कदम उठावेगी ?

Page No.10

(10)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री (श्री हीरा लाल देवपुरा) : (1) आउटडोर रोगियों का दैनिक औसत 934 है। इनडोर रोगियों का प्रतिदिन औसत 566 है। प्रतिदिन भर्ती होने वाले रोगियों का औसत 55 है।

(2) विभागीय स्टाफिंग पैटर्न की नीति के तहत 500 रोगी शैयाओं के अनुपात में निम्न स्टाफ स्वीकृत है :—

1–चिकित्सक	61
2–नर्सिंग स्टाफ एवं पैरा मैडिकल स्टाफ	131
3–अन्य स्टाफ (प्रशासनिक एवं तकनीकी)	150
4–चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	213

(3) प्रावधान के अनुसार पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध है।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि अंतरंग रोगियों की संख्या 566 है, क्या शैयाएं पर्याप्त संख्या में हैं ?

श्री हीरा लाल देवपुरा : क्या चीज ?

श्री दाऊ दयाल जोशी : शैयाएं कितनी हैं ?

श्री हीरा लाल देवपुरा : 5 सौ, मैंने कहा।

श्री दाऊ दयाल जोशी : 5 सौ जब बता रहे हैं तो जो बाकी 66 हैं, उन्हें कहां रखा जायेगा ?

श्री हीरा लाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, यह कई अस्पतालों में समस्या थी, डिबेट में भी मैंने इस बारे में निवेदन किया था कि यह स्थिति है कि शैयाओं से ज्यादा पेशेन्ट आते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनका तत्काल उपचार किया जाता है। यह है, मैं इन्कार नहीं कर रहा....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पांच सौ शैयायें कक्षों में हैं, या बाहर भी हैं ?

श्री हीरा लाल देवपुरा : यह मैं कह सकता हूं कि सड़कों पर नहीं लगी हुई हैं, बन्द हिस्से में लगी हैं, चाहे वे कक्ष हो या बरामदा हो।

श्री दाऊ दयाल जोशी : मेरा प्रश्न है कि औसत संख्या 566 बतायी है मरीजों की लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज से 5 दिन पहले 727 मरीज थे। अब मेरा निवेदन है कि वार्ड में है, सड़कों पर नहीं हैं तो वार्ड में 5 सौ कुछ के आसपास मरीजों को रख सकते हैं। बाकी मरीज कहां जायेंगे ? मेरा कहना है कि क्या नये वार्ड खोलने का विचार रखते हैं ? कोटा की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए, 727 के निवास की और रोगियों के आने जाने की जगह के लिए समुचित व्यवस्था करने का विचार रखते हैं ?

श्री हीरा लालदेवपुरा : अध्यक्ष महोदय, आप बता रहे हैं सात सौ पर्टिकुलर डेट के हैं। मैंने 80–81 का औसत 566 बताया है। अब कोई बात हो सकती है, कोई ज्यादा हो सकते हैं। कोई भी व्यवस्था करनी पड़

(श्री हीरालाल देवपुरा)

सकती है । स्थिति राजस्थान में एक जगह की नहीं है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर आदि हमारे बड़े बड़े अस्पतालों में है । जो मेडिकल कालेज के साथ हैं या अगल हैं, उनमें भी यह स्थिति है । आज सरकार के पास वित्तीय साधन इतने उपलब्ध नहीं हैं कि सारे एक साथ कर सके । ज्यों ज्यों वित्तीय साधन उपलब्ध होते जायेंगे, त्यों त्यों यह करने का प्रयत्न करेगी ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । अगला प्रश्न ।

श्री दाऊ दयाल जोशी : ऐसा कौन सा महीना था जिसमें सबसे ज्यादा रोगी रहे ?

श्री हीरा लाल देवपुरा : यह तो आप ने पूछा नहीं है । यह तो मेरे पास सूचना नहीं है । मैंने आपको औसत बताया ।

प्रश्न संख्या 601

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्री शिव दानसिंह राठौड़ व श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशन पोल) : शिवदान सिंह राठौड़ नहीं हैं ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 602

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्री अमीन खां ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री श्रीराम गोटेवाला : वीरेन्द्र प्रताप सिंह विरोधी दल के हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री जयदेव प्रसाद इंदोरिया ।

जिला चिकित्सालय रतनगढ़

603. **श्री जयदेव प्रसाद इंदोरिया (रतनगढ़)** : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रतनगढ़ जिला चिकित्सालय में जूनियर स्पेशलिस्ट्स के कितने स्थान स्वीकृत हैं और उनमें से कितने स्थानों पर चिकित्सक सेवारत हैं ?

(2) क्या यह सही है कि रतनगढ़ जिला चिकित्सालय से फिजिशियन का पद हनुमानगढ़ के लिए स्थानान्तरित कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? अब यह पद रतनगढ़ वापस करने में क्या बाधा है ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री हीरा लाल देवपुरा) : (1) रतनगढ़ जिला चिकित्सालय में कुल 5 पद कनिष्ठ विशेषज्ञों के हैं जिनमें से अभी रतनगढ़ में 3 (तीन) कनिष्ठ विशेषज्ञ हैं ।

(2) जी नहीं ।

श्री जयदेव प्रसाद इंदोरिया : 5 में से 3 हैं तो 2 कब तक भर दिये जायेंगे ?

श्री हीरा लाल देवपुरा : शीघ्र ही भरने की कोशिश करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछने के बाद में भर देने चाहिए।

श्री हीरा लाल देवपुरा : एवेलिबिलिटी नहीं है इसलिए दिक्कत आ रही है। हमारे जूनियर स्पेशलिस्टों की कमी है। उसकी किस तरह से पूर्ति की जाय, उस पर विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री रामधन चौधरी (लाडनू) : मन्त्री महोदय, जितनी बार भी पूछा है यह कहा है कि जल्दी भर दिये जायेंगे 6–6 महीने और एक एक साल से रिक्त पड़े हैं, ये कब तक भर जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्रीजयदेव प्रसाद। प्रश्नकर्त्ता।

श्री जयदेव प्रसाद इंदोरिया : आपने डाक्टरों के ट्रान्सफर के साथ पद का ट्रान्सफर करने की परम्परा क्यों नयी डाल दी ?

श्री हीरा लाल देवपुरा : मैंने तो 'जी नहीं' कहा है। कोई पद ट्रान्सफर नहीं किया है।

श्री जयदेव प्रसाद इंदोरिया : पद का ट्रान्सफर आपने हनुमानगढ़ कर दिया।

श्री हीरालाल देवपुरा : आपको गलत फहमी यह हो गयी कि हनुमानगढ़ में एक जूनियर स्पेशलिस्ट लगा हुआ था, उसको कुछ अर्से पहले सर्टेन पीरियड के लिए डेपुटेशन पर भेज दिया, तो आपने सोचा शायद पद चला गया। जब यह मालूम हुआ कि वह डेपुटेशन पर है और डेपुटेशन का टाइम समाप्त हो गया तो वापस हनुमान गढ़ कर दिया है। पद को ट्रान्सफर नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी।

लघु एवं सीमान्त कृषकों को प्रदत्त सुविधायें एवं अनुदान राशि

604. **श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** (बस्सी) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या लघु काश्तकार एवं सीमान्त काश्तकार को उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाएं, अनुदान एवं सहायता राज्य में समान रूप से दी जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र में रहने वाले लघु काश्तकारों एवं सीमान्त काश्तकारों को समान रूप से ऋण सहायता एवं अनुदान उपलब्ध नहीं हैं ? यदि यह सही है, तो लघु काश्तकार एवं सीमान्त काश्तकार की परिभाषा में दोहरा मापदण्ड रखने के क्या कारण हैं ?

श्री हनुमान प्रभाकर (पंचायत राज मन्त्री) : (1) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमान्तर्गत लघु काश्तकार एवं सीमान्त काश्तकारों को उपलब्ध कराई जाने वाली

(श्री हनुमान प्रभाकर)

सुविधाएं अनुदान एवं सहायता राजस्थान राज्य में समान रूप से उपलब्ध कराई जाती है। अनुदान की राशि अनुदान हेतु अनुमत सभी उद्देश्यों के लिए लागत कीमत की लघु कृषकों को 25 प्रतिशत एवं सीमान्त कृषकों को $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत देय है। यदि चयनित लघु कृषक अथवा सीमान्त कृषक अनुसूचित जनजाति के सदस्य हों तो उन्हें देय अनुदान की दर 50 प्रतिशत होती है।

(2) हां यह सही है कि वर्तमान में नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले लघु कृषकों एवं सीमान्त कृषक राजकीय अनुदान से लाभान्वित नहीं किये जाते हैं, जिसका कारण यह है कि एकीकृत ग्रामीण विकास क्षेत्रों के लिए ही यह कार्यक्रम चला है।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या नगरपालिका क्षेत्र में लघु और सीमान्त कृषकों को सहायता देने की आवश्यकता नहीं है ?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या राज्य सरकार इस संदर्भ में विचार करेगी कि नगरपालिका क्षेत्रों के लघु और सीमान्त कृषकों को भी इसी प्रकार की सुविधाएं दी जावें।

श्री हनुमान प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ नगर-पालिकाओं की सीमा बढ़ा देने से कुछ गांव उसमें शामिल हो गए जिसकी वजह से यह प्रश्न पैदा होता है और इसी दृष्टि से लघु और सीमान्त कृषकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। समय आने पर इस पर विचार किया जाएगा।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या लघु और सीमान्त कृषकों की जो गांवों में सूची बनाई है उन सभी को ऋण और अन्य सुविधायें दी जा रही हैं ?

श्री हनुमान प्रभाकर : जो आवेदन करते हैं उनको देते हैं।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कि ऐसा नहीं है। यह कुछ ही लोगों को दिया जाता है बाकी को नहीं। लिस्ट तो बन गई लेकिन क्या कभी यह सोचा गया कि जो इसमें इन्क्लूडेड हैं उनकी जांच करवा कर अनुदान दिया जावे ? उनको कोई अनुदान नहीं मिला है ?

श्री हनुमान प्रभाकर : ऐसी बात ध्यान में लायी जायगी तो उस पर जरूर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा : जो अभी माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि नगर पालिका की सीमा में गांव आए हैं उनके लिऐ यह समस्या है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि नौ महीने हो गये हैं लेकिन उनको अभी तक कोई ऋण या अनुदान नहीं दिया गया

(श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा)

हैं। नौ महीने हो गये हैं। मैं जानना चाहती हूं कि अब यह कब तक हो जाऐगा ?

श्री रामधन चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि गांवों में मौके पर ही कैम्प लगा कर कर्जा दिया जायेगा जिन लोगों को लोन नहीं मिला है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : यह तो जनता पार्टी के टाइम में ही चला जब कैम्प लगा कर लोगों को सहायता दी जाती थी ! आपने तो गला घोट दिया है।

(व्यवधान)

श्री रामधन चौधरी : मेरा निवेदन है कि इस पर ध्यान देकर समय पर उनको लोन देने की व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री सोहन लाल बंशीवाल और राम किशोर मीणा।

कस्बा दौसा को जिला बनाना

605. **श्री सोहन लाल बंशीवाल** (दौसा) **एवं श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या सरकार के समक्ष दौसा को जिला बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो दौसा को कब तक जिला बना दिया जावेगा ?

पंचायत राज मंत्री (श्री हनुमान प्रभाकर) : राज्य के कुछ जिलों को विभाजित कर छोटे जिले बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : यह विचार कब तक पूरा हो जावेगा ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री सोहनलाल बंशीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह विचाराधीन है, इस तरह का जवाब तो पिछली विधान सभा में भी दिया गया था। यह कब तक विचाराधीन रहेगा, इसके बारे में स्पष्टीकरण कर दें।

श्री दाऊदयाल जोशी : इसको भी नौ महीने हो गए, साहब।

श्री अध्यक्ष : कब तक विचाराधीन रहेगा, मंत्री महोदय बता दें।

श्री हनुमान प्रभाकर : जब तक इस पर विचार पूरा नहीं हो जाता विचाराधीन रहेगा अभी मैं समय नहीं बता सकता।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं आपको भी अवसर दूंगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि नई जनगणना के अनुसार जयपुर जिले की आबादी लगभग 36 लाख हो गई है और प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हुए यह बहुत आवश्यक हो गया है कि जयपुर जिले के दो भाग करके दौसा को जिला बनाया जावे। उसके लिए क्या मन्त्री महोदय इस

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

समय सदन को आश्वस्त करने की स्थिति में हैं, कि कब तक हो जायगा ?

एक माननीय सदस्य : बहुत शीघ्र ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : बहुत शीघ्र से काम नहीं चलेगा । समयबद्ध कार्यक्रम बना कर उसके बारे में निर्णय लें । बहुत शीघ्र का मतलब तो पांच साल भी हो सकता है ।

श्री हनुमान प्रभाकर : आज मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूं कि आपको आश्वस्त कर सकूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशोर मीणा । प्रश्नकर्ता ।

श्री रामकिशोर मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने बताया कि छोटे जिले बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है । मैं पूछना चाहता हूं कि जयपुर जिले के दौसा के बारे में कि जयपुर जिला दौसा सब डिविजन में जयपुर जिले के बहुत से आफिस दौसा मे हैं और दौसा उपखण्ड में ही काम कर रहे हैं । वहां पर जिला बनाने के लिए सारी परिस्थितियां उपयुक्त हैं । इसके अलावा वहां पर जिला बनाने से वित्तीय स्थिति में भी कोई कठिनाई नहीं होगी । क्या वहां की परिस्थितियों को मद्दे नजर रखते हुए दौसा को जिला बनाने का फैसला जल्दी करेंगे ?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय अध्यक्ष महोदय.... ।

श्री अध्यक्ष : पहले उत्तर आने दीजिए, माननीय सदस्या । आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

प्रश्न पूछा है उसका पहले उत्तर आने दीजिए ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : क्या यह सही कि.... ।

श्री अध्यक्ष : पहले उत्तर आने दीजिए ।

श्री हनुमान प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया, केवल एक जिले का ही प्रश्न नहीं है । पांच-छः जिलों के बारे में यह प्रश्न विचाराधीन है और विस्तृत विवेचन के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकेगा । ऐसी स्थिति में सभी जिलों के लिए विचार करना है. केवल दौसा को ही जिला बनाने का प्रश्न नहीं है । छः जिलों का प्रश्न है जिन पर सामुहिक रूप से विचार किया जा रहा है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : भरतपुर और धौलपुर का भी सवाल है ।

श्री रामकिशोर मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज वहां पर बहुत से आफिस काम कर रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री रामकिशोर मीणा : ... अनुसूचित जाति का वहां बाहुल्य है । दौसा को जिला बनाने के बारे में जनता पार्टी के शासन में तय हो गया था....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उत्तर आएगा....माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, आप इजाजत दे दें। मैं यह पूछना चाहता हूं कि दौसा उपखण्ड में पांच तहसीलें हैं जो जयपुर की बजाय दौसा के नजदीक पड़ती हैं, बस्सी, फागी, जमुवारामगढ़ तहसीलें लगती हैं जिनको वाया जयपुर जाना पड़ता है जिससे लोगों को बहुत दिक्कत होती है। दौसा सब जिले में बहुत से आफिसेज हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : × × ×।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य....

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, एक पूरक प्रश्न पूछ लेने दें ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, कोई पूरक प्रश्न नहीं होगा।

श्री रामकिशोर मीणा : दौसा में जो ए० डी० एम० एच० ओ० का दफ्तर है....

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री रामकिशोर मीणा : × × ×

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे....।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न पुकार लिया गया है। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

समय ले रहे हैं, माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो।

श्री नाथू सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री नाथू सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। अगला प्रश्न। श्री देवी सिंह भाटी। माननीय सदस्य, बैठे बैठे नहीं बोलें।

पीने के पानी की डिग्गियां

606. **श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) राजस्थान नहर अधिशासी अभियन्ता (भवन एवं पथ) बीकानेर द्वारा इस क्षेत्र में पीने के पानी के लिए कितनी डिग्गियां बनाई गई हैं ?

(2) इन डिग्गियों में ईंटों की सप्लाई शर्तों के अनुसार ठेकेदार द्वारा खुले बाजार से की जानी थी अथवा राजस्थान नहर के विभागीय भट्टों से कम दरों पर दिलाई जानी थीं ? वास्तव में ईंटों का भुगतान ठेकेदारों को किस प्रकार कराया गया है ?

(3) क्या इन डिग्गियों के निर्माण का अंतिम भुगतान डिग्गियों को टेस्ट किये जाने

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री देवीसिंह भाटी)

से पूर्व कर दिया गया है ? क्या ऐसा भुगतान नियम विरूद्ध नहीं है ?

(4) उपरोक्त निर्मित डिग्गियों में कितने में अब तक नहरी पानी पहुंचा है ?

पंचायत राज मंत्री (श्री हनुमान प्रभाकर) : (1) राजस्थान नहर अधिशासी अभियन्ता भवन व पथ बीकानेर खण्ड द्वारा 50 डिग्गियां पूरी कर ली गई हैं और दो डिग्गियों पर निर्माण कार्य चल रहा है।

(2) डिग्गियों के निर्माण पर लगने वाली ईंटों के बारे में कोई अलग आश्वासन नहीं है। यह स्पष्ट कर दिया गया था कि राजस्थान नहर परियोजना के पास इस काम के लिए ईंटें उपलब्ध होंगी तो उनसे ईंटें दिलवा दी जावेंगी परन्तु यदि राजस्थान नहर परियोजना विभाग के पास इस काम के लिये ईंटें उपलब्ध नहीं हों तो ठेकेदार को ही ईंटों का प्रबन्ध करना था। टेण्डर मय सामग्री के था। इसलिए ठेकेदार को ईंटों का भुगतान करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(3) डिग्गियों को टैस्ट किये जाने से पहले इनका फाइनल भुगतान नहीं किया गया है।

(4) 30 डिग्गियों में नहरी पानी पहुंचा था। इनमें से 11 डिग्गियां लगातार भरी जा रही हैं शेष 19 के खालों का संधारण नहीं होने से पानी नहीं पहुंच रहा है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 602 के भाग संख्या (2) के बारे में पूछना चाहता हूं, मन्त्री महोदय से। जब विभाग द्वारा ठेकेदार को इन शर्तों पर ठेका दिया गया था कि केवल खुले बाजार में ईंट उपलब्ध नहीं होने के बाद ही ईंटें दी जायेंगी। अगर आपकी राजस्थान कैनाल के जो भट्टे निर्माणाधीन हैं वहां पर ईंटें हैं तो पहले वहां से ली जायं, उसके बाद ठेकेदार बाजार से ले सकता है ? यह खुलासा करें।

श्री हनुमान प्रभाकर : यह खुलासा किया है। अगर हमारे पास है तो देंगे, नहीं तो वह व्यवस्था करें।

श्री देवीसिंह भाटी : राजस्थान कैनाल के जो भट्टे हैं उनके अन्दर ईंटें मौजूद थीं, उसके उपरान्त खुले बाजार से लेकर ठेकेदारों ने नाजायज फयादा उठाया। इसकी जांच की जाय, अध्यक्ष महोदय, अगर पर्टीकुलर मन्त्री महोदय कहेंगे तो इसकी पूरी शिकायत भेज सकता हूं अलग-अलग जगहों पर घोटाले हुए हैं, उनकी जांच करावें।

श्री हनुमान प्रभाकर : माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे वहां पर ईंटें थीं फिर भी बाजार से ली हैं तो इसकी जांच करा ली जायगी।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग संख्या (4) के बारे में मन्त्री महोदय बतायेंगे, 30 डिग्गियों का निर्माण किया गया और उनमें से 11 डिग्गियों में पानी पहुंच गया है। जब विभाग को पता था, पानी पहुंचाने की डिग्गियों में व्यवस्था नहीं

Page No.18

(18)

(श्री देवीसिंह भाटी)

है तो क्यों वेस्टेज किया गया ? एक तरफ सीमेंट की कमी बताते हैं, दूसरी तरफ 30 डिग्गियों का निर्माण करा दिया महज ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिये । गांवों में पानी की जरूरत है, केवल 11 डिग्गियों में ही पानी नहीं पहुंच रहा है तो उसका वेस्टेज हुआ है । क्या अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच की जायगी ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह जनता पार्टी कर गई ।

(व्यवधान)

श्री हनुमान प्रभाकर : 30 डिग्गियों में से 11 डिग्गियों में पानी पहुंच रहा है । इसका कारण मैंने बता दिया । उनमें खालों का सधारण नहीं होने की वजह से पानी नहीं जा पा रहा है । इतनी जानकारी तो मेरे पास है इससे अधिक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री देवीसिंह भाटी : शिकायत के रूप में मैंने यह प्रश्न पूछा है, शेष डिग्गियों में पानी नहीं पहुंच रहा है, जो 19 हैं । एक तरफ बजट की कमी है, सीमेंट की कमी बताते हैं उसके उपरान्त विभाग को पता था कि पानी नहीं पहुंचा सकते हैं तो फिर यह निर्माण क्यों कराया ? इसकी जांच होगी ? इसके लिए मन्त्री महोदय आश्वासन दें ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर । इसका स्पष्ट उत्तर सदन के सामने है । तथ्यों की कोई जानकारी बाकी नहीं रहती है ।

अगला प्रश्न ।

श्री देवीसिंह भाटी : पानी कब तक पहुंचा दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष : धन उपलब्ध होने पर ।

अगला प्रश्न । माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, अगला प्रश्न ।

श्री देवीसिंह भाटी : जनता में पानी की शिकायत है । व्यवस्था के लिए आदेश दे दें ; इनको पानी उपलब्ध कराया जाय । अध्यक्ष महोदय, कृपया जांच के लिए मन्त्री महोदय आश्वासन दें ? अध्यक्ष महोदय, पानी की समस्या है ।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य ।

श्री भरोसी लाल ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, हमारी हालत क्षेत्र में यह होती है, जब हम जवाब देते हैं, "क्या करोगे सुनकर मेरे कारोबार का, अन्धों के शहर में आइना बेचता हूं ।"

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसको कहने के लिए इतनी जिद करने की क्या जरूरत थी ।

श्री भरोसी लाल ।

कृषि पर्यवेक्षक से सहायक कृषि प्रसार अधिकारी के पद पर पदोन्नति में आरक्षण

607. **श्री भरोसीराम** (हिण्डौन) क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री भरोसी राम)

(1) राज्य में कृषि विभाग में कितने कृषि पर्यवेक्षक हैं ? कृषि पर्यवेक्षकों का सहायक कृषि अधिकारी के पदों पर पदोन्नति हेतु कितना प्रतिशत कोटा निश्चित किया हुआ है ?

(2) क्या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु रोस्टर प्रणाली लागू है ? यदि हां, तो रोस्टर प्रणाली के अनुसार कितने कर्मचारी पदोन्नत होने चाहिये ? यदि तदनुसार नहीं हैं, तो क्यों ?

पंचायत राज मन्त्री (श्री हनुमान प्रभाकर) : (1) कृषि विभाग में वर्तमान में 4217 पद कृषि पर्यवेक्षकों के वेतन श्रंखला 355-570 में स्वीकृत हैं। पदोन्नति का कोटा सहायक कृषि अधिकारियों के सृजित एवं रिक्त होने वाले पदों का दिनांक 31-3-77 तक 8 प्रतिशत एवं उसके पश्चात् साढ़े बारह प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

(2) जी हां । वर्ष 1970–72 से 1976–77 तक 131 व्यक्ति सहायक कृषि अधिकारी के पद पर पदोन्नत किये गये जिनमें से 20 अनुसूचित जाति एवं 16 अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति पदोन्नत होने चाहिये थे, किन्तु 7 अनुसूचित जाति एवं 5 अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति ही पदोन्नत किये जा सके और सक्षमता क्षेत्र में कोई नहीं आते थे । इसी प्रकार 77–78 से 80–81 तक 13 व्यक्तियों की सहायक कृषि अधिकारी पद पर पदोन्नति की गई जिनमें से 2 अनुसूचित जाति एवं एक अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति पदोन्नत किया गया ।

श्री भरोसीराम : अध्यक्ष महोदय, सक्षमता क्षेत्र की परिभाषा क्या रखी है जो कि पदोन्नत नहीं हुए हैं....

श्री हनुमान प्रभाकर : जो निर्धारित योग्यता होती है, वही योग्यता है ।

श्री भरोसी राम : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 1970–71 से 76–77 तक 131 सहायक कृषि अधिकारी पदोन्नत हुए उनमें से 20 अनुसूचित जाति के और 16 अनुसूचित जनजाति के होने चाहिये थे, जिनमें से सिर्फ 7 अनुसूचित जाति और 5 अनुसूचित जनजाति के ही पदोन्नत किये गये हैं । यह भी सही नहीं है ।

वर्ष 77–78 से 80–81 तक 13 सहायक कृषि अधिकारी पदोन्नत किये गये जिनमें से दो अनुसूचित जाति के और एक अनुसूचित जनजाति का पदोन्नत होना चाहिये था लेकिन एक भी पदोन्नत नहीं किया गया । लालसिंह कृषि स्नातक 15 वर्षीय कृषि विभागीय अनुभवी अनुसूचित जाति डी.पी.सी. से चयनित 1970 से स्थाई है और लोक सेवा आयोग से भी चयनित है,

(श्री भरोसी राम)

उसको आज तक कोई भी लाभ नहीं दे रहे हैं। नवर्ण सदस्य कृषि स्नातक होते ही तुरन्त क्लास बी सर्विस पर पदोन्नत किये गये जबकि वह लोग आर.पी.एस.सी. से चयनित नहीं हैं। सतीशचंद जोशी, जी० एन० बैराठी, जमना लाल चौबीसा, राय जादा सन्तनी भट्ट। जब कि जी. एन. बैराठी तो कृषि स्नातक नहीं हैं, उनको पदोन्नत किया गया है।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री हनुमान प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, व्यक्तियों के नाम दिये गये कि क्या इनको पदोन्नत किया गया। जनरल बात जो थी वह मैंने बता दी कि इतने व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री छोगालाल।

श्री छोगालाल कंवरिया : मन्त्री महोदय ने जवाब दिया उसके क्षेत्र में वह आता है तो जोन आफ कंसीडरेशन के क्या नियम थे ? क्या जोन आफ कंसीडेरेशन को थ्री टाइम या फोर टाइम कर दिया गया जिसके कारण यह हुआ ? जनता पार्टी ने फाइव टाइम कर दिया था। क्या जोन आफ कन्सीडरेशन को थ्री टाइम से फाइव टाइम किया गया ? उन अधिकारियों की सीनियोरिटी लिस्ट बनाकर एस. सी. और एस. टी. व्यक्तियों के लिए पदोन्नति देने में क्या दिक्कत आ रही है ?

श्री हनुमान प्रभाकर : जोन आफ कंसीडरेशन पर पुनर्विचार किया गया था और उसे फिर से फाइव टाइम किया है।

श्री भरोसी लाल : जो मैंने नाम दिये हैं, उनकी जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : कभी कभी एक आध प्रश्न पूछता हूं। एक प्रश्न आया है। प्रश्न संख्या 608।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न ले लिया है।

श्री अध्यक्ष : 608

सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में महिलाओं के केन्सर के उपचार की व्यवस्था

608. **श्री राजबहादुर** (भरतपुर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य के सबसे बड़े अस्पताल, सवाई मानसिंह अस्पताल में स्त्रियों में कैंसर की बीमारी की खोज अथवा उपचार हेतु रेडियम थेरेपी की व्यवस्था नहीं है ?

(2) गरीब एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों में अधिकांशतः स्त्रियों में केन्सर होने के उपरान्त भी इस व्यवस्था को उपलब्ध कराने में ऐसी कौन सी कठिनाई है जिसका निवारण इस बड़े अस्पताल की इतनी अधिक बजट राशि के उपरान्त भी संभव नहीं हुआ है ?

(3) इस रोग के उचित रूप से उपचार हेतु क्या आवश्यकताएं हैं और क्या वह इस अस्पताल में थोड़े ही व्यय से उपलब्ध हो सकती हैं ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) केन्सर हेतु रेडियम थेरेपी की व्यवस्था यहां नहीं है परन्तु अन्य विधियों से इसका उपचार किया जाता है। जैसे कीमो थेरेपी और कोबाल्ट थेरेपी।

(2) यहां पर कीमो थेरेपी, कोबाल्ट थेरेपी की व्यवस्था है। रेडियम थेरेपी के अभाव में उपचार में बाधा नहीं आती। अलवत्ता यह सही है कि रेडियम थेरेपी हो तो स्त्रियों में केंसर की बीमारी के प्रारंभिक उपचार में सहायता मिल सकती है।

(3) सामान्य तौर पर इस रोग के के उपचार के लिए यहां पर व्यवस्था है।

श्री राजबहादुर : मैं टेक्निकल आदमी तो नहीं हूं इस विषय का लेकिन थोड़ा बहुत अनुभव रखता हूं कि रेडियम थेरेपी इस उपचार में बहुत ही असेंशियल है ऐसा बताते हैं और इसके अभाव में कितने ही मरीज आते हैं और लौट जाते हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, विना उपचार के लौट जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो व्यवस्था हमारे पास है उसमें उन्होंने कहा कि रेडियम थेरेपी आवश्यक थी। मैं निवेदन करूं, सुन लीजिए।

श्री राज बहादुर : मैं बहुत शांति से सुन रहा हूं।

श्री हीरालाल देवपुरा : कोबाल्ट थेरेपी होने के बाद इसका इतना महत्व नहीं है। जो लेडीज में केन्सर की डिजीज होती है उसमें उपचार तो कोबाल्ट थेरेपी से किया जाता है, उसमें रेडियम थेरेपी की इतनी आवश्यकता नहीं होती। कोबाल्ट थेरेपी से ऐसे केसेज में उपचार किया जा सकता है लेकिन फिर भी राजस्थान सरकार एस.एम. एस. हास्पिटल में इसको रखने का विचार कर रही है।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर अनुमति हो तो····

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें। 12 बजते ही समय समाप्त हो जायेगा इसलिये जो स्थगित प्रश्न हैं उनको पहले लिया जाय।

प्रश्न 174

श्रीमती उजला अरोड़ा।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 10 मार्च, 1981)

वक्फ की जमीन व भवन किराये का भुगतान

174. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वक्फ की जमीन व भवन, जो राज्य सरकार द्वारा किराये पर लिये हुए हैं, का किराया राज्य सरकार द्वारा समय पर अदा नहीं किया जाता है? यदि हां, तो क्यों?

(2) राज्य सरकार में इस प्रकार के किराये की कितनी राशि बकाया है? सरकार उक्त बकाया को कब तक चुकाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

वन मन्त्री (श्री दुलाराम): (1) वक्फ संपत्तियों का प्रबन्ध स्थानीय मुतवल्ली या वक्फ कमेटियों द्वारा किया जाता है और जनरल सुपरविजन वक्फ बोर्ड का है। कुछ मामलों में विवाद व किराया तय न होने के कारण चुकारा नहीं हो रहा है।

(श्री दुलाराम)

(2) इस प्रश्न का उत्तर भाग (1) में दे दिया गया है। विवादग्रस्त मामलों में कार्यवाही जारी है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह उत्तर बिलकुल अपर्याप्त है। सभी किरायेदारों से किराया तय हो चुका है फिर भी समय पर अदा नहीं कर रहे है और संस्थाओं की जो सरकार के पास भूमि किराये पर है उसका किराया भी काफी वर्षों से सरकार के पास अटका हुआ है। उसका कब तक सरकार चुकारा करेगी और कुल कितनी देनदारी है?

श्री दुलाराम : मैंने पहले भी निवेदन किया है कि यह डिस्प्यूट विभाग और वक्फ के बीच के मामलों में है। जब तक डिस्प्यूट तय नहीं होते तब तक किराये के मामले में नहीं बताया जा सकता है। यह अलग से प्रश्न है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आपस में जिनके वाद विवाद हैं वे जब तक फाइनल नहीं हो जाय तब तक जो बकाया का प्रश्न है रु. 8,44,484) जलदाय विभाग, बिजली विभाग, नगरपालिका बयाना, पंचायत समिति बयाना, शिक्षा विभाग कोटपूतली, मस्जिद जयपुर, मदरसा पहाड़गंज, जयपुर भवन आयुर्वेदिक, जयपुर वन विभाग, मस्जिद पल्टन वाला नीम का थाना में 8,44,474) बकाया है। जो बोर्ड के रिकार्ड के मुताबिक है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, विवादास्पद भूमि है या सरकार ने कब्जा कर रखा है। नाजायज है इसलिये विवाद उत्पन्न हुए हैं। क्या सरकार नाजायज कब्जों को हटाने का प्रयास करेगी? विभिन्न विभागों पर इस धार्मिक संपत्ति के किराये के आठ लाख के करीब बाकी हैं जो आपकी जानकारी में हैं। मेरी जानकारी में 13 कब्जे तो बहुत बड़े हैं। जयपुर में ही जो आपके द्वारा किये हुए हैं जिनका आप किराया नहीं देते हैं, किरायेदारी लिखित में है उसको आप कब तक छुपायेंगे? और कब्जे कर रखे हैं उनको कब तक हटायेंगे?

श्री दुलाराम : यह स्थानीय मुतवल्ली कमेटियां ही तय करती हैं। जो स्वायत्तशासी संस्थायें हैं उसमें विभाग का लेना देना है। उनकी सारी कार्यवाही में राज्य सरकार को कोई दखल देने का अधिकार नहीं है। आप मुझे सुन लें....

श्रीमती उजला अरोड़ा : स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं तो क्या हुआ। उनकी खाली जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं उनके पास कोई ऐसी फोर्स नहीं है कि खाली करा सकें। इसलिए मैं निवेदन कर रही हूं कि आप उन जमीनों को कब तक खाली करा देंगे और उनका बकाया किराया कब तक चुका देंगे?

श्री दुलाराम : उनसे खाली करवाने के लिए अलग से नियम हैं, अलग से कोर्ट है, उसमें चाहे जिस प्रकार से दावा करके करवा सकते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप देवस्थान मन्त्री की हैसियत से बोल रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न!

प्रश्न संख्या 311

श्री महेन्द्र सिंह।

(श्री अध्यक्ष)

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 325

श्री जगन सिंह ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें) ।

प्रश्न संख्या 424

श्री भूराराम ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें) ।

प्रश्न संख्या 425

श्री भगवानदास डोसी ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें ।)

प्रश्न संख्या 594

श्री शोभराज मल ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें ।)

प्रश्न संख्या 597

श्री सी० पी० जोशी ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें ।)

श्री शिवदान सिंह ।

कृषि महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आरक्षित कोटा

601. **श्री शिवदान सिंह राठोड़**(जैतारण) एवं **श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह** (गुढ़ा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य के कृषि महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए सरकार के पास कुछ सीट्स का कोटा आरक्षित है ? यदि है, तो किस किस महाविद्यालय में कितना कितना ?

(2) सन् 1980–81 में प्रदेश के कृषि महाविद्यालयों में सरकार द्वारा कितने छात्रों को किस-किस महाविद्यालय में मनोनीत कर प्रवेश दिलाया गया ? कृपया मनोनीत छात्रों के नाम, जाति एवं प्राप्तांकों के प्रतिशत का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) इन महाविद्यालयों में अन्य छात्रों को इसी सत्र में कितने प्रतिशत अंकों पर प्रवेश मिला ?

(4) सरकार द्वारा मनोनीत छात्रों की छंटनी किस प्रक्रिया से की गई ?

पंचायत राज मन्त्री (श्री हनुमान प्रभाकर) : (1) जी हां, सूची (क) सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) सूची (ख) सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(3) सूची (ग) सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(4) छात्रों का मनोनयन व्यापक आधार पर किया जाता है जिससे सभी वर्गों के लोगों को संतोष हो सके ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, सूची नहीं मिली है....

श्री अध्यक्ष : आप स्वयं काफी देर से पधारे हैं ।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इस सूची का क्या करें। यह पढ़ी नहीं जाती है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ। स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्यगण।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सम्बन्धित विभाग को कड़ा निर्देश दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें तो एक पूरक प्रश्न की इजाजत दे सकता हूं।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : छंटनी की प्रक्रिया के बारे में मन्त्री महोदय थोड़ा सा खुलासा कर दें ?

श्री हनुमान प्रभाकर : राज्य सरकार को जो आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं और जो आधार है, उसको देखते हुए राज्य सरकार मनोनयन करती है।

श्री देवीसिंह भाटी : क्या इनमें नम्बरों के आधार पर छंटनी होती है ?

श्री हनुमान प्रभाकर : नम्बरों के आधार पर तो मेरिट बनती है। उसके आधार पर तो पहले ही प्रवेश हो जाता है। राज्य सरकार, जिसके न्यूनतम अंक है प्रवेश के लिए उसका मनोनयन करती है। इसके लिए किसी को ठीक समझें तो राज्य सरकार उसके आधार पर मनोनयन कर सकती है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

अन्य किसी तरीके से उठावें, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : इस पर हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है....।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ। आर्डर प्लीज।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं राज्य सरकार से यह जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार के पास किनकिन के आवेदन पत्र प्राप्त हुए ?

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण करें।

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : जिनके ज्यादा नम्बर थे उनको नहीं लिया गया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : नियमों को नहीं माना गया है।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : मन्त्री महोदय द्वारा जिस प्रकार से उत्तर दिया गया है उससे हम असन्तुष्ट हैं। यह कहते हैं कि आधार है। यह प्रश्न में पूछा गया है कि आधार क्या है ? यह क्यों नहीं बताते हैं ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, नियमों की अवहेलना हो रही है ?

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री देवीसिंह भाटी : × × ×

श्री अध्यक्ष : सदन में चर्चा हो चुकी है। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। बार बार इस विषय को नहीं उठाया जा सकता है। प्रश्न काल समाप्त हुआ। माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। आर्डर प्लीज। अंकित न हो।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : × × ×

श्री गुलाबचन्द कटारिया : × × ×

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

चर्चा हो चुकी है। दुबारा चर्चा नहीं होगी। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No.25

(25)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

मोटर-दुर्घटना ट्रिब्यूनल्स

594. **श्री शोभराज मल (चितौड़गढ़)** : क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितने मोटर दुर्घटना ट्रिब्यूनल हैं ?

(2) क्या पक्षकारों की सुविधा की दृष्टि में जिला न्यायाधीशों को पुनः इनकी सुनवाई का अधिकार प्रदत्त करने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या जिला हैड क्वार्टर्स पर इस न्यायालय के शिविर लगाने पर विचार किया जायगा जिससे उस क्षेत्र के सम्बन्धित पक्षकारों को सुविधा रहे ?

उत्तर

(1) राज्य में पांच स्थानों पर जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर और जोधपुर में मोटर दुर्घटना ट्रिब्यूनल्स हैं।

(2) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(3) जिला हैडक्वार्टरों पर-मोटर दुर्घटना ट्रिब्यूनल के शिविर लगाने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा प्रदत्त राशि

597. **श्री सी.पी. जोशी** (नाथद्वारा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, दिल्ली ने एन. ए. आर. पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य को 5 करोड़ की राशि स्वीकृ की सिफारिश की है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त राशि की स्वीकृति के संदर्भ में कोई शर्तें जुड़ी हुई हैं ? यदि हां, तो कृपया उन शर्तों की प्रति सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उपरोक्त प्रस्तावित राशि के कार्य क्रियान्वित करवाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने निम्न तीन शर्तें रखी हैं :—

(क) राज्य में पृथक से कृषि विश्वविद्यालय शुरू किया जावे।

(ख) कृषि विस्तार एवं अनुसंधान परियोजना के अन्तर्गत कृषि अनुसंधान कार्य हेतु उपलब्ध 1.70 करोड़ रुपये कृषि अनुसंधान कार्य हेतु उदयपुर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जावे।

(ग) राजस्थान नहर एवं चम्बल परियोजना के सिंचित क्षेत्र में चल रहे कृषि अनुसंधान कार्य को उदयपुर विश्वविद्यालय को स्थानान्तरित कर दिया जावे।

जिला बाड़मेर में असहायों को प्रदत्त पेन्शन

602. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री अमीन खां)

(1) जिला बाड़मेर में कितने असहायों को मासिक पेन्शन मिलती है ? कृपया तहसीलवार आंकड़े सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर की सभी तहसीलों में मई, 1980 से अभी तक असहायों को पेन्शन नहीं मिल रही है ? यदि हां, तो इतनी देरी से पेमेंट होने के क्या कारण हैं ?

(3) इस लापरवाही के लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है तथा पेन्शन का भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में जिलाधीश व देवस्थान विभाग द्वारा 1429 असहाय व्यक्तियों को मासिक पेन्शन व निर्वाह भत्ता मिलता है। तहसीलवाइज आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

तहसील	जिलाधीश द्वारा वृद्धावस्था-अपाहिज		देवस्थान विभाग द्वारा
1. बाड़मेर	666 –	43	—
2. शिव	153 –	—	—
3. चौहटन	189 –	2	—
4. पचपदरा	156 –	53	3
5. सिवाना	119 –	45	—
योग	1283	143	3

(2) जी नहीं। देवस्थान विभाग द्वारा दी जाने वाले पेन्शन की राशि का चुकारा माह फरवरी, 1981 तक हो चुका है एवं जिलाधीश द्वारा दी जाने वाली पेन्शन का माह दिसम्बर, 1980 तक वितरण हो चुका है।

(3) चूंकि नियमानुसार पेन्शन का भुगतान हो रहा है अतः किसी भी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 17 मार्च, 1981)

व

(दिनांक 25 मार्च, 1981)

जिला गंगानगर में हरिजनों एवं भूमिहीनों को भूमि आवंटन

311. **श्री महेन्द्र सिंह** (सांगरिया) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1980 में जिला श्रीगंगानगर में हरिजनों एवं भूमिहीन कृषकों के कितने आवेदन-पत्र भूमि के आवंटन के प्राप्त हुए ?

(2) इनमें से कितनों को भूमि आवंटित की जा चुकी है तथा कितने मामले विचाराधीन हैं ?

उत्तर

(1) कुल 15,973 आवेदन पत्र प्राप्त हुए।

(उपनिवेशन मन्त्री)

(2) 230 व्यक्तियों को भूमि आवंटित की जा चुकी है तथा 15,732 प्रार्थना पत्र विचाराधीन हैं।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 18 मार्च, 1981)

बयाना (भरतपुर) में वक्फ की भूमि पर अतिक्रमण

325. **श्री जगन सिंह (बयाना)** : क्या वक्फ मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कस्बा बयाना (भरतपुर) में वक्फ की कितनी भूमि है ?

(2) इस भूमि पर कितने व्यक्तियों का अवैध कब्जा है ?

(3) क्या राज्य सरकार इस अतिक्रमण को हटवाने का विचार रखती है ? यदि हां तो अब तक इस विषय में क्या-क्या कदम उठाये गयें हैं ?

उत्तर

(1) बयाना कस्बा में कुल 67 वक्फ सम्पत्तियां राज-पत्र में प्रकाशित हुई हैं।

(2) अवैध कब्जादारों की सूची संलग्न है।

(3) वक्फ बोर्ड अनधिकृत कब्जे हटाने के लिए कानूनी कार्यवाही करने में सक्षम है। राज्य सरकार भी इस मामले में प्रयत्नशील है, परन्तु कानूनी अधिकार केवल वक्फ बोर्ड को ही है। जिस भू-भाग पर राजकीय विभागों का कब्जा है उसके लिये सम्बन्धित विभागों को लिखा गया है कि वह उस भू-भाग का किराया वक्फ बोर्ड को देवें तथा राजस्थान वक्फ बोर्ड से लीज लिखने की कार्यवाही करें। वर्तमान में कोई निर्माण की कार्यवाही नहीं हो रही है और पूर्व निर्माण की स्थिति यथावत है। उप जिलाधीश द्वारा मीराना कब्रिस्तान के विवादग्रस्त भू-खण्ड को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अन्तर्गत इन्हें कुर्क किया जाकर नायब तहसील को रिसीवर नियुक्त किया हुआ है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 24 मार्च, 1981)

पिण्डवाड़ा एवं आबूरोड तहसीलों में कृषकों से वसूलियां किया जाना

242. **श्री मूराराम** (पिंडवाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अकालग्रस्त क्षेत्रों से सभी तरह की वसूली के स्थगन आदेश होने पर भी सिरोही जिले की पिंडवाड़ा एवं आबूरोड़ तहसीलों में वसूलियां हो रही हैं ? क्या यह भी सही है यह तहसील क्षेत्र भयंकर अकाल की चपेट में हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त तहसीलों के गरीब व लघु सीमान्त कृषकों से वसूलियों हेतु कुड़क नोटिस जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों और कितने काश्तकारों को ऐसे नोटिस दिये गये हैं ? कृपया ग्राम वार नाम सहित अलग अलग सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पिण्डवाड़ा एवं आबूरोड क्षेत्र के काश्तकारों के साथ राजस्व

Page No.28

28

(श्री भूराराम)

अधिकारियों द्वारा अन्याय किया जा रहा है ? क्या सरकार इनकी जांच करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। इस विभाग की आज्ञा सं०प. 4(11) राज/ग्रुप–2/80. दिनांक 3–1–81 के अनुसार अभावग्रस्त घोषित किये गये ग्रामों में तकावी एवं भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय राजकीय बकाया की वसूली दिनांक 30–9–81 तक स्थगित रखी गई है। तहसील पिण्डवाड़ा एवं आबू-रोड के क्रमश: 99 एवं 90 ग्रामों में से अभावग्रस्त घोषित क्रमश: 97 एवं 87 ग्रामों में ऐसी भूमि से सम्बन्धित तकाबी व भू-राजस्व की बकाया वसूली स्थगित है।

(2) अभावग्रस्त घोषित ग्रामों की असिंचित भूमि जो राजस्व अभिलेख में सेंलावों, तालाबों, बारानी दर्ज है, से संबंधित भूमि को तकाबी व भू-राजस्व की बकाया 30–9–81 तक स्थगित होने से अन्य प्रकार की बकाया के नोटिस जारी करना नियम विरूद्ध नहीं है। 184 बाकीदार जिन्हें वसूली नोटिस जारी हुए हैं उनकी सूची संलग्न है।

(3) जी नहीं। इस प्रकार को कोई शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। अत: जांच करवाने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

शास्त्री सदन छात्रावास सांचौर के प्रोक्टर के विरूद्ध शिकायतें

425. **श्री भगवानदास डोसो** (चौहटन): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शास्त्री सदन छात्रावास सांचौर के प्रोक्टर, श्री गोमाराम के विरूद्ध छात्रावास की अनुदान की राशि के दुरुपयोग करने की कई शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो कब-कब एवं किसके जरिये ? उक्त प्राप्त शिकायतों के बारे अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री गोमाराम, प्रोक्टर को उक्त छात्रावास से शिकायतों पर एक बार हटा दिया था ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रोक्टर को दुबारा फिर उसी छात्रावास में प्रोक्टर के पद पर रख दिया गया ? यदि हां तो कब, क्यों एवं किसके द्वारा ? क्या सरकार उक्त प्रोक्टर को छात्रावास से हटाना उचित समझेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं, सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(2) जी नहीं। श्री गोमाराम ने स्वेच्छा से दिनांक 24–6–76 को त्यागपत्र दिया था।

(3) जी हां। दिनांक 2–10–76 को अध्यक्ष शास्त्री सदन छात्रावास समिति द्वारा श्री चम्पालाल, तत्कालीन अधीक्षक का निलम्बन हो जाने के कारण।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

600. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत), **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूनी) एवं **श्री मान सिंह देवड़ा** (सरदारपुरा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 (अ) के तीसरे परन्तुक को दिनांक 12 जुलाई, 1978 से लागू किया गया है ?

(2) प्रश्न के भाग 1 का उत्तर यदि हां, में है तो उक्त परन्तुक के तहत राज्य सरकार ने कब-कब अधिसूचना जारी की व किस-किस क्षेत्र की व किन-किन शर्तों के तहत कृषि भूमि को व्यवसायिक, रिहायशी व औद्योगिक प्रयोजनार्थ बेचान हेतु मुक्त किया ?

(3) प्रश्न के भाग (2) में जारी अधिसूचना के भाग (ब) का प्रतिबन्ध तीसरे परन्तुक के अधीनस्थ लागू रखना क्या अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के हितों पर कुठाराघात नहीं है ? क्या इस प्रतिबन्ध के रहते उन्हें उचित कीमत से वंचित रहना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर पुन: विचार करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। यह तीसरा परन्तुक एक अध्यादेश के द्वारा दिनांक 22-6-78 को लागू किया गया था। अध्यादेश का स्थान काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम, 1978 में दिनांक 25 अक्टूबर, 1978 ने लिया है।

(2) तीसरे परन्तुक के तहत कोई विज्ञप्ति अभी तक जारी नहीं की गई। भूमि के हस्तान्तरण के लिए जो छूट देने के लिए जो प्रस्ताव जिलाधीश गण से उनकी सिफारिश के साथ प्राप्त होते रहे हैं उन पर अलग-अलग विचार करके राज्य सरकार कार्यवाही करती है।

(3) जी नहीं। धारा 42 (जो) के प्रतिबन्ध से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों की भूमि का अन्य वर्गों को हस्तान्तरण करने पर लगाये गये प्रतिबन्ध से उनके हितों की रक्षा हुई है।

केन्द्रीय रसायनशाला अजमेर द्वारा अतीष-कटु औषधि का क्रय

601. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय रसायन शाला अजमेर में सन् 1979-80 में 'अतीषकटु' नामक औषधि क्रय की गयी थी और विभागीय नमूनों के अनुमार शुद्ध नहीं होने पर उसकी जांच करायी गयी थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस जांच में वह औषधि नमूने के अनुसार शुद्ध नहीं पायी गयी और इस हेतु दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी ?

(श्री कैलाश मेघवाल)

यदि हां, तो उस कार्यवाही का क्या परिणाम रहा ? अभी किस स्तर पर हैं और राज्य सरकार उसको कब तक पूरा करा देने का विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार उक्त काण्ड में लिप्त अधिकारियों द्वारा सरकार को रु. 58,000 की हानि पहुंचाने हेतु समुचित प्रकार से दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, दोषी अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए कार्मिक विभाग को लिखा जा रहा है।

(3) जी हां, जांच रिपोर्ट में दोषी पाने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करना सम्भव होगा।

राज्य कृषि विपणन बोर्ड में प्रतिनियुक्त अभियंता

602. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य कृषि विपणन बोर्ड में कितने अभियन्ता प्रतिनियुक्ति पर हैं ? इन अभियन्ताओं को प्रतिनियुक्ति पर लेने का क्या आधार है और क्या अवधि है ?

(2) क्या कुछ अभियन्ताओं की प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो उन्हें उनके मूल विभाग में क्यों नहीं भेजा जा रहा है ?

(3) क्या बोर्ड में सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति की गई है जो अनियमित है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उत्तर

(1) बोर्ड में 37 अभियन्ता प्रतिनियुक्ति पर हैं। बोर्ड में अभियन्ताओं की आवश्यकता के अनुसार सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य अभियान्त्रिकी विभागों को अनुरोध किया जाता है जहां से अभियन्ताओं को प्रतियुक्ति पर भेजा जाता है। प्रतिनियुक्ति पर पहले एक वर्ष के लिए लिया जाता है तथा आवश्यकतानुसार 3 वर्ष तक की अवधि बढ़ा दी जाती है।

(2) जी हां। बोर्ड द्वारा सीधी भर्ती द्वारा अपनी नियमित सेवाओं में अभियन्ता नियुक्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं जैसे ही अभियन्ता उपलब्ध होंगे प्रतिनियुक्ति पर लिये गये अभियन्ता वापस उनके पैतृक विभाग को भेज दिये जायेंगे।

(3) सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति की गई है जो नियमित प्रक्रिया द्वारा की गई है अनियमित नहीं है। अतः इसमें कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

तहसील चौहटन में उपलब्ध रोइड़ नामक वृक्ष

606. **श्री देवदत्त तिवाड़ी** (बाड़मेर) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि 'रोइड़ा' नामक एक रेगिस्तानी वृक्ष की लकड़ी टीक-

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

वुड के समान होती है, परन्तु यह वृक्ष ऐसी लकड़ी देने हेतु कम से कम 25 वर्ष में तैयार होता है ?

(2) क्या ऐसे मूल्यवान वृक्ष की बाड़मेर जिले की चौहटन तहसील में बहुतायत है ?

(3) क्या अकाल के कारण लोग इस लकड़ी को काट-काट कर बेच रहे हैं ?

(4) क्या सरकार के पास ऐसे मूल्यवान वृक्ष को चौहटन तहसील क्षेत्र में पनपाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो वर्ष 1980–81 में ऐसे कितने वृक्ष पनपाने का लक्ष्य है ? यदि नहीं, तो ऐसी योजना के बनाने में क्या बाधा है ?

उत्तर

(1) रोहिड़ा नामका रेगिस्तानी वृक्ष की लकड़ी टीकवुड के सामन होती है और मरुस्थलीय इलाके में इसे मारवाड़ टीक कहा जाता है टीकवुड जैसी इमारती लकड़ी देने हेतु यह वृक्ष 60 वर्ष या इससे भी अधिक अवधि में तैयार होता है।

(2) जी हां। रोहिड़ा के वृक्ष अधिकांशतः कृषि भूमि में ही पाये जाते हैं।

(3) मरुस्थलीय इलाके के अन्दर रोहिड़ा ही मुख्य इमारती लकड़ी देने वाला वृक्ष है। अतः लोग घरों में इमारती लकड़ी के उपयोग हेतु किवाड़ एवं फर्नीचर तैयार करने के लिए पेड़ काटकर बेचते रहते हैं। अकाल का इससे कोई सम्बन्ध प्रकट नहीं है।

(4) मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभाग द्वारा जो योजनायें चलाई जा रही हैं उनमें ईंधन एवं चारे के जल्द तैयार होने वाले (क्विक ग्रोइंग) वृक्ष लगाने का ही मुख्य लक्ष्य है, इमारती लकड़ी के वृक्षों का नहीं।

अतः चौहटन तहसील क्षेत्र में रोहिड़ा वृक्ष के पनपाने की कोई योजना वर्तमान में राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

चिकित्सा विभाग में रेडियोग्राफर का प्रशिक्षण

605. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 18 माह की अवधि का रेडियोग्राफर प्रशिक्षण करवाया जाता है ? यदि हां, तो क्या रेडियोग्राफर्स की सेवा अवधि में केवल 25/–माहवार रेडिएशन अलाउन्स दिया जाता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि रेडियोग्राफर्स को रेडियेशन लग जाने के कारण बीमारियां भी हो जाती हैं ? यदि हां, तो आरम्भ से आज तक ऐसे मामले कितने प्रतिशत रहे हैं ?

(3) क्या सरकार इस प्रकार के जोखिम भरे कार्य के लिए रु. 25/–अलाउन्स को अपर्याप्त मानती है ? यदि हां, तो क्या इसमें वृद्धि करने का विचार है ? हां, तो कितनी राशि ?

(4) क्या यह भी सही है कि जो प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण करने के उपरान्त सेवा में लिये जाते हैं, उन्हें प्रथम रेडियो टेक्नि-

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

शियन के पद पर लगया जाता है तथा वेतन मान भी 355-570 ही दिया जाता है ?

(5) क्या यह भी सही है कि गत सत्र में तारांकित प्रश्न संख्या 71 । चि. मं. द्वारा राज्य सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि प्रशिक्षण के पश्चात् सेवाकाल में ग्रेड रु. 470-830 देने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस निर्णय की क्या प्रगति है तथा यह निर्णय कब तक हो जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जो व्यक्ति रेडियोलोजी विभाग में कार्य करते हैं यदि वह होशियारी से कार्य न करें तो रेडियेशन द्वारा रोग लग जाने की संभावना रहती है । अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं आया है ।

(3) यह मामला वेतन आयोग के विचाराधीन है ।

(4) जी हां ।

(5) वेतन आयोग की रिपोर्ट आने पर ही कार्यवाही करना सम्भव है

अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिए विकास योजनायें

606. **श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक):** क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जनजाति विकास निगम के बजट में विद्युत योजना के लिये राशि तो आवंटित की गई किन्तु इसके उपयोग के लिए कोई योजना नहीं बनायी गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए निःशुल्क कुएं खोदने का प्रावधान है ? यदि हां, तो अब तक कितने कुएं कहां-कहां खोदे गए और उन पर कितनी राशि व्यय की गई ? कृपया पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि अनुसूचित जनजाति विकास निगम के बजट में से लघु एवं वृहद् योजनाओं के लिये धन स्थानान्तरित किया गया ? यदि हां, तो कब और कितना-कितना व किन-किन योजनाओं के लिये ? कृपया इन योजनाओं पर व्यय के उपयोगिता प्रमाण-पत्र सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

(1) यह सही नहीं है ।

(2) यह सही नहीं है ।

(3) यह सही नहीं है ।

जिला अजमेर की मीणा जाति को अनुसूचित जन जाति घोषित करने हेतु सिफारिश

607. **श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) :** क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के जिला अजमेर की मीणा जाति को अनुसूचित जन जाति में सम्मिलित नहीं किया गया है ?

(श्री कैलाश मेघवाल)

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार ने मीणा जाति को जिला अजमेर हेतु अनुसूचित जन जाति घोषित करने की सिफारिश भारत सरकार को

(3) यदि हाँ, तो कब एवं उसका क्या परिणाम रहा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। भारत सरकार के विधि, न्याय तथा कम्पनी मामलात विभाग के परिपत्र संख्या 151, जो भारत के गजट भाग II दिनांक 27-9-76 में प्रकाशित हुआ है, के अनुसार दिनांक 27-7-79 से जिन जातियों को अनुसूचित जाति तथा जन जाति की सूची में रखा गया है वे सारे राज्य के लिए अनुसूचित जाति तथा जन जाति घोषित की गई हैं। अतः अजमेर की मीणा जाति भी अब अनुसूचित जन जाति की सूची में सम्मिलित है।

(2) अजमेर की मीणा जाति ने इस कार्य हेतु गठित आयोग के सम्मुख अपना प्रतिनिधित्व पेश किया था, राज्य सरकार ने भारत सरकार को यह सूचित किया था कि मीणा जाति, जो अजमेर के अतिरिक्त राज्य के अन्य स्थानों में अनुसूचित जन जाति घोषित की गई है, की आबादी अजमेर में भी है और उनकी दशा अन्य स्थानों की की मीणा जाति के समान ही है।

पंचायत समिति लाडपुरा की ग्राम पंचायतों को मिनी ब्लाक घोषित करना

608. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मंडी): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे :—

(1) जिला कोटा की पंचायत समिति लाडपुरा की ग्राम पंचायत दानपुर, बोराबास, डोवया, कसार, मांदलिया, मंडाना, मंवरिया और काव्याखेड़ी क्षेत्र में कितनी प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ी जातियों की है ?

(2) क्या सरकार इस ब्लाक को अनुसूचित जन जाति मिनी ब्लाक घोषित करेगी ? यदि हां, तो कब ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कोटा जिले की पंचायत समिति लाडपुरा की वर्णित ग्राम पंचायतों में 1971 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों का निम्नानुसार प्रतिशत है। पिछड़ी जातियों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(मन्त्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

ग्राम पंचायत	कुल आबादी	अनु० जाति	अनु० जन जाति	अनु० जाति प्रतिशत	अनु० जनजाति प्रतिशत
रामपुर	4495	345	1116	7·68	29·83
बोरावास	1963	239	511	12·18	26·03
डोलिया	1337	213	403	15·93	30·14
कसार	5163	501	663	9·70	12·84
माडलिया	2496	431	776	12·27	31.09
मडाना	2932	364	80	12·41	2·73
भंवरिया	1669	149	634	8·93	37·99
कालियाखेड़ी	2683	441	927	16·44	34·55

प्रश्न में अंकित दामपुर कोई पंचयात नहीं है वरन रामपुर है इसी प्रकार डोवया के स्थान पर सही नाम डोलिया है।

(2) इस कार्यालय द्वारा भारत सरकार के निर्धारित मापदण्ड के आधार पर कोटा जिले में एक अतिरिक्त लघु खण्ड का सृजन संभव है जो लाडपुरा-रामगंज मण्डी व सांगोद पंचायत समितियों के आपस में जुड़े हुए ग्रामों को सम्मिलित करते हुए बनाया जा सकता है। इस विभाग द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव बनाये जाकर भारत सरकार को प्रेषित किये जावेंगे क्यों कि मिनी ब्लाक्स का अनुमोदन भारत सरकार द्वारा ही किया किया जाता है।

निदेशक, आयुर्वेद विभाग के विरूद्ध विचाराधीन जांच

609. **श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर) :** क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या श्री गोकुलेन्द्र शर्मा, निदेशक, आयुर्वेद विभाग के विरूद्ध अनियमितताओं व भ्रष्टाचार के मामलों में कोई जांच की गई है ? यदि हां, तो जांच परिणाम के संदर्भ में उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या किसी प्रकार की जांच बाकी है ? यदि हां, तो कब तक कार्यवाही पूर्ण की जायगी ?

उत्तर

(1) जी हां। जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा कराने के लीये लिखा जा चुका है। जांच रिपोर्ट अभी तक अपेक्षित है।

(2) जी हां। जांच शीघ्र करने हेतु भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को लिखा जा रहा है। इनके विरूद्ध किसी एक व्यक्ति ने कुछ शिकायतें की हैं जिन को प्रारम्भिक जांच व रिपोर्ट के लिए भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को भेजा गया है। जांच रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

चीतलवाना डिस्पेन्सरी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के विरूद्ध शिकायतें

610. **श्री राम रघुनाथ चौधरी** (डेगाना) एवं

श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रभारी चिकित्सक डिस्पेन्सरी चीतलवाना के विरूद्ध एक इंजरी रिपोर्ट देने में भ्रष्ट तरीके अपना कर गड़बड़ घोटाला करने की शिकायत प्रार्थी माला पुत्र तुलछा जाट निवासी गांव देवड़ा तहसील सांचौर जिला जालौर ने सरकार को दिनांक 31 जनवरी, 1981 को पेश की थी ? क्या यह भी सही है कि उपरोक्त शिकायत मन्त्री महोदय के कार्यालय द्वारा जरिए आउट वर्ड नं. 582 दिनांक 31 जनवरी, 1981 को निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं को जांच हेतु भेजी गई थी ? अगर हां, तो निदेशक कार्यालय द्वारा उपरोक्त शिकायत पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) उपरोक्त डाक्टर की शिकायत की जांच किसके द्वारा कब तक करवा ली जावेगी ?

(3) उपरोक्त डाक्टर के विरूद्ध शिकायत की जांच करवा कर डाक्टर को नियमानुसार कब तक दण्ड दिया जा सकेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। मूल शिकायत प्राथमिक जांच हेतु निदेशालय द्वारा दिनांक 6-2-81 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालौर को प्रेषित की गई है।

(2) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालौर को प्राथमिक जांच पूर्ण कर भेजने हेतु निर्देश दिये हैं। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।

(3) जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर तथा दोषी पाये जाने पर तुरन्त नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

तहसील प्रतापगढ़ के अन्त्योदयी परिवारों को आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाना

611. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या तहसील प्रतापगढ़ में भूमिहीनों, अन्त्योदयी एवं पिछड़े वर्ग के किसानों को पिछले दो वर्षों में जो भूमि आवंटित की गयी थी उस भूमि पर दूसरे काश्तकार ने कब्जा कर रखा है ?

(2) क्या सरकार खातेदारों को आवंटित भूमि का कब्जा दिलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो अब तक कितने खातेदारों को भूमि का कब्जा दिलवाया गया है ? शेष को कब तक कब्जा दिला दिया जायगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) ऐसे किसी भी आवंटी को कब्जा सौंपा जाना अवशेष नहीं है।

राज कोष को क्षति

612. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील कोलायत, जिला बीकानेर के ग्राम गजनेर में सन 1978 की राज रकबे की पाल की बोली रु. 5000 में श्री प्रभुराम पुत्र आदुराम जाति कुम्हार साकिन गजनेर के नाम से हुई थी व जिसमें रु. 1200/- जमानत के रूप में पाला लेन वाले ने तहसील कोलायत में जमा कराये थे तथा शेष राशि 3800/- श्री प्रभुराम ने जमा नहीं करायी ?

(2) यदि हां, तो रु. 3800/- किससे वसूल किये गये ? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन दोषी है ?

(3) क्या सरकार सरकारी कोष को हुए इस नुकसान की जांच करवायेगी व दोषी कर्मचारी को सजा देगी ?

उत्तर

(1) तहसील कोलायत जिला बीकानेर ग्राम गजनेर में सन् 1978 को राज रकबे के पाले को बोली रुपये 5000/- में श्री प्रभुराम पुत्र आदुराम जाति कुम्हार साकिन गजनेर के नाम से हुई थी । उक्त राशि में से 1250/- रुपये पाला लेने वाले ने तहसील कोलायत में जमा करवाये थे तथा शेष राशि 3750/- श्री प्रभुराम ने जमा करा दिये हैं ।

(2) रुपये 3750/- श्री प्रभुराम पुत्र आदुराम जाति कुम्हार साकिन गजनेर द्वारा ही जमा कराये गये है तथा उसके जिम्मे इस संदर्भ में अब कोई राशि शेष नहीं है ।

(3) सरकारी कोष को नुकसान नहीं हुआ है, अत: यह प्रश्न नहीं उठता ।

प्राइवेट धन्वन्तरी औषधालय पर छापा

613. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 12 नवम्बर, 1980 को कस्बा नौखा जिला बीकानेर में स्थित डा० राधाकृष्ण शर्मा के प्राइवेट धन्वन्तरी औषधालय पर श्री प्रहलाद नारायण सिमलोट, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गंगाशहर, श्री हीरालाल बंसल ड्रग निरीक्षक, बीकानेर, श्री विनोद कुमार जैन ड्रग निरीक्षक नागौर व श्री भंवर लाल सेठिया, कनिष्ठ लिपिक गये तथा रु. 5000/- रिश्वत मांगने पर न देने से रुपये 6 कारटन औषधियां व रोगी रजिस्टर रात के 9 बजे अपनी जीप में डाल कर बीकानेर ले आये ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या जब्त किये गये माल पर मौके पर सील लगा कर डा० राधाकृष्ण शर्मा के हस्ताक्षर करवाये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि जिन दवाइयों को जब्त किया गया उनके बिल मांगने पर बता दिये गये थे ? यदि हां, तो फिर दवाइयां क्यों जब्त की गई ?

(4) क्या रु० 5000/- रिश्वत मांगने की शिकायत उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, बीकानेर को 27 व 29 नवम्बर, 1980 को की गई थी ? यदि हां,

(श्री देवीसिंह भाटी)

तो क्या उसकी जांच करके आगे कार्यवाही की गई ? कृपया जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 12 नवम्बर, 1980 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गंगाशहर अपने निरीक्षण दल के साथ नौखा निरीक्षण हेतु गये थे। इस निरीक्षण में परिवाद प्राप्त हुए हैं। जिसके फलस्वरूप विभाग एवं भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा जांच की गई। विभागीय जांच पूरी हो चुकी है एवं भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से जांच रिपोर्ट अपेक्षित है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वस्तुस्थिति से अवगतक रना संभव होगा।

(2), (3) एवं (4) प्रश्न संख्या का निम्न उत्तर है :—

ए० सी० डी० से जांच रिपोर्ट अपेक्षित है। जांच पूर्णतया हो जाने पर ही सूचना देना संभव होगा।

राजस्थान नहर क्षेत्र के काश्तकारों को खातेदारी हक

614. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान नहर क्षेत्र में राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 15-एएए के तहत क्या काश्तकारों को खातेदारी हक मिल जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जी हां। जो आवेदन पत्र नियमानुसार उक्त धारा में निर्धारित दिनांक तक प्रस्तुत कर दिये गये थे उन पर सम्बन्धित न्यायालय द्वारा विचार किया जा रहा है।

खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए इस धारा के अन्तर्गत एक वर्ष की अवधि इस धारा के प्रकाशित होने की तारीख 29-12-79 से मुकर्रर की गई है। इन आवेदन पत्रों को सुनने के अधिकार सभी सहायक उपनिवेशन आयुक्तों को दिये गये हैं।

उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर द्वारा की गई खरीद फरोख्त

615. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), अजमेर द्वारा स्थानीय रूप से सीरिंज, नीडल, फर्नीचर, काटन, बाउल (तामचीन कटोरे, आदि की खरीद की जाती है ? यदि हां, तो इस खरीद में किन नियमों की पालना की जाती है ?

(2) क्या यह भी सही कि खण्ड सं. 1 में वर्णित समस्त सामान सिंह एण्ड सन्स अजमेर से मनमानी तरीके से खरीदा जाकर सामान्य भावों से अधिक भुगतान किया जाता रहा है ? क्या राज्य सरकार इसकी जांच करायेगी ?

Page No.38

(38)

(चिकित्सा मन्त्री)

(1) जी हां। सामान की खरीद साधारणतः विभाग द्वारा अनुमोदित रेट कान्ट्रेक्ट पर की जाती है। यदि कोई सामान रेट कान्ट्रेक्ट पर उपलब्ध न हो सके तो वह खरीद सामान्य वित्त एवं लेखा नियमों के अनुसार की जाती है।

(2) सामान सिंह एण्ड संस से खरीदा गया है किन्तु इस प्रकार की विभाग को शिकायत नहीं मिली है।

भिक्षावृत्ति कर जीविकोपार्जन कर रहे व्यक्ति

617. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा भिक्षावृत्ति के सहारे जीवन यापन करने वाले लोगों का सर्वेक्षण करवाया गया है ? यदि हां, तो कब तथा सर्वेक्षण के अनुसार इनकी संख्या कितनी है ?

(2) इन भिक्षुओं में कितने ऐसे हैं जो काम करने में सक्षम हैं व कितने विकलांग कुष्ठ रोग से पीड़ित, मानसिक रूप से विक्षिप्त तथा वृद्धावस्था के कारण भिक्षावृत्ति कर रहे हैं ?

(3) सरकार ने अब तक इस समस्या के निराकरण के लिए क्या क्या प्रयत्न किये हैं ? कृपया पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भिक्षावृत्ति के सहारे जीवन यापन करने वाले लोगों का अजमेर नगर का सर्वेक्षण 1969, जयपुर का वर्ष 1969 तथा उदयपुर का वर्ष 1976 में सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण के अनुसार उस समय इनकी संख्या अजमेर में 323, जयपुर में 750 तथा उदयपुर में 72 पाई गई थी।

(2) सर्वेक्षण द्वारा भिक्षावृत्ति के सहारे जीवनयापन करने वाले निम्न प्रकार के लोगों की सूचना प्राप्त हुई थी:—

क्र.सं. भिक्षुओं के प्रकार	अजमेर की सं.	जयपुर की सं.	उदयपुर की सं.
1. सामान्य	219	392	55
2. अशक्त	38	—	—
3. अंगहीन (विरूप-शोधिय)	19	182	9
4. नेत्रहीन	8	106	5
5. कुष्ठ रोगी	16	50	3
6. लम्बे समय से बीमार	13	—	—
7. अन्य	10	50	—
योग :-	323	750	72

जिन भिक्षुओं की संख्या सामान्य अथवा अन्य में बताई गई है वह काम करने में सक्षम हैं।

(3) राज्य सरकार ने भिक्षुओं के लिए राज्य में जयपुर, अजमेर, उदयपुर में सेवा-सदन (भिक्षुक गृह) चला रखे हैं जहां

(समाज कल्याण मन्त्री)

शारीरिक रूप से काम करने योग्य व्यक्तियों को बुनाई, लुहारी, काष्टकला, उद्योगों तथा मुर्गीपालन, कृषि कार्य, साबुन बनाना, लाभ का काम आदि सिखाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त जयपुर में एक कुष्ठ गृह भी चलाया जाता है जिसकी स्वीकृत संख्या 50 है। कुष्ठ रोगियों को पुनर्वास की दृष्टि से खिलौने बनाना मोमबत्ती बनाना, चाक बनाना तथा सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि ये स्वावलम्बी हो सकें। वर्तमान में भिक्षुक गृहों में निम्न प्रकार भिक्षुक हैं :—

क्र.सं. भिक्षुक श्रेणी	जयपुर सेवा सदन	अजमेर सेवा सदन	उदयपुर सेवा सदन
1. काम करने में सक्षम	30	29	11
2. विकलांग	3	6	—
3. मानसिक रूप से	10	15	5
4. नेत्रहीन	—	—	—
5. वृद्ध एवं अशक्त	7	5	2
योग :—	50	55	18

अजमेर के चिकित्सालयों में तेज रोशनी की टार्चेज की व्यवस्था

618. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय अजमेर से ऑपरेशन थियेटर, लेबोरेट्रीज तथा वार्डों आदि में काम आने वाली टार्चें बहुत पुरानी होकर कमजोर सैलों की हैं जिससे चिकित्सा सेवाओं में अवरोध पैदा हो रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि आपरेशन थियेटर एवं विभिन्न निरीक्षण स्थानों पर विशेष सैलों की तेज रोशनी की टार्चें उपलब्ध नहीं हैं ? जिससे सूक्ष्म शल्य कार्य एवं सूक्ष्म निरीक्षण में कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में सुधार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

कस्बा राजनगर में कृषि भूमि पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का अवैध निर्माण

619. श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजसमन्द के राजनगर कस्बे (उदयपुर) में स्थित राजकीय चिकित्सालय के सामने की कृषि भूमि पर दुकानें निर्माण की गयी हैं ? यदि हां, तो किसके द्वारा ?

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

(2) दुकानों के निर्माण के समय सड़क के बीच से दोनों ओर नियमानुसार छोड़ी जाने वाली भूमि छोड़ी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) कृषि भूमि पर व्यापारिक प्रतिष्ठान अवैध निर्माण करने वाले व उसमें सहयोग करने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं की गयी है, तो क्या सरकार अब कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) यह सही है कि राजसमन्द में राज नगर कस्बे (जिला उदयपुर) में स्थित राजकीय चिकित्सालय के सामने अन्दर हल्के आबादी भूमि पर दुकानें निर्माण की गई हैं। ये दुकानें श्री गुन सागर कर्णावट पिता देवेन्द्र कुमार कर्णावट निवासी राज नगर ने बनाई हैं।

(2) नगर पालिका द्वारा दिनांक 11-5-74 को सड़क के मध्य भाग से पूर्वी कोने पर 14 फीट व पश्चिमी कोने पर 20 फीट की दूरी रखते हुए दुकानें बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई। लेकिन मौके पर पूर्वी कोना 18 फीट रखा जाकर निर्माण किया गया ज्ञात हुआ है। इस प्रकार दुकानों के निर्माण के समय सड़क के बीच में नियमानुसार दूरी नहीं छोड़ी गई है।

(3) दुकानो का निर्माण कार्य कृषि भूमि पर नहीं किया गया है। नगर पालिका द्वारा श्री कर्णावट के विरूद्ध नाजायज निर्माण कार्य करने पर कार्यवाही प्रारम्भ की गई गई लेकिन श्री कर्णावट ने मुंसिफ कोर्ट राज-समन्द में नगर पालिका के विरूद्ध वाद जो अदम पैरवी से निर्णीत हुआ।

कृषि विकास के लिए स्वीकृत योजनाएं

620. **श्री दीपेन्द्र सिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में कृषि विकास के लिए कौन-कौन सी नई योजनाएं वर्ष 1981-82 के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत की गई हैं ?

(2) इन योजनाओं में विशेष तौर पर सीकर जिले के लिए कौन सी योजना स्वीकृत की गई है ?

(3) तहसील माधोपुर (सीकर) के किसानों के लिए कौन सी विशिष्ट योजना चालू पंचवर्षीय योजना में सरकार ने स्वीकृत की है या उसके विचाराधीन है ?

(4) क्या कपास व तिलहन के लिए श्रीमाधोपुर तहसील में सर्वे व खोज करवाने का सरकार विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) वर्ष 1981-82 में कृषि विकास के लिए कोई नयी योजना स्वीकृत नहीं की गयी है केवल चालू योजनाओं का ही विस्तार किया जावेगा।

(2) सीकर जिले के लिए पृथक से नयी योजना वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकृत नहीं की गयी है।

(3) तहसील श्रीमाधोपुर के लिए पृथक से कोई योजना स्वीकृत नहीं है।

(4) जी हां। सर्वे व खोज का कार्य उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा करवाने का विचार है।

Page No.41

(41)

उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में रेफ्रिजरेटर्स की मरम्मत

621. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (स्वास्थ्य) अजमेर के कार्यालय में पांच रेफ्रिजरेटर्स हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन पांचों ही रेफ्रिजरेटर्स की मरम्मत सन् 1979 में फर्म सिंह एण्ड सन्स अजमेर से करायी गयी थी ? उसकी मरम्मत का कब कब कितना चुकारा प्रति रेफ्रिजरेटर किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि मरम्मत के बाद से ही तीन रेफ्रिजरेटर्स खराब पड़े हैं जो आज भी काम में नहीं आ रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी नहीं । केवल मात्र एक रेफ्रिजरेटर्स की मरम्मत माह अक्टूबर, 76 में मैसर्स रेफ्रिजरेटर्स रिपयेरिंग हाउस अजमेर कराई थी, मरम्मत का भुगतान दिनांक 19–10–79 को 929/–रुपये मात्र का किया गया था ।

(3) जी नहीं ।

भू-प्रबन्ध विभाग मे अमीनों की नियुक्ति

622. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आयुक्त, भू-प्रबन्धक जयपुर ने वर्ष 1980 में अमीनों के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र मांगे थे ? यदि हां, तो अनुमानित पदों की संख्या कितनी थी ? इसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के कितने प्रत्याशियों का चयन किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि आरक्षण नीति के अनुसार आरक्षित स्थानों को नहीं भरा गया है ?

उत्तर

(1) वर्ष, 1980 में अक्टूबर मास में भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा भू-मापकों के प्रशिक्षणार्थियों के चयन हेतु आवेदन-पत्र मांगे गये । भू-प्रबन्ध विभाग में भू-मापकों की सीधी नियुक्ति नहीं की जाती बल्कि प्रशिक्षित व्यक्तियों में से ही योग्यतानुसार नियुक्ति की जाती है । विभाग में भविष्य में होने वाले भू-मापकों की आवश्यकता एवं प्रशिक्षण के बाद सम्भावित सफल व्यक्तियों की अनुमानित संख्या को दृष्टिगत रखते हुए 500 (पांच सौ) व्यक्तियों के प्रतियोगी परीक्षा द्वारा चयन किये जाने हेतु आवेदन-पत्र मांगे गये थे । इनमें पृष्ठावशेषी पदों को भी सम्मिलित कर 130 स्थान अनुसूचित जाति एवं 137 स्थान अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित रखे गये हैं । यह प्रतियोगी परीक्षा अभी सम्पन्न नहीं हुई है और परिणामस्वरूप अभी कोई चयन नहीं किया गया है ।

(2) जी नहीं । अभी पद भरे ही नहीं गए हैं इसलिए प्रश्न पैदा नहीं होता ।

रामगंज मण्डी के डाक्टर के विरुद्ध रिश्वत लेने का आरोप

623. **श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी)** : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला कोटा के रामगंज मंडी के डाक्टर ने रामगंज मंडी बाजार नं. 3 के सत्यनारायण पुत्र भवरलाल का गुण्डों द्वारा मारपीट करने पर इलाज करवाने गया था, डाक्टर ने रु. 50/-रिश्वत ली है ? यदि हां तो सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि रामगंज-मंडी की महिला डाक्टर भी गर्भपात करवाने आने वाली महिलाओं से भारी रिश्वत लेती है, अथवा परेशान करती है ?

उत्तर

(1) इलाज हेतु श्री सत्यनारायण पुत्र भंवरलाल आये थे परन्तु रामगंज मण्डी के डाक्टर के विरुद्ध रिश्वत की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(2) इस सम्बन्ध में विभाग में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

उदयपुर निवासियों को वृद्धावस्था पेंशन

624. **श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर)** : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर नगर में वर्ष 1977-78, 1978-79, 1979-80, 1980-81, में वृद्धावस्था पेंशन कितने लोगों को दी गई ? कृपया वर्षवार सूची सदन के पटल पर रखें ।

(2) क्या इन लोगों की पेंशन घर पर पहुंचाई जाती है ? यदि हां, तो उन्हें प्राप्त हो रही है या नहीं इसकी छानबीन की गई या नहीं ?

(3) क्या यह सही है कि कुछ लोगों ने पेंशन प्राप्त न होने की शिकायत जिलाधीश, उदयपुर को की ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) उदयपुर नगर में वर्ष 77-78, 78-79, 79-80, 80-81 में जितने लोगों को वृद्धावस्था पेन्शन दी गई है वह निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	नकद	धनराशि	अपंग/अपा० नकद	धनादेश
1977-77	808	66	81	15
1978-79	1004	58	88	13
1979-70	1033	44	96	15
1980-81	1051	59	101	14

(2) कुछ लोग पेन्शन स्वयं प्राप्त करने आ जाते हैं शेष को ड्राफ्ट द्वारा पेन्शन भिजवाई जाती है जिनकी संख्या धनादेश नामक कालम में बताई गई है जो उन्हें प्राप्त हो रही है । इसकी सूचना इस तरीके से प्राप्त की जाती है कि यदि धनादेश वापस प्राप्त हो जाता है तो समझा जाता है कि उसे प्राप्त नहीं हुई है अन्यथा रसीद आ जाती है ।

(समाज कल्याण मन्त्री)

(3) जिलाधीश उदयपुर ने सूचित किया है कि उन्हें किसी पेन्शन की ओर से पेन्शन प्राप्त न होने का शिकायती पत्र प्राप्ति नहीं हुआ है।

अजमेर नगर परिषद् क्षेत्र में कृषि भूमि पर अनिधकृत भवन निर्माण

626. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर-पूर्व) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अजमेर नगर परिषद् सीमा में पिछले दस सालों में यानि 1 जनवरी, 1971 से 1 जनवरी, 1981 तक कितने किसानों द्वारा कृषि भूमि पर अपने आवास हेतु बिना स्वीकृति के मकान बनाये गये ?

(2) इन मकानों में से कितनों का नियमन कर दिया गया है और कितनों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही चल रही है ?

उत्तर

(1) अजमेर नगर परिषद् सीमा में दिनांक 1-1-71 से 1-1-81 तक किसानों द्वारा कृषि भूमि पर मकान बनाने के कुल 864 मामले दर्ज किए गये।

(2) नियमन किसी का नहीं किया था क्योंकि राजस्थान भू-राजस्व (शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि का आवासी एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ आवंटन, परिवर्तन एवं रूपान्तरण नियम, 1978 के अन्तर्गत क्षेत्रों (जोन्स) का निर्धारण करने संबंधी मामला राज्य स्तर पर विचारार्थ था, जिस पर निर्णय लिया जाकर तत्सम्बन्धी आदेश दिनांक 17-1-81 को जारी किये गये हैं। अतः उक्त स्थिति के फलस्वरूप कृषि भूमि के नियमन की कार्यवाही स्थगित थी।

प्रतापगढ़ तहसील में चरणोट भूमि पर कब्जा

628. **श्री नन्द लाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रतापगढ़ तहसील में चरणोट की भूमि पर कितने काश्तकारों ने कब से कब्जा कर रखा है ? कृपया पंचायतवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कुछ चरणोट की भूमि का रूपान्तरण कर कृषकों को आवंटित कर दी गयी है ?

(3) क्या यह सही है कि चरणोट भूमि पर बेदखल अभियान सरकार नहीं चलाना चाहती है ? यदि नहीं, तो कब तक यह कार्यवाही पूर्ण करली जायगी ?

उत्तर

(1) प्रतापगढ़ तहसील में चरणोट की भूमि पर 132 काश्तकारों ने अतिक्रमण कर रखा है। पंचायतवार सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) अतिक्रमियों को बेदखल करने की कार्यवाही नियमानुसार जारी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

राज्य के विभिन्न जिलों में अतिरिक्त जिलाधीश एवं परियोजना निदेशक के पद

630. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टोंक) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

(1) राज्य के किन किन जिलों में अतिरिक्त जिलाधीश (विकास) एवं परियोजना निदेशक के पद सृजित हैं तथा उन पदों पर किस किस श्रेणी के कौन कौन से अधिकारी कब कब से कार्यरत हैं ?

(2) क्या यही सही है कि राज्य सरकार द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया है कि परियोजना निदेशक एवं अतिरिक्त जिलाधीश (विकास) के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अथवा राजस्थान प्रशासनिक सेवा चयन वेतन शृंखला के अधिकारी अथवा परियोजना निदेशक के पद हेतु चयनित अधिकारी ही नियुक्त किये जा सकेंगे ?

(3) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ ने उक्त पद पर नियुक्ति में राज्य सरकार के उक्त निर्णय की अनुपालना नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान के किसी भी जिले में अतिरिक्त जिलाधीश (विकास) एवं परियोजना निदेशक के नाम से पद स्वीकृत नहीं है बल्कि विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों के पदस्थापन के लिहाज से पदों का नामकरण किया गया है। अतिरिक्त जिलाधीश (विकास) एवं पदेन परियोजना निदेशक तथा परियोजना निदेशक एवं पदेन अतिरिक्त जिलाधीश (विकास) की हैसियत से कार्यरत अधिकारियों की सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। समस्त जिलों में परियोजना निदेशकों के पद सृजित हैं। जिन जिलों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अथवा राजस्थान सेवा के चयनित वेतन शृंखला के अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं उनका पदनाम परियोजना निदेशक एवं पदेन अतिरिक्त जिलाधीश (विकास) होता है।

(3) जी हां। राज्य सरकार की निर्धारित नीति में अपवाद स्वरूप चित्तौड़गढ़ में परियोजना निदेशक के पद के विरूद्ध परियोजना अधिकारी का नियोजन इसलिए किया गया है क्योंकि नियुक्त किया गया अधिकारी अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए भारत सरकार व राज्य सरकार दोनों से प्रशंसा-पत्र प्राप्त कर चुका है और उनकी इन सेवाओं का लाभ उठाने के उद्देश्य से ही उनकी नियुक्ति चित्तौड़गढ़ को गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

बाली के चल पशु चिकित्सालय में वाहन व्यवस्था

631. **श्री असलम खां** (बाली): क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाली में चल पशु चिकित्सालय की स्थापना कौन से वर्ष में की गई ? उसमें कुल कितने कर्मचारी डाक्टर एवं कम्पाउण्डर पदस्थापित किये गये हैं ?

(2) क्या चल पशु चिकित्सालय में क्षेत्र के जानवरों के इलाज के लिए जीप, मोटर की व्यवस्था है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सरकारी जीप पिछले कई अर्से से बन्द है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि पिछले अर्से से जीप बन्द होने पर चिकित्सालय का स्टाफ

(श्री असलम खां)

बेकार बैठा रहा? यदि नहीं, तो उन्होंने किस क्षेत्र में पशुओं का इलाज किया ?

उत्तर

(1) बाली में चल पशु चिकित्सालय की स्थापना वर्ष 1971 में की गई थी। उसमें 1 सहायक शल्य पशु चिकित्सक एवं 6 पशुधन सहायक के पद स्वीकृत हैं।

जी हां।

(2) जी हां।

(3) जीप बहुत पुरानी होने के कारण उपयोग के आने काबिल नहीं है ऐसी स्थिति में जीप को मोटर गैरेज द्वारा अनुपयोगी घोषित कर दिया है। वर्ष 1981-82 में दूसरी जीप की व्यवस्था की जा रही है।

(2) जी नहीं। स्टाफ द्वारा पंचायत समिति बाली, खारची, रानी, सुमेरपुर एवं देसूरी में कार्य किया जो तालिक "क" में अंकित है।

(तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 10 मार्च, 1981)

वन विभाग में सरकारी कर्मचारियों की सेवा अवधि

151. **श्री दीपेन्द्रसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नियमित और अनियमित कर्मचारियों को राजकीय सेवा में कार्यरत रहने की कोई आयु सीमा निश्चित है। यदि हां, तो क्या ?

(2) क्या वन विभाग में सेवा निवृत्ति के पश्चात् भी इसी विभाग में कर्मचारियों को पुनः दैनिक मजदूरी पर रखा जाता है ? यदि हां, तो क्या यह नियमानुसार है ?

(3) क्या सेवा निवृत्ति के पश्चात् पेन्शन पाने वाले कर्मचारियों को पुनः सेवा में रखना एवं कम आयु के बच्चों को सेवा में रखना नियमानुसार अनुचित है ?

(4) इस प्रकार की अनियमितता को बढ़ावा देने वाले अधिकारियों के विरूद्ध क्या कोई कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है ? ऐसा साबित होने पर सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) कर्मचारियों के नियमित राज्य सेवा में कार्यरत रहने के लिए अधिकतम आयु सीमा चतुर्थ श्रेणी सेवा वर्ग के लिए 58 वर्ष एवं बाकी सेवा वर्गों के लिए 55 वर्ष है। राज्य सेवा में किसी कर्मचारी को अनियमित रूप से नहीं रखा जाता है।

(2) वन विभाग में सेवा निवृत्त कर्मचारियों को सामान्यतः पुनः दैनिक मजदूरी पर नहीं रखा जाता है। सेवा निवृत्ति के पश्चात् कर्मचारियों को दैनिक मजदूरी पर रखने के सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(3) सेवा निवृत्ति के पश्चात् पेन्शन पाने वाले कर्मचारियों को राज्य सेवा में रखने का प्रावधान राजस्थान सेवा नियमों में निहित है। कम आयु के बच्चों को सेवा में रखना नियमानुकूल नहीं है।

(4) अनियमितता करने वाले अधिकारी के विरुद्ध सेवा आचरण नियमों के प्रावधानों अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।

Page No.46

(५८)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 10 मार्च, 1981)

श्रीनाथजी के बम्बई के रोकड़ कोष हेतु प्रदत्त राशि

170. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या देवास्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्रीनाथजी की टैम्पल बोर्ड नाथद्वारा के आधिपत्य में बंबई में रोकड़ जमा राशि रहती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उस रोकड़ जमा राशि को टैम्पल बोर्ड नाथद्वारा की कार्यकारिणी की उपाध्यक्षा, श्रीमती सुमति मोरारजी मनमाने ढंग से दान कर देती हैं और नियमानुसार उपयोगी कार्यों हेतु उसका प्रयोग नहीं होता है ?

(2) पिछले दस सालों में किस किस को कितनी कितनी राशि श्रीनाथजी के बंबई के रोकड़ कोष से किस प्रयोजन हेतु दी गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) टैम्पल बोर्ड नाथद्वारा के आधिपत्य में बम्बई भण्डार में कैश बुक के आधार पर राशि रहती है।

(2) यह सही नहीं है।

(3) पिछले दस सालों में नकद दान स्वरूप कोई राशि नहीं दी गई।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 10 मार्च, 1981)

जिला बीकानेर में उपनिदेशक विभाग द्वारा अवाप्त भूमि

207. **श्री देवी सिंह भाटी** (कोलायत) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान उपनिवेशन विभाग, जिला बीकानेर द्वारा अब तक काश्तकारों की कितनी भूमि नहर, सड़क व भट्टों हेतु नियमित रूप से अवाप्त की है ?

(2) तहसील कोलायत (उपनिवेशन) नं. 1 से 4 में किन-किन काश्तकारों को कितनी-कितनी भूमि कौन-कौन से गांवों की सीमा में से अवाप्त की गई है ? क्या अवाप्त करने से पूर्व उपरोक्त सभी काश्तकारों को सूचना दी गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या इनमें ऐसे भी काश्तकार हैं जिनकी 75 प्रतिशत भूमि नहर, सड़क, भट्टों में आ गई है ? कृपया ऐसे काश्तकारों के नाम व पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या ऐसे काश्तकारों को अपनी भूमि के बदले अन्य भूमि या मुआवजा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) 8119 बीघा 17 बिस्वा भूमि अवाप्ति की गई है।

(2) सूची 'क' संलग्न है। अवाप्ति से सम्बन्धित विभागों ने काश्तकारों को सूचना नहीं दी थी।

(3) जी हां। सूची 'ख' संलग्न है। जी नहीं। इस सम्बन्ध में कार्यवाही चल रही है।

(4) मुआवजे का भुगतान राजस्थान नहर परियोजना विभाग द्वारा किया जाना

(उपनिवेशन मन्त्री)

है। उनके द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 12 मार्च, 1981)

लेम्पस द्वारा जनजाति विकास क्षेत्र में खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाइयों का वितरण

231. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या जन जाति विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जन जाति उपयोजना क्षेत्र में लेम्पस के द्वारा खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाइयों का वितरण इस वर्ष कब से प्रारम्भ किया गया? खाद-बीज वितरण में वर्ष 1980 में कितने आदिवासियों को लाभ पहुंचाया गया?

(2) भाव निर्धारण समिति द्वारा वन सम्पदा क्रय करने हेतु भावों का निर्धारण कब कब किया गया? इस समिति में गैर सरकारी कितने सदस्य हैं?

(3) वन सम्पदा की नाजायज बिक्री रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं? वर्ष 1980 में किस किस प्रकार की वन सम्पदा किस किस भाव से क्रय की गयी और किस भाव से कब कब बेची गयी? निगम को कितना लाभ हुआ?

उत्तर

(1) ऐसा वितरण वर्ष के प्रारम्भ से ही चालू था, सन् 1980 में खाद, बीज वितरण का लाभ 38531 आदिवासियों को पहुंचाया गया।

लघु-वन उपज के क्रय दरों का निर्धारण संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 16-9-78 में लिये गये निर्णयानुसार क्रय दरों के निर्धारण हेतु गठित समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैं :—

1. प्रबन्धक, वन	अध्यक्ष
2. प्रबन्धक वित्त	सदस्य
3. क्षेत्रीय प्रबन्धक (सम्बन्धित जिला)/ सहायक क्षेत्रीय	सदस्य
4. प्रबन्धक (संबंधित जिला) जिलाधीश का प्रतिनिधि	सदस्य
5. मण्डल वन अधिकारी या उनके प्रतिनिधि	सदस्य

तत्पश्चात् दिनांक 28-4-79 की, संचालक मण्डल की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक जिले के लिये खरीद दर निर्धारित की जानी चाहिये, उनमें स्थानीय विधायकों को शरीक किया जावे।

(2) वन सम्पदा की अवैध निकासी को रोकने के लिए दो गश्ती दल तैनात किये हुए हैं। अवैध निकासी पाये जाने पर मुल्जिमों के विरूद्ध नियमानुसार राजस्थान वन अधिनियम, 1953 के तहत कार्यवाही की जाती है।

(3) वर्ष 1979-80 में जो लघु वन उपज जिस दर से क्रय एवं विक्रय की गई उसका सम्पूर्ण विवरण संलग्न सूची नं. 1 में अंकित है। वर्ष 1979-80 के लेखों का अंकेक्षण (आडित) अभी पूरा नहीं हुआ है और इस वर्ष राज०संघ को इस कार्य में टेन्टेटिव आंकड़ों के आधार पर अनुमानित

(जनजाति विकास मन्त्री)

सकल लाभ रु. 0·83 लाख रुपये आता है तथा अन्य प्रशासनिक खर्च कम करने के उपरान्त लघु वन उपज संग्रह के कार्य में संघ को वर्ष 1979–80 में 1·66 लाख रुपये की शुद्ध हानि है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 19 मार्च, 1981)

आयुर्वेद विभाग, अजमेर द्वारा लकड़ी के खोखों का बेचान

386. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1979–80 में आयुर्वेद विभाग ने लकड़ी के खोखे के टेन्डर रेट आमन्त्रित किये थे जिसमें बंसल ट्रेडर्स, अजमेर ने रुपये 9.45 पैसे का व भरतपुर की एक फर्म ने रुपये 10·20 पैसे का टेन्टर प्रेषित किया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि स्थानीय बंसल ट्रेडर्स, अजमेर का कम रेट का टेन्डर मंजूर नहीं कर भरतपुर की फर्म का ऊंची रेट का टेन्डर मंजूर किया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि भरतपुर की फर्म खोखों को सप्लाई नहीं कर पाई और तत्पश्चात् अल्पकालीन टेन्डर का नाटक कर बंसल ट्रेडर्स, अजमेर से वही खोखे रुपये 12·5 पैसे के हिसाब से खरीदे गये ? कितनी राशि के खोखे खरीदे गये और सरकार को इस प्रकार कितनी हानि हुई ?

(4) क्या सरकार इसकी जांच कर सारे दोषी व्यक्तियों को सजा देगी ?

उत्तर

(1) जी हां । बंसल ट्रेडर्स, अजमेर द्वारा टेन्डर 9·30 रुपये का था, भरतपुर की एक फर्म ने 10·25 रुपये का टेन्टर प्रेषित किया था ।

(2) क्राफ्ट सेन्टर, भरतपुर की फर्म का टेन्डर भरतपुर रसायनशाला के लिए 8·99 रुपये तथा अन्य स्थानों के लिए 10·25 रुपये की दर से स्वीकृत हुआ था । क्योंकि उक्त फर्म एक लघु उद्योग इकाई है एवं उद्योग विभाग से पंजीकृत होने के फलस्वरूप, राज्य सरकार के आदेशानुसार भावों में 15 प्रतिशत छूट देकर प्राथमिकता देने का प्रावधान है । अतः भरतपुर फर्म का ऊंची रेट पर टेण्डर स्वीकृत करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

यह पूर्णतः सही नहीं है कि भरतपुर की फर्म खोखों की सप्लाई नहीं कर पाई । वास्तव में उक्त फर्म ने 1200 खोखों के क्रय आदेशों के विरुद्ध 27?4 खोखे सप्लाई किये थे । उक्त फर्म द्वारा आदेशित माल की पूर्ण पूर्ति नहीं करने पर द्वितीय दर के स्वीकृत व्यापारी मैसर्स बंसल ट्रेडर्स, अजमेर को खोखों की सप्लाई के लिए अनुबन्ध करने हेतु लिखा गया । किन्तु उक्त फर्म द्वारा अनुबन्ध नहीं किया गया । द्वितीय दर वाला व्यापारी अनुबन्ध करने के लिए नियमानुसार बाध्य नहीं है ।

(3) राज्य के औषधालयों में औषध वितरण की सुचारु व्यवस्था हेतु खोखों की अत्यन्त ही आवश्यकता थी । अतः माह जनवरी 1980 में अल्पकालीन टेण्डर आमन्त्रित किये गये । अल्पकालीन टेण्डर में बंसल

(आयुर्वेद मन्त्री)

ट्रेडर्स, अजमेर से खोखे निम्नानुसार स्वीकृत दरों पर क्रय किये गये थे :—

1. आयुर्वेद रसायनशाला, रु. 12·00 प्रति नग अजमेर हेतु।
2. आयुर्वेद रसायनशाला, रु. 10·50 प्रति नग उदयपुर के लिए।
3. आयुर्वेद रसायनशाला, रु. 12·00 प्रति नग जोधपुर के लिए।
4. आयुर्वेद रसायनशाला, रु. 10 00 प्रति नग भरतपुर के लिए।

अल्पकालीन टेण्डर की दरें राज्य सरकार द्वारा गठित भण्डार क्रय समिति, आयुर्वेदिक विभाग के द्वारा स्वीकृत की गई थी। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि अल्पकालीन टेण्डर का नाटक कर बंसल ट्रेडर्स, अजमेर से वही खोखे रुपये 12·5 के हिसाब से खरीदे गये। बंसल ट्रेडर्स, अजमेर से रुपये 108,151·50 के खोखे क्रय किये गये थे। राज्य सरकार को रुपये 12,018·01 का अधिक व्यय करना पड़ा।

खोखों की सप्लाई में असफल व्यापारी मैसर्स क्राफ्ट सेन्टर, भरतपुर का लघु उद्योग विभाग का लाइसेन्स निरस्त करने हेतु सहायक निदेशक, उद्योग विभाग, भरतपुर को पत्र क्रमांक लेखा 3[1]/79-89/5012 दिनांक 23-1-1980 के द्वारा लिखा गया क्योंकि उक्त फर्म लघु उद्योग विभाग से पंजीकृत होने के कारण निविदा/सुरक्षा राशि जमा कराने से भी मुक्त है।

(4) आवश्यकता हुई तो जांच कराई जावेगी।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 25 मार्च, 1981)

तहसील बूंदी में सिंचाई चक की भूमि

490. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

गुडला, गुडवी, पाटन तहसील जमीतपुरा, खोनया माटून्दा, छत्रपुरा, बून्दी, नीम का खेड़ा तहसील बूंदी में कितनी जमीन सिंचाई चक की है ?

उत्तर

तहसील केशोराय पाटन एवं बूंदी के निम्न ग्रामों में उनके नाम के सामने अंकित भूमि सिंचाई चक है :—

तहसील केशोराय पाटन

ग्राम	क्षेत्रफल
गुडला	337·683 हैक्टेअर
गुडवी	196·3508 ,,

तहसील बून्दी

ग्राम	क्षेत्रफल
जमीतपुरा	277 हैक्टेअर
खोनया	189 ,,
माटून्दा	1102 ,,
छत्रपुरा	211 ,,
बूंदी	20 ,,
नीम का खेड़ा	217 ,,

व्यवस्था का प्रश्न

प्रश्न का ग्रस्पष्ट उत्तर

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि जो माननीय सदस्य पाइंट ग्राफ ग्रार्डर उठावें तो पाइंट ग्राफ ग्रार्डर उस ग्रवस्था में उठाया जाता है जब किसी प्रक्रिया के नियम का हनन हो रहा हो ग्रथवा संविधान के किसी ग्रनुच्छेद का हनन हो रहा हो। माननीय सदस्य पहले भाषण नहीं देंगे पहले ग्रासन का ध्यान ग्राकर्षित करेंगे कि कौन से नियम के विरुद्ध यहां पर कार्यवाही हो रही है। कृपया माननीय वीरेन्द्र प्रतापसिंह जी बतावें कि कौनसा नियम है ? पहले नियम बतावें, भाषण नहीं होगा। ग्राम तौर से हम यह देखते हैं कि ग्रासन की ग्रोर से व्यवस्था हो रही है तब बार बार व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाता है ग्रौर ग्रधिकतर वह व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो वास्तव में व्यवस्था का प्रश्न हो वही उठावें। श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह बतावें कि कौन से नियम की ग्रवहेलना हो रही है ?

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : मेरे जो मूल ग्रधिकार हैं....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज। इस पर इजाजत नहीं दूंगा।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : ग्राप इसको पढ़ कर बता दीजिये। यह पढ़ा नहीं जाता है।

श्री शिवदानसिंह : पढ़ने लायक तो उत्तर मिलना चाहिये कम से कम....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : ग्रध्यक्ष महोदय, मेरा यह पाइंट ग्राफ ग्रार्डर है....

श्री ग्रध्यक्ष : पहले नियम बतावें कौन सा रूल है ?

श्री यदुनाथ सिंह : 35।

श्री ग्रध्यक्ष : यह तो कोई बात हुई।

श्री यदुनाथ सिंह : ग्रध्यक्ष महोदय, जो रिटन जवाब सरकार देगी तो जो नियम में प्रावधान है, वह नियम 35 है

"If any question placed on the list of question for oral answer on any day is not called for answer within the time available for answering questions on that day, forth with lay on the Table a written reply to the question and no oral reply shall be required to such question and no supplementary questions shall be asked in respect thereof."

ग्रध्यक्ष महोदय, जो रिटन रिप्लाई दिया गया है वह रीडेबल नहीं है। इसके बारे में व्यवस्था चाहता हूं।

श्री ग्रध्यक्ष : मैं तत्काल तो नहीं कह सकता किन्तु यह निवेदन करना चाहता हूं कि किस तरह की सूची ग्रापको प्राप्त हुई है ग्रथवा किस तरह का उत्तर प्राप्त हुग्रा है। ग्रापको कष्ट तो ग्रवश्य होगा परन्तु कृपया ग्राप इस सम्बन्ध में मेरे से चैम्बर में मिलें। यदि ऐसी कोई कठिनाई है तो ऐसी व्यवस्था करूंगा कि ग्रापको ग्रच्छी सूची उपलब्ध हो।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यगण....

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, आपके सेक्रेटेरियेट पर अविश्वास नहीं है दूसरे सेक्रेटेरियेट से यह आती है उस पर अविश्वास है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। भाषण नहीं होगा। आसन पैरों पर है। स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

इस तरह आप माननीय सदस्य....

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है। पहले मुझे निवेदन करने दीजिए उसके पश्चात् मैं आपको अवसर दूंगा। उचित माध्यम से प्रश्न उठावें।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

वे प्रस्ताव जिन पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा–

(1) **श्री रतन लाल ताम्बी**, गत 28 मार्च को देवली टौंक रोड पर इन्दौर से आने वाली बस को दुर्घटना में 3 व्यक्तियों की मृत्यु और 3 व्यक्तियों के घायल होने के विषय में,

(2) **श्री मेघराज तावड़ व श्री कमलेन्द्रसिंह**, आदिवासी बनवासी छात्रावास उदयपुर को सवा पचास बीघा भूमि को भूतपूर्व मेवाड़ राज्य द्वारा दी गई थी, उसमें से 35 बीघा भूमि सरकार द्वारा ले लेने के विषय में,

(3) **श्री बंसीलाल पटवा**, भीलवाड़ा नगर परिषद् क्षेत्र में पड़ने वाले अकालग्रस्त गाँवों में अकाल राहत कार्य नहीं खोले जाने के विषय में,

(4) **श्रीमती विद्या पाठक**, साँगानेर में खसरा नम्बर 502 चरागाह भूमि में स्थानीय रेवेन्यू स्टाफ की मिलीभगत से रूपान्तरण के विषय में,

(5) **श्री मोहन लाल मोदी**, तहसील नीम का थाना ग्राम मावड़ी में गत 26 व 28 मार्च के बीच एक 12 वर्षीय हरिजन विद्यार्थी की हत्या के विषय में,

(6) **श्री दाऊदयाल जोशी**, नागरिक सहकारी बैंक, कोटा गुटबाजी के कारण प्रशासक के अधीन आ जाने से उत्पन्न स्थिति के विषय में,

(7) **श्रीमती उजला अरोड़ा**, मानपुरा कला दुग्ध सहकारी समिति लिमिटेड के चुनावों में राजनैतिक प्रभाव का उपयोग करने के विषय में,

(8) **सर्वश्री देवीसिंह भाटी, यदुनाथ सिंह, वीरेन्द्र प्रताप सिंह व चन्द्रवीरसिंह**, जैसलमेर, बीकानेर, भरतपुर, झुन्झुनू जिलों में चिकित्सा एवं नर्सिंग स्टाफ पर्याप्त न होने के विषय में।

(श्री श्रध्यक्ष)

वे प्रस्ताव जो राज्य सरकार को श्रावश्यक कार्यवाही हेतु भेजे जा रहे हैं श्रौर जिन्हें स्वीकृति नहीं दी जा रही है :

(9) **श्री हंसराज शर्मा व श्री कुंजी लाल,** जिला सवाई माधोपुर में चल रहे सैटलमेंट के कार्य के सिलसिले में काश्तकारों को श्रलवर थाने से उत्पन्न कठिनाइयों के विषय में,

(10) **श्री महाराम चौधरी,** क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना श्रलाय से जाटवों की ढाणियों व श्रन्य योजनाश्रों में पाइप लाइन से पानी नहीं देने के विषय में,

(11) **श्री बहादुर सिंह श्रौर श्री फतेसिंह,** बांसवाड़ा महाविद्यालय के प्रिंसिपल द्वारा श्रनुसूचित जाति एवं श्रनुसूचित जनजाति के छात्रों के साथ भेदभावपूर्ण नीति श्रपनाने के विषय में,

(12) **श्री श्रनंग कुमार जैन,** गत 22 मार्च को झालावाड़ के राय- पुर गांव के पास एक बन्जारे युवक की हत्या के बारे में।

वे विषय जो स्थगन प्रस्ताव के विषय नहीं है श्रौर जिन पर चर्चा की श्रनुमति नहीं दी जा रही है :

(13) **श्री भगवान दास शास्त्री,** पासपोर्ट के श्रावेदन पत्रों के सम्बन्ध में प्राइवेट एजेन्सियों के रजिस्ट्रेशन के संबंध में,

यह केन्द्र सरकार का विषय है।

(14) **श्री हीरालाल श्रार्य,** पीपल्दा एवं सुल्तानपुर क्षेत्र के कई गांवों में पुलिया नहीं बनने के विषय में,

(15) **श्री बाल चन्द्र श्रार्यवीर,** जयपुर में प्रोविडेन्ट फण्ड के कर्मचारियों द्वारा श्रमिकों से रिश्वत मांगने के विषय में।

(16) **श्री कनकराज मेहता,** तहसील सांचौर में कृषि मन्त्री द्वारा काश्तकारों की उपज को बेचने की उचित व्यवस्था न करने के विषय में।

श्रब मैं जिन माननीय सदस्यों के नाम पुकारूंगा वे श्रपनी श्रपनी बात दो दो मिनट में कहेंगे।

स्थगन प्रस्ताव श्रादि पर चर्चा

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : कुछ बात कहना....

श्री श्रध्यक्ष : श्रार्डर प्लीज। श्रासन पैरों पर है।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : श्रासन धारी पैरों पर हैं, श्रासन पैरों पर नहीं है।

श्री श्रध्यक्ष : श्री हंसराज शर्मा, कुन्जीलाल !

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : मैं, अध्यक्ष, महोदय, श्रापसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो क्रमांक 8 पर श्रापने व्यवस्था दी है इनमें श्रापने झुन्झुनू, जैसलमेर जिले श्रादि को एक साथ ले लिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जसलमेर की परिस्थिति

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

अलग है इसलिये आप श्री चन्द्रवीर सिंह को बोलने की अनुमति दें।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये चारों अलग अलग प्रस्ताव हैं।

श्री अध्यक्ष : इसमें चारों को इजाजत दे दूं बोलने के लिये ?

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : जवाब मंगवा दें।

श्री यदुनाथसिंह : इस सदन में जवाब मंगवा दें तो....

श्री अध्यक्ष : चारों अपने अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।

व्यवस्था का प्रश्न

विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर व्यवस्था

एक माननीय सदस्य : मैंने 157 के अन्तर्गत एक विशेषाधिकार का प्रस्ताव....

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया कि इसके ऊपर व्यवस्था दी जा रही है। दो एक दिन में दे दी जायगी। यह विषय, यह प्रश्न बिना इजाजत नहीं उठाया जाय।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक मिनट में अपनी बात कह दूं। मैंने एक प्रस्ताव दिया था माननीय सदस्य अय्याज महाराज और मंत्री महोदय में मारपीट का....

श्री अध्यक्ष : विचाराधीन है।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक व्यवस्था और चाहता हूं कोई विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखा, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। प्रश्न यह खड़ा हुआ कि मैं आपके माध्यम से सदन के सामने विचार रखना चाहता चाहता हूं पर आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। अगर निर्णय हमारे पक्ष में हो जायगा तो ठीक है लेकिन कभी ऐसा विषय हुआ कि आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं फिर आप....

श्री अध्यक्ष : आसन को अधिकार था। रिजेक्ट कर दिया और बाद में अवसर दे दिया।

श्री यदुनाथ सिंह : मेरा भी विशेषाधिकार का प्रस्ताव है।

श्री भंवरलाल शर्मा : उस पर चर्चा नहीं करेंगे। शायद यह नियम है। सामान्य नियम है कि अगर कोई फैसला लोअर कोर्ट से हुआ है तो हायर कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, सुप्रीम न्यायालय है और राष्ट्रपति है। लेकिन आपकी तो कहीं अपील नहीं होती है। आप तो हमारे लिये सुप्रीम कोर्ट हैं। इसलिये आप फैसला करने से पहले अगर थोड़ा सा विचार कर लें, बात कर लें तो ...

श्री अध्यक्ष : आपके सुझाव को ध्यान में रखेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने रिजेक्ट कर दिया लेकिन यह कहा कि सदन में चर्चा नहीं की जानी चाहिये। बाद में आपसे कहा, आपने भी माना कि वह ठीक था। आपने भी कहा कि बात तो ठीक है परन्तु आपने फैसला खिलाफ कर दिया था। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था कर दें कि जिसने उस प्रस्ताव को रखा है उसको जानकारी दे दें और उसको सुन लें।

श्री अध्यक्ष : आपके सुझाव को ध्यान में रखा जायगा।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : मैंने एक प्रस्ताव रखा है।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय और सदस्य के बीच में जो दुर्घटना हुई उसके सम्बन्ध में प्रिविलेज मोशन के बारे में आपने कहा कि....

श्री अध्यक्ष : प्रिविलेज मोशन के संबंध मे, माननीय सदस्य, यहां पर चर्चा नहीं होगी। जब मैं चेम्बर में जाऊंगा तो पूछ लेना क्या स्थिति है उसके बारे में।

श्री नाथूसिंह : चर्चा नहीं कर रहा हूं।

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज : सदन में वही प्रश्न उठाया जा सकता है जिसके लिए अध्यक्ष की पूर्व अनुमति ले ली गयी है।

श्री नाथूसिंह : इससे कोई संबंध नहीं है। 15 दिन में व्यवस्था नहीं आती है।

श्री महाराम चौधरी : स्थगन प्रस्ताव दिया था जिसको कि आपने सरकार को जानकारी के लिए भेजा है। तो पेयजल की समस्या का सरकार को सूचनार्थ भेज दिया है क्या उससे पेयजल की समस्या सुलझ जायगी? गत 33 सालों में तो सुलझी नहीं है। इस लिये इसको स्वीकार किया जाय और इसका सदन में जवाब मंगाया जाय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, मैंने जो व्यवस्था दे दी....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण करें।

श्री महाराम चौधरी : आपने उस स्थगन प्रस्ताव को....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो व्यवस्था है उसके संबंध में दोबारा कोई चर्चा नहीं होगी। यह फाइनल होती है। इसमें यदि कोई कठिनाई होती है तो बाद में मिल सकते हैं। मैंने निर्णय लिया कि इसमें सरकार से जानकारी प्राप्त की जाय। इसमें माननीय सदस्य यह अनुभव करें कि हम तो अभी बोलना चाहेंगे, सरकार के पास सूचनार्थ भेजा है तो माननीय सदस्य यह फर्मायें कि इसमें सरकार से जानकारी प्राप्त न करें। यह बात आसन के करने की है। मैं यथा सम्भव महत्वपूर्ण विषय होने की स्थिति में स्वयं इन बातों के ऊपर मेरे विवेक के अनुसार ध्यान रखता हूं। हो सकता है मैं भी गलती कर जाऊं लेकिन समय का सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिये अब मैं हंसराज शर्मा ...

श्री महाराम चौधरी : पानी का मामला है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। समय नहीं लेंगे। श्री हंसराज शर्मा जिला सवाई माधोपुर में चल रहे सैटलमेंट के कार्य के सिलसिले में काश्तकारों को अलवर थाने से उत्पन्न कठिनाइयों के सम्बन्ध में अपनी बात कहेंगे। श्री हंसराज शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैंने एक बात कही थी उसके बारे में आप क्या करेंगे?

श्री अध्यक्ष : नियमों के अनुसार कार्यवाही करेंगे और आपने जो सुझाव दिये हैं उनका ध्यान रखेंगे। इस समय तो यही व्यवस्था हो सकती है।

श्री भंवरलाल शर्मा : नियमों में तो कुछ प्रावधान नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, इस पर वाद विवाद नहीं होगा। आर्डर प्लीज।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल के मेरे स्थगन प्रस्ताव पर आपकी व्यवस्था अभी पेण्डिग है। आप व्यवस्था देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, मुझे जबानी याद नहीं है, पैण्डिग होगी शायद, लेकिन प्रश्न यह है कि दो-दो, तीन-तीन वक्तव्य हमने प्रतिदिन रखे हैं। अभी सदन की कार्यवाही दो-तीन दिन और चलेगी। दो-दो, तीन-तीन को मैंने स्थान दे दिया है। उसके बाद भी कई ऐसे मसले हैं जिन पर सरकार से उत्तर आया हुआ पड़ा है। मैंने व्यवस्था भी दी है उनमें वक्तव्य दिलाया जायगा लेकिन प्रश्न है समय का। यथासम्भव मेरी यही कोशिश होगी कि जो उपयोगी विषय हैं उन पर मैं समझता हूं कि सरकार का वक्तव्य आना चाहिए, मेरी यह कोशिश होगी। वर्तमान में मैं इतना ही अर्ज कर सकता हूं।

श्री हंसराज शर्मा।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, उनका जवाब आपके पास आ चुका है। कल आपने व्यवस्था फर्माई थी, कल मैंने निवेदन किया था कि मेरे पास कागजात नहीं है। अगर आज आप अनुमति देने की कृपा करेंगे तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, अभी तत्काल तो मैं कुछ निवेदन नहीं कर सकता हूं। कल मैं अवसर दे दूंगा, ऐसी बात है तो।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय राजस्व मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, सवाई माधोपुर जिले में काफी अर्से से सैटलमेन्ट का कार्य प्रारम्भ हुआ है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री हंसराज शर्मा : वह प्रथम चरण में सब-डिवीजनवाइज प्रारम्भ हुआ है। वहां पर एक बात तो यह है, जिस समय यह काम प्रारम्भ किया गया है, काम करते समय राज्य कर्मचारियों और काश्तकारों के बीच में काफी संघर्ष चल रहा है और संघर्ष के बावजूद सैटलमेंट का कार्य चल रहा है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन एक तो अधिकारियों द्वारा सैटलमेन्ट की नीति निर्धा-की गई है उसके अनुसार काश्तकार वहां पर व्यवस्थित नहीं कर पाये हैं। जो भी उनके द्वारा कार्य किया गया है उसमें विधिवत जिन काश्तकारों को सैटलमेंट के नियमों के अनुसार जितनी भूमि पर जहां कब्जा मिलना चाहिये था वह नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से हमारे जिले के लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश है और काश्तकारों और सरकार के बीच में, और काश्तकारों और काश्तकारों के बीच में मुकदमेबाजी प्रारम्भ हो गई है। दुर्भाग्य इस बात का है कि सवाई माधोपुर एक बैकवर्ड जिला है, पिछड़ा हुआ है, गरीब लोग वहां रहते हैं, छोटे-छोटे काश्तकार हैं लेकिन सैटलमेंट का जो कार्यालय है सवाई माधोपुर का, वह अलवर के यहां गोद भेज दिया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि सवाई माधोपुर जिला हैडक्वार्टर है, सैटलमेंट वहां हो रहा है, सारे कागजात वहां पर है, इसका कार्यालय अलवर में रखा गया है, इसका क्या कारण है? काश्तकारों को छोटे-छोटे काम के लिये अलवर जाना पड़ता है। काश्तकारों को जितनी काश्त में प्राप्ति होगी उससे भी ज्यादा मुकदमेबाजी

(श्री हंसराज शर्मा)

में खर्च हो जायगा। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सवाई माधोपुर का जो सैटलमेंट का कार्यालय अलवर में गोद भेज दिया गया है उसे वापस सवाई माधोपुर में खोला जाय जिससे काश्तकारों को राहत मिल सके।

श्री अध्यक्ष : श्री कुन्जीलाल !
(अनुपस्थित)

श्री महाराम चौधरी : क्षेत्रीय जल-प्रदाय योजना अलाय से जाटवों की ढाणियां व अन्य योजनाओं में पाइप लाइन से पानी नहीं देने के विषय में।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, अलाय काफी, बहुत बड़ा गांव है जिसमें 50-60 किलोमीटर का क्षेत्र आता है। अलाय गांव को जल प्रदाय योजना से पानी दिया जाता है। इसके साथ साथ में अलाय की क्षेत्रीय योजनाओं से दूसरे गांवों को भी पानी दिया जाता है। जिस पाइप लाइन से गांवों को पानी दिया जाता है वह अलाय से जालन और सतेड़ हो करके ओढ़पालिया की तरफ जाती है और रास्ते के अन्दर ढाणियां है। वहां पर प्राइमरी स्कूल नम्बर एक भी है, प्राइमरी स्कूल नम्बर 2 भी है, प्राइमरी स्कूल नम्बर 3, 4 और 5 भी हैं अब यह पाइप लाइन जब वहां से गुजरेगी तो स्कूल वाले लड़के और ग्रामीण लोग प्यासे नहीं रहने वाले है, वे क्या प्यासे मरेंगे ? इसलिए मेरा निवेदन है, मेरा ध्यान दिलाने का मकसद है कि इन ढाणी वालों और स्कूल वालों को भी इसमें शामिल किया जाय। स्कूल के अन्दर टांके हैं उनको भी पाइप लाइन से जोड़कर पानी दिलाया जाय। इसलिए जो योजना बनी है वह व्यावहारिक नहीं है। बाहर जो कांकड़ में रहने वाले हैं और वहां पर जो स्कूल हैं और दूसरे गांव जो बीच में आते हैं, उनके यह योजना बिलकुल ही काम नहीं आती है। इसी तरह से बारानी की जल प्रदाय योजना है उसका भी पास के गांवों में पानी जाता है और यह पाइप लाइन वहां से गुजरती है। तो मेरा निवेदन है कि पाइप लाइन आपकी वहां पर पहुंचेगी तो उसको बीच में तोड़ा-फोड़ा जायगा और वे प्यासे नहीं रहेंगे। पानी की भयंकर समस्या है इसलिए सरकार को इसकी व्यावहारिकता पर जोर देकर, पेयजल की समस्या को सुलझाने के लिए, बीच में गांव हैं, ढाणियां हैं।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री महाराम चौधरी : पानी की समस्या है।

श्री अध्यक्ष : आपने फर्मा दिया।

श्री महाराम चौधरी : एक मिनट में कहां से हल हो जायगी, 33 साल में हल नहीं हुई। इसलिए मेरा निवेदन है कि पाइप लाइन ढाणियों और स्कूलों के बीच में से होकर निकलती है, स्कूलों में टांके और पूल बने हुए हैं। ढाणियों को भी पानी दिलाये जाने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री बहादुरसिंह ग्रौर श्री फतेसिंह–बांसवाड़ा महाविद्यालय के प्रिन्सिपल द्वारा ग्रनुसूचित जाति एवं जन जाति के छात्रों के साथ भेदभावपूर्ण नीति ग्रपनाने के विषय में।

श्री बहादुरसिंह (दानपुर) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा कालेज के प्रिंसिपल महोदय ने ग्रादिवासी छात्रों के साथ इतना दुर्व्यवहार कर रखा है कि कहा नहीं जा सकता। जब हम लोग होली पर बांसवाड़ा गये तो वहां के लड़कों ने हमको रोका ग्रौर घेर कर कहा कि राज्य सरकार द्वारा यह प्रिन्सिपल हमको शिक्षा देने के लिये है या हमको कुचलने के लिए है। इस प्रकार की बात लड़कों ने हमको बताई। हमने जब जानकारी चाही तो बोले कि यह प्रिन्सिपल महोदय जातिवाद फैला रहे हैं ग्रौर उन लड़कों को कहते हैं कि ये ग्रादिवासी लोग, ये भील लोग ग्रारक्षण लेकर बैठे हैं, इन लोगों को छात्रवृत्ति देते हैं, व्यर्थ में पैसा खर्च कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। इस प्रकार से खुले ग्राम लड़कों को कहते हैं। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की बात है, इस प्रकार के शब्द कहे जाते हैं। क्या यह महाविद्यालय प्रिंसिपल महोदय का है? गरीब ग्रादिवासियों के साथ यह कैसे चलेगा? यह ठीक है बांसवाडा जिले के लोग गरीब हैं, ग्रौर राजनीतिज्ञ भी इतने होशियार नहीं है। नहीं तो दूसरी जगह कोई ऐसी बात होती तो इतना झगड़ा फैल जाता, मारा-मारी होती, जातिवाद फैलता, घर घर में लड़ाई फैल जाती। इसलिए यह बुरी बात है। मैं ग्रापके माध्यम से राज्य सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि इन प्रिन्सिपल महोदय को वहां से किसी ग्रौर जगह ट्रान्सफर कर दिया जाय ग्रौर जिले की जो स्थिति बिगडी हुई है, उसको सुधारने के लिए किसी सक्षम ग्रधिकारी को वहां भेजा जाय तो बढ़िया होगा। मेरा निवेदन यही है ग्रौर इस प्रकार की जो राजनीतिक भावना ग्रौर जातिवाद फैलाने की कोशिश करते हैं, इससे भविष्य में जातिवाद फैलेगा, धर्मवाद फैलेगा, झगडा फैलता जायेगा। इससे बुरा होने वाला है, इससे बांसवाडा जिले का उद्धार नहीं हो सकता है, बहुत नुकसान होगा। मैं ग्रापके माध्यम से राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रौर भी दूसरी बातें हैं, उन ग्रादिवासी छात्रों के रहने की व्यवस्था नहीं है, सारी जिम्मेदारी उन प्रिन्सिपल महोदय की है। वहां पर पचास छात्रों की होस्टल में रहने की व्यवस्था है, सुविधा है लेकिन बाकी के छात्रों को कह दिया कि ग्राप ग्रपनी व्यवस्था कर लीजिये, छात्रवृत्ति के लिए जो भी पैसा होगा, किराये का मासिक बनता है उस हिसाब से सारा पैसा मैं दे दूंगा। दो साल से उनको परेशान कर रहे हैं ग्रौर कहते हैं कि जितना पैसा सरकार देगी उतना ही दे सकूंगा। यह कहता है कि पैसा मेरे पास ग्राया नहीं है ग्रौर न मैं पैसा दूंगा। पूरा पैसा उन लोगों को नहीं मिलता है। लड़कों ने बहुत बार उनसे निवेदन किया है। बहुत बार निवेदन करने के बावजूद भी यह कहते हैं कि ये ग्रादिवासी हैं, भील हैं, इन लोगों पर सरकार पैसा खर्च करती है, यह गलत है। ऐसे शब्द कहे जाते हैं। इस

(श्री बहादुर सिंह)

लिये मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इसकी पूरी जांच कराई जाय। ऐसे अधिकारी को वहां से हटाया जाय और कोई दूसरे सक्षम अधिकारी को वहां भेजा जाय, यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री फते सिंह।

श्री फतेसिंह (कुशलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा जिला एक आदिवासी जिला है। आदिवासियों के उत्थान के लिए शिक्षा की दृष्टि से वहां एक छात्रावास है, वहां पर कालेज है और प्रिन्सिपल की नियुक्ति की हुई है। छात्रों के लिये जो सुविधा दे रखी है उस पर सरकारी अधिकारी कुठाराघात करते हैं। इस तरह का जो व्यवहार छात्रों के साथ में करते हैं, यह कहां तक उचित है? मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसे अधिकारी को वहां से हटाया जाय और जो भी सुविधा छात्रों को दी जाती है वह दी जाय तो आदिवासियों के हित में अच्छा ही होगा वरना नतीजा यह होगा कि वहां जातिवाद की बात प्रिन्सिपल कहते हैं, आदिवासियों का आरक्षण खतम कर दिया जाय, जो भी सुविधा दी जाती है वह नहीं मिलनी चाहिये। इससे यह होगा कि जिस तरह से गुजरात में आरक्षण का झगड़ा चल रहा है वह झगड़ा हो सकता है, बांसवाड़ा में भी चल सकता है। तो उस बात के लिए मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि ऐसे अधिकारी को वहां से हटाया जाय और वहां जो अव्यवस्था और असंतोष छात्रों में फैल रहा है उसके बारे में सरकार ध्यान दे। मैं यही कहूं कि इस तरह से अगर बातें प्रिन्सिपल के द्वारा कही गई और वहां पर यह अधिकारी कार्यरत रहा तो हालत खराब होगी और दंगा फसाद, कई तरह की बातें खड़ी होंगी। इसलिए मैं सरकार से चाहूंगा कि वहां विश्वसनीय अधिकारी को भेजा जाय और वहां की व्यवस्था सुधारी जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री अनंगकुमार जैन। रायपुर गांव में हत्या के संबंध में।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है, वह कानून व्यवस्था की स्थिति से सीधा संबंध रखता है। झालावाड़ जिले में आम तौर पर अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है, हत्यायें, डकैतियां, चोरियां इस प्रकार की घटनायें काफी होती जा रही हैं। इस मामले में मैंने पूर्व में भी आपके माध्यम से सरकार से निवेदन किया। आज आम जनता का जीवन कतई सुरक्षित नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकलता है, वह सही सलामत घर वापस आये, यह आसान बात नहीं है। एक व्यक्ति झालावाड़ से रायपुर गांव जा रहा था, वहां से तीन किलोमीटर दूर है, रास्ते में कुछ लोगों ने घेर करके उसकी आम सड़क पर हत्या कर दी। ऐसा अपराध झालावाड़ जिला मुख्यालय से दो किलोमीटर दूर घटित हुए 10 दिन हो चुके लेकिन आज तक उस घटना की पुलिस विभाग द्वारा जांच नहीं की गई। महज रोजनामचे में डालकर आगे कार्यवाही नहीं की गई। जो घटनायें जिला मुख्यालय के

(श्री अनंग कुमार जैन)

पास होती है, मेन रोड पर होती है उस घटना के बारे में भी पुलिस की ओर से तत्परता से कार्यवाही न की जाय तो आम जनता के अन्दर ऐसा वातावरण पैदा होता है कि जन जीवन खतरे में है। यदि किसी व्यक्ति ही हत्या कर दी जाती है, मेन रोड पर हत्या होती है उसके बाद भी पूर्ण रूप से कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि यह सरकार बार बार अपने जवाब में यह बात दोहराती है कि कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक है लेकिन विधान सभा के अन्दर आपके माध्यम से माननीय सदस्यों ने इस स्थिति को बार-बार दोहराया है कि आज साधारण जन जीवन सुरक्षित नहीं है, आम जनता के अंदर यह भावना फैली हुई है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री अनंग कुमार जैन : विशेष रूप से इस सरकार के आने के बाद तो यह स्थिति हो गई कि इस सरकार के राज में मन्त्री का जीवन सुरक्षित नहीं है, उनका खुद का जीवन खतरे में है। उस पर कार्यवाही नहीं हो पाती है तो आम व्यक्ति के साथ क्या हो रहा होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से विशेष रूप से सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसे मामलों में पुलिस प्रशासन को निर्देश देकर अविलंब कार्यवाही करें ताकि आम जनता के अन्दर भावना फैले कि सरकार की ओर से जो दोषी व्यक्ति हैं उनको सजा दी जाती है और समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है।

श्री अध्यक्ष : श्री चन्द्रवीर सिंह।

श्री चन्द्रवीर सिंह (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, आज चिकित्सा मन्त्री सदन में उपस्थित नहीं हैं। मैं जिस मसले पर बोलना चाहता हूं, वह एक अहम् मसला है इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर चिकित्सा मन्त्री को सदन में बुलाया जाय तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जैसलमेर जिले में चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ की भारी कमी के कारण सारी चिकित्सा सेवा अस्त व्यस्त हो गई है। जिले के दो प्रमुख अस्पताल हैं--एक जैसलमेर में और एक पोकरण में। उनकी बड़ी दयनीय स्थिति हो गई है। आज यह स्थिति है कि मन्त्री महोदय ने मेरे अतारांकित प्रश्न के जवाब में फर्माया है, जिसे मैं पढ़ने की अनुमति चाहता हूं। चिकित्सकों के 26 में से 5 पद 1976 से रिक्त हैं। मेल नर्स ग्रेड प्रथम के 4 पद स्त्रीकृत हैं जिनमें से तीन पद 1976 से रिक्त हैं। इसका मतलब जैसेलमेर जिले में 16 हजार के पीछे आज. की तारीख में केवल एक कम्पाउण्डर है। मेल नर्स ग्रेड द्वितीय 27 में से 25 पद रिक्त हैं 1974 से। अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था कैसे चलेगी, चिकित्सा सुविधा कैसे चलेगी ? क्या होगा, मेरी समझ में नहीं आता ? मैं मन्त्री महोदय से रिक्वेस्ट कर कर परेशान हो गया और तत्कालीन मन्त्री को पत्र लिख लिखकर परेशान हो गया लेकिन फिर भी सेवा सुधरती नहीं। 27 में से 25 पद रिक्त हैं। केवल दो मेल नर्स ग्रेड द्वितीय सारे जिले में हैं। आप अनुमान लगायें किस तरह से डाक्टर काम करेंगे ?

(श्री चन्द्रवीर सिंह)

एल० एच० वी०, के चारों स्वीकृत पद 1974 से रिक्त हैं, एन० एम० 8 पद रिक्त हैं 1974 से, वरिष्ठ लिपिक 1 पद 1974 से रिक्त है, एफ० पी० एच० ए० 12 में से 11 पद 1974 से रिक्त हैं, लेखाकार का एक पद 1977 से रिक्त है, वाहन चालक का एक पद 1977 से रिक्त है, मलेरिया सर्वेलेन्स वर्कर का एक पद 1977 से रिक्त है, स्वास्थ्य निरीक्षक का एक पद 1977 से रिक्त है, मेल नर्स श्रेणी द्वितीय के 4 पद 1975 से रिक्त हैं।

जवाब यह मिलता है कि 'लोक सेवा आयोग से चयनित डाक्टर उपलब्ध नहीं होने के कारण या प्रशिक्षित कर्मचारी के अभाव में।' अध्यक्ष महोदय, पी. एस. सी. के इन्टरव्यू हो चुके हैं और इन्टरव्यू हुए काफी समय हो चुका है लेकिन ..

श्री अध्यक्ष : जैसलमेर के लिए ही कोई इन्टरव्यू अलग हो तो।

श्री चन्द्रवीर सिंह : यह जैसलमेर का प्रश्न नहीं राजस्थान का प्रश्न है। इसी में लिखा है 'लोक सेवा आयोग से चयनित डाक्टर उपलब्ध नहीं होने के कारण।' उनका पी. एस. सी. से इन्टरव्यू हो चुका है। नीचे लिखते हैं 'बाड़मेर में कर्मचारी जाना नहीं चाहते।' क्या बाड़मेर, जैसलमेर राजस्थान का अभिन्न अंग नहीं है? मेरी समझ में नहीं आता, अगर बाड़मेर, जैसलमेर नहीं जाना चाहते तो किस तरह स्वीकृत कर बैठे हैं? यह आपकी रेस्पान्सिबिलिटी है, आपकी ड्यूटी है, आप देखें कि कम से कम 50 पर्सेंट तो स्टाफ हो। किस तरह से चिकित्सा सेवा चलेगी? अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं अन्दाज लगा सकते है। मैंने पूछा कि पद कब तक भर दिये जायेंगे तो लिखा है कि डाक्टर उपलब्ध होते ही भर दिए जावेंगे। अध्यक्ष महोदय, सी. ए. एस. लिस्ट घोषित हो चुकी है लेकिन लिस्ट घोषित हो चुकने के बाद भी डाक्टर्स पोस्ट नहीं किये गए हैं। समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है? अध्यक्ष महोदय, आप थोड़ा सा ध्यान दें। मैंने पूछा कि कब तक भर देंगे। जवाब मिलता है, राजनीतिक दबाव से निरस्त करा लेते हैं। मन्त्री अपना बयान दे रहे हैं, उनका बयान है, मैं नहीं कह रहा हूं। क्या आपकी ड्यूटी नहीं? क्या आपकी यह कार्य प्रणाली उचित है कि आप इस तरह राजनैतिक दबाव के कारण पद निरस्त करें? जिले में 31 तो सब-सेन्टर्स हैं...

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं इन्ट्रप्शन कर रहा हूं, मंत्री महोदय ध्यान दें....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री चन्द्र वीर सिंह।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रवीर सिंह : आपने लिखा है है कि राजनैतिक दबाव से निरस्त करा लेते हैं। इसका क्या मतलब है, मन्त्री महोदय, मेरी

(श्री चन्द्रवीर सिंह)

समझ में नहीं ग्राता ? ग्रापने जवाब दिया है, मेरे ग्रतारांकित प्रश्न के उत्तर में। जैसलमेर में 31 सब सेन्टर्स हैं सब बन्द पड़े हैं। ग्राप स्वयं परिचित हैं, भयंकर ग्रकाल की परिस्थिति है ग्रौर ग्रकाल के कारण लोगों की रेजिस्टेंस कम हो चुकी है। यह निश्चित रूप से प्रूव्ड फैक्ट है जब रेजिस्टेंस कम होती है तो बीमारी होती है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। ग्राप स्वयं बतावें जब 31 सेन्टर्स बन्द पड़े हैं, दो प्रमुख ग्रस्पताल की दयनीय स्थिति है तो जनता का क्या होगा ? इस भयंकर ग्रकाल की स्थिति में लोग कहां जायेंगे ? न जोधपुर जाने का किराया, न बीकानेर जाने का किराया ग्रफोर्ड कर सकते हैं। जब ग्रापने 31 सब सेन्टर्स खोल रखे हैं उनमें से एक भी नहीं चल रहा है, यह शर्म की बात है। ग्राप मेहरबानी करके 31 के 31 सेन्टर्स ग्रविलंब चालू करने की कृपा करें।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री चन्द्रवीर सिंह : ग्रध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही ग्रहम् मसला है। जैसलमेर में, श्रीमान्, ग्राप भी परिचित है कि क्षय रोग, टी.बी. के रोगी हो जाते थे वहां पर लोग नेचरल क्योर से ठीक हो जाते थे लेकिन ग्राज, ग्रध्यक्ष महोदय, जैसलमेर में वाइल्ड फायर की तरह टी० बी० फैल रही है। जैसलमेर में हर तीसरे परिवार में ग्रापको टी०बी० का पेशेन्ट देखने को मिलेगा। टी०बी० जैसी बीमारी जिस द्रुतगामी से वहां पर बढ़ रही है ग्रगर वह नियन्त्रण में नहीं ली गयी तो, ग्रध्यक्ष महोदय, वहां पर इतनी भारी एपेडेमिक हो रही है। यह एपेडेमिक विस्फोटक रूप लेगी तो, श्रीमान्, ग्राप इसके जिम्मेदार होंगे। वहां पर चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं तो लोग टी० बी० का इलाज कैसे करा सकेंगे ? जैसलमेर में लोग रूढ़िवादी विचारधारा के हैं ग्रापको उन्हें सचेत करना होगा, वहां के लोगों को जगाना होगा। यह तो ग्राप कर नहीं रहे हैं कि वहां पर सेवायें उपलब्ध हों। उनमें ग्राप इस तरह से घोटाले कर रहे हैं, बड़े शर्म की बात है। मुझे बड़ी शर्म के साथ कहना पड़ता है। इसलिए, ग्रध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां नर्सेज ग्रौर डाक्टरों के रिक्त पदों को तुरन्त भरा जाय। ग्रगर यह नहीं किया गया तो जैसलमेर की जनता को वहां पर विवश होकर ग्रान्दोलन करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ग्रापको धन्यवाद देते हुए ग्रपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ग्रान ए पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर। ग्रध्यक्ष महोदय, यहां पर माननीय सदस्य ने जो एक शब्द पढ़ कर सुनाया कि राजनैतिक दबाव पर स्थानान्तरण केन्सिल किये जा रहे हैं। यह सरकार का उत्तर है, क्या माननीय मन्त्री इस बात को स्वीकार करते हैं ? ग्रौर स्वीकार करते हैं तो किसका राजनैतिक

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

दबाव है ? और दबाव हो तो भी इस प्रकार राजनैतिक दबाव में आकर क्या अधिकारी आदेश कर देते हैं ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह तो उत्तर है, अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी का ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । इसके लिये माननीय सदस्य को पता है कि नियमों में प्रावधान है उसके अनुसार कार्यवाही करें। यदि आपत्तिजनक चीजें हैं तो आप इस सदन में और किसी तरह से, जैसा कि नियम में प्रावधान हैं उसके अनुसार कार्यवाही कर सकते हैं ।

श्री चन्द्रवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम तो यह चाहते हैं कि जैसलमेर में डाक्टरों और नर्सेज के जो पद रिक्त हैं उनको भर दिया जाय । अगर यह व्यवस्था हो जाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री दाऊदयाल जोशी : डाक्टर हैं कहां ? डाक्टर लोग तो तेजी से यहां से भाग रहे हैं । आप उनको रोक नहीं सकते । मन्त्री जी, लोग दूसरी जगहों पर जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य ।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, डाक्टर इनको मिलेंगे कहां से ? अल्प वेतन भोगी लोग भुगतेंगे । डाक्टर तो यहां से तेजी से भाग रहे हैं । आप आज कालेज में डाक्टरी की पढ़ाई लिखाई कराके जो डाक्टर तैयार करते हैं आप उस पर एक लाख 20 हजार रुपया का खर्चा प्रति विद्यार्थी करते हैं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य, भाषण नहीं होगा ।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, डाक्टर लोग तेजी से भाग कर जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें । श्री आत्माराम ।

श्री आत्माराम (हनुमानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने यहां पर बताया कि सन् 71 से वहां डाक्टरों और नर्सेज के पद रिक्त हैं तो सन् 74 के बाद जनता पार्टी का शासन आया और उसके बाद वह भी चला गया और अब पिछले एक साल से कांग्रेस का शासन चल रहा है । माननीय सदस्य भी यहां पर पिछले कई साल से हैं फिर आज ही ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हो गयी हैं? जो सन् 74 से रिक्त पद चले आ रहे हैं तो अब क्या ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है? वहां पर वर्षों से पद रिक्त चले आ रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । ध्यान आकर्षण प्रस्ताव । श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी ।

(अनुपस्थित ।)

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर । माननीय सदस्य, सभी

(श्री अध्यक्ष)

विषय पर अगर चर्चा करेंगे तो यह तो नहीं होगा।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : मैंने पहले ही कल आपको बोलने का अवसर दिया था। अब आप दोबारा फिर इस विषय पर बोलना चाहते हैं तो वह अवसर तो मैं आपको नहीं दूंगा। अब आप स्थान ग्रहण करें। श्री बन्सीलाल पटवा।

श्री बन्सीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : मैं भी बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : तो आप यह चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में जानकारी सरकार से मंगायी है उस समय भी आप तत्काल ही बोलना चाहेंगे।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : अगर सरकार की जानकारी दो-तीन दिन में आ जायगी इस सत्र में ही आ जायगी।

श्री अध्यक्ष : तो आप चाहते हैं कि सरकार से जानकारी मंगायी जावे।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : आप विराज जावो। आप ठाकुर साहब हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर, बीकानेर, भरतपुर और झुन्झुनू जिलों में चिकित्सा एवं नर्सिंग स्टाफ पर्याप्त न होने के विषय में।

श्री अध्यक्ष : इसमें हमने राज्य सरकार से जानकारी चाही है। सरकार से उत्तर आने दीजिये।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। आप कहना क्या चाहते हैं ?

श्री देवीसिंह भाटी : आपने फर्माया था कि आप बोल लेना।

श्री अध्यक्ष : एक तरफ तो, माननीय सदस्य, आप बोलना चाहते हैं दूसरे माननीय सदस्य चाहते हैं कि इसकी जानकारी मंगायी जाय। आपने वहां पर दस्तख्त किये हैं। ऐसा था तो आपको दस्तखत नहीं करना चाहिए था। श्रीबन्सीलाल पटवा, आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव दिया था तहसील नीम का थाना ग्राम मावड़ी में गत 26 व 28 मार्च के बीच एक 12 वर्षीय हरिजन विद्यार्थी की हत्या के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उसको सरकार को जानकारी के लिए भेजा गया है, उस पर सरकार से जानकारी चाही है। वह मावड़ी में हरिजन बालक की हत्या के सम्बन्ध में ही है ना ?

श्री मोहनलाल मोदी : आपने दो-दो मिनट का समय देने को कहा था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य चाहें कि दो मिनट बोल लें तो कोई मुझे एतराज नहीं है। सरकार से जानकारी प्राप्त की गयी है उसमें, फिर आप नहीं बोलेंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी स्थगन प्रस्ताव था नागरिक सहकारी बैंक कोटा गुटबाजी के कारण प्रशासक के अधीन आ जाने से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

श्री अध्यक्ष : अगर माननीय सदस्य कोई दो-दो मिनट ही बोलना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं। आप अगर यह समझते हैं कि आपके स्थगन प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही नहीं हो तो ठीक है आप दो-दो मिनट बोल लें।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही तो वैसे भी नहीं होगी क्योंकि एक हरिजन बालक की हत्या हुई है और सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर। आर्डर। माननीय सदस्यों को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने जो व्यवस्था दी इस विषय पर यह व्यवस्था मैंने कर रखी है वह जनहित को दृष्टि में रखते हुए की है। अगर आप चाहते हैं कि उपयोगी, जनहित के विषय में सरकार से जानकारी मंगायी जाय ताकि उन समस्याओं के ऊपर, जो कि माननीय सदस्य यहां पर रखते हैं, सदन में कार्यवाही हो। यदा कदा माननीय सदस्य भी तत्काल ही बोलना चाहते हैं तो मैंने उसके लिए भी यदा कदा व्यवस्था कर रखी है। लेकिन सभी माननीय सदस्य यह चाहें कि सरकार से जानकारी भी मंगायी जाय और आप तुरन्त फुरत बोलना चाहते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप उन समस्याओं के प्रति सीरियस नहीं हैं लेकिन आप बोलना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपको बोलने दूं यह बात मैं स्वीकार नहीं करूंगा।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : बात यह है, अध्यक्ष महोदय, हमारी भावना यह नहीं है कि हम सीरियस नहीं हैं, सरकार सीरियस नहीं है। जानकारी आयेगी उस पर क्या कार्यवाही होगी ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। श्री बन्सीलाल पटवा। आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री बन्सीलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है राजस्थान कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स गुलाबपुरा की सहायक यूनिट वूलन मिल शाहपुरा में खोलने का निश्चय होने के बावजूद मिल चालू न होने के विषय में। अध्यक्ष महोदय, इसका शिलान्यास भी हो चुका है, सन् 78-79 में। यह यूनिट बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी है। सन् 78–79 में इसका शिलान्यास भी हो गया लेकिन आज दिन

(श्री बन्सीलाल पटवा)

तक यह यूनिट पैण्डिग पड़ी है और आज दिन तक इसका कन्स्ट्रक्शन नहीं हुआ है और न ही मशीनरी आई है। शाहपुरा ऐसा क्षेत्र है जिसके पड़ौस में जहाजपुर लगता है, केकड़ी का क्षेत्र लगता है जहां पर ऊन प्रचुर मात्रा में विद्यमान है ऐसी स्थिति में शाहपुरा में ऊनी यूनिट गुलाबपुरा को-आपरेटिव मिल्स के द्वारा खोली जानी चाहिये थी वह आज तक नहीं खोली जा सकी है। आज दिन तक पता नहीं किन राजनैतिक कारणों से यह पैण्डिग रखी हुई है। आज कई वर्षों से हम इस सम्बन्ध में निवेदन कर रहे हैं। वहां पर सूती मिल खोलने का प्रस्ताव सरकार के सामने विचाराधीन है। जब जब शाहपुरा में इस तरह के एजीटेशन्स और आन्दोलन होते हैं हमारे वहां के प्रतिनिधि मण्डल कलेक्टर से मिले हैं, इसके अलावा ऊपर के अधिकारियों से मिले हैं तो उनको वहां पर आश्वासन निरन्तर मिलता रहा है कि यहां पर यूनिट खोला जायगा। वह यह कहते हैं कि वह ड्राप नहीं है यहां पर खोली जावेगी लेकिन आज दिन तक नहीं खोली जा रही है। वहां के नागरिकों और इर्द-गिर्द की तहसीलें जो पड़ती हैं उन लोगों को वहां पर नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है। यदि यह मिल खुल जावेगी तो वहां पर जो ऊन का उत्पादन हो रहा है उसका उपयोग भी हो सकेगा तथा साथ ही जो श्रमिक शाहपुरा के केकड़ी के है और दूसरे आस-पास के हैं उनको रोजगार मुहैया हो सकेगा। इसीलिए अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह नितान्त आवश्यक है। इस मामले में राजनैतिक आधार न मानते हुए यथार्थता का आधार मानकर सरकार इस पर विचार करे और शाहपुरा में ऊनी यूनिट खोलने की जो योजना बनी है उस आधार पर उसका एक्जीक्यूशन किया जाय और शीघ्रातिशीघ्र उस यूनिट को बनाकर चालू किया जाय ऐसा मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

श्री कनकराज मेहता : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी है स्थगन प्रस्ताव।

श्री अध्यक्ष : मैंने उस पर व्यवस्था दे दी है। मैंने उस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी है।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन है कि मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है या तो उस पर सरकार के उत्तर आने की तारीख निश्चित कर दें क्योंकि सरकार के पास सारे साधन हैं

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं अवसर दे देता हूं। बोल दीजिए दो मिनट।

श्री मोहनलाल मोदी।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि आज चोरियां बढ़ रही हैं, डकैतियां बढ़ रही हैं, हत्यायें बढ़ रही हैं। अध्यक्ष महोदय, नीम का थाना के ग्राम गावड़ी के अन्दर एक हरिजन विद्यार्थी जिसकी उम्र 12 साल की

(श्री मोहनलाल मोदी)

थी, उसके माता पिता बाहर भट्टे पर रहते हैं और मजदूरी करते हैं और रामनिवास और उसका छोटा भाई यहां ग्राम गावड़ी के अन्दर पढ़ने के लिए अपने घर पर रहते थे। वह बालक 26 तारीख को वहां से गायब हुआ। 26 तारीख को मिला नहीं, 26 तारीख को उसकी तलाश की गयी और 28 तारीख को उसकी लाश उसके घर में एक ड्रम के अन्दर से बरामद हुई। अध्यक्ष महोदय, ऐसा घृणित कार्य, एक बालक की हत्या का काम, बालक जिसका किसी से द्वेष नहीं हो सकता लेकिन उस बालक की हत्या करके उसके घर के अन्दर ही एक ड्रम में रखा गया और आज तक उसका कोई पता नहीं लगा। गांव में इस तरह की हालत है, अध्यक्ष महोदय, वह लाश सड़ने लगी तो पता लगा।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री मोहनलाल मोदी : बहुत संक्षेप में ही कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस तरह की जो वारदातें हैं उनको बहुत गम्भीरतापूर्वक हमें लेना चाहिए। मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है उसकी सूचना आ जानी चाहिए थी। सरकार के पास वायरलैस है, टेलीफोन है। अगर सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार करे तो ऐसे प्रश्नों पर तुरन्त जानकारी आ सकती थी। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस तरह की स्थिति पर काबू नहीं पाया गया तो राजस्थान में कोई आदमी सुरक्षित नहीं रह पावेगा और खासकर हरिजन जहां जागीरदारों का गांव है। यह मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि गावड़ी जागीरदारों का गांव है उसके अन्दर इस तरह की वारदात होना हरिजनों के लिए बहुत दुखदायी है वे बहुत भयभीत हो रहे हैं। आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर अधिक ध्यान देकर विशेष तौर से हत्यारों को पकड़ा जाय और कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाय। यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय चिकित्सा मन्त्रीजी का बीकानेर जिले की ओर ध्यान दिलाऊंगा जहां चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ की दृष्टि से आयुर्वेद मन्त्री तो यहां विराजमान नहीं हैं, आयुर्वेदिक औषधालय और होम्योपैथिक औषधालय में जितने स्टाफ की कमी है मेरा ख्याल है कि जैसलमेर और बाड़मेर के बाद बीकानेर जिले का नम्बर आता है जहां सबसे कम ध्यान दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव देने का विशेष निवेदन करना यह था जैसा कि आप इस इलाके को जानते हैं, अब गर्मी का महीना आ गया है और वहां चिकित्सा सुविधायें नहीं होने से सैकड़ों व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही सांप काटता है। नजदीक में चिकित्सा की व्यवस्था नहीं होने से पुराने टोटके हैं उसी हिसाब से इलाज करते हैं और उसमें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होने के अभाव में उनकी मृत्यु हो जाती है।

(श्री देवीसिंह भाटी)

अध्यक्ष महोदय, जहां व्यवस्थायें कर रखी हैं इसके लिए मैंने एक अतारांकित प्रश्न पूछा था जिसका जवाब आया जैसे हमारे कोलायत तहसील के बलनूरी गांव में आयुर्वेदिक औषधालय है । उसके लिए अध्यक्ष महोदय, हमने बारबार 1979 में शिकायतें कीं फिर भी सम्बन्धित विभाग के अधिकारी ने कार्यवाही नहीं की । अध्यक्ष महोदय, उस क्षेत्र में कम से कम 35 मील के क्षेत्र में एक आयुर्वेदिक औषधालय है और उसके उपरान्त भी बराबर शिकायत करने पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, ऐसे ही बसलपुर गांव के औषधालय के बारे में शिकायत की और मैंने प्रश्न पूछा उसके लिए जवाब आया अध्यक्ष महोदय, कि बसलपुर के होम्योपैथिक डाक्टर हरपालसिंह को दिनांक 23-9-80 को निलम्बित किया गया था तथा 18-12-80 को जांच विचाराधीन रखते हुए इनको नवीन होम्योपैथ औषधालय झुन्झुनूं में पुनर्स्थापित कर दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिकायत हुई और उस पर निलम्बन हुआ क्योंकि वह गांव के औषधालय में हाजिर नहीं रहता था उसको जांच के दौरान नयी जगह नियुक्त कर दिया और बाद में 18-12-80 को उसे फिर लगा दिया ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह आपके स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है। आपके स्थगन प्रस्ताव का विषय यह है चिकित्सा सुविधायें, चिकित्सकों का तथा उनके सहायक कर्मचारियों का अभाव है। क्या कार्यवाही हुई, कैसे हुई। आर्डर प्लीज। समय सीमा दो मिनट है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि हम बार बार सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। राजस्थान में कई जगह बजट में बहुत कम आमदनी है फिर भी उसके उपरान्त वहां चिकित्सा की व्यवस्था की जाती है। डाक्टरों की, चिकित्सकों की जब आयुर्वेदिक औषधालय में व्यवस्था की जाती है और खर्च होने के बाद भी वहां लोग नहीं पहुंचते हैं तो बार बार शिकायत करने के बाद भी चिकित्सा सुविधा नहीं मिले तो गांव वाले कहां जायेंगे ? जहाँ न पीने के पानी की व्यवस्था है, न आवागमन की व्यवस्था है फिर हमारे निवेदन करने का और बार बार शिकायत करने का क्या अर्थ रह जाता है ? उस क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी है मलेरिया रोग से 1979 के अन्दर 165 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी । अगर उनको 12 गोलियां कुनैन की मिल जाती तो व्यक्ति बच सकते थे लेकिन 175 आदमी चिकित्सा की सुविधायें उपलब्ध नहीं होने से मर गए। क्या हम बार बार निवेदन करते रहेंगे और सरकार कानों में उंगली डाले बैठी रहेगी ? अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करूंगा की तुरन्त हमारी शिकायतों का निदान नहीं किया गया तो बीकानेर जिले में आन्दोलन होगा और उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी । अध्यक्ष महोदय, इसलिए चिकित्सा मंत्री जो कृपया हमारी बातों को ध्यान से सुनें और उस पर कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान........

श्री अध्यक्ष : यह स्थगन प्रस्ताव बड़ा डिफेक्टिव था । तीन जिले साथ में लिए हैं एक ही प्रश्न के रूप में आयेंगे सभी माननीय सदस्य यहां आकर अलग-अलग हो गए और चार तरह का माध्यम हो गया ...

एक माननीय सदस्य : नवयुवक साथ हैं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । साथ हैं तो आखिर तक साथ निभाना चाहिए ।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि झुन्झुनूं जिले में आज भयंकर अकाल फैला हुआ है जिससे वहां पर गरीब जनता भूख की वजह से या आधे पेट खाने की वजह से बहुत ही कमजोर हो चुकी है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता दिन प्रति दिन क्षीण होती जा रही है । अगर सहायता के रूप में मेडिकल फेसिलिटीज अवेलेबल नहीं होंगी तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कयास है कि दिन प्रतिदिन हालत और भी बदतर होती जायगी । मैं कुछ मुख्य बिन्दुओं पर ही सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा ।

मेरे क्षेत्र में बड़ा गांव है वहां 5 लाख रुपये की लागत से जच्चाखाना बनाया गया और उस दानदाता की जो एक अभिलाषा थी वह आज तक पूरी नहीं हुई । वहां लेडी डाक्टर की पोस्टिंग आज तक नहीं हुई । माननीय मन्त्री महोदय अपना प्रदेश वैसे ही चिकित्सा के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है परन्तु हम लोग जो कार्यकर्त्ता हैं वह चेष्टा करके प्रवासी राजस्थानवासियों को आकर्षित करते हैं और उनका जो धन व्यय होता है, जिस भावना से व्यय होता है उस भावना को ध्यान में रखना सरकार का और हमारा कर्त्तव्य है । अगर वहां पर लेडी डाक्टर की पोस्टिंग हो जाती है तो वहां पर जो दानदाता का 5 लाख रुपये लगा है उसका उद्देश्य सार्थक हो जाता है ।

दूसरे मंडावरा में 5 साल पहले डिस्पेन्सरी खोली थी लेकिन वहां भी पिछले एक साल से डाक्टर नहीं है और नर्सिंग स्टाफ है ....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य । दो मिनट में कहने की बात है ।

श्री देवीसिंह भाटी : आप घन्टी बजा दिया करें नहीं तो बीच में बोलने से कह नहीं पाते ।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : मंडावरा में पिछले एक साल से कोई डाक्टर नहीं है, न नर्सिंग स्टाफ की पोस्टिंग है । मेरे खुद के गांव में पिछले दो साल से कोई नर्स नहीं है । एक 15 हजार की आबादी का कस्बा है जिसमें रोजाना डिलीवरी केसेज होते हैं और सिर्फ नर्स की कमी की वजह से मृत्यु हो जाती है कितनी दयनीय स्थिति है । माननीय चिकित्सा मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मेरे क्षेत्र के गांव इन्द्रपुरा में माननीय चन्दनमल

(श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह)

जी जब चिकित्सा मन्त्री थे इसको 'ए' क्लास डिस्पेन्सरी स्वीकृत की थी लेकिन आज तक न कोई स्टाफ पहुंचा न कोई बात है। दूसरे, एक और ग्राम में एक डिस्पेन्सरी स्वीकृत हुई थी उसका भी कोई पता नहीं है। तीसरा, एक मामला सब-सेंटर मन्जूर हुआ था उसका भी कोई पता नहीं। अध्यक्ष महोदय, इन तीनों बिन्दुओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह बहुत ही गम्भीर स्थिति है इसमें समय रहते आप सचेत हो जायं। जो हमारा कर्त्तव्य है वह हमने पूरा कर दिया अब जनता आप से जवाब लेगी इसके लिए तैयार हो जायं।

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है....

श्री यदुनाथ सिंह : मेरे यहां एक अजीब तरह की समस्या है....

श्री अध्यक्ष : चिकित्सा पर वाद-विवाद नहीं हो रहा है, माननीय सदस्यगण, इसका ध्यान रखें।

श्री दाऊदयाल जोशी : एक मिनट में कह देता हूं।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : शाहपुरा में मैं कोआपरेटिव मिल के बारे में विचार करने के लिए निवेदन किया था....

श्री यदुनाथसिंह : माननीय अध्यक्ष, जो जवाब माननीय श्री चन्द्रवीर सिंह जी के प्रश्न के उत्तर में सरकार ने दिया है उससे सरकार के काम करने की मनोवृत्ति का पता तो लगता है। जहां एक और जवाब दिया राजनैतिक कारणों से ट्रांसफर केन्सिल करा लेते हैं या अधिकारी जाना नहीं चाहते। अधिकारी तो जाना नहीं चाहते, सरकार किस लिए है ? बाडमेर, जैसलमेर जैसी स्थिति तो मेरे यहां नहीं है लेकिन फिर भी जो महात्मा गांधी का स्वप्न लेकर, महात्मा गांधी के नाम को ब्लैकमेल करती हुई यह सरकार यहां पर बैठी है क्या सरकार का दायित्व नहीं है कि थोडा बहुत महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज, गांव की यूनिट की ओर देने का है उस पर ध्यान दें। आज मेरे यहां डिस्पेन्सरीज जनता पार्टी के टाइम पर खुलीं, औषधालय खुले और कुछ आयुर्वेदिक औषधालय खुले लेकिन गांवों में आज भी स्थिति वही है डाक्टर, नर्स कम्पाउण्डर शहरों में रहते हैं या कस्बों में रहते हैं। कभी दो-चार चक्कर लगाने गये एक दो घंटा आ जाते हैं। जैसे भरतपुर में कर रखा है बहुत से डाक्टर्स, नर्स, कम्पाउण्डर डेपुटेशन पर अपनी सुविधा के लिए जनरल अस्पताल में लगा रखे हैं। डेपुटेशन का अधिकार उनको है लेकिन वहां अपने अपने चहेते आदमी हैं उन लोगों को गांवों में भरने के लिए, शहरों में उच्च अधिकारियों को और बड़े लोगों को सुविधा देने के लिए वहां पर लगा रखा है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि निश्चित रूप से इस बात की व्यवस्था करें कि डाक्टर्स की, नर्सेज की, कम्पाउण्डर्स की जहां पोस्टिंग की गई है वह वहीं पर रहें। उनकी सेवायें गांवों

(श्री यदुनाथ सिंह)

में लोगों को मिलती रहें । मेरा इतना ही निवेदन है । नये मन्त्री जी पधारे हैं इसकी व्यवस्था करने में सक्षम होंगे ।

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य

(व्यवधान)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ।

(व्यवधान)

मैं इजाजत नहीं दूंगा । कृपया स्थान ग्रहण कीजिये ।

(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी : सारे कन्जूमर परेशान हो रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य । आर्डर आर्डर ।

(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी : बैंकों को बन्द कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो ।

श्री दाऊ दयाल जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने जानकारी मांगी है....

श्री दाऊ दयाल जोशी : जानकारी आ जायगी तो मैं बैठ जाऊंगा ।

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव । श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी ।

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : मन्त्रियों द्वारा वक्तव्य ।

श्री चाव खां : अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड,

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । कृपया बैठ जायं ।

श्री चाव खां : मेरे दो स्थगन प्रस्ताव हैं एक थानेदार....

श्री अध्यक्ष : कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं है । सूची पढ़कर आया करें या सुना करें जो हम व्यवस्था दें ।

आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, पढ़ा करें कौन सा विषय आज विचारणीय है ।

शासकीय वक्तव्य
जयपुर शहर में दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं का अभाव व अनियमित सप्लाई

खाद्य मन्त्री, श्री चन्दन मल बैद ।

जयपुर शहर में दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं के बारे में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है श्री श्रीराम गोटेवाला का और स्थगन प्रस्ताव है डा० उजला अरोड़ा, श्री भंवरलाल शर्मा, श्री गुलाबचंद कटारिया । सार्वजनिक मन्त्री जी ।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : जानकारी हम लोगों को भी हो जायगी ।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

एक माननीय सदस्य : श्री गुलाबचंद जी कटारिया आ गये हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री खाद्य मन्त्री।

श्री चन्दन मल बैद (खाद्य मन्त्री) : जयपुर शहर में 12,50,000 उपभोक्ता यूनिट हैं व जिले में 15,35,285। जयपुर शहर ने निजी क्षेत्र में 205 और सहकारिता क्षेत्र में 73 उचित मूल्य की दुकानों के द्वारा आवश्यक वस्तुएं नियन्त्रित मूल्यों पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। वर्तमान में निम्नांकित आवश्यक वस्तुओं को नियंत्रित मूल्य पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाया जा रहा है :

(1) खाद्यान्न (गेहूं व चाय)

(2) लेवी चीनी

(3) मिट्टी का तेल

(4) खाद्य तेल

इसके अतिरिक्त नागरिक रसद विभाग नियन्त्रित कपड़ा, कोयला, सीमेंट भी उचित मूल्य पर सहकारिता भण्डारों एवं निजी क्षेत्र की दुकानों से जयपुर नगर में उपलब्ध करवाता है। आवश्यक वस्तुओं की स्थिति निम्न प्रकार है :—

1. **डीजल** : दिनांक 7-3-81 से डीजल पर लगे सभी प्रतिबन्धों को राज्य सरकार ने उठा लिया है और जयपुर शहर में 6,000 से 7,000 कि० ली० डीजल का औसतन मासिक उठाव होता है।

2. **कैरोसिन तेल** : दिनांक 23-3-81 से राज्य सरकार ने कैरोसिन तेल पर लगे सभी प्रतिबन्ध हटा लिये हैं वे कैरोसिन मुक्त रूप से विक्रय किया जाता है और उपभोक्ताओं को 1-69 रुपये प्रति कि० ली० की दर से उपलब्ध है। शहर के कुछ क्षेत्रों में जैसे सी-स्कीम जवाहर नगर, तिलक नगर, सिविल लाइन व बनी पार्क आदि में 40 रिक्शाओं से कैरोसिन तेल उपभोक्ताओं को घर घर उपलब्ध कराने की व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई है।

3. **गेहूं** : मार्च 1981 के लिये राज्य सरकार ने जयपुर नगर के लिये 2200 टन गेहूं का आवंटन किया है। यह गेहूं उपभोक्ताओं को उचित मूल्य की दुकानों से 1-41 रुपये प्रति किलो की दर से वितरित किया जाता है। प्रति यूनिट 4 किलोग्राम के हिसाब से गेहूं आवंटित किया जाता है। अगले माह से इसको बढ़ाकर 10 किलो प्रति यूनिट किया जा रहा है।

4. **चावल** : राज्य सरकार द्वारा जयपुर जिले को 1000 मै० टन चावल प्रति माह उचित मूल्य की दुकानों पर वितरण हेतु दिया जाता है जो 6 किलो प्रति राशन कार्ड के हिसाब से 1-65 रुपये प्रति किलो की दर से वितरित होता है।

5. **लेवी चीनी** : लेवी चीनी शहरी क्षेत्र में 400 ग्राम प्रति यूनिट के हिसाब से 3-50 रुपये प्रति किलो की दर से उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरण कराई जा रही है। हाल ही में होली के अवसर पर जनवरी एवं फरवरी, 81 (दो माह) की चीनी का वितरण कराया जा चुका है।

6. **खाद्य तेल** : नगर में खाद्य तेलों की उपलब्धि पर्याप्त है। चारों वनस्पति घी के उत्पादकों ने उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है व वनस्पति घी के भाव 210-220 रुपये प्रति 16 ।। किलो का

(श्री चन्दनमल वैद)

टिन की दर से उपलब्ध है। मूंगफली व सरसो का तेल भी 212–218 रुपये प्रति 16 किलो का टिन की दर पर उपलब्ध है।

(1.10 म प.)

(श्री अहमद बक्श सिन्धी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

पाम आयल : पाम आयल उचित मूल्य की दुकानों द्वारा प्रति राशन कार्ड 5 किलो तक 9–15 रुपये प्रति किलो की दर से दिया जाता है।

नियन्त्रित कपड़ा : नियन्त्रित कपड़ा राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के माध्यम से वितरण हेतु उपलब्ध कराया जाता है व राशन कार्ड पर 6 महीने में 10 मीटर कपड़ा दिये जाने की मात्रा निर्धारित की गई है। लेकिन मांग के अनुरूप कोटा उपलब्ध नहीं होने के फलस्वरूप उपभोक्ताओं को कपड़ा उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। जयपुर शहर में 13 सहकारी संस्थाएं नियन्त्रित कपड़े का आवंटन उठा रही है।

कोयला : एक राशन कार्ड पर एक उपभोक्ता को 2 क्वि० सोफ्ट कोक उपलब्ध कराया जाता हैं। जयपुर शहर में 55 कोल डिपो है। इस समय सोफ्ट कोक का नियंत्रित भाव 31–80 रुपये, हार्ड कोक का 92-00 रुपये एवं फ्री सेल का 95 रु० प्रति क्वि० का भाव हैं। कोयले के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सड़क परिवहन द्वारा कोई भी अनुज्ञा पत्र धारी कोयला राजस्थान में ला सकता है। रेल परिवहन मार्गों पर ब्राडगेज के प्रमुख स्टेशनों पर कोयले के बड़े डिपोज कायम किये जाने की शीघ्र व्यवस्था की जा रही है। इससे कोयला लाने में समय की बचत होगी और कोयले की उपलब्धि आसान हो जायगी।

सीमेंट : जयपुर जिले को माह मार्च में 15165 टन सीमेन्ट का आवंटन राज्य सरकार ने किया है जिसमें 7,600 मै० टन पब्लिक सैल कोटा के तहत व शेष विभागों को अकाल राहत कार्यों के लिए एवं दूसरी संस्थाओं को दिये जाने हेतु दिया गया है। पब्लिक सैल कोटा के आवंटन के तहत 6431 टन सीमेंट उठाया जा चुका है व सीमेन्ट का वितरण जयपुर शहर में दिनांक 28–3–81 से प्रारम्भ कर दिया गया है। जयपुर शहर के लिये 40 पर्सेन्ट सीमेन्ट आवंटित की जाती है और 60 पर्सेन्ट सीमेंट ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित होती है। जयपुर शहर के लिये आवंटित सीमेन्ट में प्राप्त सीमेन्ट का 40 पर्सेन्ट नगर विकास न्यास को उपभोक्ताओं में वितरण हेतु आवंटित किया जाता है व 50 पर्सेन्ट जिला रसद अधिकारी कार्यालय द्वारा छोटे उपभोक्ताओं को मरम्मत आदि के कार्यों के लिये दी जाती है। नगर विकास न्यास द्वारा जयपुर की चार दीवारी के बाहर नये निर्माण के परमिट दिये जाते हैं व शहर की चार दीवारी के अन्दर नये निर्माण, मरम्मत आदि कार्यों के लिये जिला रसद अधिकारी द्वारा सीमेन्ट उपलब्ध कराई जाती है। जयपुर शहर में सीमेंट के 33 डीलर्स हैं। सीमेन्ट की विक्रय दर 29 रु० प्रति बैग है।

(श्री चन्दन मल बैद)

रसोई गैस जयपुर शहर में गैस 3 अनुज्ञापत्र धारियों की मार्फत वितरित की जाती है जो निम्न हैं:

(1) पण्डित गैस सर्विस

(2) जयपुर गैस सर्विस

(3) राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि०

तेल कम्पनियों को गैस वांछित मात्रा में उपलब्ध नहीं होने के कारण उपभोक्ताओं को भी गैस विलम्ब से प्राप्त होती है।

विभिन्न सप्लायर्स द्वारा अपने उपभोक्ताओं को भिन्न भिन्न अवधियों में गैस उपलब्ध कराने का कारण उनके यहाँ पंजीकृत उपभोक्ताओं की संख्या एवं प्राप्त गैस सिलेण्डरों की संख्या में भारी अन्तर होता है जो निम्न प्रकार है:

क्रमांक	गैस सप्लायर का नाम	पंजीकरण की संख्या	गैस सप्लायर की उपलब्धि की संख्या
1)	जयपुर गैस, जयपुर	6320	4200
2)	पंडित गैस, जयपुर	10648	5566
3)	राजस्थान राज्य स. क्रय विक्रय संघ लि., जयपुर	6291	3900

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उपस्थित हो गई हूं। पहला अधिकार मेरा है, मान्यवर...

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : महिलाओं का हमेशा ही पहला अधिकार रहता है....

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : पहले मैंने किया है, मान्यवर....

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटेवाला।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरा नाम पुकार लिया गया है। आप बाद में बोल लेना।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, पहले मुझे बोलने दिया जाय। आप इस तरह पक्षपात करते हैं...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीराम के बाद आपका नम्बर है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पहले मेरा नम्बर है, उपाध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जब यहां बिराज नहीं रहे थे, माननीय अध्यक्ष सीट पर थे इस वक्तव्य को उन्होंने समाप्त करके आगे की चर्चा को लेने का विचार किया था। कारण यह था कि उस समय माननीय गुलाब चन्द जी कटारिया को छोड़कर इस ध्यान आकर्षण पर बोलने वालों में से कोई उपस्थित नहीं था। माननीय गुलाब चन्द जी कटारिया मौजूद थे इसलिए मैं

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

निवेदन करूंगा कि गुलाब चन्द जी का उस नाते पहला होना चाहिये। वैसे आपने नाम पुकार लिया इसलिये दूसरी बात है वाकी मेरा अनुरोध यही है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा ध्यान ध्यान आकर्षक प्रस्ताव है, मान्यवर।

श्री देवीसिंह भाटी : कृपया महिलाओं का ध्यान रखें....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मन्त्री महोदय ने यहां पर राजस्थान का कोटा और जयपुर में होने वालो सप्लाई के बारे में वक्तव्य दिया है। मान्यवर, इस वक्तव्य का आधार केवल यह है कि जो दिल्ली से ला सके या न ला सके उसका वितरण किस ढंग से किया जाय। मान्यवर, सबसे पहले चीज आती है राशन की 278 दुकानों की, जो अधिकांश बन्द पड़ी रहती है, उनसे वितरण किया जा रहा है। 278 में से अनेक दुकानें बन्द पड़ी है। क्यों बन्द पड़ी हैं, इसके लिये जो निरीक्षक महोदय हैं वे यह कहते हैं कि सरकारी आदेश हैं कि इन्सपेक्टर दुकानों को विजिट करेगा, निरीक्षण नहीं करेगा इसलिये कभी दुकानें खुल गई, और कभी बन्द हो गई इस तरह दुकानें....

श्री उपाध्क्ष : माननीय सदस्या, आप सवाल पूछ सकती है। भाषण नहीं दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके विभाग के द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा इस प्रकार के आदेश प्रसारित किये गये हैं कि जितने निरीक्षक हैं वे दुकानों का निरीक्षण नहीं करे, केवल विजिट करें। मुझे ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। यह अगर किया गया है तो क्यों किया गया है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी जवाब दें।

श्री चन्दनमल वैद : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो एक अजीब-सा सवाल है। जयपुर नगर की वितरण व्यवस्था के वारे में पूछा गया। मैंने विस्तार वार वताया कि किस किस सामग्री की जो कन्ट्रोल की दुकानें हैं और जिनका वितरण गवर्नमेंट के हाथों में है, उनकी उपलब्धि क्या है। अब यह सवाल पूछे कि तोलने वाला कहां बैठता है, क्या करता है, बैठता है कि नहीं बैठता तो 278 दुकानों का सवाल किया। अगर माननीय सदस्या यह बतायेंगी कि फलां दुकान नहीं चल रही है तो मैं आपको बराबर यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि उस पर कार्यवाही करूंगा और निश्चित रुप से उनके लाइसेन्स कैन्सिल करने की कार्यवाही करूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, 78 से भी अधिक दुकानें बन्द पड़ी हैं, जांच करा लें। ये तो आपको समाधान है। मैं आपके यहां---

श्री उपाध्यक्ष : आप उनके नाम लिख कर मन्त्री महोदय को दे दीजिए, जांज करा लेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : दुकान नं. 110, 120, 125 —

श्री उपाध्यक्ष : आप उनको लिस्ट बनाकर दीजिए । सवाल हो तो पूछ लें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : दुकान नं. 304, 305, 306, 307, 309, मान्यवर गांवों की दुकानों के नाम मैं गिना चुकी हूं, मैं लिस्ट दे दूंगी, ये दुकानें बन्द पड़ी हैं, इन पर कोई निरीक्षक नहीं पहुंचा है । न तफतीश की गयी है । मैं यह पूछना चाहूंगी कि यह कब खुलीं, कब बन्द हुई, क्यों खुलीं और क्यों नहीं खुलीं ।सामान वितरित क्यों नहीं करती हैं । एक तो आप अपने जिला प्रशासन से जानकारी प्राप्त करें कि दुकानों पर निरीक्षक क्यों नहीं पहुंचते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप आदेश नहीं दें । सवाल पूछिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं एक बात पूछना चाहूंगी कि क्या मन्त्री महोदय के द्वारा यह निर्णय लिया गया, क्या यह निश्चय किया गया कि 12 किलो अनाज प्रति उपभोक्ता को दिया जायेगा ? यही निश्चय है, बतायें ?

श्री चन्दन मल वैद : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई कम्पलसरी राशनिंग नहीं है । यह मैं सदन कई बार कह चुका हूं कि जितना अनाज हमें उपलब्ध होता है सारे स्टेट की स्थिति को देखते हुए उस अनाज को हम विभिन्न जिलों में वितरित करते हैं । फिर जिलाधीश महोदय अपने जिलों की स्थिति को देखते हुए अनाज का वितरण अपने जिले में करते हैं । कोई कम्पलसरी राशनिंग नहीं है । यह कम्पलसरी नहीं है कि हम 12 किलो अनाज दें और ऐसे वक्त में जब अनाज के अलावा बाजार में दूसरे अनाज, गेहूं और चावल और मोटा अनाज हमारे द्वारा दिये जाने वाले अनाज के भाव पर बाजार में उपलब्ध है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करती हूं, इन बन्द दुकानों के नाम का राशन का गेहूं जो मिला है, यह भी सारा बाजार में बिका है, इसका आपने ध्यान नहीं दिया है, इसका आपको ध्यान दिया जाना है । 12 किलो तो मिला नहीं है और आप कहते हैं कि दो तरह की व्यवस्था करेंगे । एक ओर तो 12 किलो की बात करते हैं दूसरी ओर आप 2 किलो भी जयपुर के नागरिकों को नहीं दे रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, समझने की कोशिश कीजिए । जब मन्त्री महोदय ने वक्तव्य दिया कि राशनिंग नहीं है तो ये सवाल नहीं उठता ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, एक बात कहना चाहूंगी कि ये जो बात कही जा रही है, आप तो कह रहे हैं कि मैं पूछूं प्रश्न । यह प्रश्न बड़ा विचारस्तवादी है और दो किलो की बात की जाती है और दो किलो भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा । मान्यवर, जो कोटा जनवरी का था, जिसके हिसाब से इन्होंने जनवरी-80 में दिया, वह सात हजार मैट्रिक टन उपलब्ध कराया था और अबकी बार तीन सौ दिया है तीन सौ में भी सारी दुकानों पर नहीं दिया है । मान्यवर, स्थिति तो यह उपस्थित होती है कि जयपुर के लिए एक तो कहते हैं कि जयपुर में राशन से गेहूं देंगे दूसरी और बाजार भाव पर कन्ट्रोल कर रहे हैं । बाजार में 210 रुपये के हिसाब से है ।

Page No.76

76

श्री उपाध्यक्ष : आपने तो माननीय सदस्या भाषण शुरू कर दिया । सवाल मालूम होता है खत्म हो गया। अब आप समाप्त कीजिए जल्दी ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, मेरी बात सुनिये, ये तो गेहूं ही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करिए जल्दी ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, समाप्त कैसे करूं, मैं बातें कहकर करूंगी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : मैं आज्ञा नहीं दूंगा, ऐसा भाषण करने की।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, चीनी के बारे में बतायें कि चीनी कितनी उपलब्ध करायी है, जयपुर को और जयपुर के गांवों को ?

श्री चन्दन मल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि इस महीने में 4 किलो गेहूं प्रति यूनिट आवंटित किया गया है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, कहा था, भाषण नहीं हो । चार किलो किसी राशनकार्ड पर मुझे एक पर भी चढ़ा दिखा दें, मान्यवर, चार किलो गेहूं भी चढ़ा दिखा दें मैं चुनौती देती हूं, मान्यवर मन्त्री महोदय को ।

श्री उपाध्यक्ष : आपने सवाल किया । सवाल का सवाल नहीं होता है ।

श्री चन्दनमल बैद : आप चुनौती देती हैं, आपके पास बहुत से रास्ते हैं । मैं जब कह रहा हूं कि चार किलो गेहूं प्रति यूनिट दिया जा रहा है, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप सप्लीमेन्ट्री ला सकती हैं और मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि अगले माह से यह बढ़ाकर 10 किलो प्रति यूनिट की जायगी। ज्यों ज्यों हमारे जयपुर की मात्रा बढ़ रही है, त्यों त्यों गेहूं अपने पास नहीं रखना है, हमें जनता में वितरित करना है । चीनी की बात कह रही हैं, मैं मानता हूं, इस बात को कि जनवरी और फरवरी में चीनी, चीनी मिलों से नहीं लायी जा सकी और मार्च में आ गयी। इसलिये मार्च के महीने में 800 ग्राम प्रति यूनिट के हिसाब से जयपुर शहर में बेची गयी ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, चीनी भी आपके माध्यम से कहना चाहूंगी, सब दुकानों पर वितरित नहीं की गयी और ग्रामीण क्षेत्रों में माननीय मन्त्री महोदय संशोधन करें अपने भाषण में कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्कुल वितरित नहीं की गयी। मेरे ग्रामीण क्षेत्र में चीनी भी वितरित नहीं की गयी।

श्री चन्दन मल बैद : जयपुर शहर की बात कही।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जयपुर शहर में ही जयपुर ग्रामीण है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, कोई कमेन्ट नहीं होगा। ये सवाल पूछना है तो दूसरे तरीके से आप पूछ सकती हैं। इस वक्त आप भाषण नहीं कर सकती हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, मिट्टी के तेल के बारे में 24 तारीख को एक आदेश निकला....

श्री चन्दनमल बैद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मिट्टी का तेल आसानी से उपलब्ध है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, जयपुर में।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं, मान्यवर, कहना चाहूंगी, आपने कहा 24 तारीख के आदेश में मिट्टी के तेल पर से हमने कन्ट्रोल हटा दिया गया है और स्थिति यह है कि 25 तारीख को एक आदेश और निकला है, जिला प्रशासन की ओर से, जिसमें यह कहा है कि राशनकार्ड पर ही मिट्टी का तेल मिलेगा। मैं कहना चाहूंगी कि दुकानों पर लोग बोतल लिए घूम रहे हैं जयपुर में। तेल उपलब्ध नहीं है। मान्यवर, आप परिस्थिति समझिये, आपके जिला प्रशासन की ओर से आपको मिसगाइड किया जा रहा है। तो जो शहर की स्थिति है, उपभोक्ता की स्थिति है उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं। ये दोनों आदेश मेरे पास है जो मुझे मिले हैं, वह मैं आपको प्रस्तुत कर सकती हूं।

श्री चन्दनमल बैद : मैं इस प्रश्न का जवाब दे दूं, जयपुर में माननीय सदस्या रहती हैं तो मैं भी जयपुर में रहता हूं और जयपुर में बराबर घूमता हूं, जयपुर शहर में आज के दिन मिट्टी के तेल की कोई तकलीफ नहीं है। आसानी से उपलब्ध है और 4 लीटर है, नहीं, कोई लेना चाहे तो एक हजार लीटर भी ले सकता है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, राशनकार्ड पर चढ़ाकर मिलता है। एक बात बहुत कही जाती है कि राशनकार्ड का तेल फ्री है, दो बातों के दो मायने हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, समाप्त कीजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : दो बातों में मतभेद है, मैं कहना चाहूंगी कि फ्री तेल और राशनकार्ड पर चढ़ा कर देते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, राशनकार्ड की बात हो रही है....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगी, राशनकार्ड पर चढ़ा कर देने की आपकी व्यवस्था है।

श्री उपाध्यक्ष : आप भाषण देना चाहती हैं जिसकी मैं अनुमति नहीं दे सकता।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं भाषण नहीं दे रही हूं, मैं जयपुर की राशनिंग व्यवस्था में केवल सुधार चाहती हूं कि जयपुर की राशनिंग व्यवस्था सुधारी जाय। मान्यवर, यह कोई तरीका नहीं है, मन्त्री महोदय का उत्तर देने का कि आज नोटिस में बात ला रहे हैं, उसकी जांच कराने के बारे में कुछ कह नहीं रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आपको इस वक्त मैंने अर्ज किया कि आपको

(श्री उपाध्यक्ष)

कोई शिकायत है या दुकानें बन्द हैं, उसकी सूची बनाकर मन्त्री महोदय को दे दें, उसकी जांच करा लेंगे । आपकी बात खत्म हो गयी ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : 1. निरीक्षक नहीं जाते हैं, 2. दुकानें बन्द पड़ी हैं, 3. फ्री सेल में तेल नहीं मिलता, 4. गेहूं की मात्रा सब दुकानों पर नहीं है, 5. चीनी सबको नहीं मिली । मैं कहना चाहूंगी हर दुकानदार परेशान है एक बाध्यता और लगा दी कि 2 किलो गेहूं लोगे तो 6 किलो आपको चावल कम्पलसरीली लेना पड़ेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : ये आप सोचिये कि आप सवाल कर रहां हैं या भाषण दे रही हैं । आप पढ़ी लिखी औरत हैं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं पूछना चाहूंगी मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करें, क्या आपने चावल की बाध्यता लगायी हुई है, 6 किलो चावल लेगा तब दो किलो गेहू दिया जायगा ?

श्री चन्दनमल बैद : चावल की कोई बाध्यता नहीं है, आप चाहें तो चावल लीजिए, आप चाहें तो गेहूं लीजिए, आप चाहें तो दोनों लीजिए और एक कार्ड के एक यूनिट पर मिल रहा है ।

श्री दाऊदयाल जोशी : क्या यह सही है कि यह सारे राजस्थान की स्थिति है ?

श्री चन्दन मल बैद : ये प्रश्न जयपुर शहर का है ।

श्री दाऊदयाल जोशी : जनवरी, फरवरी, मार्च में नहीं दिया गया, जयपुर में चूंकि विधानसभा चलती है जयपुर में, चूंकि हम सब लोग रहते हैं इसलिए आप ये करते हैं, इसलिए जयपुर में व्यवस्था है, कहीं भी गेहूं नहीं मिल रहा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, जो यहां पर अभी कहा मन्त्री महोदय की ओर से, मैं पूछना चाहती हूं कि····

श्री चन्दन मल बैद : कोटा से आने वाले सदस्य यह तो मानते हैं कि जयपुर की वितरण व्यवस्था ठीक है । यह तो मान गये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : बिलकुल ठीक नहीं है, ये बयानों में ठीक हो सकती है । क्या आपने रोस्टर प्रणाली तोड़कर गैस वितरण किया है, आम उपभोक्ता को गैस उपलब्ध नहीं करायी है ? मुझे बतायें कि जो अभी कोटा आया है, उसमें आपने रोस्टर प्रणाली तोड़ी है या नहीं ?

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कल बताया गया कि वी. आई. पी. के लिए, जिसमें एम. एल. एज. भी शामिल हैं, आउट आफ टर्न गैस देने का प्रावधान था यह भारत सरकार का आदेश था, मैंने कल ही आदेश जारी करवा दिये हैं, चाहे कोई भी हो, मिनिस्टर, एम. एल. ए. या एम. पी. हो, किसी को भी लाइन से बाहर, क्यू से बाहर गैस नहीं दी जायगी ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक बात और मान्यवर, वैसे मान गये हैं वह बात, मैं

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

माननीय मन्त्री महोदय से एक बात पूछना चाहती हूं...

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय मन्त्री महोदय क्या भारत सरकार के आदेश के कन्ट्राडिक्शन में ये आर्डर निकाल दिया है ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : वैरी स्पेसिफिक क्वेश्चन ।

श्री चन्दनमल बैद : भारत सरकार का सुझाव था ।

श्री उपाध्यक्ष : वे बहुत पढ़ी लिखी औरत हैं, समझदार हैं, उन्होंने सवाल कर लिया है इसलिए एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री चन्दन मल बैद : मेरे पूर्ववर्ती समझ गए हैं और मैं भी समझ गया हूं इसलिए वे भी समझ जायेंगी ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं यह अनुरोध करता हूं माननीय मन्त्री महोदय से कि यहां पर जैसे उन्होंने कह दिया कि यह प्रणाली तोड़ कर किसी को गैस नहीं दी जाएगी मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि लगातार....

श्री यदुनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला :....तीन महीने से जयपुर में गैस नहीं मिल रही है जबकि दिल्ली में बराबर मिल रही है, बराबर गैस उपलब्ध हो रही है । क्या मन्त्री महोदय इस बात की व्यवस्था करेंगे कि हमारे यहां पर जो गैस गुजरात से आती है, गुजराज से हमारा कनेक्शन है उसकी बजाय दिल्ली से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन किया जाए ताकि यहां आम उपभोक्ता को गैस उपलब्ध हो सके ?

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : मेरा पोइन्ट आफ आर्डर है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और बहुत ही परटीनेंट है जिसका हमेशा ख्याल रखा जाना चाहिए । अभी आपने जो समझदार औरत कहा है, मेरे ख्याल से इस तरह के शब्द नहीं कहने चाहिए । यह आपकी आदत है, उपाध्यक्ष महोदय, हम इसको मानते हैं लेकिन अगर आप उनको ...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने माननीय सदस्या को कहा है She is learned lady of this House.

श्री यदुनाथ सिंह : आनरेबल शब्द लगाया जाना चाहिए था । उनको बहुत बुरा लगा है ।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : उनको समझदार ही कहा है ।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

(व्यवधान)

मेरे प्रश्न का जवाब दिलावें ।

श्री चन्दनमल बैद : किशनपोल से वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा था....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। मान्यवर, इसी तरह से रोस्टर प्रणाली तोड़ दी गई है सीमेंट के अन्दर छः छः महीने से जो रजिस्टर्ड हैं उनको सीमेंट नहीं दिया जाकर, रोस्टर प्रणाली तोड़ कर जिला प्रशासन ने स्पेशल परमिट दिया है। क्या आप इसकी जांच करा सकेंगे ।

(व्यवधान)

जिला प्रशासन ने, रोस्टर प्रणाली सीमेंट में भी तोड़ दी है क्या आपको इसकी जानकारी है ? क्या आप इसकी जांच करायेंगे कि जिस तरह से रोस्टर प्रणाली को तोड़कर स्पेशल परमिट के आधार पर सीमेन्ट का वितरण किया गया है, वह किस आधार पर किया गया है ?

श्री चन्दनमल बैद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं और पुनः अर्ज करना चाहता हूं कि हम जिले में एक चीज का आवंटन करते हैं और उस जिले में वितरण का इन्तजाम अपने जिले के जिलाधीश अपनी स्थिति को देख कर करते हैं। उन्होंने रोस्टर प्रणाली को अगर कोई विशेष कार्य के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए तोड़ कर स्पेशल परमिट दिया है तो मैं समझता कि कोई गलत काम नहीं हुआ है। फिर भी मैं इसकी जानकारी कर लूंगा और जानकारी करके माननीय सदस्या को सूचना दे दूंगा ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दीजिए साहब ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्या आपको जानकारी है कि इसके लिए उन प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनी हुई है जिसके आधार पर सारे जिलों में जितना भी आवंटन होता है, उसका वितरण उनकी सलाह से कराया जाता है ? लेकिन जिलाधीश महोदय ने और विभागीय अधिकारियों ने मनमानी करके इसको बन्द कर दिया है। क्या आप इसके बारे में निर्णय करेंगे कि उस कमेटी का अधिकार क्षेत्र क्या रही है ?

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने गैस के बारे में कहा कि तीन तीन महीने से गैस नहीं मिल रहा है....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय मेरी बात का उत्तर दें ।

श्री चन्दनमल बैद : आपकी मनमानी का क्या उत्तर दूं। आप तो मनमानी खुद कर रही हैं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक कमेटी जन प्रतिनिधियों और वहां के लोगों से सलाह करके सारे सामान के वितरण के बारे में थी जिला प्रशासन ने उसको तोड़ कर इस तरह से मनमाने डिसीजन लिए हैं और इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि उस

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कमेटी का अस्तित्व खतम कर दिया है आपने या उसको कोई अधिकार नहीं है या इस तरह के विशेष अधिकार कलेक्टर को दिये हैं कि जिसको चाहे उसको दें, जिसको चाहें नहीं दें। इस तरह की क्या व्यवस्था है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या।

श्री चन्दनमल बैद : मैं कह चुका हूं कि अगर जिलाधीश चाहे और उचित समझे कि विशेष प्रयोजन के लिए रोस्टर प्रणाली को तोड़ कर सीमेन्ट देना जरूरी है तो दे सकता है और वह उचित है।

श्री उपाध्यक्ष : जो कमेटी बनी हुई है उसके बारे में पूछ रही हैं।

श्री चन्दन मल बैद : मैंने आपको आश्वासन दिया है कि इसकी जांच करके इसके बारे में आपको उत्तर दे दूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, बराबर गोलमाल उत्तर दे रहे हैं मन्त्री महोदया। यहां....

श्री श्रीराम गोटेवाला : मन्त्री महोदय खुद ही गोलमटोल नहीं हैं. ये गोलमाल कहां से उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आसन पांवों पर है। माननीय सदस्या, आप विराज जाइये। आसन पांवों पर है। श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं मंत्री जी।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, साहब।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरी अंतिम बात कहती हूं। कपड़े की व्यवस्था है, इसका उत्तर मन्त्री महोदय दें। इसके बारे में....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कितना कपड़ा किस व्यक्ति को देने की व्यवस्था है आपके यहां से ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये ताकि दूसरों को मौका दिया जावे। बस, आपको दे दिया।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं पहले मेरी बात कह दूं। क्या आप इस व्यवस्था से संतुष्ट हैं मन्त्री महोदय ?

श्री उपाध्यक्ष : आसन पांवों पर खड़ा है और आप बोले जा रही हैं। मर्यादा भंग तो मत कीजिए। श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय मन्त्री महोदय, यह आपकी जानकारी में है या नहीं कि सीमेंट जितना आज आपको चाहिए उतना बाजार में बढ़ी हुई कीमत में, हम जिसको ब्लैक की कीमत कहते हैं, उपलब्ध हो सकता है ? यह आम

(श्री भंवर लाल शर्मा)

बात है। इसका अर्थ यह हुआ कि सीमेन्ट की कमी नहीं है। सीमेन्ट जितना चाहिए अधिक कीमत देकर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा आपसे यह पूछना है कि जब सीमेन्ट अवेलेबल है, जब वह बढ़ी हुई अधिक कीमत पर मिल सकता है तो आप व्यवस्था सीमेंट उपलब्धि की क्यों नहीं करा सकते ?

श्री माधव सिंह दीवान : सीमेंट कहां मिल रहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप इसको पालिटिकल इश्यू मत बनाइये ।

(1. 37 म. प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

श्री चन्दन मल बैद : आप जवाब तो सुन लें।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं पहले मेरी बात तो कह दूं। नहीं तो फिर आप खड़े होंगे, मैं बैठूंगा।

श्री चन्दनमल बैद : मुझे कोई दिक्कत नहीं है बैठ कर खड़े होने में।

श्री श्रीराम गोटेवाला : स्वास्थ्य ठीक रहता है इनका।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह बात सत्य है, इसको आप चाहें स्वीकार करें या नहीं करें लेकिन यह बात सही है कि जितनी सीमेंट जिसको चाहिए उतनी सीमेंट बाजार में बढ़ी हुई कीमत पर उनको मिल सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि सीमेन्ट तो है लेकिन हमारी वितरण प्रणाली में ऐसा दोष है कि जिसके कारण ठीक कीमत पर उपलब्ध नहीं करा सकते। इसके बारे में कोई जानकारी की है या नहीं की ? व्यवस्था के बारे में कहां कमी है, इसका पता लगा कर ठीक करने का कोई इन्तजाम कर रहे हैं या नहीं ?

दूसरा यह है कि यह वितरण जैसा, आपने कहा कि गेहूं ठीक मिल रहा है, शक्कर ठीक मिल रही है, तेल ठीक मिल रहा है, इसकी चैकिंग की कोई व्यवस्था है या नहीं कि ठीक तरह से वितरण हो रहा है। इसकी जांच करके रिपोर्ट या ऐसी बात आप तक आती रहे जिससे आप संतुष्ट हों जावें कि वाकई यह बात बिलकुल ठीक है क्योंकि आपके हर उत्तर में यह बात आती है कि यह इन्तजाम तो जनता पार्टी खराब कर गई। अब इस बात का तो हम कोई जवाब नहीं दे सकते लेकिन आप तो इसको देख लें। इन बातों का उत्तर दे दीजिए आप।

श्री चन्दन मल बैद : सभापति महोदया, सीमेन्ट के बारे में आपने बात कही कि ब्लैक में सीमेंट मिलती है। सभानेत्री महोदया, यह बात सही है। मेरे पास भी ऐसी शिकायतें आई हैं कि ब्लैक में सीमेन्ट उपलब्ध हो जाती है। यह कन्ट्रोल प्रणाली का एक दोष है जो केवल राजस्थान में या जयपुर में ही नहीं बल्कि जहां जहां कन्ट्रोल प्रणाली चालू की जाती है वहां इस तरह का दोष उभर कर सामने आता है। कोशिश हमारी यह होनी चाहिए कि दोष कम से कम हो, जितना दबा सकें दबावें। मैं बराबर इस बात की कोशिश में हूं कि जो भी छिद्र रहते हैं, चाहे परमिट देने में, चाहे परिमिट लेकर जो जाते हैं और सीमेंट बेच देते हैं उसको कसने में।

(श्री चन्दनमल बैद)

मैं बराबर इस बात की कोशिश कर रहा हूं कि इस चीज को रोका जावे । मुझे पूरा भरोसा है जितनी भी आज गड़बड़ हो रही है, आवाजें आ रही हैं वह धीरे धीरे कम होंगी और इसमें सुधार होगा ।

दूसरी बात आपने वितरण व्यवस्था के बारे में कही । मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे इन्सपेक्टर बराबर घूमते रहते हैं और मैं भी बराबर डी. एस. ओ के मार्फत इस बात की जानकारी लेता रहता कि जो चीज वितरण हो रही है वह ठीक से हो रही है या नहीं । मैं केवल एक उदाहरण, माननीय सभानेत्री महोदया, देना चाहता हूं अभी होली के पहले चीनी आई थी । मुझे यह मालूम पड़ा कि एक दो डिपो पर....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने यहां पर बताया था।

श्री चन्दन मल बैद : गीली चीनी मिल रही है । मैंने उसी समय यह आदेश दिया कि अभी गीली चीनी जो भी आई है उसको रोक दिया जावे और उसका वितरण नहीं किया जावे । जो कुल 1219 बोरी गीली चीनी हमारे पास आई उसमें से 1045 बोरी गीली चीनी मैंने रोक दी । केवल 174 बोरी मुझे समाचार मिलने तक बंट चुकी थी वह बंट गई, आगे वितरण बन्द करवा दिया । तो हम वितरण व्यवस्था पर बराबर ध्यान रखते हैं कि गड़बड़ नहीं हो जावे । जो हमारे ध्यान में आता है उसको हम सुधारने की कोशिश करते हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मन्त्री महोदय का स्वागत करता हूं कि उन्होंने बड़ी बोल्डली स्वीकार किया कि सीमेंट का ब्लैक होता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि सीमेंट का ब्लैक रोकने के लिये आपने क्या कदम उठाये, यह जानकारी दे दें ?

श्री चन्दन मल बैद : सभापति महोदया, मैं बता चुका हूं हर स्टेज पर जागरूक रहने का, मशीनरी को चुस्त करने का, कसने का प्रयत्न किया जा रहा है । यह कहना कि आज हो रहा है, एक दो वर्ष पूर्व नहीं हो रहा था, यह गलत है । आज भी हो रहा है, पहले भी हो रहा था । हम जितनी मशीनरी को जितना कस सकते हैं चुस्त बना सकते हैं मेरी कोशिश है कि जितनी शिथिलता कम से कम कर सकूं, मिटा सकूं वह करूं । लेकिन यह कहना कि आज हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था, गलत है । इसको कसा जाय । सभापति महोदया, यह भी सही नहीं है कि केवल अधिकारी ही गड़बड़ करते हैं । कभी ऐसा भी होता है, मेरा छोटा-सा मकान है मैंने अपने कार्ड पर तीन बोरी सीमेंट ली । तीन बोरी सीमेंट 29 रुपये में लेकर मैं सोचता हूं कि 10 या 15 रुपये ज्यादा लेकर बेच दी तो मुझे तो एक दिन की मजदूरी मिल गई । ऐसा भी हो रहा है । ऐसे किस्से भी मुझे लोगों ने आकर बताये हैं । इस तरह से भी ब्लैक हो रहा है । मैं यह कोशिश कर रहा हूं दोनों दृष्टिकोण से जहां अधिकारी गड़बड़ करते हैं वहां पर, और जहां परमिट लाकर लोग सीमेंट बेच देते हैं, उनको किस तरीके से कसा जाये, चुस्त बनाया जाये इसकी मैं

(श्री चन्दन मल बैद)

सारी कोशिश कर रहा हूं । मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, मेरी हमेशा कोशिश रहेगी, जहां तक हो इस बुराई को रोका जाय ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदया, मैं केवल समझने के लिए पूछ रहा हूं । आप यह बता दें कि कौन-कौन से कदम उठाये हैं ? आप क्या करना चाहते हैं, यह तो आपने बता दिया पर जो आपकी इच्छा है, उसको पूरा करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं, इसकी जानकारी दे दीजिये । जो आप कोशिश कर रहे हैं यह निराकार बात समझ में नहीं आयगी । आप कस रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, यह कर देंगे वह कर देंगे, हमने यह किया वह किया, यह तो ठीक किया है ।

श्री चन्दन मल बैद : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, नतीजा आपके सामने आ जायगा । जिस तरह से आप कहेंगे चीनी कैसे ले आये, मैं कहता हूं रिजल्ट आपके सामने आ जायेगा । रिजल्ट देख लीजिये, आपको मालूम पड़ जायगा ।

श्री भंवरलाल शर्मा : भविष्यवाणी से विश्वास नहीं होगा ।

श्री चन्दन मल बैद : भविष्यवाणी नहीं है, सभापति महोदया ! मैं अपनी नीति के बारे में, जो एक्शन लेना चाहता हूं वह बताकर उन व्यापारियों उन अधिकारियों, जो ब्लैक कर रहे हैं, को सचेत नहीं कर देना चाहता हूं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां तो यह कह दीजिये, मैं नहीं बताना चाहता । चलिये देख लेंगे ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : स्पेशल परमिट दिये जाने का जो मैंने कहा····

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आपने पर्याप्त ध्यान आकर्षित कर दिया है मन्त्री महोदय का ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : स्पेशल परमिट जो दिये जा रहे हैं कलेक्टर की ओर से उसके कारण लीकेज है क्योंकि रोस्टर प्रणाली से तो दिये ही नहीं गये । जो स्पेशल परमिट दे रहे हैं, अपने चहेतों को, जिस-जिस को क्या उनको बन्द करायेंगे ? 6 महीने से वैसे ही वितरण नहीं है, सीमेंट का । कलेक्टर के माध्यम से है वह लीकेज आपके सामने है, उसको बन्द करेंगे ?

श्री चन्दन मल बैद : मैं बार बार जवाब दे चुका हूं । जिलाधीश को सारे जिले के अधिकार सौंपते हैं । अपने जिले में किस किस प्रयोजन के लिए किस-किस को सीमेंट देनी है यह उनको देने का अधिकार है । अगर आप यह समझती हैं कि किसी केस में गलत दिया गया है तो मैंने कहा आप बताइये, मैं जांच करा लूंगा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह लीकेज आपके सामने है, आपने खुद ने एडमिट किया है, मन्त्री महोदय । आपने कहा कि तीन कट्टे लिए, चार कट्टे लिए और बेच दिये । तो यह स्पेशल परमिट के माध्यम से जो····

श्री चन्दनमल बैद : मैंने कहा, जैसा आप फर्मा रही हैं, वह तो मुझे भी लोग आकर कहते हैं। जब तक मेरे सामने कानक्रीट केस पकड़ा नहीं जाये तो मैं किस को सजा दूं ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा कहना है, यह अव्यवस्था है इसमें आप सुधार करें।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, टोटल स्ट्रेंथ, कितने लोगों को स्पेशल परमिट दिये गये हैं ? क्या स्पेशल परमिट जो दिये गये हैं वह सार्वजनिक कार्य हेतु दिये गये हैं या किसी व्यक्ति विशेष को दिये गयें हैं ? और कितने दिये गये हैं ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदया, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तो मेरा था यह बीच में कहां से आ गये। सारा मामला गोलमोटल हो जायगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपको इसके बाद मौका दिया जा रहा है। माननीय कटारिया जी एक प्रश्न पूछ लें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : केवल दो प्रश्न ही हैं। एक तो आपने बताया जो टोटल यूनिट जयपुर में हैं वह 12 लाख पचास हजार है। अभी 81 की जनगणना हुई उसके हिसाब से जयपुर 10 लाख का शहर है। इसका मतलब फर्जी लोगों के नाम एन्ट्री कराकर, दुकानदारों ने फर्जी एन्ट्री करा रखी है। जिसके कारण और लोगों के नाम से रात-दिन सामान उठा लेते हैं और उसका ब्लैक करते हैं। पहला लीकेज तो इसको पकड़िये कि 12 लाख पचास हजार यूनिट कैसे हैं जब यहां की जनसंख्या 10 लाख के नजदीक की अवस्था को प्राप्त हुई है ? पहले जो बने हैं उन्हीं दुकानदारों ने गलत इंद्राज करा रखे हैं और वह स्वयं उठाकर ब्लैक करते हैं। एक तो यह है। दूसरा, पिछले तीन महीने से वितरण व्यवस्था अस्त-व्यस्त रही। इस अस्त व्यस्तता का कारण आप यह महसूस करते हैं कि सरकार की ढिलाई के कारण पिछले तीन महीनें से वितरण व्यवस्था तहस नहस हो गई। इसको आप स्वीकार करते हैं ?

श्री चन्दन मल बैद : सभापति महोदया, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं। एक तरफ तो हम इस बात की कोशिश करते हैं कि हर आदमी को सुलभता से राशन कार्ड मिल जाये। दूसरी तरफ हम यह कहना चाहते हैं कि जिन्होंने राशन कार्ड बनवा लिये उन सबकी पुलिस से जांच होनी चाहिये, किसने कितना राशन कार्ड बनाया है।

सभापति महोदया, आम आदमी की जरूरत की चीजों का सवाल है इसको मानवीय दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। अगर हम पुलिस के हर काम में इतनी सख्ती बरतें कि तुमने आदमियों का राशन कार्ड बनवाया, तुम्हारे यहां पांच आदमी हैं या चार हैं या 6 हैं, तुम्हारे यहां मेहमान था कि नहीं था, तुम्हारा नौकर था कि नहीं, माननीय सभापति महोदया, मैं कहूंगा कि

(श्री चन्दनमल बैद)

यह बहुत कठिन काम है और इसमें लोगों को बड़ी परेशानी होने वाली है। इस वास्ते मानवीय दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। 10-11 लाख की आबादी है। हमारे राशन कार्ड 12 लाख से ऊपर हैं। कुछ लोगों ने गलत लिखाये होंगे, मैं इस बात से इन्कार नहीं करता हूं। सभापति महोदया, इसको इतनी कड़ाई के साथ नहीं देखना चाहिये। क्योंकि फर्क कितना है? 10.50 लाख आबादी है, एक लाख का फर्क है, 10 प्रतिशत का फर्क है। ज्यादा फर्क नहीं है। इतना तो मानकर चलना पड़ेगा कि जितना सेंसस का फिगर आया है, उतने का उतना फिगर तो राशन कार्ड का आये, यह कोई सम्भव बात नहीं है।

श्री सभापति : माननीय मन्त्री महोदय, राशन कार्ड पर कन्ट्रोल रखना सरकार का काम है, उसकी जिम्मेदारी है।

श्री चन्दनमल बैद : मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं क्या आप इस बात की अनुमति दे रही हैं कि मैं कल ही पुलिस आफिसर को लगाकर, सारे अधिकारी लगाकर हर आदमी से इस बात की चेकिंग कराना शुरू कर दूं कि तुम्हारे घर में पांच आदमी थे, साढ़े पांच कैसे लिखा दिये, छः थे सात कैसे लिखा दिये? मैं समझता हूं यह भी एक बड़ा भारी काम होगा, बड़ी भारी परेशानी उठानी पड़ेगी। सारे माननीय सदस्य खुद कहेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, क्या परेशानी में डाल रहे हैं। इस बात को, माननीय सभापति महोदया, ज्यादा तूल देना जरूरी नहीं है। ठीक है, जहां नजर में आयगा, कुछ लोगों ने गलती की है उनके राशन कार्ड सुधारेंगे, आवश्यक कार्यवाही करेंगे लेकिन जनरल रूप से जांच करवायेंगे। सभापति महोदय, मैं समझता हूं आपको शासन का अनुभव रहा है, आप इस बात को महसूस करेंगी कि यह कोई अच्छी बात नहीं होगी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इस प्रकार से बने हुए राशन कार्ड कितने हैं? आप दुकानों की चैकिंग करायेंगे तो दुकानदार ने ऐसे फर्जी राशन कार्ड स्वयं बनाकर, डिपार्टमेंट से बनवाकर अपने पास रखते हैं, दुकानों की आप स्वयं चेकिंग करेंगे तो उनके पास 50-50, 100-100 राशनकार्ड एक्स्ट्रा मिलेंगे। मैं केवल जयपुर के लिए नहीं कह रहा हूं, सारे राजस्थान मे जितने राशन बेचने वाले हैं उन सब के पास 100-100, 50, 45, 60, 70 फर्जी कार्ड रहते हैं।

श्री चन्दन मल बैद : सभापति महोदया, मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री सभापति : आप एटरेंडम चैक करवा लीजिये।

श्री चन्दनमल बैद : उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मैं सारी जो राशन की दुकानें हैं उनकी चैकिंग करवा लूंगा।

श्री सभापति : सिम्पल चैकिंग करवा लीजिये। मन्त्री महोदय, पर्याप्त है।

श्री श्रीराम गोटेवाला, एक प्रश्न पूछें।

श्री हंसराज शर्मा : मैंने दो प्रश्न मन्त्री महोदय से पूछे थे, एक का भी जवाब नहीं आया। मैंने प्रश्न पूछा था, हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ सीमेंट की कितनी थी और उसमें से स्पेशल परमिट कितने दिये गये ? दूसरा, जो स्पेशल परमिट दिये गये वह सार्वजनिक कामों के लिए दिये गये हैं या व्यक्ति विशेष को दिये गये हैं ? यदि हां, तो कितने सार्वजनिक और कितने व्यक्ति विशेष को दिये गये हैं ? यह बताने में क्या दिक्कत है ?

श्री चन्दन मल बैद : सभापति महोदया, यह बहुत विस्तृत काम है। सारी चीजें के किस-किस को कितने परमिट दिये गये, इसके साथ यह भी सवाल शुरू होगा गेहूं के परमिट किस किस को दिये गये, कौन-कौन को गेहूं के राशन कार्ड....

श्री हंसराज शर्मा : मेरा सीमेंट का बता दीजिये। जो जिलाधीश ने दिये हैं। सारे राजस्थान की बात छोड़िये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरा तो काल अटेंशन था।

श्री सभापति : आपको मौका मिल चुका है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : कहां ? मेरा तो पहला ही मौका है, सभापति महोदया, मैं एक तो निवेदन करना चाहूंगा, मैंने एक प्रश्न पूछा था रसोई गैस के बारे में, उसका उत्तर दे दीजिए....

श्री चन्दन मल बैद : सभापति महोदया, रसोई गैस के बारे में अपने वक्तव्य में भी कह चुका हूं कि इसकी दिक्कत है। इस समय रसोई गैस की स्थिति यह है कि हमारे पास 23, 256 पंजीकृत लोग हैं और कुल रसोई गैस जो आ रही है वह है 13,666। सभापति महोदया, 13,666 में भी किसी तरह से काम चला रहे थे लेकिन कोईली में लेबर ट्रबल होने के कारण मार्च में हमारे पास कुल 2400 रसोई गैस आई और मैं सदन को आगाह कर देना चाहता हूं कि कोईली में लेबर ट्रबल जारी रही तो रसोई गैस की स्थिति इससे भी खराब होने वाली है, इससे सचेत रहना चाहिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदया, मैंने मंत्री जी को सुझाव दिया था कि आप इसको दिल्ली से जोड़ दें क्योंकि जो संकट है वह सारे देश में है। दिल्ली में रसोई गैस की आज....

श्री चन्दन मल बैद : दिल्ली में भी आज इसकी किल्लत है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : लेकिन मन्त्री महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि वहां 3–3 महीने से लोग क्यू में नहीं हैं और जयपुर में तीन महीने से लोग क्यू में खड़े हैं।

दूसरी बात, मैं आपसे कोयले के बारे में अनुरोध करना चाहता हूं। आपने अपने वक्तव्य में कहा कि 53 दूकानें यहां जयपुर शहर में जारी हैं। जो सरकारी वन विभाग का कोयले का डिपो है वह कोयले की एक मात्र दूकान बनीपार्क में है उसमें बराबर

(88)

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

भीड़ पड़ती है। हजारों की संख्या में लोग क्यू में खड़े रहते है। इसकी भी अलग से व्यवस्था करवायें।

तीसरी बात, दिल्ली और बम्बई जैसे शहरों में रसोई गैस की बुकिंग आज भी चालू है और आज भी नये कनेक्शन देने के लिये वहां पर केन्द्रीय मन्त्री महोदय ने पार्लियामेन्ट मे कहा है। मैं अनुरोध करूंगा आपके मार्फत मन्त्री जी से, उन्होंने जिस ढंग से डीजल की, कैरोसिन की व्यवस्था की है उसके लिए तो धन्यवाद देता हूं लेकिन मैं अनुरोध करूंगा आज इंटेलीजेंशिया क्लास, व्हाइट कालर क्लास जिसे कह लीजिये, उनके लिये 23 हजार गैस के कनेक्शन हैं। उनके लिये बहुत बड़ा संकट आ गया है। सभापति महोदया, आप स्वयं जानती हैं जिस महिला की आदत रसोई गैस पर रोटी बनाने की पड़ गई है आज उसे चूल्हा फूंकने में दिक्कत आती है। छाणों का सिस्टम जा चुका है।

तीसरी बात, कोयले की बहुत बड़ी दिक्कत है, जो मिल रहा है वह मंहगा मिल रहा है। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि क्या वे इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि दिल्ली में जिस प्रकार से व्यवस्था ठीक चलाई जा रही है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संक्षेप में।

श्री श्रीराम गोटेवाला : संक्षेप में ही पूछ रहा हूं। सभापति महोदया, दूसरा मैं कह रहा था कंट्रोल्ड कपड़े की दुकानों के बारे में। मन्त्री महोदय ने कहा है कि 23 दुकानें यहां पर सहकारी समितियों के माध्यम से जयपुर शहर में कपड़ा बेच रही हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि कभी इसकी व्यक्तिगत चैकिंग तो करवायें। यह गलत तथ्य दिये गये हैं। आम आदमी को यहां पर कपड़ा उपलब्ध नहीं हो रहा है, इसके बारे में जांच करवा लें।

तीसरी बात, गेहूं के बारे में आपने कहा। मुझे इसकी अधिकृत रूप से जानकारी है कि गोदामों में सड़ा हुआ गेहूं है। इसको दूकानदार लेते नहीं हैं या लेते हैं तो इसमें जो अच्छी बोरियां आती हैं वे बोरियां, क्योंकि बाजार में डिफरेंस है इसलिये बाजार में बिक जाती हैं और गेहूं आम आदमी को जिस रेट पर मिलना चाहिये वह नहीं मिल पा रहा है। इसके बारे में मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इसकी व्यवस्था ठीक करवायें।

एक बात कह कर मैं अपना प्रश्न समाप्त करूंगा। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जनवरी, फरवरी और मार्च के अंत में आपने चीनी वितरित की। तीन माह तक लोग तड़फते रहे। तो आपको जो कोटा अलॉट हुआ, आप उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सके उसमें जिन अधिकारियों की लापरवाही है उनके खिलाफ क्या कदम उठाने जा रहे हैं?

श्री सभापति : माननीय सदस्या एक प्रश्न पूछना चाहती हैं। उसके बाद सारों का एक साथ जवाब दे दें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदय, आप मेरे प्रश्नों को क्यों उलझा रहे हैं ?

श्री सभापति : समस्या उनकी वह ही होगी जो आपकी है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : वह तो आमेर की हैं। प्रश्न खाली जयपुर का है।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : सभापति महोदय, मैंने आमेर और जयपुर ही नहीं बल्कि सारे राजस्थान से सम्बन्धित खाद्यान्न समस्या के बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया था....

श्री सभापति : माननीय सदस्या, इसमें आपका नाम नहीं है।

सुश्री पुष्पा जैन : मुझे सुन लें। अध्यक्ष महोदय ने फर्मा दिया था कि इस पर कई स्थगन प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आ चुके हैं। इस विषय पर जब मन्त्री महोदय वक्तव्य दें तब आप भी बाल लें। आपकी इजाजत हो तो मैं....

श्री चन्दनमल बैद : सभापति महोदया, सारे राजस्थान के बारे में जवाब देने की स्थिति में इस समय नहीं हूं।

श्री सभापति : इसमें नाम तो आपका नहीं है। आप प्रश्न पूछ लीजिए उसका जवाब आपको दे देंगे।

सुश्री पुष्पा जैन : मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को इन सब खाद्यान्न-पदार्थों चीनी, खाद्य तेल, कंट्रोल का कपड़ा, सीमेंट डीजल, क्रूड आयल, मिट्टी का तेल आदि की जितनी मासिक आवश्यकता थी उतने केन्द्रीय सरकार ने उपलब्ध नहीं करवाये और जो केन्द्र सरकार से उपलब्ध हुए उसको राजस्थान उठाने में असमर्थ रहा, इसका क्या कारण है ? क्या यह सरकार की लापरवाही और अकर्मण्यता का नतीजा नहीं है ?

श्री चन्दनमल बैद : सभापति महोदय, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि मैं सारे राजस्थान का जवाब देने की स्थिति में नहीं हूं। मैं एक बात अर्ज कर देना चाहता हूं कि राष्ट्र में जिस चीज की कमी होती है उसके लिये सभी को थोडी थोडी तकलीफ उठानी पड़ती है। यह कभी नहीं हो सकता कि देश में चीनी की कमी है और हम भर-पेट चीनी खायें और दूसरे प्रदेश कहें कि कि चीनी मिली नहीं। बीच में मत बोलिये Let me have may say जब देश में चीनी की कमी है तब यह कहें कि राजस्थान में जितनी जरूरत है उतनी जरूरत को क्या केन्द्र सरकार पूरा कर रही है, तो यह सम्भव नहीं हो सकता, न डीजल के लिये संभव हो सकता है न कैरोसिन और गैस के लिये। जब देश में कमी होगी तो उस कमी को हर आदमी को हर प्रदेश को उठाना पड़ेगा, भुगतान पड़ेगा ...

एक माननीय सदस्य : आपको हटाना पड़ेगा।

श्री चन्दन मल बैद : और इसके लिये हम महसूस करते हैं, चाहते हैं कि जिस चीज की कमी है उसका उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। सभापति महोदया, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग गलत नीतियां अख्तियार कर लेते हैं उसका दण्ड देश को भुगतना पड़ता है। अभी दो तीन साल पहले हमारा जो गन्ना था उसको खेतों में जलाया जा रहा था, उसका पेरने का इंतजाम नहीं किया। तो जब किसानों ने खेतों में गन्ना जला दिया तो गन्ना खेतों में उगाना बन्द कर दिया, उसका नतीजा यह हुआ कि चीनी की कमी हो गई। इस कमी को ठीक करने के लिये जब तक खेतों में उतनी मात्रा में गन्ना उत्पादन नहीं किया जायेगा....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। माननीय मन्त्री महोदय,उनका प्रश्न सप्लाई में अनियमितता का है।

श्री चन्दन मल बैद : सभापति जी, उन्होंने पूछा था मुझसे कि भारत सरकार से पूरी मात्रा में उपलब्ध क्यों नहीं होते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? तो मुझे यह बताना जरूरी था। इस बात पर मुझे ऐसी बातें कहनी पड़ी जो मेरे सामने बैठे माननीय सदस्यों को थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्या, स्थान ग्रहण करें।

श्री राज बहादुर (भरतपुर) : सभापति महोदया, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि यह प्रश्न बहुत गम्भीर है, चीनी का हो चाहे गैस का हो—

(व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य, मुझे भरोसा है कि मार्च महीने की चीनी जरूर मिलेगी।

सुश्री पुष्पा जैन : मेरे सवाल को, माननीय मन्त्री महोदय, मैं समझती हूं कि जान बूझकर टाल रहे हैं या समझ नहीं पाये हैं।

श्री सभापति : मन्त्री महोदय ने कह दिया है कि अभी वह आपके प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदया, यह ठीक है, जवाब न दें तो कह दें कि जवाब देने में असमर्थ हैं। मैंने सवाल यह पूछा था कि राजस्थान की जनता के लिए जितनी आवश्यकता थी, केन्द्रीय सरकार उतना दे नहीं पाई, एक बात। दूसरी बात, केन्द्र सरकार ने जितना दिया, राजस्थान सरकार उतना उठा नहीं पाई।

श्री चन्दन मल बैद : प्रश्न नं० 1, जितना सामान सारे प्रदेशों को चाहिये उतना सामान भारत सरकार के पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पिछली सरकार ने गलत नीतियां अपनाईं जिनके कारण उत्पादन गिरा और उत्पादन गिरने के कारण सामग्री उपलब्ध नहीं हो रही है।

(श्री चन्दनमल बैद)

प्रश्न नम्बर 2····

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : यह सही नहीं है····

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : आप लोगों की नीति गलत होने के कारण ही यह हो रहा है····

सुश्री पुष्पा जैन : आप जैसे योग्य मन्त्री से ऐसे गोल–मोल जवाब की आशा नहीं थी····

श्री चन्दनमल बैद : कोई गोल--मोल जवाब नहीं है····

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है । माननीय सदस्य····

श्री दाऊदयाल जोशी : जनता शासन में ऐसा नहीं हुआ····

श्री सभापति : माननीय सदस्य····

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तीन साल में ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं थी किसी को परेशानी नहीं थी ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : हम माल छोड़ कर गये थे इसलिए परेशानी नहीं थी ····

श्री सभापति : माननीय सदस्य····

श्रीमती उजला अरोड़ा : आज सीमेन्ट के लिए परमिट लो, चीनी के लिये परमिट लो, हर चीज के लिए परमिट लेनी पड़ती है····

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन के साथ सहयोग करें····

श्री नाथूसिंह : एक प्रश्न···

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदया, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर आ जाये····

श्री सभापति : आपके तो सुझाव हैं । माननीय मन्त्री जी भूल गये होंगे ।

श्री चन्दन मल बैद : सभापति महोदया, किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछे हैं मैं उनका जवाब देना चाहता हूं···· ।

एक माननीय सदस्य : × × ×

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : एक प्रश्न करने की इजाजत दें····

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : वह × × × नहीं राष्ट्र की नेता हैं । आपको ठीक ढंग से ठीक शब्दों का प्रयोग करना चाहिये । आप अपने ऊपर कमाण्ड रखें ।

श्री सभापति : कृपया आसन को सम्बोधित करें ।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या यह सही है और मंत्री महोदय को जानकारी है कि जो भी सामान उठाया जाता है वह सीधा ब्लैक में बेच दिया जाता है ? क्या सरकार ऐसी एजेन्सी कायम करेगी कि जैसे ही सामान उठाया जाये वह सही स्थान पर पहुंच जाये ? अधिकतर पर्ची दी जाती है और उससे गड़बड़ी होती है। सीमेन्ट, सामान उठाने और पहुंचाने के बीच में ही उसका ब्लैक हो जाता है। क्या मंत्री महोदय कोई ऐसी एजेन्सी स्थापित करेंगे या ऐसा कोई तरीका निकालेंगे ताकि बीच में कोई गड़-बड़ी न हो, उसकी जांच हो सके और उस सामान को बीच में ही बेचते हुए पकड़ लिया जाये ? वह सीधा ही किसानों के पास पहुंचे, क्या आप ऐसी व्यवस्था करेंगे ? दूसरा, मेरा निवेदन यह है....

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह जयपुर शहर से सम्बन्धित नहीं है आपके गांवों में बिकता है। जयपुर शहर में ऐसा नहीं है....

(2.5 म.प.)

(**श्री अहमद बक्श सिंधी**, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : आप कोई प्रिज्यूम मत करिये।

श्री नाथूसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे जब शिकायत आती है तब ही कार्यवाही होती है, जांच की जाती है ? शिकायत होते ही व्यक्ति को पता लग जाता है कि मेरी शिकायत की गई है। इसलिये वह सतर्क हो जाता है और कागज वगैरह ठीक कर लेता है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, आप यह स्वीकार भी कर चुके हैं कि ब्लैक होता है, सीमेन्ट, चीनी सब चीजों का ब्लैक होता है लेकिन क्या आप इन पर कंट्रोल करेंगे और ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो आपके अधिकारी आफिस में बैठे हैं वे कभी कभी अचानक छापा मारकर, सारे रिकार्ड को जब्त करके ऐसी जांच करें महीने में, दो महीने में, पन्द्रह दिन में ? क्या आप ऐसी व्यवस्था करेंगे ?

इसके साथ ही साथ, मंत्री महोदय, आपने जानकारी दी है कि चीनी की कमी है क्योंकि गन्ने का उत्पादन नहीं हुआ परन्तु क्या आपको जानकारी है कि राजस्थान की जनता ने 20/–रुपये प्रति किलो की दर से चीनी खरीदी है ? क्या इसके लिये आपके पड़ोसी मंत्री महोदय जिम्मेदार नहीं हैं ? क्या आप इस चीनी काण्ड की जांच करेंगे?

श्री हंसराज शर्मा : मेरा एक प्रश्न है इसी से सम्बन्धित....

श्री चन्दन मल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जवाब दे रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने रसोई गैस के बारे में पूछा । मैं इस बारे में अर्ज करना चाहता हूं और पहले भी मैंने निवेदन किया है कि कोईली रिफाइनरी में लेबर ट्रबल है इसके कारण जयपुर, राजस्थान में ही नहीं बल्कि सारे उत्तरी हिस्से में गैस की कमी है । दिल्ली में भी रसोई गैस की किल्लत है । आपने कहा कि दिल्ली से इसको जोड़ा जाये परन्तु मैं समझता हूं कि उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है । मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि रसोई गैस की किल्लत कोईली में लेबर ट्रबल के कारण है । यह लेबर ट्रबल चलती रही तो और ज्यादा किल्लत हो सकती है । मैं इस सम्बन्ध में सदन के सदस्यों और सदन की मार्फत राजस्थान की जनता को यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि इसमें हमारे हाथ की कोई बात नहीं है । अगर लेबर ट्रबल हुई और ज्यादा बढ़ी तो रसोई गैस की सप्लाई नहीं हो सकेगी ।

दूसरी बात, नियंत्रित कपड़े की 23 दुकानें बताईं । अगर नहीं हैं तो मैं इसकी जांच कराऊंगा और वास्तव में 23 दुकानें नहीं हैं तो 23 दुकानें खुलवाऊंगा । कोयले के बारे में यह कहा गया है कि एक डिपो है । मैंने कहा कि 55 डिपो हैं । अगर कोयले के 55 डिपो नहीं हैं....

श्री श्रीराम गोटेवाला : वन विभाग का केवल एक डिपो है जिस पर अच्छा, बढ़िया और सस्ता कोयला मिलता है । वह मेरे इलाके में तो है परन्तु जयपुर शहर में उसके और कोई डिपो नहीं है....

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, अगर 55 डिपो नहीं हैं तो मैं देखूंगा 55 डिपो हैं या नहीं । कोयले के बारे में हमने महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं । उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से हम काम करना चाहते हैं, उसी तरह से सारा काम हो गया तो अगले महीनों में कोयले की आपने यहां पर कोई कमी नहीं रहेगी ।

चीनी के बारे में कहा गया कि जनवरी, फरवरी की चीनी नहीं मिली है । उपाध्यक्ष महोदय, ट्रकों से चीनी लाने की हमें अनुमति नहीं थी परन्तु हमने रिस्क ली और अब चीनी को ट्रक से ला रहे हैं । जनवरी, फरवरी की चीनी मार्च में बांटी जा चुकी है । आशा है कि मार्च-अप्रेल की चीनी अप्रेल महीने में बांट देंगे । इसमें किसी का कसूर नहीं है । आप देखेंगे की रोक के बावजूद हम ट्रक से चीनी ला रहे हैं । हम रिस्क लेकर जनता को चीनी लाकर दे रहे हैं । अगले महीने में राजस्थान में मार्च अप्रेल की चीनी बांट सकेंगे । अब एक सवाल यह पूछा गया....

श्री श्रीराम गोटेवाला : गेहूं की किस्म के बारे में भी पूछा था....

श्री चन्दन मल बैद : जो उपलब्ध है वह छांट कर ला सकते हैं । जो गेहूं हमारे देश का किसान पैदा करता है हमारे पास जो गेहूं गोदामों में है वही तो हम बेच सकते हैं । कोई घटिया अनाज नहीं दे रहे हैं

(श्री चन्दनमल बैद)

भण्डारों में जो है वही दे रहे है। हमारे देश के किसान जो अन्न पैदा कर रहे हैं वही भण्डारों में हं और वहां हम जनता को दे रहे हं। इसके अलावा हम क्या कर सकते है। अब एक....

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मै गेहूं की किस्म के बारे मे मन्त्री महोदय का जानकारी देना चाहता हूं आपके माध्यम से।

श्री उपाध्यक्ष : बाद मे दे दें।

(व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कही उधर से कि जनता पार्टी के राज में 213 रुपया बोरी चीनी मिली। तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ठीक बात है लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जब चीनी 213 रुपये में मिली तो फिर गन्ना किसी भाव में लिया गया? सस्ता लिया और सस्ता गन्ना लेंगे तो फिर कौन गन्ना बोयेगा? यही तो गलती रही जिसके कारण आज ये दुःख देखने पड़ रहे हैं। इसलिये तो जनता ने पांच साल के बजाय तीन साल में ही वापस भेज दिया।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। चर्चा समाप्त हुयी।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। कृपया बैठ जाइये।

एक माननीय सदस्य : चीनी तो बहुत है पर जमा कर रखी है जिसके कारण से भाव बढ़ रहे हैं।

श्री नाथू सिंह : मैंने जो कुछ पूछा है उसका जवाब दे दें....

श्री उपाध्यक्ष : आप विराज जायें।

श्री हंसराज शर्मा : मुझे इजाजत दें, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसी आशा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पांव पर खड़ा है। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर, मन्त्री महोदय। बांसवाड़ा जिले में निर्मित होने वाले माही नदी के पुल पर गत 26 मार्च, 1981 को एक वजनी गार्डर लॉचिंग टेस से नीचे गिर जाने से नौ व्यक्तियों की मृत्यु एवं अन्य छः व्यक्तियों के घायल हो जाने के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इस समय आप जयपुर के बारे में आदेश....

(व्यवधान)

श्री हंसराज शर्मा : मैं आपके आदेश की पालना कर रहा हूं। एक प्रश्न पूछने की इजाजत चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे खेद है मैं आपको इस समय समय नहीं दे सकता हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, बात यह है कि बिना जिला प्रशासन के....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने अनुमति दी नहीं और आप शुरू हो गईं....

(व्यवधान)

माननीय सस्दय, स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरी बात सुनें। मैं इसमें यह व्यवस्था....

श्री उपाध्यक्ष : और भी कई तरीके हैं पूछने के उनके द्वारा पूछ लें।

श्री हंसराज शर्मा : पैसे के अभाव में चीनी नहीं उठा सके। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि पैसे के अभाव में कितनी चीनी नहीं उठा सके?

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है। माननीय, सदस्य कृपया ध्यान दीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने इसलिये स्पेशली पूछा था कि निरीक्षकों के आपने निरीक्षण के अधिकार बंद कर दिये हैं ---

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आसन पांवों पर है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं पूछ सकती हूं। मैं भी खड़ी हूं।

श्री रतनलाल ताम्बी : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न का अवसर दें...

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, मुझे एक प्रश्न....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आपने पहले ही बहुत समय ले लिया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : व्यवस्था सुधार की बात थी वह गन्ने और प्याज में फंस गयी इसका उत्तर दिलवाना बहुत जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष : सभी सवाल जरूरी होते हैं कौनसा गैर जरूरी होता है? माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। आसन पैरों पर हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, यह प्रश्न बहुत जरूरी है आप बहुत ही दयाशील हैं....

(व्यवधान)

मैं कहती हूं कि आप निश्चित रूप से मुझे अवसर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं होगा अब। क्या फायदा है?

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, स्थान ग्रहण करें। आसन पैरों पर है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या आप मर्यादा का ध्यान करें। मुझे बाध्य न करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो।

मुझे मजबूर होकर नाम से पुकारना पड़ेगा।

श्री चन्दनमल बैद : 800 ग्राम चीनी आपने स्वयं अपने राशन कार्ड से उठाई है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : निरीक्षण करने का अधिकार आपने वापस ले लिया है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप बैठ जायें तो मैं अपनी बात कह दूं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप तो अनुमति दे रहे थे। मैं इसलिये ही तो बैठी थी।

श्री उपाध्यक्ष : आपने काफी टाइम ले लिया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : निरीक्षण के बारे में आप कह दें।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था तो **सुधारनी पड़ेगी** इनको।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने कह दिया व्यवस्था हो जायेगी आप भी जयपुर में ही हैं।

श्री महाराम चौधरी : शहरों में तो व्यवस्था सुधर जाती है लेकिन गांवों में....

श्री हंसराज शर्मा : मुझे तो इजाजत है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

बांसवाड़ा जिले में माही नदी के पुल पर हुई दुर्घटना !

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : बांसवाड़ा से रतलाम सड़क पर किलोमीटर 9 व 10 के बीच अभी माही नदी पर कम ऊंचाई का काज वे बना हुआ है। माही नदी के ऊपर माही बांध बनाया जा रहा है जो कि इस काज वे से थोड़ी दूर पर है। बांध पूरा बन जाने व पानी भर जाने के बाद में यह काज वे और इसके आस पास की सड़क काफी दूरी तक पानी में डूब जायेगी और उससे रतलाम जाने का मार्ग कट जायेगा। इस स्थिति को बचाने के लिये इस स्थान पर सन् 1977 के मध्य एक काफी ऊंचा पुल बनाने की स्वीकृति दी गई तथा उस पर 166.10 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई। इस पुल की दूरी बांसवाड़ा से नये अलाइनमेंट के अनुसार 16 किलोमीटर है। पुल बनाने का काम मैसर्स गेमन इंडिया लिमिटेड को दिया गया है जो कि देश की एक उच्च प्रशस्ति प्राप्त फर्म है जिसको ऐसे पुल बनाने का काफी अनुभव है।

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

दिनांक 26-3-81 को लांचिग टेस के द्वारा एक गर्डर बनाया जा रहा था लेकिन गर्डर को उसके सही स्थान पर रखते समय गर्डर नदी के तल में लगभग 50 फीट गिर गया। इसके साथ ही लगभग 10 लाख रुपये की कीमत का लांचिग टेस का पूर्णतः नुकसान हो गया। यह वाकया 26-3-81 को सायंकाल 5 बजकर 45 मिनट का है। इसमें मैसर्स गेमन इंडिया लिमिटेड के 15 व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हुए। जिसमें से 8 व्यक्ति मर गये तथा एक व्यक्ति अस्पताल में जाने के बाद मर गया। चार व्यक्ति घायल हैं और अभी तक अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें से एक व्यक्ति के फ्रेक्चर हो गया किन्तु चारों की स्थिति खतरे से बाहर है। मृतकों में से 3 व्यक्ति केरल के थे, एक पंजाब का था और 3 उत्तर प्रदेश तथा बिहार के थे। इन व्यक्तियों में 3 फोरमैन, 1 सुपरवाइजर तथा 5 खलासी थे।

मैसर्स गेमन इंडिया लिमिटेड ने मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को 5000 रुपये का ड्राफ्ट अन्तरिम राहत के रूप में दिनांक 28-3-81 को भेज दिया तथा घायलों को 1500 रुपये नकद अन्तरिम राहत के रूप में दे दिये। उपरोक्त सभी कर्मचारियों का मैसर्स गेमन इंडिया लि० कम्पनी द्वारा बीमा करवाया हुआ है अतः बीमे की धन राशि भी उनको अथवा मृतकों के वारिसों को नियमानुसार मिल जावेगी। यह राशि वर्कमैन कम्पेन्सेशन एक्ट द्वारा निर्धारित राशि के अनुकूल होगी।

मैसर्स गेमन इंडिया लिमिटेड को राज्य सरकार द्वारा ठेकों की शर्तों के अनुसार ही किये जाने वाले काम का चुकारा दिया जा सकेगा। गर्डर जिसकी कीमत लगभग 90 हजार रुपये हैं उसका खर्चा मैसर्स गेमन इंडिया लिमिटेड को ही उठाना पड़ेगा। इसी तरह से लांचिग टेस भी कम्पनी की प्रोपर्टी थी उसका खर्चा भी वे ही उठायेंगे। मृतकों व घायलों को निगम के अन्तर्गत जो भी मुआवजा अथवा राहत दी जाती है उसकी भी पूर्ण जिम्मेदारी कम्पनी की है।

राज्य सरकार ने उपरोक्त मुआवजा तथा अन्तरिम राहत दिलवाने के बारे में कम्पनी को पूरी तरह से जोर देकर समय पर कार्य करवाया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने इस दुर्घटना की पूर्णतः जांच कराने व उत्तरदायित्व कायम करने के लिये एक जांच कमेटी का गठन किया है जिसके सदस्य निम्नलिखित हैं :—

(1) श्री जे. एम. मल्होत्रा, चेयरमैन

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

एवं मैनेजिंग डायरेक्टर राजस्थान राज्य पुल निगम, अध्यक्ष ।

(2) श्री ज्ञान चन्दानी, चीफ इन्जीनियर, माही प्रोजेक्ट, सदस्य ।

(3) जिलाधीश बाँसवाड़ा, सदस्य ।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने यह भी निर्देश दिये हैं कि जब तक जांच कमेटी मौके पर जाकर मौका मुआयना न कर ले तब तक मौके के हालत में किसी भी तरह से तब्दीली नहीं की जावें ।

जिला पुलिस ने दफा 174 सी आर० पी० सी० के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया है जिससे कि यह जाना जा सके कि इसमे मरने के कारण क्या हैं । जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के पश्चात् पुलिस कार्यवाही यदि आवश्यक हुई तो उक्त रिपोर्ट के अनुसार करा ली जावेगी ।

मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, भवन व पथ दिनांक 29-5-81 को मौके पर जा आये हैं और उन्होंने वहां पर आवश्यक निर्देश दे दिये हैं । घायलों के इलाज की भी सुव्यवस्था कर दी गई है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी अब दो एक सवाल करेंगे ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में मंत्री महोदय से कुछ कहना चाहूंगा । उस कम्पनी में....

श्री उपाध्यक्ष : आपको बाद में समय दे देंगे ।

श्री रतन लाल ताम्बी : उपाध्यक्ष महोदय, दो तीन सवाल मैं....

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में कुछ जानना चाहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : आपको बाद में अवसर दिया जायगा ।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जो असल और मूल मुद्दा था उस पर जांच कमेटी की घोषणा की और सहायता के लिए कदम उठाया उसके लिये तो आभार व्यक्त करता हूं किन्तु दो-तीन प्रश्न उनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा । सबसे पहली बात तो यह जो क्रेन है, इसकी क्षमता क्या है, और क्या वह इस क्षमता के अनुसार थी ? क्या तकनीकी दृष्टि से उसका परीक्षण कर लिया गया था कि वह उपयुक्त है या नहीं ? इसके साथ साथ इसका परीक्षण इन दिनों में भी कभी हुआ था ? जब से आई वैसी ही काम करती चली आई । गिर जाने का कारण क्या है ? यह सब बातें ऐसी हैं जो जांच के समय स्पष्ट होंगी ? इसके साथ साथ टेक्निकल दृष्टि से जो क्रेन के विशेषज्ञ हैं जब तक वे अनुमान नहीं लगा लेते जब तक जांच कमेटी केवल जिलाधीश, चीफ इन्जीनियर और कारपोरेशन के चेयरमैन की है, जहां तक मैं समझता हूं, स्पष्ट स्थिति सामने नहीं आयेगी । इस दृष्टि से इसकी क्षमता कितनी है, गिर जाने का

(श्री रतनलाल ताम्बी)

कारण, सारी की सारी बातों की टेक्निकल विशेषज्ञों द्वारा जब तक जांच नहीं होगी, मैं समझता हूं सारी बात सामने नहीं आने वाली है। इसलिए माननीय मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए अवगत कराने का कष्ट करें।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया यह कम्पनी हिन्दुस्तान भर में विख्यात है। देश के बाहर भी यह कम्पनी कान्ट्रेक्ट लेती है। अभी भी उसके पास काफी काम है। यह बात कही गई कि मशीन काफी काम कर चुकी है, काम करते करते यह दुर्घटना हुई है। पहली बार गर्डर रखने का काम मशीन का नहीं था। पहले भी वह गर्डर रख चुकी थी। अब दुर्घटना क्यों हुई, कैसे हुई-इसकी जांच करने के लिए राजस्थान में जो भी विशेषज्ञ उपलब्ध हैं पुल निगम हैं उसके चेयरमैन और मैनेजिंग डाइरेक्टर हैं उनको रखा है, उसी तरह से टेक्निकल दृष्टि से चीफ इन्जीनियर माही प्रोजक्ट, मैं समझता हूं काफी उपयुक्त हैं, लोकल दृष्टि से बांसवाड़ा के कलेक्टर को रखा गया है। राजस्थान में जो भी अच्छे जानकार अवेलेबल है टेक्निकल और दूसरी दृष्टि से उनकी एक समिति है जिसमें दो चीफ इन्जीनियर, पुल विभाग से सम्बन्धित हैं एक माही डेम, जो पास में पड़ता है, हिसाब से रखा है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, सभी दृष्टिकोण से जानकारी करने की कोशिश की गई है और जो भी स्थिति है वह स्थिति बनाये रखने के लिए आदेश दे दिये हैं। जब तक जांच नहीं हो जाय तब तक उसमें परिवर्तन नहीं किया जाय। यह सारी जानकारी प्राप्त की गई। कम्पनी के अधिकारी भी स्थिति को देखने के लिए मौके पर पहुंच गये हैं, वे भी सारी व्यवस्था में लगे हुए हैं, यह घटना कैसे हुई। जैसा मैंने आपसे कहा, इसकी कीमत 90 लाख रुपये की है। 10 लाख के करीब नुकसान हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि कम्पनी वाले नोटिस नहीं ले रहे हैं। जो भी कम्पेन्सेशन देना है उससे मुकरने वाली बात नहीं है। तत्काल उन्होंने पांच-पांच हजार रुपये दे दिये। उन्होंने कहा कि जो भी लेबर कम्पेन्सेशन एक्ट के हिसाब से देना होगा वह हम देंगे। यह सारी बात है, घटना हो गई, हमारी संवेदना उनके साथ है। मैं तो इतना ही आपसे कह सकता हूं, राजस्थान में अच्छे लोगों की समिति बनाई गई है उनकी रिपोर्ट आने पर इन सारे प्रश्नों पर विचार किया जा सकेगा कि दुर्घटना कैसे हुई, क्यों हुई ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री बहादुर सिंह !

श्री रतनलाल ताम्बी : नहीं, मैं दो-तीन सवाल पूछना चाहता हूं। मशीन काफी दिनों से प्रयोग में आ रही थी और कई बार गर्डर रख चुकी थी। मन्त्री महोदय, यह बताने की कृपा करें कि पहले जो गर्डर चढ़ाये गये थे क्या वे भी इतने ही वजन के थे और इतने लम्बे गर्डर थे ? दूसरा सवाल मेरा यह है कि जो राजस्थान में आपके पास उपयुक्त जानकार हो सकते थे वह आपने लगा दिये। मेरा आपसे कहना यह है कि

(श्री रतनलाल ताम्बी)

आपने तीनों व्यक्ति नियुक्त किये वे इस कार्य में दक्षता नहीं रखते हैं और न तकनीकी दृष्टि से जानकारी रखते हैं। इसलिए क्या इसके लिए भारत सरकार से डेपुटेशन पर विशेषज्ञ लेने का प्रयत्न कर सकते हैं? इस बारे में आप सोच सकते हैं क्योंकि तीनों व्यक्ति, जो आपने बताये, इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं रखते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। बहादुर सिंह के बाद में।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो क्रेन टूटी या कोई पार्ट गिर गया था, क्या अधिकारियों ने इससे पहले उसकी जांच कर ली थी? जितने वजन का गर्डर था उस गर्डर को वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था मशीन के द्वारा की गई थी, क्या उस मशीन पर भरोसा कर लिया गया था या नहीं कि वह इतना वजन उठा सकती है या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय इसका उत्तर दें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग मर गये....

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : सबका एक साथ देंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी कुछ दिन पहले उस पुल को देखा था। वैसे उनकी जो टेक्निक थी काफी अच्छी थी उन्होंने काफी प्रयत्न किया। लेकिन जो लोग मरे हैं वे हमारे प्रदेश के न होकर दूसरे प्रदेशों के हैं। दूसरे प्रदेशों के मन में यह नहीं आवे, राजस्थान सरकार ने अपनी तरफ से झटक दिये। कम्पनी को आपने मजबूर किया कम्पेन्सेशन देने के लिए और जो भी कम्पेन्सेशन लेबर कोर्ट से बनेगा वह भी वे देंगे, देने में सक्षम हैं, निश्चित रूप से देंगे, छोटी-मोटी कम्पनी नहीं है लेकिन दूसरे प्रदेशों के लोगों के मन में यह न लगे कि राजस्थान की सरकार ने कुछ नहीं किया मैं आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि सरकार की ओर से निश्चित रूप से उन लोगों, जो इस प्रकार जोखिम का काम करते हैं, जो प्रयत्न करके राजस्थान में इस तरह का पहला पुल बना रहे हैं, प्रोत्साहित करना चाहिये, उनको निरुत्साहित नहीं करना चाहिये। राज्य सरकार भी मृतकों के परिवारों को निश्चित रूप से सहायता देने की घोषणा करे। खराबी क्या थी? पहले भी उसमें गर्डर चढ़ाये जा चुके हैं। हमारी बेइज्जती बिहार में न हो, उत्तर प्रदेश में न हो। राजस्थान सरकार ने इस बारे में बिलकुल अनदेखी की।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है माही का और जहां कहीं भी इस तरह के मोह काते हैं वहां पर सुरक्षा की पूरी व्यवस्था

Page No.101

(93)

(श्री मेघराज तावड़)

की जाती है। क्या इस प्रोजेक्ट में सुरक्षा के लिए पहले से कोई प्रबन्ध था ? यदि था, तो यह दुर्घटना कैसे हुई ? और नहीं था तो क्या सरकार भविष्य में इस प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था रखेगी ?

श्री बहादुरसिंह : मेरा प्रश्न यह है कि जो कमेटी बनाई गई है उस के द्वारा काम की जांच करने के बाद काम शुरू किया जायगा या काम जारी है ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर ध्यान खींचा है। मैं इस ओर माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित कर दूंगा। जैसा उन्होंने स्वयं ने स्वीकार किया है, कम्पनी काफी अनुभवी है और पहले भी पुल पर गर्डर रख चुकी है दुर्घटना जो होती है वह इसी प्रकार होती है। पहले से कोई पुर्जा निकल गया था या नहीं। वह तो वहां तक पहुंच गई थी, गर्डर को रखने वाली थी उस समय दुर्घटना हुई। अगर पुर्जा निकल गया था या पहले से खराब थी तो वहां तक पहुंचने का सवाल ही नहीं है। इसलिए पहले से खराब थी या नहीं, यह बात जांच करने की है। जैसा कि आपने कहा काम शुरू करने का, जहां तक उसका सवाल है, उसकी जांच जब तक नहीं होगी तब तक उसको स्थगित रखा जायगा। बाकी के भाग में काम नहीं रोका जा सकता है क्योंकि सदन की जानकारी के लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं यह पुल 79 में पूरा होना था होते-होते 81 आ गया है। संक्षेप में मैं यह भी कहना चाहता हूं शायद इस घटना की वजह से और समय लग जायगा। अगर हमने केवल इसकी जानकारी की वजह से इस काम को डिले किया तो और विलम्ब होने की बात है, क्योंकि अगर माही का पानी आ गया तो रास्ता अवरुद्ध हो जाने वाला है। जहां तकनीकी जांच का सवाल है, कमेटी बनाई है। इस सम्बन्ध में मैं इतना ही कह सकता हूं कि कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए उसके बाद यदि ऐसे प्रश्न उपस्थित होते हैं जिनकी अग्रिम जांच करवाई जानी चाहिए, विशेषज्ञों से उसमें जांच कराने का प्रश्न पैदा होता है तो देख लेंगे वरना आज ही कमेटी बना दें, उसमें राजस्थान के बाहर के लोगों को लाकर बिठा दें तो उसका परिणाम क्या होगा ? दुर्घटना हुई, दुर्घटना किन कारणों से हुई है उसके लिए अलग से विचार किया जा सकेगा। संयोग से कल ऐसा होगा जिसके कारण घटना हो गई तो उसका आधार दूसरा होगा। इसलिए मैंने कहा, सारे के सारे प्रश्न पर निश्चित रूप से विचार होगा। पर इसमें हम लम्बा नहीं जाना चाहते क्योंकि 1979 होते होते 1981 हो गया। जैसे इंजीनियर्स ने बताया, शायद इसके कारण एक साल और देरी हो जायगी। तो आखिर बहुत देरी हो जाने की सम्भावना होती जा रही है इसलिये काम रोकने वाली बात नहीं है। कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए।

उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

ने एक बात कही। मैं उनकी भावना से सहमत हूं क्योंकि ये प्रांत के बाहर के लोग हैं, राजस्थान को इस संबंध में सोचना चाहिए, मैं मुख्य मन्त्री से चर्चा करूंगा। मैं इतना ही कह सकता हूं कि यह कम्पनी स्वयं अपने आप में इतनी सक्षम है कि यह अपने कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा की दृष्टि से जागरुक है और यही कारण है कि कम्पेन्सेशन एक्ट के हिसाब से जितना उसको देना पड़ता है और जितने लोग काम करने वाले हैं, टेक्निशियन्स हैं वे सब इन्शोयर्ड हैं। उसके बावजूद 5–5 हजार तत्काल बिना हिचक के दिये, दवाइयों की बात की, उसके बाद खुद पहुंच गए। यह तत्परता इस बात को साबित करती है कि जो कम्पनी चलाने वाले लोग हैं वे सब इस घटना को दुखद घटना मानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री मेघराज तावड़ : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैंने मन्त्री से पूछा था कि क्या सुरक्षा की कोई व्यवस्था की गई थी? बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जैसे माइन्स में सुरक्षा की व्यवस्था होती है तो इतने बड़े प्रोजेक्ट में मजदूरों की सुरक्षा की व्यवस्था थी? और यदि नहीं थी तो आइन्दा सरकार ऐसे बड़े प्रोजेक्ट में मजदूरों की सुरक्षा के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम उठाएगी?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : इसकी जानकारी मुझे अभी तो नहीं है।

श्री मेघराज तावड़ : भविष्य में इसकी व्यवस्था करना चाहेंगे?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने जो जांच कमेटी बनाई है उसमें दो तकनीकी व्यक्ति हैं। एक चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट और एक चीफ इंजीनियर इर्रिगेशन। मेरा निवेदन है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से अगर कलेक्टर और बांसवाड़ा के माननीय विधायक को उनके साथ लगा दिया जाय तो केवल तकनीकी जांच न हो जायें और भी तथ्य सामने आ जाये, उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। सारे फैक्ट्स इसमें माननीय सदस्य ने रखे हैं। दो सदस्य, बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य और वहां के कलेक्टर को लें क्योंकि एडमिनिस्टेशन व पब्लिक से संबंध रखते हैं। लेकिन बहुत जल्दी इन्क्वायरी हो तो तथ्य सामने जायेंगे।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : जिला धीश इसमें सदस्य हैं। मैंने तीन आदमियों के नाम बोले। आपने विधायक का सुझाव दिया है इस पर विचार किया जायेगा।

श्री रतनलाल ताम्बी : इसमें स्थानीय विधायक भी शामिल किया जाय, यह सुझाव है।

समिति का प्रतिवेदन

नियम समिति के प्रथम प्रतिवेदन के सम्बन्ध में अन्तिम प्रतिवेदन पर विचार एवं सहमति

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। श्री हरिदेव जोशी, संयोजक, उप समिति, नियम 1980-81 प्रस्ताव करेंगे कि नियम समिति 1980-81 के प्रथम प्रतिवेदन के सबंध में अन्तिम प्रतिवेदन पर विचार किया जाय।

श्री चन्दनमल बैद (शिक्षा मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम समिति 1980-81 के प्रथम प्रतिवेदन के सम्बन्ध में अंतिम प्रतिवेदन पर विचार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : कोई माननीय सदस्य विचार प्रकट करना चाहेंगे ?

श्री राजबहादुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : माननीय सदस्य स्वयं इस कमेटी के सदस्य रहे हैं, इसलिए आपको अधिकार नहीं है बोलने का।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : ऐसा कोई नियम तो नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह प्रेक्टिस रही है।

श्री राजबहादुर : मैं नियमों के बाहर नहीं जाऊंगा।

श्री चन्दनमल बैद : तो फिर क्या फायदा ?

श्री राजबहादुर : मैं आश्वासन सरकार से चाहता हूं क्योंकि जो तत्कालीन सदस्य थे नियम समिति के, आज उन्होंने मन्त्री के रूप में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, वह बात दूसरी है लेकिन मैं चाहता हूं कि जो इस प्रतिवेदन परिशिष्ट 1 में 6 (1) पेज 3 पर है उसको सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया जावे। समिति ने इस प्रकार कहा है : "संविधान में यह व्यवस्था है कि विधान सभा के दो सत्रों के बीच का अन्तराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ दुर्भाग्य से पिछले कुछ समय से इस प्रकार का ले लिया गया है जिससे विधान सभा का सत्र अनिवार्य होने पर ही बुलाया जाता है और प्राय: एक वर्ष में दो से अधिक सत्र नहीं होते हैं। किन्तु जैसा कि उप समिति द्वारा दिये गये सुझावों में अन्तर्निहित भावना से प्रकट होगा, यह आवश्यक है कि विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए विधान सभा की अधिकाधिक बैठकें हों और वर्ष भर में कम से कम 3 सत्र हों। इन सत्रों में से वर्ष का पहला सत्र बजट सत्र हो जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से प्रारम्भ हो, दूसरे सत्र में आवश्यक विधायी एवं अन्य कार्य किया जाये व तीसरे सत्र में राजकीय उपक्रमों आदि के कार्यकरण, प्रतिवेदनों आदि पर विचार विमर्श हो। ऐसा करने से सदस्यों को महत्वपूर्ण जन समस्याओं एवं लोक-हित के प्रश्नों पर अधिकाधिक विचार करने का अवसर मिलेगा जिससे अन्ततोगत्वा राज्य सरकार को भी अपनी छवि सुधारने का अवसर मिलेगा।" प्रश्न यही है कि क्यों इस सुझाव को नियमों का अंग बनाया जावे। समिति की राय में इस आशय का

(श्री राज बहादुर)

नियम बनाना कठिन होगा जिससे राज्यपाल महोदय के सत्र आह्वान करने के अधिकार पर कोई अंकुश लगाया जावे फिर भी समिति को विश्वास है कि राज्य सरकार सत्रों के आह्वान के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय को अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय उपरोक्त को ध्यान में रखेगी ताकि प्रति वर्ष कम से कम तीन सत्र बुलाये जा सकें।"

अब, मैं नियम अथवा मर्यादा के विरुद्ध जाऊंगा अगर मैं यह बताऊं या बोलूं कि मीटिंग में क्या हुआ। मैं ऐसा नहीं करूंगा। समिति में मैंने क्या कहा, उसमें मैं नहीं जाता, वह नियम विरुद्ध होगा, परम्पराओं और मर्यादाओं के विरुद्ध होगा। वह मैं नहीं कहूंगा लेकिन इतना आश्वासन चाहता हूं कि जो समिति या समिति के संयोजक या अध्यक्ष इस सदन के हैं उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किये हैं, उन्होंने भावना व्यक्त की है, उसका राज्य सरकार पूरा-पूरा आदर करेगी, तीन सत्र बुलायेगी वर्ष भर में, इस क्रम में, जो बनाया गया है और पूरा-पूरा अवसर मिलेगा, यह मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार की ओर से आश्वासन दिया जाय कि इस पर एक्ट किया जावेगा। जो धारणा व्यक्त की गई है उसका आदर होगा। हमने नियम नहीं बनाये हैं, इसमें नियम बनाये जा सकते हैं यह दूसरी बात है। नियम नहीं लगाया है, लेकिन यह निश्चित बात है कि आप 6 महीने के लिए चले जाते हैं और आप पर मात्र पाबन्दी है कि लास्ट डेट आफ दी प्रीवियस सैशन एण्ड फर्स्ट डे आफ दी नैक्स्ट सैशन के बीच 6 महीने से ज्यादा समय नहीं होना चाहिए। होता यह है कि 6 महीने तक फिर हम बात ही नहीं कर सकते। आज जो घटना-चक्र चल रहा है देश में ऐसा है, हम चाहते हैं कि कम से कम तीन अधिवेशन तो हों ही। लेकिन वास्तविकता यह है कि हम प्रदेश की ओर जिन क्षेत्रों से चुनकर आते हैं उनकी बातें भी नहीं रख सकते, वहां लोगों पर क्या बीत रही है अनियत 6 महीने की लम्बी कुम्भकरणीय नींद विधान सभा लेती है। यह नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आश्वासन चाहता हूं राज्य सरकार से, शासक दल से और शासन में बैठे मन्त्रियों से, विशेष रूप से हमारे तत्कालीन सदस्य नियम समिति के एवं वर्तमान शिक्षा मन्त्री से। यदि इस पर सरकार विश्वास दिलाये सरकार की ओर से कि तीन सत्र बुलाये ही जायेंगे तो यह पर्याप्त होगा। पहले सदन के रूप में हमने यह शराफत बरती है अगर वह लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि नियमों में नहीं डाला इस सिफारिश को लेकिन हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठाया जाय इसको जायज तरीके से देखा जाय और सरकार की ओर से विश्वास दिलाया जाये कि वर्ष में तीन सत्र बुलाये जायेंगे। मैं कोई राजनीति के हिसाब से हल्केपन की बात नहीं करता। आप खुद सोचिए, 6 महीने के लिए हम सब चले गये, फिर क्या होता है कहीं कहीं इस नियम का विधान सभाओं के बुलाने में दुरुपयोग हुआ है। सवेरे सैशन बुलाया, 6 महीने के

(श्री राजबहादुर)

बाद और शाम को स्थगित कर दिया, ऐसा भी हुआ है। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, उनका अपमान नहीं करना चाहता लेकिन विधान सभा में यह भी हुआ है। इसलिए तीन बार सत्र बुलाया जाय, तीन सत्र हों और एक सत्र को कम से कम 10-15 दिन का टाइम तो दिया ही जाय, यह भी होना चाहिए। इस नियम में यह बात नहीं होती है। इसलिए मैं सरकार से आश्वासन चाहता हूं, एक सदस्य के नाते जो भावना उसमें व्यक्त हुई थी वह इसमें आ गई है, कुछ नर्मी से आई है। कुछ मजबूती से आनी चाहिए थी लेकिन मजबूती की कमी है। इसलिए उस मजबूती के लिए सरकार पर ही यह विश्वास छोड़ता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आप अपने विचार नियम समिति में नहीं रख सकते थे ?

श्री राजबहादुर : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात मैंने नियम समिति में रखी थी लेकिन यहां पर मैं वह बात नहीं कहूंगा क्योंकि मर्यादा के विपरीत हो जायेगी। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि राज्य सरकार इसके लिए आश्वासन दे दे कि सैशन साल में तीन बार चलाया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर। माननीय सदस्य, यह बात आपको मान लेनी चाहिये कि आप लोगों ने जो रूल बनाये वह नियम बन गये और उन पर अमल होगा।

श्री राजबहादुर : यह नियमों में न आकर प्रस्तावना में आये हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें नियम ऐसे हैं कि लास्ट सैशन का लास्ट डे और कमिंग सैशन के फर्स्ट डे में ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का अन्तराल होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप नियम समिति के सदस्य नहीं थे क्या ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जी नहीं। मैं नियम समिति का सदस्य नहीं हूं। अब जो 6 महीने के अन्तराल की बात है, उसमें जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है कि राज्यपाल महोदय अगर सदन बुलाना चाहें तो उनके बुलाने में कोई अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अतिक्रमण नहीं होगा। क्योंकि इसमें वैसे 6 महीने का अन्तराल है और अब अगर हम चार महीने का पीरियड रख लें, जैसे कि प्रस्तावना में यह रूल रखे हैं तो सचमुच ही एक बहुत बड़ी गाइड लाइन सरकार को होगी और उसके अनुसार निश्चित रूप से एक वर्ष में अगर तीन बार सैशन बुलायेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें लास्ट डे आफ दी प्रीवियस सैशन और फर्स्ट डे आफ दी दूसरा सैशन है, उसमें 6 महीने का अन्तराल आना चाहिये और चार महीने में अगर हम सैशन बुला लेते हैं तो जो प्रस्तावना में बात कही गयी है, उसकी भावना भी पूरी हो जायेगी।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

माननीय सदस्यों ने जो अस्पष्ट शब्दों में बात कही है, वह भी पूरी हो जायेगी।

श्री नाथूसिह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य को यह पता होना चाहिए कि यह कान्स्टीट्यूशन में प्रोविजन है, यह रूल्स में नहीं है।

श्री राजबहादुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इस बात का आश्वासन चाहता हूं, वैसे रूल्स में प्रोविजन नहीं है। प्रस्तावना में नहीं है।

श्री चन्दन मल बैद : माननीय सदस्य, यह नियम है कान्स्टीट्यूशन में यह विधान सभा नहीं कर सकती है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई अमेन्डमेंट इसमें प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। मेरा कहने का आशय यह है कि जो प्रस्तावना में है उसमें इस प्रकार का जिक्र कर दिया जाय तो उसमें इस प्रकार की बात बन जावेगी और इससे काम भी बन जायेगा।

श्री नाथूसिह (बांदीकुई) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन, यह हाउस जो बुलाया जाता है उसमें सारी समस्याओं का जिक्र किया जाता है इसके अलावा सरकार ने उन समस्याओं पर क्या कार्यवाही की और आगे सरकार क्या करने जा रही है उसके लिये सरकार को मदद मिलती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पार्लियामेन्ट में इस प्रकार की प्रक्रिया कर रखी है कि इस अवधि तक निश्चित रूप से साल भर में सैशन चलेगा। उन्होंने कुछ महीनों को कुछ दिनों को इस प्रकार बांट रखा है कि इस अवधि से इस अवधि तक प्रथम सैशन होगा, इस अवधि से इस अवधि तक द्वितीय सैशन होगा और इस अवधि से इस अवधि तक तृतीय सैशन होगा। तो मेरा इस सम्बन्ध में सरकार से यह निवेदन है कि इस प्रकार हमारे यहां पर भी साल में तीन बार सैशन बुलाया जा सकता है।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में दो बार बोलने की कोई प्रक्रिया नहीं है।

श्री नाथूसिह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसको गम्भीरता से लें। सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करके इसको लागू करे जिससे विधायकों को भी पता रहेगा कि इस समय सैशन है और वह अपना कार्यक्रम तैयार कर लें। इसके अलावा अधिकारी भी सचेत रहेंगे कि इस निश्चित अवधि में सैशन होगा तो वह भी पहले से तैयारी करके निश्चित रूप से तैयार रहेंगे। वास्तव में ऐसा कर दिया जाये तो मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत बड़ा कदम होगा और इससे जनता की भी अच्छी तरह से हमें सेवा करने का मौका मिलेगा, सरकार को भी सचेत रख सकेंगे और सरकार को महत्वपूर्ण सुझाव मिलते रहेंगे जिससे सरकार को अपना काम करने मदद मिलेगी।

श्री खेतसिह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों में कुछ परिवर्तन करके इस तरह नियम समिति ने अपना प्रतिवेदन रखा है, मैं यह निवेदन

(श्री खेतसिंह राठौड़)

करना चाहता हूं कि इस प्रकार की समिति पहले भी बनाई गयी थी लेकिन वर्षों तक समिति चलती रही और नियमों में संशोधन भी किये लेकिन ग्राब्जेक्शन्स ग्राते रहे जिससे वह नियम कभी पास नहीं हुए। माननीय सदस्यों को शायद याद होगा कि जनता पार्टी के रूल में नियम बनाये गये थे और हमने जो नियम बनाये वह नियम जब बन कर प्रस्तुत होने की स्थिति मे थे तो उस समय जो मुख्य मन्त्री जी थे श्री भैरोंसिह जी साहब, उन्होंने एतराज करके नियमों को लागू नहीं करने दिया। ग्राप कम से कम यह तो माने कि हमने इतना तो किया कि नियम बना कर संशोधन के साथ सदन में प्रस्तुत किये। अब ग्रापको प्रस्ताव पारित करना चाहिये। ग्रब यह कह रहे हैं कि साल में तीन सैशन होने चाहिये तो यह कोई बाइंडिंग नहीं है। ग्रगर सरकार के पास कोई बिजनेस होगा तो हाउस साल में तीन बार नहीं चार बार बुला लेंगे। लेकिन ग्रगर सरकार के पास बिजनेस नहीं है तो बिना मतलब सदन को क्यों बुलाया जाय ? बिना बिजनेस ग्राप लोगों को यहां क्यों खोटी किया जावे ? वैसे, उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो खुद इस बात का हामी हूं कि साल में तीन बार सैशन होना चाहिए ताकि राज्य सरकार को राज्य की विभिन्न परि-स्थितियों से ग्रवगत कराया जा सके ग्रौर सारे मामले होते रहें, लेकिन नियमों में जोड़ कर ग्रगर ग्राप चाहें तो मैं ग्रावश्यकता नहीं समझता। ग्रापकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूं।

श्री नाथूसिंह : सैशन को साल भर में तीन बार बुलाया जाय इस प्रकार से ग्ररेन्ज करें।

(व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य दुबारा बोल रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि जो नियमों में प्रावधान है वह तो है लेकिन इस बात को नहीं माना जायेगा कि चार महीने बाद सैशन बुला लिया जावे। संविधान में प्रावधान है कि छः महीने में एक बार हाउस को बुलाना चाहिए। ग्रब प्रस्तावना में जो बात है वह चाहे लिख दें या नहीं लिख दें उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ सकता। प्रस्तावना में कोई बात ग्रा जाये तो वह नियम का ग्रंग नहीं बन सकती इसलिए, मेरा निवेदन है कि प्रस्तावना में लिख देने से या नहीं लिख देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ग्रगर काम होगा सरकार के पास तो हाउस तीन बार नही चार बार भी बुला सकते हैं लेकिन बिना काम ग्रापको बुलाकर खोटी नहीं करेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि ग्रगर काम होगा तो यह बात बिलकुल सही है कि सैशन को जल्दी से जल्दी बुलाया जाय लेकिन ग्रगर काम नहीं हो तो सैशन को बुलाने से कोई फायदा नहीं होगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे जवाब ग्राने के बाद ही माननीय सदस्य बोल सकते हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने संशोधन दिया है, देवपुरा साहब ने यह कहा ...

श्री चन्दन मल बैद : मेरे जवाब ग्राने के बाद दूसरा प्रस्ताव मैं करूं तो माननीय सस्दय बोल सकते हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो छः महीने में एक बार बुलाने का ग्रगर कान्स्टीट्यूशन में प्रोविजन

(श्री दाऊदयाल जोशी)

नहीं हो तो यह साल में एक ही बार बुलावें।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह तो कान्स्टीट्यूशन में प्रोविजन है कि साल में दो बार बुलाया जावे ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर ।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य से मेरी प्रार्थना है कि जब तक कोई दुबारा संशोधन नहीं पेश करूं तब तक वह जो भी बात कहेंगे उसका मैं जवाब नहीं दूंगा क्योंकि नियमों में एक ही बार बोलने का प्रावधान है ।

श्री राजबहादुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दुबारा बोलने की चेष्टा नहीं कर रहा हूं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं इस बारे में कि विधान में, कहीं पर नियमों में ऐसा नहीं है कि साल में तीन बार सैशन नहीं बुलाया जाय । विधान में जो है रेस्ट्रिक्शन वह लिमिटेड है साल में दो सैशन होने चाहिये 6 महीनों के अन्तराल से, अन्तराल उससे ज्यादा नहीं होगा । बस इतना ही मतलब है । उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि तीन चार महीनों में सैशन नहीं बुलाया जा सकता । यह मत कहिये कि आप ऐसा प्रावधान नहीं डाल सकते हैं ।आप डालना चाहते हैं ऐसा प्रावधान तो डाल सकते हैं । आपने जो यह कहा कि प्रस्तावना नियमों का भाग नहीं है, यह बात कह कर आप अपनी बात को हल्का मत कीजिये । आप यह बात कह कर नियम समिति को हल्का कर रहे हैं, इससे अपने और नियम समिति के अध्यक्ष हैं उनकी बात हल्की होती है । यह मांग कि एक साल में तीन बार सैशन होना चाहिये । अगर आप ऐसा यहां पर आश्वासन दे देते हैं तो हमारी आशा को फलीभूत करते हैं और अगर आप उनको क्रियान्वित नहीं करते हैं तो आप अपने नैतिक कर्त्तव्य से विमुख हो रहे हैं ।

श्री चन्दन मल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा है उसका तो मैं जवाब नहीं दूंगा क्योंकि पहले नियमों के अनुसार बोल चुके हैं अब मैं दूसरा प्रस्ताव लाता हूं ।

मैं अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम समिति, 1980-81 के प्रथम प्रतिवेदन के सम्बन्ध में अन्तिम प्रतिवेदन से यह सदन अपनी सहमति प्रकट करता है ।

(2.48 म. प.)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मन्त्री जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसको स्वीकृत किया जाय ।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत किया गया
मन्त्री महोदय विधेयक प्रस्तुत करेंगे ।

व्यवस्था का प्रश्न

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1981 को अध्ययन करने का समय

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा अधिकारियों तथा सदस्यों....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आन ए पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : पहले आप प्रस्ताव बोलने तो दीजिये फिर अगर आपको कोई एतराज हो तो आप बोलिये। क्या है?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मेरा निवेदन यह है कि आज जो हमें बांटा गया है इसमें दिया गया है....

श्री हीरालाल देवपुरा : यह आप क्या कह रहे हैं जब कि सारी बात हो गयी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : क्या बात हो गयी, किस स्तर पर बात हो गयी ?

अध्यक्ष महोदय, यह कोई सामान्य विषय नहीं है। आज हम हमारी तनख्वाह बढ़ाने के लिये और मन्त्री महोदयों की तनख्वाह बढ़ाने के लिये ...

श्री अध्यक्ष : पहले आप मन्त्रीजी को प्रस्ताव तो पेश करने दें। पूरा प्रस्ताव तो पढ़ने दें फिर उसके बाद अगर कोई एतराज हो तो आप बोल सकते हैं। पहले वह सदन में प्रस्ताव करेंगे और उसके बाद में सदन की सहमति मांगेंगे। उसके पहले आपको बोलने का अवसर मिलेगा।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं तो विधेयक को पुरः स्थापित ही कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : यह कौनसा विषय ला रहे हैं? हो सकता है कोई ऐसा विषय लाना चाहते हैं जिस पर उसमें वह बात ही नहीं हो जो आप बात कहना चाहते हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, पहले नोटिस में लाते।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हाउस के नोटिस में तब आयेगा जब कि मन्त्रीजी प्रस्ताव रखेंगे।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं तो पुरःस्थापित ही करूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर। हो सकता है अपना विषय ही बदलें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मेरा, अध्यक्ष महोदय, विनम्र निवेदन है कि जब मन्त्रीजी इन्ट्रोडक्शन ही कर देंगे तो फिर यह कहेंगे कि इसको पारित किया जाय। फिर एतराज किस बात का ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, इन्ट्रोडक्शन के पश्चात् तो यह स्वीकार कर दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : इन्ट्रोडक्शन का मोशन लेना है उसके बाद में चर्चा हो सकती है। फिर प्रस्ताव लाया जाता है सदन के समक्ष विनिश्चय के लिए इसलिए पहले मंत्रीजी बात तो कुछ कहें।

विधायी कार्य : विधेयक पुरः स्थापन
राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1981

श्री हीरालाल देवपुरा : (मंत्री, संसदीय कार्य) अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों

(श्री हीरालाल देवपुरा)

तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित किये जाने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी.

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल पुरःस्थापित करने की अनुमति माननीय मन्त्री महोदय ने चाही है इस बिल की प्रतिलिपियां अभी हमें वितरित की गयी हैं। इस बिल के फाइनेंशियल इम्पलीकेशन्स भी बहुत सारे हैं जो इसमें सन्निहित नहीं हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि एक बार बिल सामने लाकर रख दिया गया है इसको आज ही पास करने की प्रक्रिया होगी। इस सदन के किसी भी माननीय सदस्य जो इसमें सन्नहित जो संशोधन करना चाहते हैं उनके लिए न तो सोचने का मौका मिला और न अमेन्डमेंट प्रस्तुत करने का मौका मिला। आज स्थिति यह है कि मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि मिनिमम 5 रुपये से बढ़ा कर 7 रुपये किये गये यह तो आज राजस्थान सरकाद की ऐसी स्थिति है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आर०सी०पी० के मजदूर हैं उनको 5 रुपये से 7 रुपये देने की हम स्थिति में नहीं हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूसिंह : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आसन जब पैरों पर हो तब व्यवस्था का प्रश्न नहीं आयेगा, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : इसी संबंध में है। मेरे बोलने के बाद आप व्यवस्था दे दें।

श्री अध्यक्ष : मुझे अधिकार है मैं चाहे जब खड़ा होकर बोलूं।

माननीय सदस्यगण, यह मसला, सभी माननीय सदस्य जानते हैं, बहुत ही लम्बे समय से किसी न किसी स्तर पर विचाराधीन था। इस संबंध में हमारी जो समिति है गृह समिति उसने पिछली साल विचार किया। इस पर आम तौर से सहमति हो गई थी और उसी के अनुसार इस विधेयक के अन्दर प्रावधान किये गये हैं। उसके बाद में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी इस सम्बन्ध में बात हुई। उसमें करीब करीब सभा नेता उपस्थित थे सभी दल के, उसमें लगभग यह बात तय थी। क्योंकि इसका सम्बन्ध माननीय सदस्यों से है, उनकी जो यह सभा है उसके पदाधिकारियों से है। हम तो जनसेवा के लिए यहां आये हुए हैं इसलिए जिनसे हमारा सीधा संबंध है उनके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करें। अपने बारे में हम क्या चर्चा करें इस लिये इसके जितने भी प्रावधान हैं उनके ऊपर विचार विमर्श कर लिया गया है और तय यही हुआ था इसके बारे में ज्यादा वाद। विवाद अथवा चर्चा नहीं होगी। यदि आज आपको टाइम नहीं है तो आप विचार कर लीजिए अपने अपने दलों के अन्दर, वह एक अलग बात है...

श्री खेतसिंह राठौड़ : इनके नेता थे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कौन थे ?

श्री हीरालाल देवपुरा भैरोंसिंह जी, आपसे बात हुई और भंवरलाल जी शर्मा से बात हुई। आपके नेताओं से बात हो चुकी है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपके नेताओं से अध्यक्ष महोदय के यहां बात हुई है ।

श्री अध्यक्ष : यह मसला लम्बे अरसे से विचाराधीन था । माननीय सदस्यों के लिए और हमारे लिये यह काफी चिन्ता का विषय था कि अपने यहां के जो इमालुमेन्ट्स हैं वह दूसरे प्रदेशों, अपने पड़ोसी प्रदेशों के मुकाबले में बहुत कम हैं । इस पर आम तौर से सहमति हो गयी थी और उसके बाद में भी यह कहा गया था कि अगर लाना है तो इसको तुरन्त लाया जाये । इस पर कोई फिर विवाद हो यह हो, वह हो यह सब बातें हो चुकी हैं । अगर स्थिति क्लियर नहीं है तो एक दिन बाद में लाया जा सकता है, दो दिन बाद में लाया जा सकता है । लेकिन लाने के बाद इस पर चर्चा हो, मामला टल न जाये । मैं समझता हूं कि यह बात लम्बे समय के बाद में आयी है इसलिये मेरा विनम्र निवेदन है माननीय सदस्यों से कि इस पर अधिक चर्चा नहीं हो ।

श्री राज बहादुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव यह है....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मेरी आधी बात रह गयी है....

श्री अध्यक्ष : मैं एक निवेदन और कर देता हूं घन्टे भर के लिये इस विषय को हम टाल देते हैं । दुबारा मिल लें, बात कर लें ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मेरे कहने के बाद फिर आप कह दें ।

श्री अध्यक्ष : एक चीज है कि आप तो बात कह जायें । होगी तो फिर पूरी डिबेट होगी ।

श्री राजबहादुर : कल तक के लिए रख दीजिए । यह न मालूम हो कि हम हैस्टली पास करना चाहते हैं । आज ही इसकी प्रतियां वितरित की हैं आज के बजाय कल इस पर विचार हो ।

श्री अध्यक्ष : कल कभी आता है ! मैं एक निवेदन और दूं ....

(व्यवधान)

मैं समझता हूं इसके लिए घन्टे भर का समय और ले लें ।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । माननीय सदस्यगण, घन्टे भर के लिए इस विषय को....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप निर्णय लें उसके पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं । आपने कहा कि पिछले वर्ष से टलता जा रहा है । टलता इसलिए चला जा रहा है....

श्री अध्यक्ष : इस विषय को मैं अभी स्थगित किये देता हूं । और बात कर लें आप और राय मिला लें ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं फिर विनम्र निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : सहमति भी हो जायेगी । बातें तो चलेंगी । मैं एक घंटे के लिए इसको स्थगित कर देता हूं । आपस में विचार विमर्श कर लीजिए ।

श्री नाथूसिंह : मेरा निवेदन यह है....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों को इसको पढ़ने का अवसर मिल जाये और डिटेल मालूम हो जाये इसलिए कल तक स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष : एक घण्टे भर के लिए कर देता हूं। इसके बाद में तय यदि होगा तो कल तक के लिये कर दूंगा। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इतना बड़ा बिल है। फाइनेन्शियल इमाल्युमेन्ट्स का बिल है....

श्री अध्यक्ष : मैंने इस विषय को स्थगित कर दिया।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा था....

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था के प्रश्न पर जैसा कि सुबह माननीय सदस्यों से निवेदन किया था, कौन से नियम अथवा संविधान के कौन से अनुच्छेद के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं वह बतायें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप नियमों से बहुत भली भांति परिचित हैं और थोड़ा थोड़ा मैं भी परिचित हूं। अध्यक्ष महोदय, निवेदन यह है कि कोई भी विधेयक जब सदन में लाया जाता है तो 24 घण्टे पहले उस विधेयक की कापी माननीय सदस्यों को मिल जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : यह विषय मैंने स्थगित कर दिया है, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। स्थगित कर दिया है मैंने इस विषय को।

(व्यवधान)

स्थगित किया। आर्डर प्लीज! स्थगित किया।

श्री नाथूसिंह : कब तक के लिए स्थगित किया ?

श्री अध्यक्ष : एक घण्टे के लिए।

श्री नाथूसिंह : यही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। एक घण्टे में सदन की कार्यवाही में उपस्थित रहें या इसको पढ़ें। बड़ी दुविधा होगी हमारे सामने। इसमें क्या लिखा है इस पर कैसे विचार व्यक्त करें....

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही स्थगित नहीं की जा रही है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आर्डर आर्डर।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : आप अस्वीकार कर दें....

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। मैंने इसको स्थगित किया है। एक घण्टे बाद फिर विचार करूंगा।

आर्डर प्लीज।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या-2)

विधेयक, 1981

विनियोग विधेयक पर विचार विमर्श।

विनियोग विधेयक पर कौन माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : नाम दिये हुए हैं आपको।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह (कुम्हेर)।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : श्रीमान्, राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1981 सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। इस विधेयक से सरकार को 16 अरब, 14 करोड़ 39 लाख रुपये के करीब की धनराशि अर्पित की जा रही है। आशा यह की जाती है कि सरकार इसको इस प्रकार से सदुपयोग में लायेगी कि अपनी जो सेवायें हैं उन्हें जनता को प्रदान करते हुए राजस्थान में इस प्रकार का वातावरण और इस प्रकार का स्ट्रक्चर पैदा करेगी जिससे राजस्थान की जनता अपने व्यवसायों पर निर्भर करते हुए प्रगति की ओर अग्रसर हो सकेगी। मैं राज्य सरकार का ध्यान दो-तीन बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि राजस्थान में आवश्यकता इस बात की है कि आय के स्रोत बढ़ाये जायें। आय के स्रोत बढ़ाने में यदि कोई स्पेसिफिक निर्णय भी लेना पड़े, तो उसमें सरकार को संकोच नहीं नहीं करना चाहिये। राजस्थान सरकार की प्राहिविशन की जो नीति है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं उसे समाप्त कर दिया जाय। आवश्यकता इस बात की है कि इस नीति को क्रियान्विति पर कितना रुपया व्यय किया जा रहा है और उससे कितना लाभ मिल रहा है? यदि प्राहिविशन राजस्थान के अन्दर पूर्ण रूपेण आज अमल में है तो मुझे कुछ नहीं कहना लेकिन यदि अमल में नहीं है और प्राहिविशन केवल कागजों में है और उस के बाद भी सरकार को इस मद से जो आमदनी होनी चाहिये वह नहीं हो पा रही है तो इस पर सरकार को रेशनलाइज नीति के हिसाब से पुनर्विचार करना चाहिये। इसके अतिरिक्त, श्रीमान्, यद्यपि टैक्सेज भारतवर्ष में और राजस्थान में इस सीमा पर पहुंच चुके हैं कि उससे अधिक टैक्स लगाना अर्थात् डिक्रिजिंग रिटर्न्स, इस सिद्धांत के साथ चलेगा। एक यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो टैक्स इवेजन होता है वह कोई भला नहीं कर सकता। जो आदमी ईमानदारी से काम कर रहा है, ईमानदारी से टैक्स देता है उस टैक्स का का बर्डन अधिक पिंच करता है किन्तु जो टैक्स अवोइड कर जाते हैं।

(3·3 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत, सभापति, पदासीन)

वे इस टैक्स को बचा जाते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है. श्रीमान, टैक्स इवेजन को अधिक से अधिक रोका जाये। आज हम बाजारों में देखते हैं जिन चीजों पर सैलस टैक्स है उन चीजों को खरीदने के लिये जो पर्ची कटवाकर चीजें खरीदते हैं उनको अधिक कीमत देनी पड़ती है और दूसरी तरफ जो इस टैक्स को अवोइड करते हैं वह व्यक्ति सरकार में पैसा जमा न करवा कर अपने पास रख लेते हैं। दूसरी बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमान, सेल्स टैक्स की रेट्स यू० पी० के मुकाबले में इस प्रकार की है कि उन जिलों के लोग, जो यू०पी० के नजदीक के जिले हैं, राजस्थान में चीजें न खरीदकर यू०पी० से चीजें खरीदना पसंद करते हैं। आवश्यकता इस बात की हो जाती है कि यू० पी० की जो रेट्स प्रचलित हैं और राजस्थान की रेट्स जो प्रचलित हैं वह इस प्रकार से होनी चाहिये कि राजस्थान के उन जिलों, जो यू० पी० से मिले हुए जिले हैं, में सेल्स टैक्स की रेट्स के डिफरेन्स के कारण कीमत में फर्क न आयें।

(श्री हरिसिंह)

इसके अतिरिक्त, श्रीमन, एक बात और देखने की है कि व्यापारियों को अनेकों लाइसेन्सों से दबा रहना पड़ता है। एक ही नहीं बल्कि एक ही प्रकार के व्यापार करने वालों को चाहे किराने का डीलर हो, फूड ग्रेन का डीलर हो, चाहे जनरल मर्केन्डाइज का डीलर हो, असेन्शियल कमाडिटीज में व्यापार करता हो वह तो एक लाइसेन्स नहीं बल्कि अनेक लाइसेन्स लेने पड़ते हैं। राज्य सरकार ने कुछ दिन पूर्व इस बात का निर्णय लिया था कि कई प्रकार के लाइसेन्सों को एक करके एक लाइसेन्स जल्दी ही मिलेगा। किन्तु अभी तक अन्य कुछ लाइसेंस इस प्रकार के रह गये हैं जो कि एक किये जा सकते हैं। उनसे व्यापारियों को अधिक सहूलियत मिलेगी बल्कि राजस्थान सरकार को भी उनसे सहूलियत मिलेगी और नियंत्रण करने में सुविधा होगी। श्रीमान, यहाँ मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान में सबसे अधिक और सबसे महत्व का जो धन्धा, है कृषि का धन्धा है। आज कृषि की जो कीमते है इनपुट्स हैं, इन चीजों की मांग निरन्तर बढ़ती जा रही हैं। कुछ इनपुट्स तो ऐसे हैं जिन पर सरकार का नियंत्रण नहीं हो सकता। कुछ इनपुट्स इस प्रकार के हैं जिन पर सरकार का नियंत्रण हो सकता है। इनपुट्स की कीमते जिस प्रपोर्शन में बढ़ती जती हैं उस प्रपोर्शन में किसान को पैदावार की कीमत जो मिलनी चाहिये वह नहीं मिलती है। राजस्थान की अधिकांश जनता, सभी लोग तो नहीं किन्तु 80 प्रतिशत जनता, राजस्थान सरकार कृषि नीति के ऊपर निर्भर रहती है, किन्तु, 80 प्रतिशत जनता की पर कैपिटा इन्कम नित्य प्रतिदिन घटती जा रही है। यदि सरकार इस प्रकार की नीति का अनुसरण करे कि जो किसान की पैदावार है उसकी कीमत में और एग्रीकल्चर के जो इनपुट्स होते हैं उनकी कीमत में किसी प्रकार का तालमेल बैठा दें तो मैं समझता हूं किसान को भी लाभ होगा और सरकार अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी। इसके लिये जरूरी यह हो जाता है कि खाद, जिसके ऊपर राज्य सरकार सब्सिडी देती है, अभी तक सीमित होती है केवल छोटे किसानों के लिये, वह सीमित है अभी तक मझले किसानों के लिये। खाद एक ऐसी इनपुट है चाहे छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो सबके लिए उसकी आवश्यकता होती है। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, आज एग्रीकल्चर इन्डस्ट्री नहीं रही वह तो केवल एक रोजाना का जीवन-यापन करने का साधन रह गया है। यदि सब प्रकार के किसानों के लिये खाद जैसी चीजों पर सब्सिडी दी जाये तो उससे सभी को राहत प्रदान होगी।

इसके अतिरिक्त, श्रीमान्, खेती के लिए आज आवश्यकता इस बात की होगी कि ट्रैक्टर और डीजल इंजन जिन के लिये बैंक लोन देती है जिनकी कीमत निरन्तर बढ़ रही है उन पर किसानों को बड़ा अधिक

(107)

(श्री हरिसिंह)

व्यय करना पड़ता है, एक प्रकार से लूट सी होती है। जितने भी डीजल इंजन या ट्रैक्टर दिये हैं उनकी मरम्मत कराने के लिये किसान जब शहर में आता है उससे वहां मरम्मत करने के जो वर्कशाप है वे अनाप-शनाप चार्ज करते हैं। उससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती है। राज्य सरकार के लिये आवश्यक हो जाता है कि किसानों के किये रीजनेबल रेट्स पर मरम्मत के लिये कुछ वर्कशाप खोले। इसके अतिरिक्त, श्रीमन्, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि किसानों की बहबूदी के लिये जितनी लघु सिंचाई योजनाएं हैं, उन पर प्रायोरिटी के हिसाब से कार्य किया जाय। देखा यह जाता है कि लघु सिंचाई योजनाओं पर काम हो नहीं पाता है और उसकी वजह से किसानों को जो सिंचाई के क्षेत्र में सुविधाएं मिलनी चाहिये, वे नहीं मिल पाती हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार को, लघु सिंचाई की जितनी परियोजनाएं हैं उन्हें उसी वर्ष में जिस वर्ष में लक्ष्य निर्धारित होता है काम पूरा करके सफल बनाना चाहिये। मैंने, श्रीमन्, राज्य सरकार से पूर्व में भी यह निवेदन किया था कि आज किसानों को राज्य में जितनी बिजली की आवश्यकता है वह पूरी नहीं हो पाती है। आज किसानों को 180 लाख यूनिट की आवश्यकता है। आज राजस्थान के जितने भी स्रोत हैं बिजली के चाहे मध्य प्रदेश से हों या पंजाब से हों और राजस्थान में भी जो बिजली के साधन हैं उन सबसे 113 लाख यूनिट से अधिक बिजली उपलब्ध नहीं होती है। इस कारण आज किसानों को जितनी बिजली चाहिये वह नहीं मिल पाती है। 30 लाख यूनिट की डिमांड अन्य स्रोतों के लिए बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में, श्रीमान्, आवश्यकता है राजस्थान में एक या दो थर्मल प्लान्ट लगें जिनकी केपेसिटी एक लाख मेगावाट या दो लाख मेगावाट की हो, वह आने वाले वर्षों में राजस्थान में स्थापित हों। इसके लिये केन्द्रीय सरकार से किसी भी रूप में अनुरोध करना पड़े, विश्व बैंक या किसी अन्य एजेन्सी से पैसा लेना पड़े तो राजस्थान के किसानों को जीवित रखने के लिये इस प्रकार के थर्मल प्लांट स्थापित हों।

राजस्थान को जो हिस्सा मिलता है वहां के टैक्सेज से उसमें भी राज्ल सरकार के लिए यह आवश्यक है कि केन्द्र से न केवल आबादी के अनुसार पैसा लिया जाय बल्कि राजस्थान का जो क्लेम है उसमें यह भी बात रखी जाय कि राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रान्त है, बैकवर्ड है जहां, एक तरफ रेगिस्तान है वहां की स्थिति को देखते हुए राजस्थान का शेयर अन्य प्रदेशों के मुकाबले बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राज्य सरकात से इस बात की आकांक्षा करते हुए कि जो जो फालतू खर्चे हैं वे कम करे, जो हमारे आय के स्रोत हैं उन्हें बढ़ाये, विनियोग विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : श्री कैलाश मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदया, विनियोग विधेयक पारित होने तक,

(श्री कैलाश मेघवाल)

आज तक बजट की जो व्यवस्था हुई है और बजट का पारण विभिन्न मांगों के रूप में हमने किया है उस को खर्च करने का राज्य सरकार को अधिकार मिल गया। खर्चा करने का जो अधिकार मिल गया है उसके लिये, सभापति महोदया, मैं कुछ बातें निवेतन करना चाहता हूं और वे इसलिये आवश्यक है, कि बजट में घाटा बताया है। यह सही भी है कि डवलपिंग इकोनोमी के नाम पर, विकासशील अर्थ व्यवस्था के नाम पर यह कहा जा सकता है कि घाटा होना वाजिब है। तो यहां तक तो हम सहमत हैं लेकिन, माननीय सभापति महोदया, इस घाटे की पूर्ति कैसे होगी ? अगर इस घाटे की पूर्ति के प्रति हमारी स्वच्छ कल्पानाएं नहीं हैं तो मैं माननीय प्रभारी मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर घाटे की पूर्ति के प्रति हमारी कल्पना नहीं है तो उसके बाद जैसी भी आपको आवश्यकता पड़े आप क्या भारत सरकार से लोन लेंगे या कर्जा लेंगे या फिर आवश्यक जो योजनाओं के मद हैं उनमें कभी करेंगे ? आखिर खर्चा तो उतना ही होगा जितना होगा। इसलिए, माननीय सभापति महोदया, मैं आपके द्वारा माननीय प्रभारी मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि आज जो बजट हम पास कर रहे हैं कल से आप खर्च करेंगे। आखिर जो 95 करोड़ का आपने घाटा बताया है वह घाटा किस तरह पूरा होगा ? उस घाटे की पूर्ति का कारण यदि यह दिया कि राजस्थान के विकास की योजना में किसी तरह की कमी नहीं करेंगे तो ठीक है, सभापति महोदया, लेकिन यह स्पष्ट आश्वासन मन्त्री महोदय देने का कष्ट करें।

माननीय सभापति महोदया, माननीय प्रभारी मन्त्री जो लक्ष्य रख रहे हैं आपके सामने उसके जवाब में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन सब पर निश्चित रूप से कुछ दिशा दें कि यह स्थिति क्यों हुई और यह इस लिए रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो यह है हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जगन्नाथजी पहाड़िया आज विराजमान नहीं हैं....

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय सभापपि महोदया, माननीय सदस्य का सुझाव बहुत अच्छा है किन्तु साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि यदि वे घाटे की पूर्ति का कोई सुझाव दे सकें तो मैं आभारी होऊंगा।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : वह भी दूंगा। निश्चित रूप से हम इसीलिए यहां बैठे हैं कि राजस्थान के हितों के लिए कुछ कर सकें। पहला जो सुझाव आप चाहते हैं इस बारे में मैं दे रहा हूं लेकिन हमारे माननीय मुख्य मन्त्रीजी यहां नहीं हैं, दुर्भाग्य से उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैं यह कह रहा हूं कि उन्होंने एक भाषण दिया था, जो आफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल चलता है वहां पर उन्होंने अपने भाषण में एक स्पष्ट बात

(श्री कैलाश मेघवाल)

कही थी । हरिश्चन्द्र संस्थान में माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने महत्वपूर्ण बात यह कही कि राजस्थान के आर्थिक विकास की योजनाओं को द्रुत गति से चलाने के लिए राजकीय काम-काज की प्रक्रिया को सरल किया जायगा । मुख्य मन्त्री महोदय ने इतनी बड़ी सच्चाई को सामने रखा है जिसको वर्षों से भुला दिया गया था । इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदया, आज का यह जो ब्यूरोक्रेटिक एक्सपान्शन हो रहा है इस ब्यूरोक्रेटिक एक्सपान्शन के बाद अनेकानेक खर्चे टेलीफोन के, गाड़ियों के, पैट्रोल के, यात्रा के लगने प्रारम्भ हो गये । तो मैं, माननीय सभापति महोदया, माननीय प्रभारी मन्त्री से निवेदन करूंगा कि क्या आप सारी प्रशासनिक व्यवस्था की प्रक्रिया का पुनर्मूल्यांकन करेंगे ? किस व्यक्ति को कार मिली हुई है, उसमें कितना पैट्रोल खर्च होता है, उसमें कमी की जा सकती है । सभापति महोदया, मैं दूसरी दृष्टि से देख रहा हूं । दूसरा सुझाव यह है, पैट्रोल से हमारी इकोनोमी पर असर पड़ने वाला है । जब-जब भी पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ जाती हैं तब तब हमारे बजट में उसके प्रावधान में बढ़ोतरी हो जाती है और उसका हमारी इकोनोमी पर बड़ा प्रभाव पड़ता है । इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, आखिर इस प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त बनाना है । ब्यूरोक्रेटिक एक्सपान्शन, जो अन लिमिटेड होता जा रहा है, को रोकने के लिये कोई योजना है । यह सारा खर्चा जो बजट के द्वारा मिलता है और स्वीकार कर दिया जाता है, उसका सारा खर्च यही प्रशासनिक मशीनरी करने वाली है जिसमें चुस्ती आनी चाहिए और संयम आना चाहिए । सभापति महोदया, यह राजस्थान के हित में होगा । मैं निवेदन करना चाहता हूं दूसरी बात, जो हमारे माननीय उप मन्त्री महोदय राम-पाल जी उपाध्याय हैं उन्होंने कई जगह भाषण दिये कि राजस्थान की नौकरशाही हमारे कब्जे में नहीं है और हमारे साथ सहयोग नहीं कर रही है । माननीय प्रभारी मन्त्री जी, क्या यह बता सकते हैं कि दो-तीन जगहों पर जो उन्होंने भाषण दिये हैं कि हमारी नौकरशाही और सरकारी तबका हमारे साथ नहीं है इसलिए क्या हम नीतियों का पालन करने में असमर्थ रहे हैं ? उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इसी कारण पहाड़िया जी की सरकार अपेक्षित काम नहीं कर पाई क्योंकि नौकरशाही हमारा साथ नहीं दे रही है । मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदया, उन्होंने बड़े ख्वाब दिखा करके और बड़ी योजनाओं को लागू करने के नाम पर सारा बजट पास कराया तो उस नौकरशाही को कन्ट्रोल करने को, जो आपके एक उपमन्त्री महोदय की राय है, क्या कदम उठाने जा रहे हैं ?

दूसरा सभापति महोदया, मैं बताऊं, आप नोट कर लीजिए, पिछले साल शराब-बन्दी की नीति लागू की गई थी । जिस समय 31 मार्च थी और 1 अप्रैल को लागू

(श्री कैलाश मेघवाल)

होनी थी, उस समय पापूलर गवर्नमेंट राजस्थान में नहीं थी, राष्ट्रपति शासन था। राष्ट्रपति शासन में एक फैसला लिया गया, एक महीने के लिए एक इन्टरिम व्यवस्था निकाली। जब कोई पापूलर गवर्नमेंट आ जायगी वह निर्णय ले लेगी कि शराबबन्दी में क्या करना है? क्या निर्णय ले लिया? 10 देशी शराब विक्रेताओं को शराब विक्रय करने के लिए लाइसेंस दिये गये, माननीय प्रभारी मंत्री महोदय नोट कर लीजिए, जयपुर का उदाहरण है....

(व्यवधान)

घर आ जायेंगे तब सब बता दूंगा, सारे नाम भी बता दूंगा और अगर आप शौक फरमाते है तो मंगवा भी दूंगा, आप आ जाना।

तो मैं, सभापति महोदया, निवेदन कर रहा था कि इन्टरिम अरेन्जमेंट यह हुआ कि राष्ट्रपति शासन में 100) रु० फीस देकर लाइसेंस की दुकानें दे दी गई। 10 देशी मदिरा की दुकाने यहां दे दी गईं 10 देशी मदिरा की दुकानें देने की शर्त क्या थी कि गंगानगर शुगर मिल जो राष्ट्रीय स्तर पर शराब निकालती है वह देशी शराब बेचेंगे। पहले तो यह तय हुआ कि केवल सरकारी दुकानों से बिकेगी, इसके बाद तय हुआ कि प्राइवेट को भी दिया जाय तो 10 प्राइवेट को दिया गया यह तय हुआ कि वे गंगानगर शुगर मिल की शराब बेचेंगे। 17 रुपये की बोतल को 20 रुपये में बेचने की स्वीकृति दी गयी। जयपुर की खपत है, मैं केवल जयपुर के आंकड़े दे रहा हूं, आज आठ साढ़े आठ हजार बोतल की आपकी दैनिक खपत है। ये आंकड़े हैं यहाँ के जयपुर के तो लाइसेंस पर इनको पर्सेन्ट कमीशन मिलने लग गया। सौ रुपये लाइसेन्स फीस और उन्होंने क्या किया, माननीय सभापति महोदय, 20 रुपये में भी नहीं एक रुपया और जोड़ दिया और 17 रुपये की बोतल 21 रुपये में बेची। यह सारा रिकार्ड है तो इस प्रकार 32-33 हजार रुपये हर दिन उनको लाभ हुआ और लाइसेन्स फीस सौ रुपये मात्र। अब क्या हुआ, यह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, माननीय मन्त्री महोदय, पापूलर गवर्नमेन्ट आने के बाद भी विवेकीकरण चल रहा है, बजट में इन्होंने कहा, जगन्नाथ पहाड़िया मुख्य मन्त्री बने थे 5 जून को, उससे अधिक विवेकीकरण का और नतीजा क्या आया? दूसरे कहने लगे कि हमको भी दो। हम ज्यादा देते हैं मैं प्रभारी मन्त्री जी को बताना चाहता हूं, आपको दे रहे हैं, मैं तारीख बता रहा हूं माननीय प्रभारी मन्त्री जी, इनको दे रहे हैं 28, 16-2-81 को यहां के कुछ पुराने शराब विक्रेताओं ने दख्र्वास्त दी है कि जयपुर में आप जो वापस लाइसेन्स दे रहे हैं, हर महीने में लाइसेन्स दे रहे हैं, वही व्यवस्था चल रही है अभी। उसमें उन्होंने कहा कि फरवरी और मार्च के लिए, इस समय जयपुर शहर में 10 दुकानें हैं, यदि आप देंगे तो 10 दुकानें हैं जिनका केवल

(श्री कैलाश मेघवाल)

एक हजार रुपया बतौर लाइसेंस फी मिलेगा और इन लाइसेन्सों से एक माह के 10 लाख रुपये देने को तैयार हैं सरकार को। इस शराब को निश्चित रूप से कमीशन पर बेचेंगे। औसतन ये वे लोग हैं जो नियम में आते हैं, मुझे कोई बात नहीं करनी....

श्री सभापति : आपका मतलब यह है कि शराबबन्दी हटाकर राज्य सरकार....

श्री कैलाश मेघवाल : यह मतलब नहीं। आपने पूछा आमद कैसे बढ़ायें। कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी शराबबन्दी के बारे में चर्चा की, तो आमद बढ़ाने में यह शराबबन्दी खतम करने की अन्तरिम व्यवस्था तो कामधेनु बनी हुई है कुछ लोगों के लिए। मैं आरोप नहीं लगाना चाहता।

श्री सभापति : आपका आशय यह तो स्पष्ट है कि शराब बेचकर सरकार आमदनी बढ़ाये।

श्री कैलाश मेघवाल : सरकार की नीति से शराब बिक रही है और यदि बिक रही है तो उसमें से आमद अगर अधिक निकल सकती है तो सरकार क्यों नहीं करे, मेरा आशय यह है। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने लिखकर दिया कि आपने 10 दुकानों को लाइसेंस एक हजार में दे रखा है, हम 10 लाख रुपये फरवरी और मार्च के लिए देने को तैयार है। क्या आपने इस पर विचार किया ? यही प्रार्थना-पत्र नहीं, एक दूसरा प्रार्थना पत्र भी दिया। अब विवेकीकरण हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि केवल यही व्यवस्था चलेगी, जो आज चल रही है, कल जयपुर में 10 दुकानों के लिए इन्हीं कान्ट्रेक्टर्स को देंगे, जिनके खिलाफ कोई बात आयी नहीं है। आपकी नीति है कि पुराने कान्ट्रेक्टर्स को हम देंगे। एक आफर जो आपके सामने पढ़ रहा हूं, निवेदन करना चाहता हूं वह यह है, यदि सरकार केवल लाइसेंस ही देकर चलना चाहे तो वर्ष 81-82 के लिए हम एक करोड़ रुपया केवल जयपुर शहर की दुकानों के लिए देने को उद्यत हैं। एक करोड़, ये हैं आमदनी के जरिये, माननीय प्रभारी मन्त्री जी, लेकिन इसमें आपको कुछ लोगों को नाराज करना पड़ेगा। यह नीति कामधेनु बनी हुई है। विवेकीकरण का निर्णय आप नहीं ले रहे हैं, कामधेनु उनको दी जा रही है। आप हिम्मत करके उनको नाराज कर सकते हैं ? मैं बता रहा हूं आपको कि जहां आप एक लाख की आमदनी कर रहे हो वहां ये एक करोड़ रुपये आपको दे रहे हैं और ऐसा केवल जयपुर में 10 दुकानों के लिये हैं। सारे राजस्थान में इन लोगों को आपने आमंत्रित किया तो शायद 10 करोड़ की आमद हो जाय जहां एक लाख या दो लाख हो रही है। यह स्थिति है कि जहां एक लाख की आमद है, वहां लोग कहें कि एक करोड़ देने

(श्री कैलाश मेघवाल)

को तैयार हैं। जहाँ एक लाख हो रही है, वहाँ लोग 10 लाख देने को तैयार हैं। यह हैं ग्रामद के जरिये ग्राप ग्रामद कीजिए। यही नहीं, इनके यहाँ के ग्राबकारी ग्रायुक्त है, शायद उनका उदयपुर में दफ्तर है, ग्राबकारी ग्रायुक्त, कमिश्नर कहलाते हैं, उन्होंने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा। इनको जवाब दिया उसमें लिखते हैं, राज्य सरकार को भेजा है। जयपुर शहर की दुकानों के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये जा चुके हैं, उन पर निर्णय होने पर ग्रपको ग्रवगत करवा दिया जायेगा ग्रथवा ग्रावश्यक हुग्रा तो ग्रापको डिस्कशन के लिए बुलाया जायेगा। ये वहाँ से फारवर्ड होकर ग्राये। माननीय प्रभारी मन्त्री जी, मैं ग्रापसे निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रापके कार्यालय में पड़े हैं। यह है 10 करोड़ की ग्रामद बढ़ाने का जरिया, ग्रगर ग्राप यही नीति बनाना चाहते हैं तो एक लाख जो मिल रहा है, उसकी जगह 10 करोड़ मिल सकता है 10 हजार जो जयपुर में मिल रहा है, उसके बजाय 1 करोड़ रुपये की ग्रापकी ग्रामदनी होगी। ग्रब दूसरा सुनिये, मैं एक स्पष्टीकरण ले लूँ, माननीय सभापति महोदय, जानकारी शासन से लेनी है। माननीय प्रभारी मन्त्री जी, कोई राजकीय समिति ग्रापने बनाई है क्या? ग्राप पढ़ दें। नहीं तो फिर मैं पढ़ूं। राजकीय है, तो फिर मुझे चर्चा नहीं करनी, ग्रगर ग्रगर राजकीय नहीं है तो फिर मुझे चर्चा करनी है। वह है राजस्थान परिवार नियोजन एवम् वृक्षारोपण समिति, राजस्थान सरकार। ग्रगर यह सरकार की समिति है, माननीय सभापति महोदय, तो प्रभारी मन्त्री जी को मुझे कुछ नहीं कहना लेकिन शक क्यों हुग्रा, माननीय सभापति महोदय, इसके ग्रन्दर एक लाइन छपी है, सोसायटी ग्रधिनियम के ग्रन्तर्गत पंजीकृत। यह लाइन छपी है ग्रौर इससे मुझको यह लगा कि क्या ग्रब राज्य सरकार की पंजीकृत होने लग गयी सोसायटी। राज्य सरकार की बीस सूत्री जो क्रियान्विति समिति बनी, कमेटी बनी, उसमें इंचार्ज ग्राकर बैठते थे किन्तु क्रियान्वित नहीं हुए। ग्रब, माननीय सभापति महोदय, प्रभारी मन्त्री महोदय सुनें, मैंने ग्रामदनी का जरिया बताया। यह मैं कहता हूँ, फिजूलखर्ची से जो लखपति बन रहे हैं, ग्रापको कुछ लोगों को नाराज करना पड़ेगा। ग्रगर फिजूलखर्ची रोकना चाहते हैं तो हमारा जो पैसा है, वह फिजूलखर्ची में नहीं जाय। यह एक समिति है इस समिति का पूरा प्रतिवेदन इसलिए पढ़ूँगा कि ग्रापको स्पष्ट हो, पूरा प्रतिवेदन यह है :—

"राजस्थान विकास मेला प्रदर्शनी में ग्रापके विभाग का मण्डप।

ग्रादरणीय महोदय,

ग्रापको यह जानकर हर्ष होगा कि ग्रागामी राजस्थान दिवस के उपलक्ष पर हमारे राज्य के लोक प्रिय मुख्य मंत्री श्री जगन्नाथ जी पहाड़िया के नेतृत्व ग्रौर कार्यकाल में राज्य के विकास ग्रौर प्रगति

(श्री कैलाश मेघवाल)

के कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। उनका उजागार करने के लिए राजस्थान परिवार नियोजन एवं वृक्षारोपण समिति राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य पर 30 अप्रेल तक एक मेला प्रदर्शनी का आयोजन रामलीला मैदान, जयपुर में कर रही है। प्रदर्शनी का उद्घाटन दिनांक 29 मार्च, 81 को सायं 7.00 बजे माननीय मुख्य मंत्री श्री जगन्नाथ जी पहाड़िया के कर कमलों द्वारा हो रहा है। आपके सुदृढ़ मंत्रित्व काल में आपके विभाग में लोक कल्याण के लिये प्रगति के स्थाई चरण प्राप्त किये हैं और आपके प्रति जनता में एक नई आस्था जमी है। आपसे प्रार्थना है कि राजस्थान विकास मेला प्रदर्शनी में जनता की जानकारी के लिए मण्डप लगाने का आदेश प्रदान कर अनुगृहित करें। 15 × 20 स्थान के मण्डप का एक माह का किराया 2000/- नियत किया जाता है।" और ये हैं आपके कोई गोविन्द प्रसाद जी, मन्त्री, शायद आपके यहां सरकारी अफसर होंगे। इसमें मुझे कुछ नहीं कहना। गणतन्त्र मेला प्रदर्शनी भी लगे। सरकार मण्डप लगाये और लगाने के बाद कुछ नहीं कहें। कहें तो कहते है कि मैं तो प्रदर्शनी हर साल लगाता हूं। यह एक निर्णय में उत्साहजनक प्रगति हुई है, प्रगति क्या हुई है कि दो दो हजार रुपये—

श्री प्रद्युम्न सिंह : हमने लगायी....

श्री कैलाश मेघवाल : सुनिये तो। माननीय सभापति महोदय, यही मैं कह रहा हूं, माननीय प्रभारी मन्त्री जी थोड़ा सुनिये। चूंकि आप प्रभारी मन्त्री हैं, मेरा आपसे निवेदन है, घर पधारें जरा। यह रामलीला मैदान की बात है, यह म्युनिसिपैलिटी की जमीन है, यह तो आपको मालूम है वहाँ पर गणतन्त्र मेला प्रदर्शनी खतम हुई है 4-5 दिन पहले और सारे मण्डप बने बनाये तैयार हैं वहां पर। आपकी ओर से प्रार्थना की गई है इस और प्रार्थना पर क्या हुआ। दूसरा पत्र है, उसकी फोटो स्टेट कापी पढ़ रहा हूं, 3-4 मिनट लगेंगे, क्षमा करेंगे, सही सही पढ़ूंगा और आपको तसल्ली करवा दूंगा कि मैं जो पढ़ रहा हूं, सही है। यह पत्र है मुख्य मंत्री कार्यालय का। "विषय : राजस्थान विकास मेला-प्रदर्शनी में मण्डप लगाने के सम्बन्ध में।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय सभापति महोदया, आपके सामने मैं बहुत सार की बातें कह रहा हूं। बहुत इम्पोर्टेन्ट मैटर है और जब तक ये तथ्य माननीय प्रभारी मन्त्रीजी के ध्यान में नहीं आये तो राज्य का घाटा कम कैसे होगा। यह बहुत इम्पोर्टेन्ट डाकूमेंट है, अगर यह सरकार के ध्यान में नहीं आया तो सारा पर्पज खतम हो जायगा। आप सुनिये कि कितना इम्पोर्टेन्ट है। यह भी असल है और इसकी फोटो स्टेट कापी मेरे पास है। मैं यह मानता हूं कि दरख्वास्त कोई भी दे सकता है, आप भी दे सकते हैं, माननीय सभापति महोदया, मैं भी दे सकता हूं, कोई

(श्री कैलाश मेघवाल)

भी आदमी दे सकता है। माननीय प्रभारी मन्त्रीजी सुनिये।

"इस वर्ष राजस्थान दिवस के अवसर पर राजस्थान परिवार नियोजन एवं वृक्षारोपण समिति द्वारा दिनांक 29 मार्च, 1981 से 30 अप्रेल, 1981 तक जयपुर के रामलीला मैदान में राजस्थान विकास मेला प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। समिति की तरफ से इस मेला प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए आपसे आग्रह किया गया है।

मुख्य मन्त्रीजी ने यह इच्छा जाहिर की है कि इस अवसर का उपयोग करके राजस्थान की प्रगति की एक भव्य व सुन्दर झांकी प्रस्तुत की जाय ताकि आम जनता को इसकी जानकारी दी जा सके। राज्य में पिछले तीस वर्षों में काफी विकास हुआ है। इस वर्ष प्रारम्भ में विकास के नये लक्ष्य निर्धारित किये गये जिनको भी पूरा कर लिया गया है। अगले वर्ष के नये लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं इन सब की इस प्रदर्शनी में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके विभागों/विभाग का एक बड़ा व आकर्षक मण्डप इस प्रदर्शनी में लगाया जाय। प्रदर्शनी का उद्घाटन दिनांक 29 मार्च, 1981 को मुख्य मन्त्री जी द्वारा किया जायेगा। अतः आपका मण्डप 21 मार्च तक तैयार हो जाय, इसकी कृपया व्यवस्था करावें।

हस्ताक्षर
चरणसिंह खैरवाल
विशिष्ट सचिव, मुख्य मन्त्री
राजस्थान।"

यह है प्रभारी मन्त्रीजी। और क्या हुआ। सरकारी जमीन, म्यूनिसिपैलिटी की जमीन और मण्डप लगाने का सारा खर्चा सरकार का हुआ। और क्या हुआ? माननीय मन्त्रीजी आप सुन लीजिए, एक ट्यूबलाइटका किराया चालीस रुपया लिया जाएगा। कितनी ट्यूबलाइटें लगी हुई हैं उनका किराया सरकार देगी। एक महीने का एक ट्यूबलाइट का किराया समिति चालीस रुपया लेगी प्रति ट्यूबलाइट और बिजली का खर्चा अलग लेगी, पानी का खर्चा अलग लेगी और सारी व्यवस्था आपके द्वारा होगी। यह क्या है? योजना यह है कि 30 अप्रेल तक तो पहले प्रदर्शनी लगावें और 30 अप्रेल, के बाद में एक महीना और बढ़ा लेंगे और दो दो हजार रुपया और लगा देंगे। आप विभागों के खर्च में कमी कर रहे हैं? एक लाख रुपया तो इसी महीने में दिया जा रहा है। माननीय सभापति महोदया, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रभारी मंत्रीजी इस बात को देखें। आखिर देश का शासन है, भारत सरकार भी प्रदर्शनी लगाती है। आप तो प्रभारी मंत्री रहे हैं, अनुभव भी बहुत है आपको। मैं तो नया नया आया हूं जैसा कल शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे लेकिन

(श्री कैलाश मेघवाल)

भारत सरकार भी मण्डप लगाती है, मेले लगाती है अपनी तरफ से प्रदर्शनी लगाती है तो कोई हर्ज नहीं था। राजस्थान में कहीं ऐसा नहीं देखा होगा कि सरकारी मण्डप ठेके पर दो दो हजार देकर लगाया जावे। खर्चा भी सरकार करेगी, जमीन सरकारी और आप एक आदमी को दो दो हजार रुपया दे रहे हैं, यह किस बात के दे रहे है ? मैने माननीय प्रभारी मंत्रीजी से निवेदन किया था कि आप मुझे स्पष्टीकरण दें कि ठीक क्या है ? क्या इस राजस्थान का खज़ाना इस तरह से खर्च करना चाहते हैं। यह नमूना पेश कर रहा हू। यह घाटा पूरा करने की आप में ताकत नहीं है। तीन बातें हो चुकी हैं, और भी बातें बता सकता हू लेकिन माननीय सभापति महोदया....

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक लाख रुपया तो बच गया।

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं और भी बता सकता हूं। एक लाख ही नहीं दस करोड़ पर जाता है। वह बात कानों तक पहुंच गई इसलिए वह एक लाख तक ही रहेगा, आपकी बात सुन करके वह तो एक लाख ही रह जायेगा अब, माननीय प्रभारी मन्त्रीजी। माननीय सभापति महोदया, अभी मुझे कहेंगी कि समय खतम हो चुका है। इसमें एक पत्र और है जन सम्पर्क निदेशालय का। उसमें भी सभी विभागों से कहा गया है कि अपने अपने मण्डप लगाओ और जन सम्पर्क निदेशालय ने खुद ने तीन मण्डप लगाये हैं छः हजार रुपये महीने के। मुझे कोई समझा दें कि यह दो हजार रुपया किराया, सरकारी इंस्टालेशन का खर्चा, ट्यूबलाइट का चालीस रुपया किराया और यह सब नुस्खे लखपति बनने के दिये हैं।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

यह भी एक विशेष निवेदन मैं आपसे करता हूं, माननीय सभापति महोदया, पिछली बार के विनियोग विधेयक पर बोलते हुए माननीय जगन्नाथजी पहाड़िया ने एक बात कही थी कि पहले छः सौ प्राथमिक शालायें खोलने का प्रावधान किया था और अब उसको बढ़ाकर आठ सौ कर दिया है क्योंकि हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा मिल सके, यह आवश्यक है। माननीय प्रभारी मन्त्रीजी, सन् 1971 में इस देश में निरक्षर थे 2,08,70,958 बच्चे। दो चार इधर उधर का फर्क हो सकता है और 1981 में निरक्षर हैं 2,59,18,205 या दस। यह आपकी व्यवस्था है। आप करना क्या चाहते हैं और इस साल भी आपने केवल चार सौ रखे हैं प्राइमरी स्कूलस इस राजस्थान में। माननीय सभापति महोदया, आप बहुत प्रयत्न करती हैं राजस्थानी भाषा की। आप विद्वान हैं मैं उसी राजस्थान के आंकड़े दे रहा हूं। उसमें आप देखें कि 1981 में 2, 59, 18,000 के करीब निरक्षर हैं और राजस्थान में भी इसी तरह से है तो आप

(श्री कैलाश मेघवाल)

कब तक राजस्थान की निरक्षरता दूर कर सकेंगे, माननीय प्रभारी मंत्री महोदय इस बात का जवाब दें ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसलिए, माननीय सभापति महोदया, एक निवेदन और कर दूं और वह इसलिए कर दूं कि हमारी पार्टी से कल कोई नहीं बोला। एक घण्टा और बीस मिनट की बहस में कोई नहीं बोला । आज कितने घण्टे बहस होगी, यह तय करके आप हमारी पार्टी का समय निर्धारित कर दें, मैं उसमें से मेरी पार्टी के मुख्य सचेतक से कह कर ज्यादा बोलना होगा तो यह व्यवस्था करूंगा, कोई ज्यादा नहीं बोलें । एक घण्टा बीस मिनट का समय जो कल था उसमें से मेरी पार्टी की ओर से कोई नहीं बोला और आज मेरी पार्टी की ओर से मैं पहला बोल रहा हूं और चूंकि पहला बोल रहा हूं मेरे सचेतक से मैंने इजाजत ले ली है कि मैं अपनी बात कहूंगा इसलिए ज्यादा समय लूंगा । अगर समय नहीं देंगे तो नहीं बोलूंगा । मेरा निवेदन है माननीय स्पीकर महोदय ने भी कहा था कि पहला स्पीकर बोले विरोधी पक्ष का तो उसको छूट होनी चाहिए । इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि मैं पांच दस मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा । मैं सुझाव दे रहा हूं । इसलिए सुझाव दे रहा हूं माननीय सभापति महोदया, कि यहां पर यह सारी बातें हुईं ।

अब मैं आपसे निवेदन करूं—माननीय प्रभारी मन्त्रीजी, राजस्थान में सस्ता न्याय दिलाना चाहते है राजस्थान की जनता को, बड़ी खुशी की बात है। माननीय मुख्य मंत्री भी कहते हैं, कोई भी मंत्री बोलते हैं वे भी कहते हैं, गरीबों को शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब को हम कानूनी मदद देंगे । न्याय कितना मंहगा हो गया यह मैं आपको बताता हूं । 1-2-81 को राजस्थान हाई कोर्ट से, नीचे की कोर्ट के आंकड़े नहीं दूंगा क्योंकि, माननीय सभापति महोदया, मुझे टाइम नहीं देंगी, हाई कोर्ट में 29343 मुकदमें पेंडिंग हैं और ये मुकदमें बहुत पुराने चले आ रहे हैं । मैं आपको अलग अलग सालों के आंकड़े भी बता सकता हूं कि कौन से साल के कितने मुकदमें पेंडिंग हैं, यह सारी जानकारी मेरे पास है । इसी प्रकार से राजस्व बोर्ड में कितने मुकदमे पेंडिग हैं वह मैं आपको बताता हूं । रेवेन्यू बोर्ड में 9342 मुकदमे पेंडिग हैं 1-2-81 को । यह आपकी न्याय व्यवस्था का एक नमूना है कि किस तरह से मुकदमें जल्दी निपटाना चाहते हैं । किस तरह से गरीब जनता को सस्ता न्याय दिलाना चाहते हैं । मैं आपको बताऊं कि हमारे यहां पर विचाराधीन कैदी 3075 हैं और उन विचाराधीन कैदियों में भी तीन तीन साल के भी हैं । इसके अलग अलग आंकड़े भी दे सकता हूं लेकिन मैं जानता हूं कि मैं अगर अलग 2 आंकड़े दूंगा, ज्यादा बोलूंगा तो माननीय सभापति महोदया अभी मुझे रोकेंगी, घण्टी बजायेंगी । इसलिए जल्दी जल्दी मैं दूसरा

(श्री कैलाश मेघवाल)

निवेदन कर देना चाहता हूं कि आपने बजट में यह कहा है कि आप खर्चा कम करेंगे और राजस्थान का प्रशासन और राजस्थान हर एक विभाग ठीक ढंग से काम करे इसके लिए प्रयत्न करेंगे । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रशासन का पूरा ढांचा तो खड़ा हो। आज जितने पदों की मंजूरी है, आज आपके पास जो पद खाली हैं, बजट में जिनका प्रावधान है, गैर योजना मद में जिन विभागों के पद मंजूर हैं आज वह पद भी नहीं भर पा रहे हैं । इसलिए आज यह समस्या सामने आ रही है कि यह काम क्यों नहीं हो रहा है तो यह पद खाली हैं, वह काम नहीं हो रहा है तो वह पद खाली हैं । माननीय सभापति महोदया, मैं अन्य विभागों के अलग अलग आंकड़े नहीं दूंगा । लॉ एण्ड आर्डर की बहुत चर्चा हुई । लॉ एण्ड आर्डर से पुलिस का सीधा सम्बन्ध है, जनता से सीधा सम्बन्ध है । माननीय प्रभारी मंत्रीजी, आप गृह मंत्री से सम्बन्धित हैं, मैं आपको बताता हूं कि आपके पुलिस विभाग में 1-2-81 को 2047 पद खाली पड़े हुए हैं । 2047 पद जिसमेंआई०जी के पद, एस०पी० के पद, डी वाई.एस.पी० के पद, सी० आई० डी के पद, ये सारे पद हैं । अब आप मुझे बताइये, सभापति महोदया, भ्रष्टाचार विभाग की बहुत चर्चा होती है, ये सारे जो आपके विभागीय आंकड़े हैं, ये आंकड़े प्रमाणित आंकड़े हैं आपके विधान सभा में दिए गए हैं । यह आपके विभागीय आंकड़े हैं जो सरकार ने दिये हैं । आंकड़ों में कोई गलती नहीं है । मेरे आंकड़े होते तो कह देते कि गलत हैं । इसलिए, माननीय सभापति महोदया, आपके द्वारा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्थिति है अजमेर जिले को माध्यम बनाकर अगर मैं कहूं कि आपका जो पुलिस विभाग है, उसका कार्य ठीक नहीं चल रहा है । उसकी क्षमता को सुधारने की आवश्यकता है । मैं अब इस विषय को आगे नहीं बढ़ा कर निवेदन करूंगा, दूसरा विषय लूंगा कि पिछली बार माननीय जगन्नाथजी पहाड़िया, मुख्य मंत्री महोदय ने सदन में एक बात कही थी प्रायोरिटीज के बारे में बड़े जोशो खरोश के साथ कि नम्बर वन प्रायोरिटी में हम वितरण व्यवस्था को सक्षम करेंगे । इस पर बहुत बहस हो चुकी है इसलिए, माननीय सभापति महोदया, यह गरीब के पेट से सीधा सम्बन्ध रखने वाली बात है । गांव-गांव के गरीब, गांव-गांव के मजदूर के पेट से सम्बन्ध रखने वाली बात है, उसको आवश्यक उपभोक्ता सामग्री ठीक समय पर ठीक ढंग से मिले इसलिए आप अपने सारे प्रशासन को चुस्ती में लाइये, माननीय प्रभारी मंत्रीजी, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा ।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिलों की चर्चा उठी थी । लेकिन मैं निवेदन करता हूं; माननीय प्रभारी मंत्रीजी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि जिला इकाइयां, तहसील इकाइयां ये हमारी योजनाओं को, सारे कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के

(श्री कैलाश मेघवाल)

आधार हैं। अगर ये सक्षम नहीं होंगी, अग्रणी नहीं होंगी तो मैं, माननीय सभापति महोदय, आपसे ही पूछ लूं, आपको उदयपुर के जिलाधीश से काम है तो....पांच माइल दूर है। वहां से आपको जाना पड़ता है, क्या आपको दिक्कत महसूस नहीं होती? आप तो जा सकते हैं, लेकिन आपके यहां का गरीब कैसे जायगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं यह इसलिये कि जिला कार्यालय से सम्बन्ध पड़ता है, हमारी योजना के सारे कार्यक्रम जिला इकाइयों, डिस्ट्रिक्ट इकाइयों के द्वारा होते हैं। तो यह जिले अनाविल्डी हैं। प्रशासनिक चुस्ती के लिये यह कह देना, जैसा जवाब दिया गया है, चूंकि बजट में प्रावधान नहीं है, जब पैसा होगा तब करेंगे। अरे, यह सारा पैसा बरबाद चला जायगा। हमारी सारी प्रशासनिक इकाइयों को और सक्षम और विल्डी नहीं बनाये। इनारिचबल नहीं बनाये। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपको इन इकाइयों को ठीक करना चाहिये, इसमें सबसे पहले निर्णय लिया जाना चाहिये। अब मैं दूसरी बात निवेदन करूं एग्रीकल्चर के बारे में। माननीय प्रभारी मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं एग्रीकल्चर के बारे में। आई० डी० आई का करोड़ों रुपया आ रहा है, और राजस्थान सरकार का भी करोड़ों रुपया है। राजस्थान रेगिस्तान से परेशान है। पश्चिमी राजस्थान, उसकी अपनी विशिष्ठ सारी प्रकृति है। दक्षिणी राजस्थान आदिवासी इलाका है। उसकी अपनी विशिष्ठ प्रकृति है। मैं आपसे सवाल पूछ लूं, आप कृषि मंत्री नहीं हैं, कृषि मंत्री होते तो उनसे ही पूछता। आपके द्वारा, पिछले दस साल से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसमें क्या अनुसंधान हुआ? उस अनुसंधान का क्या लाभ मिला? पैसा करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। हमने तो रिसर्च वर्क जो सरकारी अधिकार में, अनुसंधान कृषि विभाग में चल रहा था, वह भी कृषि विश्वविद्यालय को दे दिया है। लेकिन वहां के हालात क्या हैं? आज एक एक इंच जमीन हल के नीचे आये, इस बात के प्रयत्न होने चाहिये। माननीय सभापति महोदय, आज इस बात का अनुसंधान होना चाहिये, जो भी जमीन पड़ी है इसमें किस तरह की खेती, कौनसा खाद डालने से, पैदावार में लाभ हो सकता है। हमारे सामने बहुत बड़ा प्रश्न है। हम क्या करने जा रहे हैं? राजस्थान की भूमि के बारे में हम कोई चिन्ता नहीं कर रहे हैं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

एक एक इंच भूमि हल के नीचे आये इसके लिये हमारे कृषि विशेषज्ञ हमारा कृषि विश्वविद्यालय अनुसंधान करे। इस पर हमारा बहुत बड़ा व्यय हो रहा है। माननीय प्रभारी मंत्रीजी, मैं निवेदन करूं इस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान देकर सबसे ज्यादा सुधारने की जरूरत है। कृषि पर हमारा बजट भी बहुत है। लेकिन वह बजट किस तरह से खर्च होता है, मैं अपनी चर्चा लंबी नहीं

(श्री कैलाश मेघवाल)

करना चाहता हूं, बाकी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह हालात हैं। हमारे रेगिस्तान को क्यों नहीं लहलहा सकते? अनेकानेक इस तरह की फसलें, इस तरह के पेड़, इस तरह के पौधे, इस तरह की घास है लेकिन प्रयत्न कहां हो रहे हैं? यहां डा० पी० ए० पी पर चर्चा होकर रह जाता है। आपके यहां भी ब्यावर में डी० पी० ए० पी का कार्यक्रम चल रहा है, माननीय सभापति महोदय, आपको मालूम है, वह क्या है? वहां स्थिति सारे राजस्थान में है। आप अन्दाजा लगाइये, स्थिति संतोषप्रद नहीं है। मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं इसमें आपको प्राथमिकता के आधार से देखना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय प्रभारी मंत्रीजी, आज हमारी स्थिति क्या है? धीरे धीरे हिन्दुस्तान और उसके साथ राजस्थान भोजन, भोजन सामग्री की दृष्टि से गरीब होता चला जा रहा है। माननीय सभापति महोदया, गरीब इसलिये होता चला जा रहा है, मैं आपको बताऊं कि प्लानिंग कमीशन ने यह आंकड़े दे दिये, दूसरे आंकड़े मैं नहीं देता, जो हमारे योजना मंत्री प्लानिंग कमीशन की बात,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

करते हैं, मैं प्लानिंग कमीशन की बात कर रहा हूं। मैं आखीरी कह रहा हूं। कुछ कर्तव्य समझकर अध्ययन करके लाभप्रद बोल रहा हूं। थोड़ा सा समय दीजिये।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप तो लाभप्रद ही बोलते हैं। लेकिन जरा संक्षेप में कहें।

श्री कैलाश मेघवाल : आखिरी बात कह रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, प्लानिंग कमीशन ने तय किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी मिनियम एक आदमी के लिये आवश्यक है। और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी आवश्यक है। हमारे यहां स्थिति यह है 1969-71 में जो 2003 कैलोरी मिलती थी, 1961-62 से चालू करें उस समय स्थिति जरा ठीक थी 1961-62 में 2511 कैलोरी हर आदमी को मिलती थी। 69-71 में 2003 कैलोरी मिलती थी। 72-74 में 2089 कैलोरी मिलती थी और 75-77 में केवल 1949 कैलोरी रह गयी। अब एक तरफ गरीब की केलोरी गिरती जा रही है। एक तरफ पूंजीपति बढ़ते चले जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : 77 के बाद की बतादें।

श्री कैलाश मेघवाल : 77 के बाद में 75-77 में कैलोरी 1949 है और उसके बाद के आंकड़े मेरे इस लेख में नहीं है। जो लेख अभी छपा दिनमान के अन्दर गये महीने, जो नहीं हैं तो नहीं है। जो अनु-

(श्री कैलाश मेघवाल)

संधान हो रहा है, वह मैं बता रहा हूं आपको पता नहीं है, मेरे पास है मैंने कह दिया ना कि घटता जा रहा है उसके मुकाबले। माननीय प्रभारी मंत्रीजी, आप तो अच्छे अध्येता हैं, आपने पढ़ा होगा, लोकसभा में भी एक सवाल आया था, पूंजी बढ़ रही है, पूंजीपतियों की। सारे देश की साढ़ सताइस प्रतिशत पूंजी केवल 10 पूंजिपतियों के हाथ में है। उनकी पूंजी बढ़ती जा रही है, गरीबी बढ़ रही है।

माननीय सभापति महोदय, हमारा बजट अच्छे ढंग से खर्च हो। हमारा बजट राजस्थान की गरीबी को मिटाने के लिये, खर्च हो। राजस्थान के गरीब की आहें मिटाने के लिये राजस्थान के गरीब को शिक्षा देने में, राजस्थान के गरीब का तन ढकने में, राजस्थान के गरीब के सिर को ऊपर छत से ढकने में माननीय प्रभारी मंत्रीजी, खर्च करें। मैंने आपके सामने कुछ नमूने पेश किये, बाकी मैं बहुत ज्यादा कह सकता था, मेरे पास बहुत ज्यादा सामग्री है मगर, माननीय सभापति महोदय, आप मुझे बोलने नहीं दे रही हैं। जब आप बार बार वो करती हैं तो मेरा बोलने का क्रम रुकता है। इसलिये मैं आपको धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्री सभापति : श्री सी. एल. कवरिया।

(अनुपस्थित)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज।

श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़): आदरणीय सभापति महोदया, मैं विनियोग विधेयक का समर्थन करते हुए कुछ अपने सुझाव विचार के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक बात मैं मुख्य रूप से किसानों और गांव के उन लोगों के लिये कहना चाहता हूं जो खेती करते हैं या खेती में सहायक हैं, मजदूर या दस्तकार हैं या इस प्रकार का दूसरा धंधा करते हैं, उनके लिये जो कुछ हम ऋण की सुविधा करते हैं उसका मौजूदा तरीका बड़ा अनुपयोगी है।

आज एक किसान को चाहे हम बैंक से पैसा दिलावें या किन्हीं सहकारी समिति या और किन्हीं व्यापारिक या ग्रामीण बैंक से उसका इतना लम्बा प्रोसीजर है कि वह कई जगह नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेता फिरे, कई जगह रिपोर्ट कराता फिरे, सब कागज तैयार होने के बाद यह बैंक मैनेजर की मर्जी पर है, वह हां बोले या ना। किसी प्रकार की कोई पाबन्दी नहीं है। बैंक मैनेजर से कहें तो सीधा अगला रिजर्व बैंक के तहत बता कर, बहुत बड़ा आदमी अपने को घोषित कर यह बताने की तकलीफ महसूस नहीं करता कि उस किसान, जिससे नोड्यूज तैयार कराने के लिये, सारी फाइल तैयार कराने में चार महीने तक चक्कर कटवाये, को अब किस बात के लिये ना बोला जा रहा है। सारी व्यवस्था के लिये मैं सुझाव देना चाहूंगा। प्रत्येक किसान की एक पास बुक होनी चाहिये। खेती के रिकार्ड से संबंधित पास बुक हमने

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

दे रखी है परन्तु केवल मात्र खेती का रिकार्ड ही काफी नहीं मेरा सुझाव यह है कि किसानों के पास ऐसी पास बुक हो जिसमें न केवल खेती से संबंधित बातें हों, अन्य लगान आदि की बातें जिसमें हो बल्कि उसमें ऋण व्यवस्था की बात होनी चाहिये, कहां से कितना ऋण लिया है, कहां से उसको कैपेसिटी के हिसाब से मिल सकता है, क्या उसकी किस्त है, कितनी किश्त जमा करायी है, यह सब उसमें होना चाहिये। अगर उसमें पैसा निकलता हैं तो वह भी होनी चाहिये ताकि नो ड्यूज वाला चक्कर नहीं रहे। पास बुक एक ऐसा मुकम्मिल दस्तावेज होना चाहिये किसान के पास, जिसको एप्लीकेशन देते ही देखने के साथ, पास बुक चैकिंग करने के बाद ऋण अथोरिटी, जो ऋण देने वाली है, संतुष्ट हो जाये और किसी प्रकार की अन्य कोई रिपोर्ट मंगाने की जरूरत नहीं पड़े। उसमें देख लिया जाय कि किसान की कैपेसिटी क्या है, उसके पास कितनी जमीन है, कितनी दूसरी चीज है, कितने ऋण की इस हिसाब से आवश्यकता होगी। वह अपनी आवश्यकता का प्रमाण पत्र में दे सकता है। उसके बाद उसमें कितनी किसकी बकाया है, यह अलग से देखने की, रिपोर्ट मंगाने की या नोड्यूज सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। जो कुछ मिलेगा कहीं से वह पास बुक के जरिये मिलेगा। तो जो ऋण देने वाली अथोरिटी है, वह पास बुक देख लेगी कोई ऋण लिया है, तो क्या लिया है कितनी किश्त जमा करायी हैं, कोई बकाया तो नहीं है, अब लेता है तो दायरे के भीतर है या नहीं, यह सारी बातें देख कर तत्काल वह निर्णय कर सकेगी, मैं समझता हूं किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, न कोई ज्यादा खर्च बढ़ने वाला है। इसमें एक सुविधा प्राप्त होगी। एक तरीका नया दे सकते हैं, जिसकी वजह से किसान को दुनियां के चक्कर काटने पडते हैं वह नहीं काटने पड़ेंगे। सुविधापूर्वक जल्दी ऋण मुहैया हो सकेगा। जो किसानों के अतिरिक्त दूसरे लोग हैं, मसलन मजदूर, छोटे छोटे दस्तकार, छोटे व्यवसायी, गांव के अन्दर छोटे दुकानदार, या अन्य छोटा मोटा धंधा करने वाले गांव के लोग हैं, उनको ऋण की व्यवस्था के लिये जब हम गांवो में बैंक की शाखाओं का विस्तार करेंगे तो सारे लोगों को, ऋण मुहैया हो सकेगा। प्रत्येक गांव पंचायतों में जैसी कि पहले व्यवस्था थी एक सहकारी समिति होनी चाहिये, आज कल जो दो तीन पंचायतों को मिलाकर एक सहकारी समिति दी गई है, वह गलत तरीका है, जो पहले सारी सुविधाएं मिलती थी, उसमें भी कमी आ गई है।

पंचायत की एक ऐसी सहकारी समिति हो जो ऋण देने का काम करे। वही ऋण दात्री सहकारी समिति भी हो और ग्राम सेवा सहकारी समिति के रूप में भी काम करे वही खाद बीज और कीटनाशक औषधियां

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

देने का और ऋण का काम भी करें। इसी बात को लेकर सहकारी समिति मजदूरो को, काश्तकारों को और दूसरे जो छोटे छोटे धन्धे करने वाले लोग है उनको भी ऋण दे सकेगी और व्यवस्था कर सकेगा। मैं यह चाहूंगा कि ग्रामों में उपभोक्ता भण्डार के रूप में भी सहकारी समिति को काम करना चाहिये। आजकल केवल मात्र चीनी समय पर दी जाती है इसके अलावा कोई उपभोक्ता सामान गांवों में नहीं पहुंचता। बड़े अफसोस की बात है कि शहरी और गांवों के आदमी में अन्तर किया जाता है। मैं समझता हूं जो सुविधा शहरों को दी जाती है वही गांवों को दी जानी चाहिये, चाहे कपड़ा, खाद्य तेल, केरोसिन तेल, चीनी, सीमेन्ट जो भी दूसरी तरह की सुविधा की बात हो। परन्तु यह भी स्पष्ट होना चाहिये कि जितने नियंत्रित पदार्थ है वे व्यक्तियो के हाथों से निकलने चाहिये क्योंकि व्यक्ति मुनाफे के लिये काम करता है और सरकारी दर पर जितने भी काम है उनमें इतना कम मुनाफा है कि साधारण दर पर मुनाफा कर नहीं सकता। प्राइवेट आदमी इसलिये करता है कि वह जानता है कि लोगों की मिली भगत के द्वारा ब्लेक मार्केट करके अच्छा मुनाफा मिल सकेगा। इसलिये जरूरी है कि नियन्त्रित वस्तुओं की गांवों में सुविधाएं देते हैं वह सहकारी समितियों के माध्यम से दी जानी चाहिये ऐसी सहकारी समितियों को ग्राम उपभोक्ता भण्डार के रूप में भी हम प्रयोग करे ऐसा मेरा सुझाव है।

मैं ऋणों के सम्बन्ध में ब्याज की दरों के बारे में कहना चाहूंगा। आज जो ब्याज देने का तरीका है वह बहुत ही गलत है। कहने के लिये तो प्रतिशत कम मूल्य पर है पर इसका ब्याज एडवांस जोड़ कर तब तक के लिये लिया जाता है जब तक कि आखरी किश्त जमा नहीं हो जाय। ब्याज जिस प्रकार से किश्त जमा कराते हैं बीच में उस ढंग से नहीं काटा जाता। इसमें कहने का मतलब ड्योढा या दुगना ब्याज देते हैं इससे किसानों को बहुत बड़ा ब्याज के रूप में घाटा होता है। मेरा सुझाव है कि मौजूदा ब्याज की दरें बहुत बढ़ी हुई हैं। जिस प्रकार व्यवसायी, व्यापारी को व्यवसाय के लिए उद्योगपति बैंकों के जरिये उद्योग के लिये जिस प्रकार कम रेट पर जो ऋण दिया जाता है उसी प्रकार किसानों को भी सस्ते दर पर ऋण मिलना चाहिये और वह ऋण जैसा मैंने निवेदन किया बैंक हो या सहकारी समिति उसके जरिये से मिलना चाहिये।

मैं आखिर में निवेदन करूं कि जितनी किसानों के खेतों के काम में आने वाली चीजें हैं उनका लगातार तीन साल से मूल्य बढ़ा है और बढ़ाना रुका नहीं है इनका अभी। कीटनाशक औषधियां, रसायनिक खाद, चाहे और किसी प्रकार का सामान लीजिये उनकी तीन साल में इतनी कीमतें बढ़ी है कि आज किसान बाजार

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

में अपने अनाज को बेचकर उसके मुकाबले में ये चीजें खरीदता है तो बड़े घाटे का धन्धा रहता है। इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें विशेष प्रकार से इसके लिये अनुदान तय करना चाहिये जैसा हरियाणा और पंजाब में है। कृषि उपज मण्डी समिति की ओर से भी कीटनाशक औषधियों इन वस्तुओं के लिये किसानों को अनुदान दिया जाता है ताकि उसमें बढ़े हुए मूल्यों से राहत मिल सके। राजस्थान में भी इस प्रकार की व्यवस्था किसानों के हक में होनी चाहिये। इसके अलावा यदि छोटे दस्तकार गांवों में रहते हैं उनके लिये कच्चा माल कंट्रोल का सूत नहीं मिलता है। इसी प्रकार छोटे छोटे धंधे, कारखाने लगा लेते हैं गांवों में उनको कच्चा माल कंट्रोल रेट पर मिलने की सुविधा नहीं है। मेरा सुझाव है कि ग्रामोद्योग को जो कुछ भी रा मेटीरियल चाहिये वह सरकार की ओर से रियायती दरों पर मुहैया कराना चाहिये ताकि उद्योगों को प्रोत्साहन मिल सके

आम उपभोक्ता के जो साधारण रूप में चीजें काम में आती हैं उनके मूल्य निर्धारित कर देने चाहिये चाहे वह खाद्य तेल अथवा साबुन तेल, सीमेंट, बीड़ी, माचिस, सिगरेट, रोजाना के काम में आने वाली चीजें हैं उनकी रेट निर्धारित करनी चाहिये और ये उपभोक्ता भण्डार के जरिये गांव वालों को मुहैया करानी चाहिये। गांवों में बच्चों की कापियां और किताबों पर इन व्यवसाइयों ने बड़ी भारी लूट की है और 2-3 साल में तो इनकी कीमतें बेतहासा बढ़ी हैं, इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। मैं तो सुझाव देना चाहूंगा कि जो चीजें हमारे राजस्थान में पैदा हों उनके लागत मूल्य के हिसाब से मूल्य पर हमारा अंकुश होना चाहिये न हो खुली छूट ताकि व्यापारी उनको मर्जी से न बेचें। यह मैं समझता हूं राज व्यवस्था के अनुकूल नहीं हैं कोई आदमी किस चीज को किस भाव से बेचता है इसकी दलील होनी चाहिये, उस पर नियंत्रण होना चाहिये। राज इस बात को देखता रहे कि कौन आदमी किस चीज को किस भाव बेचता हैं। मौजूदा कानून में केवल दुकानदार को यह लिख देना काफी है कि फलां सामान है उसका यह भाव है। उसके ऊपर पाबन्दी नहीं है कि चीजों को वह किस भाव में बेचेगा। पीतल के वर्तन 35) रु० किलो लाकर 45) रु० किलो बेचे तो मैं समझता हूं यह खुली छूट उन लोगों को गरीबों के शोषण के लिये मिली हुई है। यह समाजवादी व्यवस्था के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। इसलिए मेरा विनम्र सुझाव है कि कोई भी चाहे अपनी मर्जी के भाव बेच सके। जो भी वस्तुएं हैं उन सब के मूल्य सरकार की ओर से नियंत्रित किये जाने चाहिये और वाजिब रेट पर लोगों को सुलभ होनी चाहिये, ब्लेक मार्केट न हो इसकी ओर ध्यान देना चाहिये।

मैं समझता हूं चोनी जैसी चीज जनता पार्टी की कुनीति के कारण से विदेशी

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

मुद्रा से मंगानी पड़ी है। अब शायद ऐसी स्थिति आयेगी कि हमको बाहर से न मंगानी पड़े। परन्तु बावजूद इसके कि हमने बाहर से मंगा कर या गोदामों से चीनी दी वह आम उपभोक्ता तक पहुंची या नहीं इसका हमने कोई तौर तरीका इस्तेमाल नहीं किया। मेरा आरोप है कि तीन साल में अधिकारियों और व्यवसायियों की मिली भगत जनता पार्टी ने शुरू की थी, अभी हम उसको रोक नहीं पाये हैं....

(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी : आज तो चाय पीनी भी मुश्किल हो रही है।

(व्यवस्था सूचक घंटी)

3·15 रु० चीनी हुई थी, तुम तीन जन्म में नहीं करा सकते।

(व्यवधान)

श्री भैरूं लाल भारद्वाज : माननीय जोशी जी, मैं आपकी व्यक्तिगत रूप में तारीफ करता हूं सामान्य कार्यकर्ता के नाते, परन्तु जनता पार्टी, जिस पर जनसंघ का वर्चस्व रहा है और था, केवल व्यवसायियों के हित साधन का काम करती रही। जनसंघ का काम यही है कि वह निहित स्वार्थों का प्रतिनिधित्व करता है और उनको संरक्षण देता है बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय पूंजीवाद के दुष्चक्र में भी शामिल है। अगर मैं कहूं कि पश्चिमी मुल्कों और किसी तरह से अमेरिका की पूंजीवादी व्यवस्था को थोपना चाहता है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य, जनसंघ तो मर गया। कहां जनसंघ का नाम ले रहे हो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, उनको बोलने का अधिकार है। माननीय सदस्य, बोलने दें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदया, माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाये हैं उनको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री दाऊ दयाल जोशी : हमारी नीति को सारा हिन्दुस्तान जानता है....

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : आप दोहरी नीति चल रहे हो।

मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है, सभापति महोदया, जनता पार्टी के तौर तरीके अर्थ नीति और राजनीति में भिन्न हैं। राजनीतिक तौर पर वह गरीबों के लिये हमदर्दी जाहिर करती है और यहां पर थोड़ी थोड़ी सी बात पर उछलती है ताकि अखबारों में यह सब छपे। वह यहां पर ऐसा प्रदर्शित करना चाहती है कि वह गरीबों के प्रति चिन्तित है परन्तु वास्तव में जो उसकी अर्थ नीति है वह बिलकुल ही

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था पर आधारित है। वह यह चाहती है कि देश के अन्दर शोषण जारी रहे, आगे भी चलता रहे और गरीबों का शोषण होता रहे। ये वोट लेने के लिये गरीबों के पास जाते हैं और लफ्फाजी के तौर तरीकों से गरीबों के हित की बात करते हैं....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य....

श्री दाऊ दयाल जोशी : कांग्रेस का कोई भी माननीय सदस्य अपनी सम्पत्ति की घोषणा करे। मैं अपनी सम्पति बताने को तैयार हूं....

(व्यवधान)

कोई भी कांग्रेस का सदस्य तैयार है ?

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदया, विरोधी दल के माननीय सदस्य जब कोई वक्तव्य देते हैं तो हमारी तरफ से कोई नहीं बोलता है, हम उनके वक्तव्य को सुनते हैं। अब माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे हैं तो इनको क्यों गिला हो रही हो रही ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, शांत रहें।

(व्यवस्था सूचक घंटी)

माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : सभापति महोदया, कांग्रेस की नीति राजनीति में भी शुद्ध प्रजातांत्रिक रही है परन्तु उसमें निहित है समाजवादी अर्थ व्यवस्था। इसलिये हम इस पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ जब तक सख्त कदम नहीं उठायेंगे तब तक कांग्रेस के सिद्धांत पर आधारित गरीबों को आगे बढ़ाने का सपना नहीं संजो सकेंगे चाहे वह हमारे सामने बैठने वाले मित्रों को पसन्द आवे या नहीं आवे। हमें इस बात की चिन्ता नहीं करनी चाहिए। यह हम जानते हैं कि हिन्दुस्तान के अन्दर 70–80 घराने ऐसे हैं जिनके पास अपार सम्पति है, जो माननीय सदस्य सामने बैठे हैं, उनको खुश करने के लिए उन्हें कई बातें यहां पर करनी पड़ती हैं। कांग्रेस उनको खुश करने के लिये नहीं है बल्कि 60–68 करोड़ लोगों के हित की बात को ध्यान में रखती है।

मैं इस वक्त थोड़ा सा सुझाव कानून और व्यवस्था के बारे में पुलिस, प्रशासन के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। निवेदन यह है कि पुलिस का जो प्रशासन है उसमें हमें परिवर्तन करना है। सिपाही, हैड कान्स्टेबल, ए. एस. आई., सब इन्स्पेक्टर, और डी वाई एस. पी. ये जितने भी पद हैं, नीचे से डी. वाई. एस. पी. के, इन पदों की संख्या में हमको अभिवृद्धि करनी पड़ेगी। और इनको वेतन, भत्ते और दूसरी सुविधा देनी पड़ेगी। बड़े आफिसरों को तो सुविधा मिल जाती है किन्तु सिपाही, कान्स्टेबल. हैड कांस्टेबल, थानेदार को सुविधा नहीं मिलती है। इसके जीवन–यापन के लिये ही नहीं

(श्री भैरूलाल भारद्वाज)

बल्कि पुलिस प्रशासन को चुस्त करने के लिये, अपराधों की रोकथाम करने के लिए और अपने कार्य को मजबूती, ईमानदारी से निभाने के लिये इनको जो सुविधाएं चाहिए वह नहीं मिल पाती हैं। थानों की संख्या बढ़नी चाहिये जनसंख्या के हिसाब से और प्रत्येक थाने में हमको जीप मुहैया करानी चाहिये। इसी सिलसिले में हमारी सरकार ने थानों में जीप, वायरलैस सैट देने का कार्यक्रम बनाया है। उसमें मैं यह कहूंगा कि जयपुर जिले में पहले यह कार्यक्रम शुरू किया जाये क्योंकि यहां पर राजधानी है और केवल राजस्थान के अपराधी ही नहीं बल्कि हरियाणा यू. पी. पंजाब के अपराधी भी यहां पर आते हैं। इसका असर जयपुर शहर, जयपुर देहात पर भी पड़ता है। इसलिये जयपुर शहर देहात के जितने भी थाने हैं उनमें अविलम्ब जीप मुहैया करानी चाहिये, वायरलैस सैट और दूसरे प्रकार के टेलीफोन आदि के साधन मिलने चाहिये। माननीय सभापति महोदया, मेरा सुझाव है कि प्रत्येक थाने में किसी मुकदमे के दौरान लिखा पढ़ी में इतना लम्बा उलझाव होता है कि एक थानेदार उसी में लग जाता, है। इसीलिये एक आदमी तो अपराधों की रोक थाम के लिये हो यानि एक थानेदार इसी के लिये हो और दूसरा थानेदार मुकदमों की लिखा पढ़ी करने के लिये हो। यानि हर थाने में दो थानेदार की पोस्ट होनी चाहिये। ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि पुलिस को हमें विशेष तौर से ट्रेन्ड करना होगा इस प्रजातंत्र के अनुरूप क्योंकि अब तक पुलिस जो अंग्रेजों के जमाने में और राजाओं के जमाने में व्यवहार करती आई है, उसी प्रकार का कोई मौलिक सुधार नहीं आया है। इस के दो कारण हैं, एक तो व्यवस्था का और दूसरा वेतन आदि सुविधाओं का। दूसरी बात इनमें प्रशिक्षण की कमी है। हमने कभी प्रशिक्षण देकर पुलिस को समझाने की कोशिश नहीं की है। आज जनता का राज है। आज जनता के ऊपर वे शासक नहीं हैं बल्कि उनको जनता के नौकर की हैसियत से काम करना है। सिपाही को ट्रेनिंग देकर हमको यह व्यवस्था करनी होगी। मैं आपको यह सुझाव दूंगा कि आई. ए. एस. और आइ. पी. एस अधिकारियों को यह ट्रेनिंग देना पड़ेगी कि वे अपने आप को जनता के ऊपर आफिसर के रूप में न समझें, जैसा कि वे पुराने जमाने में अपने को समझते थे। अच्छे सेवक के रूप में उनको अपनी सेवाएं देने के लिये प्रजातंत्र के अनुरूप बनना होगा और जनतांत्रिक रूप में ढालने के लिये प्रशिक्षण देना होगा ....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

चूंकि समय का अभाव है इसलिये सभापति महोदय, मैं अपनी बात को जल्दी ही समाप्त करना चाहूंगा। परन्तु मैं यह सुझाव दूंगा कि ....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, काफी समय हो गया है। ....

श्री भैरू लाल भारद्वाज : हम को मूलभूत परिवर्तन, क्रान्तिकारी परिवर्तन समाजवादी व्यवस्था को ढालने के लिये करने के ओर तेजी से सख्त कदम उठाने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार बड़ी तल्लीनता के साथ, बड़े मनोयोग के साथ अपना काम करेगी। मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी हमारे प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त कर सकेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री यदुनाथ सिंह।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : सभापति महोदया, सरकार 1614.39 करोड़ रुपये का एप्रोप्रिएशन बिल लेकर सदन में आई है और इसको पास कराना चाहती है। इसको पास करने से पहले हमें यह मूल्यांकन करना होगा कि जो पैसा खर्च किया जा रहा है, जो प्राविजन किया जा रहा है वह विकास की गति को बढ़ा रहा है, उससे प्रोडक्टिव खर्चा बढ़ रहा है। जो इसमें मांग की गई हैं उनमें ज्यादातर मांगे की गई हैं कहीं पर चिकित्सा व्यय ज्यादा होने से, कहीं पर सैलेरी ज्यादा होने से, लेकिन प्रोडक्टिव जो खर्चा है वह नहीं मांगा गया है। इसलिये हमें यह मूल्यांकन करना होगा, आज का ही नहीं बल्कि पिछले 33–34 वर्ष का मूल्यांकन करना होगा। आज जिस नीति पर हम चल रहे हैं वह नीति देश के लिये सफल रही है या असफल रही है। अगर वह नीति सफल रही होती तो आज देश का जो पैटर्न बन गया है वह पैटर्न खतरनाक बनता जा रहा है। सभापति महोदया, देश में गरीबी की रेखा से आगे बढ़ते हुए आदमियों की जनसंख्या बढ़ती जा रही हैं। पार्लियामेन्ट में प्लानिंग मिनिस्टर साहब ने एक उत्तर में बताया कि आज देश में 56 प्रतिशत आदमी गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं उनमें से साढ़े तेरह करोड़ आदमी ऐसे हैं, जिनकी आमदनी 35 पैसे रोज से कम है। तो इस पर पुनर्विचार करना होगा। इसके क्या कारण हैं? गरीबी की रेखा के नीचे गरीब देश में बढते जा रहे हैं। गरीबी बढ़ने का एक ही कारण हैं कि हम लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। अगर रोजगार दिया होता तो गरीबों की संख्या नहीं बढ़ती। आज देश में पूंजी केन्द्रित होती चली जा रही है। देश में एक प्रतिशत परिवार ऐसे है जिनकी आमदनी एक लाख रुपये से ऊपर है। देश में चार प्रतिशत परिवार ऐसे है जिनकी आमदनी एक लाख रुपये से 50 हजार रुपये के बीच में है वे परिवार हैं इन्डस्ट्रियलिस्ट परिवार। जिनको एक मायने में असली रूलर, शासन चलाने वाला कहा जा सकता है। 5 % ऐसे परिवार हैं जिनमें राजनेता, ब्यूरोक्रेट आ0ए0एस0, आई0पी0एस0 आदि बड़े बड़े अधिकारी आते हैं। इन दस प्रतिशत के पास पूंजी केन्द्रित होती जा रही है। माननीय सभापति महोदया, आप अन्दाजा लगाइये यह डिसपेरिटी जो गांव और शहरों में बढ़ रही है।

(श्री यदुनाथ सिंह)

जो गरीब की रेखा से नीचे रहने वाले हैं उनमें से अधिकांश गांवों मे रहने वाले है उनकी हालत का मुलाहिजा फरमाइये 25 प्रतिशत आदमी ऐसे है गांवों मे जिनकी आमदनी सालाना 1000 से 3500 तक की है और 37 प्रतिशत ऐसे है जिनकी आमदनी 1000 से भी नीचे है। यह देश की स्थिति बनती चली जा रही है और बढ़ती जा रही है क्योकि नीतियां उसी प्रकार की चल रही है। सरकारी खर्च दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। सरकारी खर्च का प्रतिशत देखें तो नोन डवलपमट खर्च में बढ़ोतरी हो रही है और डवलपमेंट एक्सपेंडीचर पर खर्चा कम हो रहा है लेकिन इस तरह से पैसा बढ़ता जायेगा नोन डवलपमेंट प्रोडक्शन पर तो आप किस तरह डवलपमट प्रोडक्शन पर खर्चा बढ़ायगे ? एक बात और अर्ज करना चाहूगा खेती करने वाला रहा हू मैं और कृषि की जितनी परेशानिया है उनका मुझे सीधा अनुभव है। आप देश के इतिहास को दो हिस्सों म बांट लें–आजादी के बाद के हिस्से को तो 52 से 65 तक का हिस्सा मान लें और 65 से अब तक का दूसरा हिस्सा मान लें। 15–15 साल के दो हिस्से बना लें जो पहले 15 साल हैं उनमें ग्रोथ रेट एग्रीकलचर की नेशनल ग्रोथ रेट 3.2 प्रतिशत थी लेकिन बाद में 15 वर्षों में वह ग्रोथ रेट घट कर 2.2 प्रतिशत पर आ गयी यह पिछले 15 सालों में हुआ जब कि 65 के बाद का यह हिस्सा है जिससे खेती में नये नये एक्सपेरीमेंट हुए, खाद का आविष्कार हुआ, नये नये बीजों का आविष्कार हुआ, इरिगेशन के साधनों का आविष्कार हुआ फिर क्या कारण है कि ज्यादा साधन बढ़ने के बावजूद हमारी जो बढ़ोत्तरी है नेशनल प्रोडक्शन की वह गिरती जा रही है ? या तो यह खाद हमारी खेती के लिये उपयुक्त नहीं है या खाद जिस तरह से डालनी चाहिये उसकी जानकारी हम किसानों को लिखा पढ़ा कर नहीं कर पाये। हमें इन सब पहलुओं पर अगर प्रोडक्शन बढ़ाना हो तो ध्यान देना होगा। एक खेती की बात करूंगा, किसान का नारा लगाते हैं लेकिन कर क्या रहे हैं ? जो जनता पार्टी ने छठी पंचवर्षीय योजना में प्रोविजन बनाया था उसमें से खेती में 10 हजार करोड़ रुपये कम किये गये हैं। इसी प्रकार सिंचित क्षेत्र में 40 लाख हैक्टयर कम करने का आपने प्रावधान किया है। अगर आप सिंचाई के लिये पानी नहीं दे सकते हैं अगर आप खेती के बजट में कमी करते चले जायेंगे तो फिर खेती का विकास कैसे करेंगे। खेती का विकास करना आज इसलिये आवश्यक है कि 78–80 प्रतिशत जनता खेती के ऊपर निर्भर है। आप अधिकाश जनता का भला नहीं कर पायें तब तक आप कैसे वैलफेयर स्टेट का दावा कर सकते हैं ? माननीय सभापति महोदया, जो पिछले टाइम में इस सरकार की उपलब्धियां रही हैं जो उपलब्धियां हैं वह तो कम ही है आज उसकी ओर आते हैं तो

(श्री यदुनाथ सिंह)

हमारी मंहगाई बढ़ रही है मंहगाई का सूचकांक सरकारी हिसाब से 16 प्रतिशत बढ़ा है और वह और बढ़ेगा। अभी 20 जनवरी को स्टील और कोयले और पेट्रोलियम के भाव बढ़ा कर पीठ में छुरा भोंका गया है। छठी योजना में आप अगले साल क्या करने जा रहे हैं? एशियाड पर 750 करोड रुपया खर्च करने जा रहे हैं और वह भी केवल कुछ लोगों की ऐयाशी पर खर्च करने जा रहे हैं। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि पूरे देश का स्टील और कोयले और सीमेंट का जितना प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन का आधा प्रोडक्शन तो एशियाड में खर्च हो जायेगा। बिल्डिंग बनाने में, और कामों में खर्च हो जायेगा तो उससे न सिर्फ पूरे राजस्थान का बल्कि पूरे देश का जो विकास है वह निश्चित तौर पर रुकेगा। साथ ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान नहर, जो पहले 66.5 करोड़ की थी 57 में और आज 225 करोड़ पर पहुंच गयी है लेकिन पूरी नहीं हुई है। उस पैसे को राजस्थान में खर्च करवा सकते अगर आप अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुये केन्द्र सरकार से तो राजस्थान हमेशा के लिये सर सब्ज होता, न तो पानी की समस्या होती, न सूखा से प्रभावित होने की राजस्थान की समस्या होती। तो विकास की योजना जब तक खेती के ऊपर निर्भर रहने वाले 80 प्रतिशत के लिये नहीं बनायेंगे तब तक ठीक प्रकार से नहीं होगा।

आप देखिये कि फूड आर्टिकल में मूल्य सूचकांक 64.3 प्रतिशत बढ़ा, इडस्ट्रियल में भी बढ़ा, मैन्यूफैक्चरिंग गुड्स में भी बढ़ा और जितने भी हैं उन सबका मूल्य सूचकांक बढ़ता जा रहा है दूसरी तरफ नोन प्रोडक्शन खर्च का सूचकांक बढ़ रहा है और प्रोडक्शन खर्च में कमी आ रही है, बजट में उसका प्रतिशत कम हो रहा है। तो आज एप्रोप्रिएशन प्रोविजन के लिये हाउस में आये हैं, अध्यक्ष महोदय, इसको किस प्रकार खर्च करना चाहते हैं? आपने सड़कों के लिये 1 करोड़ और 40 लाख रुपये मांगा है। उस 1 करोड़ 40 लाख में से एक करोड़ तो केवल बैर और भुसावल के लिए मांगा गया है। विकास आप राजस्थान का करना चाहते हैं उसके लिये रखा 40 लाख। 73 प्रतिशत होता है जो आपने मांगा है कुल उसका वह आप बैर में खर्च कर रहे हैं, केवल पहाड़िया जी के चुनाव लडने के लिए खर्च करना चाहते हैं तब तो विकास की जो मंशा है वह आप जाने। माननीय सदस्यों को, सबको चाहे वह किसी क्षेत्र के हों, दल के हों हमको बराबर अधिकार होना चाहिए। मैं एक बात और बताना चाहता हूं हमारे कलेक्टर पता नहीं किस तरह की नादिरशाही पर आमादा है? कानून को ताक में रखकर, कानून को तोड़ कर पहाड़ियाजी की नजरों में ऊंचा उठ कर पता नहीं वे क्या चीफ सैक्रेटरी बनना चाहते हैं? हमारे यहां जो जो मंड़ियां हैं उनका पैसा जो इकट्ठा किया हुआ था 78 में वह कच्ची रोड को पक्का करने के लिये फूड फार वर्क के कामों को

(130)

(श्री यदुनाथ सिंह)

पूरा करने के लिये था। वह पैसा मार्केटिंग एक्ट के मुताबिक उसी क्षेत्र में खर्च किया जा सकता है लेकिन कलेक्टर हिटलर की तरफ व्यवस्था कर रहे हैं। भरतपुर में उन्होंने हमारी जो 6 मंडियों का पैसा है उसमें से 7 लाख 69 हजार रुपया दे दिया। किस अधिकार से दिया, इसका जवाब मुख्य मंत्री महोदय, को मंत्री महोदय को देना चाहिये। क्या कलेक्टर को अधिकार है कि जो कानूनी धारा है उसका उल्लंघन करके मुख्य मंत्रीजी की नजरों में चढ़ने के लिये दूसरे क्षेत्रों के विकास को रोकने के लिये पैसे को मुख्य मंत्रीजी के क्षेत्र में खर्च कर सकें ?

यहां एक विकास में आमूल चूल परिवर्तन करने की बात कही भारद्वाजजी ने लेकिन आमूल चूल परिवर्तन करने के लिये सबसे पहले देश की शिक्षा नीति में परिवर्तन करना आवश्यक है।

(व्यवधान)

आपने ठीक फर्माया, आई० ए० एस और आई० पी० एस की जकड़ बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है ? नीति निर्धारण करते हैं और नीति निर्धारण करते हैं एयर कंडीशन कमरों में बैठ कर दिल्ली में। जयपुर की सड़कों पर हेले कूदे और यहां बड़े हो गये और वहां बैठकर नीति बना रहे हैं। ये हमारे दर्द का, हमारी आत्मा का, हमारी क्या परेशानियां हैं, किस तरह किसान बरसात में, बर्फ में, ओलों में, ठन्ड में काम करता है उसका क्या अन्दाजा है ? यह तब होगा जब आप शिक्षा नीति में आमूल चूल परिवर्तन करेंगे। उनको हमारे दर्द का पता नहीं है। उनको हमारी समस्याओं का पता नहीं है। वे अन्दाजा लगा नहीं सकते हैं, यह सबसे बड़ी समस्या है। देश को आप कैसे समाजवादी व्यवस्था देने की बात करते हैं ? भारद्वाजजी, मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि जब तक पब्लिक स्कूल हैं जब तक इन्दिरा गांधी का बेटा और भंगन का बेटा एक साथ नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था कर सकें तो न रिजर्वेशन की आवश्यकता होगी न ही और कोई आवश्यकता होगी। डिसपेरिटी नजर आती है आपकी नीतियों से। आज जहां देश का 80 प्रतिशत आदमी रहता है वहां के लिये सारे देश का केवल साढ़े 13 प्रतिशत पैसा ही विकास के मिल पाया है, इसके लिये दोषी कोन है ? भारद्वाजजी, यह आप हैं 33 सालों तक ब्लैक मैल करते आ रहे हैं। आमूल चूल परिवर्तन करना, भारद्वाजजी, आपके बस का नहीं है। ढकोसला चला रहे हैं, गांधीजी के विचारों की दुहाई देते हैं, ग्राम स्वराज्य की दुहाई देते हैं क्या ग्राम स्वराज्य को आपने यूनिट माना है।

श्री भैरू लाल भारद्वाज : तीन सालों का बतायें।

श्री यदुनाथ सिंह : तीन सालों को आप 33 सालों के बराबर मान रहे हैं।

श्री सभापति : आपस में बातें नहीं करें।

श्री यदुनाथ सिंह : हमारे समय में गांव में स्कूल बने थे, हास्पिटल बने थे, सड़कें बनी थीं। किसी वजह से सरकार टूट गयी। आपस में झगड़े हो गये पर, सभापति महोदय, हर डेमोक्रेटिक पार्टी में झगड़े होते हैं, आपकी तरह नहीं कि एक पार्टी में बीसियों पार्टी होंगी। यह नहीं कि आप तीन सालों का कम्पेरीजन 33 सालों से करें, तो यह उचित नहीं होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

निश्चित रूप से जनता पार्टी के राज में मूल्यों में स्थिरता आयी थी, इन्फ्लेशन में भी कमी आयी थी और गांवों की तरफ विकास का मुंह मुड़ा था इसलिये....

श्री राम रघुनाथ चौधरी : हमारी पार्टी की वजह से ही आप यहां आये हैं?

श्री यदुनाथ सिंह : इसलिये यह कहें कि इस बिल को पास किया जाये तो मैं समझता हूं कि यह बिल सरकारी खर्च का है। नोन प्रोडक्शन के लिये ज्यादा पैसा मांगा गया है। राजस्थान के विकास की गति बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। आज अगर यह गावों की तरफ बजट का पैसा जाता, गांवों में सड़कें नहीं हैं, स्कूल नहीं हैं, हास्पिटल नहीं हैं पर यहां पर बड़े बड़े हास्पिटल बनते हैं। एक दिन पानी नहीं मिलता है तो हल्ला मच जाता है। पैट्रोल पम्प की खबर राजस्थान पत्रिका में छपी कि पैट्रोल नहीं है और पैट्रोल पम्प पर भीड़ लग रही है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरी पार्टी की तरफ से माननीय सभापति महोदया, डेढ़ आदमी ही बोलने वाले हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपको 15 मिनट हो गये हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : तो इसकी खबर मुख पृष्ठ पर छापी गयी। जो गांव के लोग परेशान रहे तीन चार दिन तक पैट्रोल के लिये पैट्रोल पम्प पर खड़े रहे आपका और इस देश का पेट भरने के लिये उन्होंने क्या बेइमानी की है, चोरी की है, क्या वे बेइमानी जानते हैं? उन पर तरह तरह की सीलिंग लगा रहे हैं दूसरी तरफ बिड़ला टाटा बढ़ रहे हैं उनके ऊपर अंकुश नहीं लगाते हैं। जब तक आप सबको समान अवसर नहीं देंगे, सबको समान दृष्टिकोण से नही देखेंगे तब तक आप देश का भला नहीं कर सकते हैं। राजस्थान का कुल सिंचित क्षेत्र 70 प्रतिशत है और शिक्षा का 19 प्रतिशत है और....

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह बढ़ गया है। देश की नयी जनगणना के बाद में शिक्षा का प्रतिशत बढ़ गया है।

श्री यदुनाथ सिंह : देश का प्रतिशत बढ़ गया है उससे राजस्थान का प्रतिशत कम बढ़ा जब कि राजस्थान की जनसंख्या का देश के प्रतिशत के हिसाब से ज्यादा बढ़ा है। शिक्षा का पर्सेन्टेज बढ़ा लिया लेकिन कितने बेरोजगार बढ़ा लिये, कितने अशिक्षित बढ़ा लिये?

श्री श्रीराम गोटेवाला : आबादी भी 3 करोड़ और 40 लाख की हो गई !

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : इसलिए, सभापति महोदय, जो यह मांग की गई है वह अय्याशी और तनख्वाह बढ़ाने के लिये की गई है, इसलिये मैं इस बिल का विरोध कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़): सभापति महोदया, राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1981 पर मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। सभापति महोदया, 1981-82 का बजट जो है, काफी घाटे का बजट है इस घाटे की पूर्ति किस प्रकार से हो, उस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। यदि इस घाटे की पूर्ति राजस्थान का जो विकास होना चाहिये उसको ध्यान में रख कर की जाती है तो मैं सोचता हूं यह उचित रहेगा। उसके लिए हमारी सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिनके कारण से टैक्स लगें। मैं इस बात के लिए तो राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता पर और कोई टैक्स नहीं लगाया। लेकिन जो इतना बड़ा घाटा है उसकी पूर्ति किस प्रकार से हो, इसको कैसे पूरा किया जाय इसके लिए भी निश्चित रूप से बजट में होना चाहिये था, वह नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि खर्च में कटौती की जाय। डवलपमेंट के कामों में या जो छोटी-छोटी संस्थाओं में कमी करना उचित नहीं है। हमने देखा कि राजस्थान में प्राइमरी स्कूलों में कमी कर दी गई। शिक्षा का जो आधार है प्राइमरी एजूकेशन उस में भी कमी हो तो मैं सोचता हूं यह अच्छी परंपरा नहीं है। इसलिए ऐसी कटौती नहीं की जानी चाहिये। इस पर विचार करना चाहिये। जनता पार्टी ने भावना में बह कर शराबबंदी की। उससे सालाना 80 करोड़ का रेवेन्यू मिलता था और उसके कारण से राजस्थान का विकास होता था।

श्री यदुनाथ सिंह : जहर पिला कर राजस्थान का विकास करना हो....

(व्यधान)

श्री नारायणसिंह : शराब पहले से ज्यादा पी जाती है। राजस्थान सरकार कहीं भी जांच करके देख ले— जितनी मात्रा में शराब पहले पी जाती थी उससे दुगुनी संख्या में शराब आज बिक रही है। घोषणा करने से ही अगर हम यह मान कर चलें कि शराबबन्दी कर दी, कानून बन गया, अब कोई शराब नहीं पीयेगा, यह मानकर चलें कि शराबबन्दी हो गई तो रोज आप देखते हैं, रेनवाल में शराब पी कर गरीब लोग मर गये। आज आम आदमी शराब पीता है उसमें बी.एच.सी. और ऐसी ही चीजें डालकर लोगों का स्वास्थ्य खराब किया जाता है। राजस्थान को उसके अलावा बहुत बड़ा घाटा है, चार पांच साल में साढ़े चार सो करोड़

(श्री नारायण सिंह)

का होगा और उसके बाद में आप अन्दाज लगायें कि राजस्थान के विकास में कितनी बाधा पैदा होगी। इसलिए इस बात को भावना के साथ न जोड़कर इसके साथ जोड़ना चाहिये....

(व्यवधान)

कि शराबबन्दी जैसे सामाजिक काम कानून के जरिये नहीं हो सकते। इसके लिए ऐसा वातावरण तैयार करना पड़ेगा, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को तैयार करना पड़ेगा।

(4 . 25 म . प.)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

जिससे जो गरीब लोग इसका ज्यादा उपयोग करते हैं वे इसका उपयोग न करें। इस तरह से शराबबन्दी की जा सकती है। आपने कानून बनाया मृत्युभोज बंद होना चाहिये, आप यह मानकर चलते हैं कि मृत्यु भोज बन्द हो गया! आपने बाल विवाह बन्द करने के लिये कानून बनाया, क्या आज बाल विवाह नहीं होते? तो ऐसी जो समाज में बातें हैं उनको कानून के जरिये नहीं किया जा सकता। उसके लिए वातावरण तैयार करना पड़ेगा, और वातावरण समाज के अच्छे लोग, अच्छे कार्यकर्ता द्वारा लोगों को समझाकर तैयार किया जाना चाहिये। इसलिए मेरा सुझाव है कि शराबबन्दी जो भावनावश की गई थी उसको समाप्त किया जाना चाहिये, नहीं तो राजस्थान का विकास नहीं होगा। इसको समाप्त करने से विकास की गति तेज हो सकेगी। इसके अलावा जो दूसरे टैक्स लगे हुए हैं, सैल्स टैक्स के अन्दर जितना पैसा सरकार को मिलना चाहिये, उसका बीस पर्सेन्ट राज्य सरकार को मिलता है। सारा का सारा पैसा जितना सैल्स टैक्स का वसूल होता है, जो सामान विकता है, उससे सैल्स टैक्स लिया जाता है लेकिन सरकार के पास पैसा नहीं आता बल्कि वह जो सैल्स टैक्स लेता है वह रखता है। इसी तरह यात्री टैक्स लीजिये या दूसरे जो भी टैक्स लगाये, उनकी स्थिति है। सरकार ने जो टैक्स लगा रखे हैं यदि उनको ही मुस्तैदी से और मजबूती से, ठीक ढंग से यदि वसूल करे तो मैं समझता हूं और कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़े और सरकार को जो घाटा होता है वह घाटा नहीं रहे। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि इस तरह के जो मामले हैं उन पर सरकार को मजबूती से कदम उठाना चाहिये जिससे राज्य की आमदनी बढ़े और हमारा विकास रुके नहीं। इसी प्रकार सदन में कई बार, कई तरह की बातें आई। बड़े बड़े शहरों में ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे शहरों में भी आबादी बढ़ती जा रही है, उसके कारण से लोगों के रहने की व्यवस्था की जानी चाहिये। आज भी राजस्थान के अन्दर करोड़ों रुपया राजस्थान सरकार को मिल सकता है, एग्रीकल्चर की जमीन को आबादी में परिवर्तित करके व्यवस्थित रूप से लोगों को रिहायश के लिए जमीन दी जाय तो सरकार को करोड़ों की

(श्री नारायण सिंह)

आमदनी होगी और लोगों की जो रहने की समस्या है उसका समाधान हो सकेगा। मेरा मानना है राजस्थान सरकार दो-तीन मुद्दों पर मजबूती से कदम उठाये और भावना के अन्दर नहीं बह कर इस नशाबन्दी के आदेश को समाप्त करें। इस आदेश को वापस ले तो मैं समझता हूं जो घाटा है वह पूरा होगा और राजस्थान का विकास होगा।

इसके अलावा मैं, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की पिछली जनता सरकार ने हमारे पंचायती राज के स्वरूप को बिगाड़ा, उस सम्बन्ध में भी सरकार को यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह उसके स्वरूप को ठीक करें। आज पंचायत समितियां, जिला परिषदां, मण्डी कमेटियां, और जितनी भी, नगरपालिकायें, जो संस्थायें हैं उनमें चुने हुए लोग रहने चाहिये। आज सबके अन्दर सरकारी अधिकारी हैं। सरकारी अधिकारियों के सोचने का तरीका कतई यह नहीं है। उनको सिर्फ इस बात की चिन्ता है कि किस संस्था के अन्दर प्रशासक होने से दो सौ रुपया मिलता है, डेढ़ सौ रुपया मिलता है। उनको भत्ता मिलता रहे, उसके अलावा उन संस्थाओं का अच्छी तरह से विकास हो, उन संस्थाओं के माध्यम से जनता की सेवा हो, यह बात नहीं है। इसलिए मैं राज्य सरकार से, मन्त्री महोदय से यही निवेदन करूंगा कि ऐसी संस्थाओं में जल्दी से जल्दी चुनाव कराके चुने हुए प्रतिनिधि उनमें बिठाये जाने चाहिये। आज कोई भी निगम हो, सबके अन्दर सरकारी अधिकारी प्रशासक बने बैठे हैं या सरकारी अधिकारी मनोनीत किए गए हैं उन निगमों में। आज किसी निगम को ले लीजिए, उसमे घाटा रहता है। सरकारी अधिकारियों के सोचने के और गैर सरकारी अधिकारियों के सोचने के तरीके में फर्क रहता है। इसलिए उन संस्थाओं में, उन निगमों में गैर सरकारी व्यक्तियों को रखा जाना चाहिए जिससे उन संस्थाओं में घाटा न हो, उनका काम अच्छी तरह से चले। उनके अन्दर इस तरह से अधिकारी हैं जो उस में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। वे सोचते हैं कि मैं आज इस जगह हूं कल रहूंगा या नहीं रहूंगा। इसके सिवाय भ्रष्टाचार को तो पनपा सकते हैं लेकिन उस संस्था को ठीक तरह से नहीं चला सकते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि ऐसी संस्थाएं चाहे स्टेट लेविल की संस्था हो चाहे दूसरी छोटी-छोटी संस्थायें हों उनमे जनता के प्रतिनिधियों को अवश्य रखें, जनता के नुमाइंदों से पद भरे जाने चाहिए जिससे राजस्थान के लिए सुव्यवस्थित प्रजातांत्रिक तरीका काम में लिया जा सके।

इसके साथ साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं बिजली के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। आज राजस्थान का किसान बिजली की व्यवस्था ठीक न रहने के कारण बड़ा परेशान रहता है, उसकी आर्थिक स्थिति इस कारण से खराब रहती है कि उसका जो उत्पादित किया हुआ माल है वह बाजार में सस्ते में बिके और जो दूसरा सामान है चाहे खाद हो, चाहे बीज हो, चाहे बिजली का सामान

(श्री नारायण सिंह)

हो चाहे दूसरा सामान हो वह उसको आज उसकी कीमत से कई गुनी कीमत देकर लाना पड़ता है इसलिए उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ी है। इसके साथ साथ जो बिजली का अभाव है उसके कारण से उत्पादन बढ़ने में फर्क पड़ता है। हमारी सरकार को निश्चित रूप से एक प्रोग्राम बनाकर चलना पड़ेगा कि हम कितना बिजली का उत्पादन बढ़ाते है, यह बहुत जरूरी है। यदि हम यह नहीं कर सकते हैं कि इस साल 20 हजार कुओं को बिजली देंगे, इस साल इतने उद्योगों को लाइसेंस देंगे और बिजली देंगे तो मैं समझता हूं यह नुकसान का सौदा होगा, नुकसान करने वाली बात होगी। हमको बिजली का उत्पादन बढ़ाने की ओर निश्चित रूप से ध्यान देना होगा। सन् 1984 तक बिजली का द्रुत गति से जिस हिसाब से हम विस्तार करते जा रहे हैं यदि उसका जनरेशन नहीं हुआ तो निश्चित रूप से और ज्यादा भयंकर समस्या राजस्थान के सामने आने वाली है। इसलिए इस ओर निश्चित रूप से ध्यान दिया जाना चाहिये। जो बड़े बड़े बिजली घर हैं चाहे पलाना बिजली घर हो, चाहे ताप बिजली घर हो उस ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए और निश्चित रूप से एक टाइम के अन्दर उस काम को पूरा किया जाना चाहिए। लाखों रुपये का बजट होते हुए भी पैसा खर्च नहीं होता और खर्चा न होने का कारण यह है कि सरकारी अधिकारियों की लापरवाही के कारण से जिस काम को युद्ध स्तर पर लिया जाना चाहिये, जिस काम को जरूरी तौर पर लिया जाना चाहिये उस काम को नहीं लेने के कारण किसान और हमारे छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे हैं उनको तो नुकसान होता है। इस ओर सरकार का ध्यान निश्चित रूप से जाना चाहिए। मैं इन शब्दों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों की ओर से चर्चा समाप्त की जाती है। मन्त्री उत्तर देंगे।

श्री नाथूसिंह : हम बोलना चाहते हैं, हमारी पार्टी का एक ही बोला है....

श्री अध्यक्ष : चाहे आधा ही बोला है, उससे कोई सरोकार नहीं। वित्तीय विषय है। विधेयक पारित होकर दुबारा छपेगा, उस पर राज्यपाल महोदय के दस्तखत होंगे। वित्तीय विषय के बारे में माननीय सदस्यगण अच्छी तरह से जानते हैं कि समय की सीमा के अन्दर वह पारित हो जाना चाहिए।

श्री नाथू सिंह : समय बढ़ा दिया जाय।

श्री रतन लाल ताम्बी : दो दिनों में हमारी पार्टी को समय नहीं दिया गया

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। सदैव टाइम दिया जाता है।

श्री रतन लाल ताम्बी : कल और आज भी समय नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री नाथू सिंह : समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : उसकी छपाई नहीं हो सकती । उसके बाद राज्यपाल महोदय के दस्तखत होंगे । इसमें समय लगेगा, वित्तीय विषय है...

(व्यवधान)

जो वित्तीय विधेयक और वित्तीय विषय होते हैं उनके बारे में नियमों में प्रावधान है । आप कृपया उसको गौर से पढ़ें । मैं व्यवस्था दे रहा हूं बिल्कुल ठीक व्यवस्था है उसके बगैर काम नहीं चल सकता । आप स्वयं जानते हैं अधिक से अधिक माननीय सदस्य चर्चा में हिस्सा लें, यह हमेशा मेरी इच्छा रहती है, मैं उस हिसाब से सदैव चर्चा करवाता हूं इसलिए मेरी मजबूरी है । मंत्री महोदय ।

श्री नाथू सिंह : आप वित्तीय विधेयक के मामले में....

श्री अध्यक्ष : आप वित्तीय विधेयक के नियम पढ़ लीजिये और मुझे बता दीजिये....

श्री नाथू सिंह : नियमों में स्पष्ट है कि सदन इस पर विचार कर सकता है । इसमें तीन घंटे की बहस तो होनी चाहिए ।

(व्यवधान)

इतना रुपया खर्च करने का अधिकार सरकार को देते हैं । हम अपने विचार भी व्यक्त नहीं कर सकते ।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री नाथू सिंह : इतना महत्वपूर्ण मसला है जिस पर सदन की राय....

श्री अध्यक्ष : महत्वपूर्ण मसला था तो सुबह 11 बजे याद रहना चाहिए था, ताकि चर्चा अन्य विषयों पर 1-1.30 बजे समाप्त कर लेते, सबको समय मिलता । इसलिए मजबूरी है वरना मैं आपको अवसर देता । आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, महीने की आखिरी तारीख है, आज रात तक दस्तखत हो जाने चाहिये, इसके बाद छपने जायगा, उसके बाद प्रूफ रीडिंग होगी, उसके बाद में हमारे यहां से दस्तखत होंगे, यह सब कार्यवाही आज होगी....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, वित्तीय विधेयक और वित्तीय विषयों के बारे में नियम स्पष्ट हैं ।

श्री नाथू सिंह : इसमें स्पष्ट प्रावधान है कि जिन चीजों की बजट पर चर्चा नहीं हुई, जिन चीजों की मांगों पर चर्चा नहीं हुई हो, उस पर सदस्य अपनी राय....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह बात माननीय सदस्य को अब याद आई । बहुत देर से याद आई ।

श्री नाथू सिंह : सरकार को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथू सिंह : हमारी पार्टी को जितना समय मिलना चाहिये उतना नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : आपकी पार्टी ने जितना समय लिया है उसकी गिनती हमारे पास है। उसमें लाभ में आपकी पार्टी है, दूसरी पार्टियां नुकसान में हैं। अभी हिसाब कर लेते हैं।

(व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : हम विरोधी दल में हैं...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : नियम यह है कि विरोधी दल के विचार लेने की एक प्रक्रिया है। एक परिपाटी है कि विरोधी दल के विचार लिये जायं....

एक माननीय सदस्य : आपका नाम पुकारा गया था आप मौजूद नहीं थे।

श्री नाथू सिंह : हमारी पार्टी का एक सदस्य ही बोला है, सरकार क्यों डर रही है....

श्री अध्यक्ष : किस पार्टी ने कितना समय लिया, यह मेरे पास है। कौनसी पार्टी के माननीय सदस्य कितने बोले, इसका विवरण इस प्रकार है। श्री कैलाश मेघवाल ने 3 बजकर 13 मिनट पर बोलना शुरू किया। उसके बाद श्री भैरू लाल जी शुरू हुए 3 बजकर 45 मिनट पर। तो आधे घन्टे तक आपकी पार्टी वाले बोले। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी आधे घन्टे तक बोले।

श्री रतन लाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, प्रगतिशील दल के विधायक नहीं बोले।

(व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : हमारी पार्टी के सदस्य बोले हैं। मैं कल नहीं बोला।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह कैलाश मेघवाल कौनसी पार्टी के हैं ?

(व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, वित्त विधेयक पर सभी माननीय सदस्य करीब करीब बोलने चाहिये। आप पांच पांच मिनट सभी को दे दें तो ठीक रहेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप हमें पांच पांच मिनट का समय बोलने को दे दें। माननीय सदस्य अपने सुझाव सरकार को देना चाहेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, पिछले साल भी बजट इस तरह से पास कर लिया गया था। इस साल भी आपने कहा कि टैक्स नहीं लगाया गया है। लेकिन इसमें न कोई गरीबों को राहत दी गयी है और न ही इसमें कोई दिशा है इसमें चीनी का घोटाला काण्ड हुआ।

(व्यवधान)

लाखों रुपये की गड़बड़ी हुई, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर। कृपया स्थान ग्रहण करें। भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

अंकित नहीं हो।

श्री नाथू सिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, वाद विवाद के लिये जो नियमों में समय की सीमा है, सदन के पास जो समय उपलब्ध होता है उसी सीमा में वाद विवाद किया जा सकता है। अब विचारणीय विषय यह है कि जो समय की पाबन्दी है वह तो रखनी पड़ेगी। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से सहयोग चाहता हूं। वित्त विधेयक।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, वित्त विधेयक है तभी तो निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : वित्त विधेयक है तभी तो कह रहा हूं कि इसमें समय की पाबंदी रहेगी बाकी 12 बजे तक आप बोलें तो कोई बात नहीं। आपको वैसे बोलने का दो दिन का समय दिया गया था। आपको अगर इतना ही महत्वपूर्ण बोलना था तो आपको दो दिन का समय जो दिया गया था उसका उपयोग करते।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, उपयोग कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। आज पाँच बजे तक यह विधेयक पारित हो जाना चाहिये। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस तरह तो विरोधी पक्ष के सदस्यों के अधिकारों की बात है, वित्त विधेयक है....

श्री मोहन लाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, जब कल इन माननीय सदस्य का नाम बोलने के लिए आपने पुकारा था तो यह अनुपस्थित थे जब कि आज यहां पर इतना बोलने के लिये बहस कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जब कल आपका नाम मैंने पुकारा था तो अब आपको दुबारा बोलने का अवसर नहीं दिया जायेगा।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है।

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : आपका नाम

××× माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री मोहनलाल मोदी)

पुकारा गया था। आप चाहें तो हाउस की कार्यवाही को मंगाकर देख ले। आपका नाम पुकारा था।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य। मन्त्रीजी।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, सदन का समय बढ़ा दिया जाय। कई माननीय सदस्य इस विषय पर चर्चा करना चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें, व्यवधान नहीं डालें। मंत्रीजी।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मंत्री वित्त) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1981 के ऊपर सदन में माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे, अपने सुझाव भी दिये और कुछ माननीय सदस्यों ने सरकार की आलोचना भी की। जिन माननीय सदस्यों ने सरकार को अपने सुझाव दिये, अपने विचार रखे मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं। इस बजट के बारे में खास तौर से भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि इस बजट में कोई दिशा ही नहीं है, इस बजट को दिशाहीन बताया। अध्यक्ष महोदय, इस सन्दर्भ में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे हिन्दुस्तान के अन्दर यह एक परम्परा सी बन गयी है कि जब जब भी किन्हीं प्रान्तों की सरकार ने या केन्द्रीय सरकार ने कैसा ही अच्छा बजट चाहे पेश क्यों नहीं किया हो विपक्ष ने कभी भी उसको सराहा नहीं है और हमेशा उसकी आलोचना की है। अभी केन्द्रीय बजट पेश हुआ इसके बारे में यहां तक कहा गया कि यह बजट भुलावे में डालने वाला बजट है, यह लोगों को धोखा देने वाला है और यह बजट भूल भुलैया में डालने के सिवाय कुछ भी नहीं है। जब कि आम लोगों ने उस बजट को बहुत अच्छा बताया है, उससे लोगों को राहत मिली है। उस सन्दर्भ में मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब पिछली बार बजट पेश हुआ तो भी इन्हीं माननीय सदस्य ने बजट के बारे में यह बात कही कि यह दिशाहीन है। तो, श्रीमान्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विपक्ष का काम आलोचना करना है। इस बजट के अन्दर निश्चित रूप से दिशा है और हमें जो कार्यक्रम अपने हाथ में लेने हैं या जो कार्यक्रम हम हाथ में लेने जा रहे हैं और जो हमने कार्यक्रम हाथ में लिये हैं उनकी उपलब्धि क्या रही और आगे क्या कार्यक्रम हाथ में लिये जावेंगे उनके बारे में सरकार की निश्चित नीतियों के बारे में तथा जो योजनायें हम हाथ में लेंगे उसमें क्या प्रायोरिटीज होगी, किस बात के

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

ऊपर कितना खर्चा हम करेंगे, क्या हमारे लक्ष्य है और हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये हम किस प्रकार का काम करेंगे, अध्यक्ष महोदय, समय के अभाव में ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन मैं इतना निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस बजट में दिशा दी गयी है। इस बजट को दिशाहीन बताना सिर्फ आलोचना करना ही है, मैं यही मानकर चलता हूं। अध्यक्ष महोयय, यहां पर जितने माननीय सदस्यों ने खास तौर से मुद्दे उठाये, उनके बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें इस बजट की आलोचना करने के पहले यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे यहां पर पिछले दो साल से लगातार अकाल पड़ रहा है और उसको दृष्टिगत रखते हुए अपने विचार रखने चाहिये। हमको उसके अनुसार देखना चाहिए। पिछले दो साल से यहाँ पर, हमारे प्रदेश में लगातार अकाल पड़ रहा है उसके पहले साल हमारे देश हिन्दुस्तान में सभी जगह पर अकाल की छाया थी। बदकिस्मती से यहां दूसरे साल भी अकाल की चपेट में आ गये हैं। इस सन्दर्भ में हमें देखना चाहिये। यही मेरा निवेदन है कि अकाल के कारण हमारे प्रोडक्शन पर विपरीत असर पड़ा है। हमारे देश में अकाल के कारण हमारे यहां पर बिजली के उत्पादन पर भी और खास तौर से हमारे देश की नोर्थ विंग पर अकाल का असर पड़ा। इसलिये जब बिजली की कमी हो गयी तो निश्चित रूप से उसका हमारे यहां की कृषि और इन्डस्ट्रीज के प्रोडक्शन पर विपरीत असर पड़े बिना नहीं रह सकेगा। यह तो देवी प्रकोप है। देवी प्रकोप के ऊपर न तो सरकार कुछ कर सकती थी और न ही कोई दूसरा कर सकता था। इसके बारे मेरा निवेदन है, श्रीमान, यहां पर कल एक उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात को खास तौर से कहा कि अकाल राहत कार्यों पर जितने मजदूरों को लगाया जाना चाहिये था उतने मजदूरों को नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि कुल आपने अब तक एक लाख मजदूरों को काम दिया है और एक हजार आपने राहत कार्य खोले हैं। इस बारे में मैं आप से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस दिन अकाल सहायता विभाग की डिबेट हो रही थी उस दिन प्रभारी मन्त्री जी ने बहुत साफ तौर से कहा था कि पांच लाख के करीब मजदूरों को काम दिया जा सका है और पांच हजार से अधिक राहत के कार्य चल रहे हैं। मुख्य मन्त्री जी ने उसके बाद घोषणा की कि 5 रुपये जो मजदूरी की रेट दी जाती है उसको बढ़ाकर 7 रुपया कर दिया गया लेकिन उसके बाद उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही उसे सुनकर मुझे थोड़ा ताज्जुब ही हुआ। मैं यही कहूंगा कि उनको तथ्यों की पूरी जानकारी नहीं थी। श्रीमन्, एक बात यहां और कही गयी कि देश में मंहगाई बढ़ी है लेकिन मंहगाई बढ़ने के कारण क्या हैं ?

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

उसकी तरफ भी हमको देखना पड़ेगा। देश के अन्दर महंगाई बढ़ने का जो मैं समझ सका हूं सबसे मुख्य कारण रहा कि पिछली साल और उससे पहली साल जो देश के अन्दर भयंकर अकाल पड़ा। तो देहात से लोग आते हैं वह इस बात को जानते हैं कि देश के अन्दर जिस साल अकाल होता है उस साल अकाल उतना तकलीफ नहीं देता जितना कि उससे आगे आने वाले वर्ष में तकलीफ देता है। इसके अलावा एक और इन्टर नेशनल फीचर है उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्राइस राइज क्रूड आयल में हुई है....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अगली साल के लिए भी आपने सहमति ले ली।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप इसको कन्फ्यूज करने की कोशिश नहीं करें। श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिस तरह से से क्रूड आइल की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं उन कीमतों का प्रभाव पड़ना बहुत लाजिमी है। श्रीमन्, आप यह जानते हैं कि देश के अन्दर जो तेल का उत्पादन है उसको हम अपनी खपत का सवाया भी पैदा नहीं करते हैं देश के अन्दर और हमें बाहर से मंगाने पर निर्भर रहना पड़ता है। उसको कीमतें जिस तरह से बढ़ती चली जा रही हैं—या तो उसका एक तरीका यह है कि गवर्नमेंट सबसीडाइज करे अपने खजाने से पैसे दे या उसकी कीमतें बढ़ाये। जब निश्चित रूप से तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो उसका उद्योगों पर भी असर पड़ेगा, उसका ट्रान्सपोर्टेशन पर भी असर पड़ेगा और जब असर पड़ेगा तो कीमतों के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। मैं आप को निवेदन करूंगा कि इसके बावजूद भी मैं कहूंगा कि पिछले 6 सालों में कीमतों के अन्दर वृद्धि होती चली जा रही है इसका एक मुख्य कारण यह रहा है कि तेल की कीमतें तेल उत्पादक देशों ने बढ़ाई हैं। इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं उन्होंने एक बात की रट लगाई, उनके वक्त में 2.50 रुपया एक दफा चीनी क्या बिक गयी कि वह समझते हैं कि उनका बहुत बड़ा एचीवमेंट था लेकिन आपने उसकी पृष्ठभूमि देखी कि जहां उस समय चीनी के भाव 2.50 रुपये थे तो गन्ने की कीमत 8-9 रुपया क्वि० थी। उसका कारण यह था। आपने कभी इसके बारे में सोचा। ठीक है मैं इसको स्वीकार करता हूं कि आपके समय में चीनी का भाव 2.50 रुपये था लेकिन उसके बाद कीमतें और बढ़ गयीं। इसका क्या कारण है। मैंने उस दिन भी कहा था और कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि गन्ने के उत्पादन में कमी आई इसके कारण से ही चीनी की कीमतें बढ़ी....

श्री नाथूसिंह : चीनी काण्ड के कारण कीमत बढ़ी।

श्री दाऊदयाल जोशी : आपकी नीति के कारण चीनी मिलें बन्द हैं इसलिए कीमतें बढ़ी हैं। प्राडक्शन नहीं हो रहा है इसलिए कीमतें बढ़ी हैं। मेरा आरोप है कि

(श्री दाऊदयाल जोशी)

3 लाख बोरी केशोरायपाटन शुगर फैक्ट्री बनाती थी जिसके बजाय इस साल 47 हजार बौरी केशोरायपाटन शुगर फैक्ट्री बना रहा है इसलिए चीनी की कीमत बढ़ रही हैं। प्राडक्शन 3 लाख बोरी था उसके स्थान पर 47 हजार बोरी ही हुआ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं इससे सहमत नहीं हूं, श्रीमान्।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : गन्ने का उत्पादन बढ़ा है यह लोक सभा में प्रत्युत्तर के समय आया है और चीनी का भी उत्पादन बढ़ा है। आप क्या कह रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह बात सही है कि हमारे प्रयत्नों से एक साल के अन्दर कांग्रेस की सरकार आने के बाद हमने गन्ने जिस गन्ने की आपने कोई कद्र नहीं की और खड़े होकर गन्ने को जला दिया था के उत्पादन की ओर ध्यान दिया है यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस दृष्टि से भी आप देखिये कि श्रीमन्, इस प्रकार की हम कोशिश कर रहे है कि हम किसानों को किस प्रकार से इन्सेंटिव दें। इन्होंने 5 रुपये और 6 रुपये गन्ना प्रति क्वि० विकवाया हमने बढ़ाकर आज उसकी कीमत 23 रुपये क्वि0 कर दी है। किसानों को हमने इन्सेटिव दिया है ....

(व्यवधान)

श्री यदु नाथ सिंह : गोलियां खाकर बढ़वाया है।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : आपने कोई दान नहीं दिया है। छाती पर गोलियां खाकर बढ़वाया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष :आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री दाऊ दयाल जोशी : नासिक में गोलियां चलीं उसके बाद कीमतें बढ़ी हैं।

(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर आर्डर। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। सदन की अनुमति से बैठक का समय विनियोग विधेयक के पारण तक के लिए बढ़ाया जाता है।

राजस्थान विनियोग (संख्या 9) विधेयक 1981

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 23 रुपया क्वि0 गन्ना किया तो 20 रुपये किलो चीनी भी आपने बिकवाई।

श्री खेत सिंह राठौड : अध्यक्ष महोदय, एक घन्टे का समय बढ़ा दीजिये क्योंकि इसके बाद विधेयक भी आने वाला है।

श्री अध्यक्ष : बाद में और बढ़ा देंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्रीमन्, यहां पर मैंने आपसे निवेदन चीनी के संबंध में किया। यह निश्चित रूप से सही बात है कि चीनी की कीमतें स्टेबलाइज हो रही हैं और जो हमने कदम उठाये हैं उसके कारण से ही चीनी की कीमतें स्टेबलाइज हुई हैं मेरा निश्चित मत है कि अगली साल, मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं, इस चीनी की कीमतों में और गिरावट आयेगी और जो पूर्व में कीमतें थीं उन पर काबू पाने में हम सफल होंगे ....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप तो केन्द्रीय मन्त्री की तरह बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : अगर चीनी की कीमतें 12 रुपये से कम हो जाय तो क्या यह त्याग पत्र दे देंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्यगण। मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं। कृपया इसमें बाधा न डालें। आर्डर प्लीज

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्रीमन्, यहां पर एक बात और कही गयी। सबने कहा कि सरकार इस घाटे की कैसे पूर्ति करेगी। किसी भी माननीय सदस्य ने, सिवाय कांग्रेस के माननीय सदस्यों को छोड़कर और उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य को छोड़कर, यह बात नहीं कही कि यह घाटा कैसे पूरा होगा। विकास की गति भी बनी रहे। एक तरफ आरोप लगाते हैं कि विकास की गति धीमी चल रही है, दूसरी तरफ किसी भी माननीय सदस्य की हिम्मत नहीं हुई कहने की कि नये करों से पैसा जुटाया जाये। किसी एक भी माननीय ने इस बात को यहां नहीं कहा ....

श्री यदुनाथ सिंह : मैंने कहा है लग्जरी आइटम्स पर टैक्स लगाने के लिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्रीमन्, मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप नान-टैक्स रेवेन्यू बढ़ाइये और विकास करिये।

श्री दाऊ दयाल जोशी : कोटा में डी० सी० एम० के मालिक भरत राम चरत राम ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यहां पर एक सुझाव खास तौर से प्राहिबिशन के बारे में आया। बजट भाषण के अन्दर भी माननीय मुख्यमन्त्री जी ने इस बात के लिए कहा कि राजस्थान कैनाल के अन्दर जो जमीन है उस जमीन के बेचने से और हमारी प्राहिबिशन की नीति में का जो रेशनलाइजेशन किया जा रहा है।...

श्री मेघराज तावड : राजस्थान कैनाल जमीन नहीं बेच पाओगे । धरती का बेटा अपनी मां को नहीं बेचने देगा । किसान अपनी मां को नीलाम नहीं होने देगा । आपके यह मनसूबे पूरे नहीं होंगे । पहले वाले मुख्य मंत्री जी ने भी सोचा था । उनके मनसूबे भी पूरे नहीं हुए थे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे पार्टी के कई माननीय सदस्यों ने और विरोधी पक्ष के सदस्यों ने भी इस बात की चिन्ता प्रकट की कि सरकार इस घाटे को कैसे पूरा करने जा रही है । श्रीमन्, यह प्रश्न हमारे सामने भी है कि घाटे को हमें पूरा करना ही है । उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि प्राहिबिशन पालिसी के बारे में आप क्या करने जा रहे हैं ? श्रीमन्, बजट भाषण के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात को कहा था कि हम रेशनलाइजेशन करने जा रहे हैं । अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, किसी एक दरख्वास्त का यहां हवाला दिया कि आपकी जो आज की प्रक्रिया है, आज की नीति है आप उस नीति को बदल सकते हैं । तो प्राहिबिशन को रखते हुए ही आपका सुझाव था, आपकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कहने की कि प्राहिबिशन खतम कर दो ।....

एक माननीय सदस्य : आप कह दो ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्रीमान, यह बात सही है इसको हमको रेशनलाइज करना पड़ेगा । स्टेट फ्रेम वर्क के अन्दर जो हमारी प्रोहिबिशन की नीति है उससे अधिक आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं । इसका सामंजस्य करके इस दिशा में विचार करने के लिये मामला सरकार के विचाराधीन है । सरकार शीघ्र कार्यवाही करने जा रही है । इस विषय में अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है । मैं अभी कोई विस्तार से यहां पर चर्चा करना उचित नहीं समझता, श्रीमान....

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वैसी आय होगी जैसे चोरी करके विकास में चोरी का हिस्सा हो....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । आसन पैरों पर हूँ ।

अंकित न हो ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ×××

श्री अध्यक्ष : बाधा उपस्थित नहीं करें, माननीय सदस्या । आर्डर प्लीज ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्रीमान, आज स्थिति यह है ...

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसको साहस कहते हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, भाषण नहीं होगा । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ....साहस की बात करते हैं....

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्रीमान, यहां पर उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात और कही कि आप अनुसूचित जाति और जनजाति की बात तो करते हैं आप कोई कारगर कदम उनके विकास के लिये नहीं उठा रहे हैं। शायद उन्होंने बजट भाषण को नहीं देखा। एक बात मैं आपके माध्यम से सदन को निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अगर हिन्दुस्तान की शिड्यूल्स कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज को विश्वास है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर विश्वास है। मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं। हमारे यहां कहने से काम नहीं चलेगा आज यह बात स्पष्ट हो चुकी है, हर चुनाव ने इस बात को साबित किया है कि उन लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास प्रकट किया है ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो आर्डर आर्डर।

एक माननीय सदस्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्रीमान, हिन्दुस्तान के अन्दर और राजस्थान के अन्दर खास तौर से हमारी सरकार इस बात पर गौरव अनुभव कर सकती है, दावे के साथ कह सकती है कि उसका संरक्षण हमने किया है। हम निश्चित रूप से भविष्य में उसके वैलफेयर के लिये, उसके आर्थिक उत्थान के लिये, गरीबी की रेखा से उसको ऊपर लाने के लिये जो कार्यक्रम हमने लिये हैं उन पर अमल करेंगे और उनको गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिये हमें सफलता प्राप्त होगी, यह मेरी निश्चित धारणा है। श्रीमान, ...

श्री दाऊ दयाल जोशी : इसलिये अन्त्योदय....

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अन्त्योदय के बारे में, श्रीमान, मैं चर्चा करना पसंद नहीं करता था लेकिन माननीय सदस्य ने चूंकि अन्त्योदय के बारे में कहा है, अन्त्योदय आपका क्या था ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : अन्त्योदय का तो ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, अंकित न हो।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री दाऊ दयाल जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री दाऊ दयाल जोशी : × × ×

श्रीमती उजला अरोड़ा , इन्होंने गांधी जी ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। मुझे बड़ा अफसोस है, आर्डर प्लीज। आपस में बातें न करें, माननीय सदस्य।

बड़ा अफसोस है कि माननीय सदस्य गृह मन्त्री जी के भाषण में बार बार बाधा डाल रहे हैं। माननीय सदस्य, मुझे बाध्य होकर और नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करनी पड़ सकती है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से विनम्र निवेदन करूंगा कि मन्त्री जी उत्तर दे रहे हैं उनके भाषण के अन्दर बाधा उपस्थित नहीं करें । चाहे सत्ता पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हो यदि कोई माननीय सदस्य कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं तो उसके लिये एक ही माध्यम आपके पास उपलब्ध है वह है व्यवस्था का प्रश्न । लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया, व्यवस्था के प्रश्न बहुत अधिक उठाये जाते हैं इसलिये कौन से नियम का और संविधान के कौन से अनुच्छेद का हनन हो रहा है उसकी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करते हैं तो मैं व्यवस्था का प्रश्न सुनूंगा अन्यथा मुझे आप क्षमा करेंगे।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री मोहन लाल मोदी : एक दो प्रश्न पूछने की तो इजाजत देंगे ....

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर ।

श्री अध्यक्ष : कौन से नियम का हनन हो रहा है, यह बतायें।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं इसी आसन से पहले व्यवस्था दी है कि सदन में उत्तेजनात्मक शब्दों का इस्तेमाल न किया जाये जिससे सदन में उत्तेजना फैले। अतः मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगी तथ्यों से परे हट कर ....

श्री अध्यक्ष : यह पाइंट आफ आर्डर नहीं है। स्थान ग्रहण करें।

सुश्री पुष्पा जैन : आपने इस बारे में व्यवस्था दे रखी है। उसी व्यवस्था के अनुसार मैं आपको दरख्वास्त कर रही हूं।....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । पाइंट आफ आर्डर निरस्त किया गया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर हकीकत कहने से उत्तेजना पैदा होती है। ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया, मैं सीधा नेम करूंगा

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रौढ़ शिक्षा के बारे में नहीं कहना चाहता था लेकिन सरकार के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाये जाते हैं। आप खुद देखें, क्या किया, प्रौढ़ शिक्षा क्या थी, श्रीमान । किस प्रौढ़ को लाभ पहुंचाया था ? क्या हुआ था प्रौढ़ शिक्षा का, मैं आपको बताना चाहता हूं एक पार्टी विशेष के अन्दर भी एक अंग विशेष को लाभ पहुंचाने की बात की गई थी ....

(व्यवधान)

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, श्रीमान इसके आगे कुछ निवेदन नहीं करना ।

श्रीमान, उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने लॉ एण्ड आर्डर की बात कही । श्रीमान, यहां पर कहा कि थानों के अन्दर सरकार ने इस तरह के आदेश दिये हैं कि क्राइम को सप्रेस किया जाये और रिपोर्ट न लिखी जाये । इस बारे में निवेदन है, श्रीमान, इस प्रकार के कोई आदेश नहीं दिये हैं । आन दी कान्ट्रेरी हमने यह किया हैं कि उनकी रिपोर्ट लिखी जाये, उनका इन्वेस्टीगेशन किया जाये और उस चीज को सामने लाया जाये । यह सरकार के ऊपर मिथ्या आरोप था । अध्यक्ष महोदय, केवल इस बात की चर्चा करने की कोशिश यहां पर की जाती है , जनता के अन्दर इस बात का भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे राजस्थान में लॉ एण्ड आर्डर नाम की कोई चीज ही न रह गई हो, लॉ एण्ड आर्डर समाप्त हो गया हो । इस प्रकार का भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है । मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी पार्टी के माननीय सदस्यों में किसी ने चिन्ता जरूर व्यक्त की होगी लेकिन उन कटिंग्स को लाना मैं भूल गया, इसी सदन के अन्दर जब यह इधर बैठते थे तो खुले आम लोगों ने कहा था कि कानून और व्यवस्था की हालत इतनी खराब हो गई है, राजस्थान में गुण्डागर्दी का राज्य कायम हो गया है । श्रीमान, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यहां एक जरा सी चोरी हो गई, स्थगन प्रस्ताव लाकर यहां पर भाषण दिया गया इस बात का कि जयपुर की जनता में लॉ एण्ड आर्डर बिलकुल बिगड़ चुका हैं । मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं कि आपके वक्त में कितने कितने काण्ड हुए हैं जिनका कि पता नहीं लगा है । मैं इंगित करके, उनके नाम लेकर लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि उस समय क्या हालात थे, यह किसी से छिपा नहीं है । श्रीमन, मैं कहना चाहता हूं कि लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन जिससे कि कांग्रेस पार्टी को साल हुआ है सत्ता के अन्दर आने में उस पृष्ठ भूमि को देखिये जिस स्थिति में लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन खराब हुई थी । हमको यह कौनसी विरासत में मिली थी । यों तो आखिर उसको सम्भालने में टाइम तो लगेगा और उसको सुधारने में समय लगना निश्चित है लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लॉ एण्ड आर्डर में यह जो डिक्लाइन हुआ वह सही बात है लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए कहें, चोरी हो गई, दो चोरी हो गई । मैं पूछना

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

चाहता हूं कि आपके ढाई साल में चोरी और कत्ल खतम हो गये थे क्या ?

श्रीमन्, हमने एक बात और नोट की। मैं आपसे कहता हूं कि किस किस किस्म के विचार किये जाते हैं। पहले नसबन्दी के बारे में····

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : मेन बाजार में कोतवाली के सामने चोरियां हो रही हैं····

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं आपको श्रीमन्, 1976 की याद दिलाना चाहता हूं— इमर्जेन्सी के दौरान लोगों ने परिवार नियोजन के बारे में किस प्रकार के भ्रान्तिपूर्ण विचार दिये थे और लोगों को बहकावे में डाला था····

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : हम तो जेल में थे, ××× बोल रहे हो।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : माफी मांग-मांग कर आये हुए लोग····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, माननीय सदस्यगण। अंकित न हो।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा····

(व्यवधान)

श्री हंसराज शर्मा : परिवार नियोजन में तो आपने आदमियों को काटा है····

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री हंसराज शर्मा : ×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्या····

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : पालिटिकल भाषण है····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात और अन्त में निवेदन करनी है। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा है जो यहां पर नहीं हैं, उन्होंने पूर्व में गंगा–जमुना के पानी के बंटवारे की बात, राजस्थान में लाने की कही थी। श्रीमन्,····

(व्यवधान)

मैंने पूर्व में भी उत्तर दिया था बंटवारे के पानी, के संबंध में श्रीमन्, जमुना के पानी

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

का जो विषय है वह भारत सरकार के, श्रीमन्, विचाराधीन है। राजस्थान को जितने पानी की जरूरत है उसके लिये हमने अपना क्लेम बना करके भारत सरकार को पेश कर दिया है। भारत सरकार जब निर्णय ले लेगी उसके उपरान्त ही मालूम पड़ सकेगा कि राजस्थान को जमुना से कितना पानी मिलेगा। इसके लिये निवेदन करना यही है कि जिस राजस्थान, की वे कल्पना करती है मुझे उनकी कल्पना में कोई ऐसा नजर नहीं आता है कि वे कहीं ढिलाई देंगी। उनकी भावना राजस्थान के प्रति बहुत है उनका लगाव राजस्थान के लिये जितना है उतनी शायद राजस्थान की सरकार को भी नहीं है। इतनी बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और निवेदन करता हूं कि राजस्थान विनियोग विधेयक (संख्या 2) को पारित करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन लाल मोदी।

(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के समय में वृद्धि

श्री खेत सिंह राठौड़ : मेरा निवेदन है सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : सदन की अनुमति से बैठक का समय 6.00 बजे तक के लिये बढ़ाया जाता है।

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1981

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से यह बात पूछना चाहता हूं, मंत्री महोदय ने यह कहा है कि हमने 7 रु० की मजदूरी कर दी। यह आपने सहज कागजी कार्यवाही की है। मैं आपको सही स्थिति बताना चाहता हूं। जिस समय 5 रु० मजदूरी देते थे उस समय आपका जो शिड्यूल था, जो शिड्यूल बना रखा था वर्क का उसमें 80 प्रतिशत वर्क लिया जाता था और जो आज 7 रु० की मजदूरी दी है उसमें हन्ड्रेड परसेन्ट लिया जायगा। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि जो इस प्रकार के आदेश किये हैं इससे धोखा दिया है। इस कारण 5 रु० भी मजदूरी नहीं मिल पायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आज चर्चा करते हुए दो स्पेसिफिक सवालों के लिए माननीय प्रभारी मंत्रीजी से निवेदन किया था। प्रभारी मंत्रीजी यह जवाब दें कि राजस्थान विकास प्रदर्शनी में जो लूट हो रही है और जो एक लाख रुपया इस महीने में चला जायगा और एक लाख अगले महीने चला जायगा,

(श्री कैलाश मेघवाल)

जैसा मैंने पहले वर्णन किया, उसकी बात नहीं बताई कि राज्य के खजाने की लूट को कैसे रोकेंगे ? नम्बर एक और नम्बर दो, आपने कहा प्रोहिबिशन के बारे में अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। क्या ये जो लाखों की थैलियों, की व्यवस्था है इसी को चलाये जाने की बात आज चल रही है इधर उधर उसकी चकाचौंध में भरतपुर नहीं जायेंगे ? बात आज चल रही है और कहा है कि निर्णय ले लेंगे तो क्या रात के 12–00 बजे तक निर्णय ले लेंगे ? बहुत महत्वपूर्ण मसला है, माननीय अध्यक्ष महोदय, अच्छा है, आप विराज रहे हैं। मैंने कहा कि आबकारी के लिये कई दरख्वास्त, रिकमन्डेड एप्लीकेशन्स आपके आबकारी आयुक्त से आई है—यहां से आई हुई है। तो मेरा निवेदन करना है कि क्या रात को 12–00 बजे तक इस पर कोई फैसला ले लेंगे ? लाखों रुपयों के सौदे होने वाले हैं रात के 12–00 बजे तक। इस एग्जीस्टिंग व्यवस्था को स्थायी व्यवस्था रखने के लिये लाखों रुपया देकर एक करोड़ रुपया कमाया जा सकता है। उसमें क्या रात के 12–00 बजे तक निर्णय ले लेंगे ? दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल एक और है जिसकी चर्चा यहां चल रही है। क्या केटेगरीकली इस बात की व्यवस्था करेंगे कि पहाड़िया प्रशासन चलेगा ? क्योंकि हमारी पालिटिकल विल है और डेमोक्रेसी में आपकी हमारी विल के आधार पर ब्यूरोक्रेसी काम करती है उसमें कई प्रकार की भ्रान्तियां उत्पन हो रही है। इसलिये यह भ्रम जो आपके दल के द्वारा फैलाया जा रहा है उसके लिये क्या आप केटेगरिकली घोषणा करेंगे कि पहाड़िया प्रशासन पूरे साल चलेगा और इस बजट का पूरा खर्चा करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर ....

श्री अध्यक्ष : कौन से नियम में ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं यह सैकिन्ड रीडिंग चल रही है। सवाल जवाब कैसे हो गये ?

श्री अध्यक्ष : यह पाइंट आफ आर्डर ठीक है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं ....

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव मैं करूंगा आप नहीं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पारित करने का प्रस्ताव तो वे करेंगे।

श्री अध्यक्ष : इससे पहले एक प्रस्ताव है। प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग

(श्री अध्यक्ष)

(संख्या 2) विधेयक, 1981 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक 1981 को विचारार्थ लिया गया।

प्रभारी मन्त्री जी।

विधेयक का पारण

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1981 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : थर्ड रीडिंग।

श्री नाथू सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मन्त्री महोदय, ने विस्तार से चर्चा की लेकिन जो बजट रखा गया और डिमान्ड्स रखी गई जैसी सरकार चल रही उससे लगता है, क्योंकि मैंने इसको पूरा का पूरा बहुत अच्छी तरह पढ़ा है ....

श्री अध्यक्ष : टाइम मिल गया क्या ?

श्री नाथू सिंह : राज्यपाल महोदय के अभि-भाषण को भी पढ़ा मगर उसमें और पूरे बजट भाषण में निराशा व्यक्त की गयी है। अध्यक्ष महोदय, अंधेरा ही अन्धेरा दिखता है, कहीं नहीं कहा गया कि हम यह करेंगे—

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठे बैठे न बोलें।

श्री नाथूसिंह : संकट में है, खतरे में है, यह स्थिति दिखायी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बजट पेश किया गया—

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : उसको पढ़ने से ऐसा लगता है, पिछले साल भी बजट भाषण हुआ है, खर्चे हुए थे लेकिन खर्चे की स्वीकृति इस हाउस से ली गयी थी, उस खर्चे को मैंने देखा, पढ़ा, इस बार लेखा जोखा किया तो, अध्यक्ष महोदय, आंकड़े देकर बताना चाहता हूं, 80-81 के अन्दर जो बजट एस्टीमेट्स थे, इकोनोमिक रिसोर्सेज, डवलपमेन्ट का खर्च था, उस के लिये 457.75 करोड़ रुपये का प्रावधान था लेकिन, अध्यक्ष महोदय, उसमें से कुल इन्होंने जो खर्च किया वह 433.78 करोड़ रुपया खर्च किया। इस तरह से कुल लगभग 24 करोड़ रुपया विकास के कार्यों पर कम खर्च किया। लेकिन उसका क्या किया ? उससे विकास का कार्य नहीं हो सका। इन्होंने कहा, बिजली की कमी अन्तर्राज्यीय प्राब्लम हो गयी, बिजली की कमी हो गयी, यह हो गया। बिजली की कमी क्यों हुई ? मैं आकड़े देकर बताना चाहता हूं कि विद्युत संकट इसलिए हुआ कि यह सरकार पैसे को खर्च नहीं कर पायी। वाटर एण्ड पावर सप्लाई के लिए 80-81 में बजट में 218.57 करोड़ का प्रावधान रखा था लेकिन उसमें से एक साल में खर्च किया केवल 190 करोड़ 59 लाख और इस तरह से आपने 29 करोड़ रुपये

(श्री नाथूसिंह)

जल और बिजली पर कम खर्च किये और इसका खमियाजा राजस्थान के किसानों को उठाना पड़ा। उनके खेत सूख गये, बिजली नहीं मिली और जब नहीं मिली तब किसानों ने आन्दोलन किया, मांग की कि हमारे खेत की प्यास बुझाओ, तो आपने क्या किया, उनको पकड़ पकड़कर केस चलाये। आज भी, अध्यक्ष महोदय, 20 किसानों पर केस बने हुए हैं। केवल फसलों को सूखने से बचाने के लिए उन्होंने मांग की कि हमें बिजली दो और उनके ऊपर आपने क्रिमीनल केरोज बना दिये। आज उनको अदालतों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, पुलिस परेशान कर रही है। मेरी मांग है सरकार से कि बिजली के मामले में जो केसेज बने हैं, उनको सरकार विथड्रा करे। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए क्या किया है कि नोन डवलपमेन्ट जितना खर्च है, विकास नहीं करने वाला जितना खर्च है, वह ज्यादा खर्च किया और 80–81 में प्रावधान रखा था 207.80 करोड़ रुपये का, लेकिन खर्च किया 219–58 करोड़ रुपये। आपने लगभग 12 करोड़ रुपये अधिक खर्च किये। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, इस बजट और उस बजट में कहते हैं कि हम विकास करेंगे, इस बजट में कोई कर नहीं लगाये। अमीरों पर कर लगाते, तो समझ में आता, गरीबों को राहत देते तो समझ में आता। मुख्य मंत्री महोदय कह रहे थे, किसी सदस्य ने बोला नहीं, मैं बोल रहा हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं हाउस के अन्दर कि वेलफेयर स्टेट की परिभाषा यह होती है, मन्त्री महोदय जानते हैं, वेलफेयर स्टेट का मतलब है, जो ऊपर जा रहे हैं, पूंजीपति घराने, जिनकी इन्कम बढ़ रही है, उनके ऊपर टैक्स लगाकर उनकी इन्कम को स्थिर किया जाय, बढ़ने से रोका जाय और गरीबों को राहत दी जाय। वेलफेयर स्टेट का तात्पर्य यह होता है। लेकिन आपने अमीरों पर कोई टैक्स न लगाया बढ़ती हुए पूंजी पर सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए या पता नहीं क्या सांठ गांठ है और गरीबों के लिए आप नारा लगाते हैं कि हम समाजवाद पर विश्वास करते हैं। समाजवाद का तात्पर्य है जिनके पास ज्यादा है, उनसे लेकर गरीब को दो। लेकिन आपने समाजवाद की हत्या कर दी सरासर। केवल नाम आप समाजवाद का लेते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, योजना व्यय के अन्दर 30 करोड़ रुपये की कटौती की, मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा, आपने विकास का काम किया नहीं, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, तबादलों में लगे रहे। तबादलों की बात में नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिर ये इधर उधर शिकायत करेंगे और कहेंगे कि तबादलों के बारे में आप बोल रहे हैं। मैं निवेदन इतना सा करना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार विकास के काम न ले करके तबादलों की राजनीति में लगी है। कर्मचारियों के तबादलों

(श्री नाथूसिह)

के बारे में नहीं जाऊंगा। आपने मार्च, 1980 से लेकर फरवरी 1981 तक 125 आई. ए. एस. के तबादले किये, 52 आई. पी. एस. के तबादले किये, 351 आर. ए. एस. अधिकारियों के तबादले किये और उसमें आपने लगभग 10 लाख रुपये खर्च किये। यह 10 लाख रुपया आपने आई. ए. एस., आई. पी. एस, और आर. ए. एस. के तबादलों में खर्च कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस सरकार की परफोरमेंस एक साल में कैसी रही है। सरकार से उसके बारे में अपनी राय प्रकट नहीं करना चाहता। मैं कुछ कहूंगा तो कहेंगे आप तो विरोध करते ही हैं। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय जो इस सरकार के मन्त्री हैं, उन्होंने उदयपुर में कहा है कि अफसरशाही इस सरकार पर हावी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस सरकार पर अफसरशाही हावी हो जाती है, वह सरकार जनता का भला नहीं कर सकती। माननीय मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया है कि सरकार पर अफसर शाही हावी है, कोटा में स्वीकार किया कि वर्तमान सरकार पर अफसरशाही हावी है इसलिए यह सरकार, पहाड़िया सरकार आज तक कोई काम नहीं कर पायी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय ने कौन्सिल डिप्लोमा आफ इंजीनियरों के चौथे प्रान्तीय अधिवेशन के समापन में बोलते हुए कहा कि सरकार पर अफसरशाही हावी होने के कारण समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है वर्षों से। यह उन्होंने कहा है, इतना ही नहीं बृज सुन्दर जी शर्मा, जो माननीय सदन के बहुत पुराने सदस्य रहे हैं और पहले मन्त्री भी रहे हैं, अब भी इस सदन के सदस्य हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, जो कांग्रेस (आई) के विधायक हैं, उन्होंने बूंदी के अन्दर कहा है कि इस सरकार में अभी तक सुगन्ध आ रही है चीनी की। चीनी कहां गयी? आपकी गलत नीतियां हैं। उनका वक्तव्य पढ़कर बताना चाहता हूं। कांग्रेस (आई) के बृज सुन्दर शर्मा ने केशोरायपाटन में चीनी का उत्पादन न होने से राज्य सरकार की निष्क्रियता का नमूना बताया। ये बृज सुन्दर जी शर्मा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, यहां हीरालाल जी देवपुरा बैठे हुए थे, जब मैं बोलने खड़ा हुआ तो वे समझ गये और बाहर चले गये. मैं मैं उनका भी वक्तव्य पढ़ कर सुनाना चाहता हूं, जो उन्होंने कई जगह कहा है कि अकाल राहत से निपटने में सरकार असफल रही है। यह सरकार की असफलता का नमूना है, माननीय मोहनलाल जी सुखाड़िया, जो राजस्थान में 18 साल तक लगातार मुख्यमन्त्री रहे हैं, इस सरकार को कहा है कि ऐसी कमजोर सरकार आज तक राजस्थान में नहीं आयी जिसने न अकाल न पानी की समस्या को सुलझाया। माननीय शिवचरण जी माथुर यहां पर बैठे हुए माननीय है सदस्य सदन के है उन्होंने भी इस सरकार पर आरोप लगाया कि समस्याओं

Page No.162

(154)

(श्री नाथूसिंह)

को दूर नहीं कर पायी है सरकार। माननीय अध्यक्ष महोदय, विस्तार में नहीं जाना चाहता कि किस सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया लेकिन अकाल के मामले में जो लक्ष्य रखे हैं, यह मैं बोल रहा हूं, आंकड़े देकर बताना चाहूंगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले में अभी तक जो लक्ष्य निर्धारित किये थे सरकार ने, उसके अन्दर कुए खोदने का लक्ष्य निर्धारित किया था। 212 कुए खोदे गये और 275 कुए प्रारम्भ किये हैं। इसी तरह हण्ड पम्प लगाने की 271 की योजना थी लेकिन 112 हण्ड पम्प लगाये हैं। इसी तरह से नहरें ठीक करवाने की 68 की योजना थी केवल 10 नहरों का आपने निर्माण करवाया है। ये आंकड़े वे दे रहा हूं जो आपने, जो आपकी सरकार ने दिये हैं, बजट प्रावधान सहायता विभाग ने दिये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतनी ही चर्चा नहीं करना चाहता। सरकार अधिकार तो दे रही है सब जगह लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या कहा है राष्ट्रीयकरण के नाम पर कि राष्ट्रीयकरण रोडवेज का कर दिया गया। माननीय प्रभाकर जी जा रहे हैं, वे बैठे तो बताना चाहता हूं, आपने रोडवेज का राष्ट्रीयकरण कर दिया, बहुत अच्छा लगा हम कि समाजवादी सरकार है, राष्ट्रीयकरण में विश्वास करती है। लेकिन मैं आपका आदेश पढ़ कर सुनाना चाहता हूं, माननीय मन्त्री महोदय, 7-1-81 को आपने आदेश निकाला और उसके अनुसार, राष्ट्रीयकरण की योजना के अनुसार आदेश नम्बर एच/एस टी/81/301, आफिस आर्डर है। राजस्थान स्टेट रोडवेज कारपोरेशन का उसके अनुसार कोटपूतली डिपो की आपने व्यवस्था की। जो डिपो कोटपूतली और अलवर एरिया के अन्दर आता है, जिन रूट्स का आपने राष्ट्रीयकरण किया उसके अन्दर आपने लिखा है :

"Due to increase in schedule of Business being allotted for this operation........"

इतना ही नहीं आपने डिपो बढ़ा दिए, शाहजहांपुर, मलेना, मादरी कलां और यह भी बताया कि शिड्यूल कितने होंगे, कोटपूतली में 9, डायरेक्ट 132, अलवर में 394 व्हिकल्स की सख्या कोटपूतली में 80 और अलवर में 109। इस तरीके से टोटल व्यवस्था आपने सारी दे दी और आपने कहा कि 16.1.81 से यह सारी व्यवस्था लागू कर दी जायेगी। आपने कहा कि 16.1.81 को आपरेशन पूरा हो जायेगा और रोड़वेज की बसें चला दी जायेंगी लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? रोडवेज की बसें नहीं चल रही हैं। प्राइवेट बसेज चल रही है, यूनियन से पत्र लिखा और यूनियन ने मांग की उसके बाद आपने कहा कि 15.2.81 से चला देंगे। आपने कहा कि 15.2.81 से बसे चला दी जायेंगी लेकिन उसके पश्चात् भी कोई बसेज नहीं चलाई। आज आपकी बसेज तैयार होकर खड़ी हैं लेकिन बसें नहीं चल रही हैं। क्यों नहीं

(श्री नाथूसिंह)

चल रही हैं ? हमने एक प्रश्न पूछा था उसका जवाब आपने दिया कि हमारी बसेज इसलिए नहीं चल रही हैं क्योंकि हमको परमिट नहीं मिला यातायात विभाग से । माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको परमिट नहीं मिला । यह डिपार्टमेन्ट किस के पास है ? क्यों परमिट नहीं दिया ? प्राइवेट बस वालों का परमिट दे दें और आपको परमिट नहीं दे रहे हैं । क्यों ? क्योंकि यह हालत है आपकी । मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय प्रभाकर जी, आप अच्छी तरह से सुन लें । गंगानगर के अन्दर 14 बस रूट्स का राष्ट्रीयकरण हुआ था लास्ट ईयर । उस समय आपके डिपार्टमेन्ट ने यह कहा था कि यहां पर बसें नहीं चलायेंगे, बसें वापिस विथड्रा कर लीं कि हम बसें नहीं चला सकते । लेकिन वहां की जनता ने, वहां की यूनियन ने आन्दोलन किया और आन्दोलन करके कहा कि इस डिपार्टमेन्ट के बड़े बड़े अधिकारियों ने प्राइवेट रूट वालों से बहुत बड़ा सौदा किया है उस सौदे के पश्चात् जब पता लगा कि पंजाब की एक कम्पनी, बहुत बड़ी करोड़पति परिवहन कम्पनी, जिसने गंगा नगर के 14 रूट्स के लिए एप्लीकेशन लगा रखी है, ने कहा कि हमें इसका परमिट दिया जावे और वहां पर प्राइवेट बसें चलाने की अनुमति दी जाय । उनसे लाखों रुपयों का आपसी लेन देन हुआ और 14 रूट्स पर बसें चलाने का उनको आदेश दिया लेकिन जब दबाव डाला गया तब जाकर 10 रूट्स पर आपने अपनी बसें चलाई और चार रूट्स पर प्राइवेट बसें चल रही हैं लेकिन फिर राजस्थान पथ परिवहन निगम के कुछ अधिकारी कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर फिर से 14 रूट्स को छोड़ दिया जावे और उस कम्पनी को उसका ठेका दे दिया जावे । परमिट दे दिया जावे, लाइसेंन्स दे दिया जावे और राजस्थान रोडवेज को उसका नुकसान होता रहे । यह स्थिति आज आपने पैदा कर रखी है राजस्थान रोडवेज के अन्दर । तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अभी तक इस समय भी प्रावधान रखा है. प्रोविजन किया है कि हम बसें नहीं चला सकते । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है ? इसका परिणाम क्या होगा? शुद्ध लाभ होगा । अगर इन 14 रूट्स पर बसें चलती हैं तो स्टेट रोडवेज को शुद्ध लाभ 40 लाख रुपयों का डिपार्टमेन्ट को होता है । लेकिन क्या हो रहा है ? कहा यह जाता है कि हमारे पास पूरी बसें नहीं हैं इसलिए हमने रखा है और वह जो पंजाब की कम्पनी है जिसने 14 रूट्स के लिए एप्लीकेशन दे रखी है, इसका मतलब क्या है ? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यातायात विभाग पर दबाव डाला जा रहा है कि लोग पर प्राइवेट बसों को परमिट दे दें तो निगम अपना अधिकार छोड़ देगा । इसलिए माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है लाखों रुपयों की लेन देन हुई । है

(श्री नाथूसिंह)

मेरे पास पूरी फाइल है। ग्राप चाहेंगे तो मैं ग्रापको निवेदन कर दूंगा।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : तारीख तो बता दें, कब की है ?

श्री नाथू सिंह : 25 फरवरी की है।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : 25 फरवरी की ?

श्री नाथू सिंह : यह 25 फरवरी को न्यूज निकली है।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : सन् कौन सा ?

श्री नाथू सिंह : यही 81 है।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : गंगानगर के बारे में ?

श्री नाथू सिंह : हां, 25 फरवरी की न्यूज है।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : डाकूमेंट्स जो ग्राप पढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि ग्राप सदन की मेज पर रख दें इसको।

श्री नाथू सिंह : मैं बिल्कुल रखना चाहता हूं, माननीय ग्रध्यक्ष महोदय।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मैं चाहता हूं कि जो डाकूमेन्ट्स माननीय सदस्य पढ़ रहे हैं इस डाकूमेन्ट को सदन की मेज पर रख दिया जावे।

श्री नाथू सिंह : मेरे पास पूरी जानकारी है, ग्रध्यक्ष महोदय।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रापने डाकूमेन्ट पढ़ कर बताया है। ग्राप सदन की मेज पर रख दीजिये।

श्री नाथू सिंह : मेरे पास जो डाकूमेन्ट है, मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय ग्रध्यक्ष महोदय....

श्री ग्रध्यक्ष : रख दीजिये।

श्री नाथू सिंह : मैं रख दूंगा। इसलिए, ग्रध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत बड़ा घपला हुग्रा है कोटपूतली के ग्रन्दर, ग्रलवर के ग्रन्दर। राजस्थान रोडवेज की बसें न चल कर प्राइवेट बसें वहां पर चलती हैं। ग्रापस में सौदे हो गए हैं। वहां पर क्यों नहीं रोडवेज की बसें चलती है ....

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : जिस डाकूमेन्ट का ग्राप हवाला दे रहे हैं उसको रख दें।

श्री ग्रध्यक्ष : जो डाकूमेन्ट ग्राप लाये हैं उसको रख दें। उनका उत्तर देना होगा।

श्री नाथू सिंह : वह मैं दे दूंगा।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप दे दीजिये। ग्रार्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : मैं ग्रापको उसकी कापी दे दूंगा, ग्रध्यक्ष महोदय।

श्री ग्रध्यक्ष : यदि ग्राप ने उसको रेफर किया है तो उसको रख दीजिए।

(व्यवधान)

(श्री नाथूसिंह)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप पहले नियम देख लीजिए, उसके बाद कहें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय मन्त्री महोदय ने जो डाकूमेंट रखने की बात कही है, मैं ग्रापसे निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राप उसको पहले रिफ्यूट करिये। रिफ्यूट करने के बाद ग्राप चाहेंगे तो वह डाकूमेंट निश्चित रूप से रख दिया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर ग्रार्डर। माननीय सदस्य....

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मैं मांग कर रहा हूं।

श्री ग्रध्यक्ष : जो माननीय सदस्य किसी डाकूमेन्ट को रेफर करें तो उसको ग्रापको रख देना चाहिए ताकि मिनिस्टर देख सकें। विवाद तो चलता रहेगा।

श्री नाथूसिंह : मैं ग्रभी रख दूंगा, माननीय ग्रध्यक्ष महोदय।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर ग्रार्डर। ग्राप रख दीजिए ना उस डाकूमेन्ट को।

श्री नाथूसिंह : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में निवेदन कर रहा हूं ....

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज। रिफ्यूट करने की कोई ग्रावश्यकता नहीं है। यदि कोई माननीय सदस्य किसी डाकूमेन्ट को रेफर करते हैं तो यह उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि उसको सदन की मेज पर रखें।

व्यवस्था का प्रश्न

उद्धृत पत्रों को मेज पर रखना

श्री कैलाश मेघवाल : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर नियम 288 में है।

श्री ग्रध्यक्ष : थोड़ा जोर से बोलिये। बीच में ग्राप ग्रावाज ऐसे कैसे धीमी कर कर लेते हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : उद्धृत पत्रों को मेज पर रखा जावे····

श्री ग्रध्यक्ष : कौन सा नियम है ?

श्री कैलाश मेघवाल : नियम 288।

(विराम)

श्री ग्रध्यक्ष : जी।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, माननीय यातायात मन्त्री जी ने ग्रापसे निवेदन किया कि सदस्य महोदय जो डाकूमेंट रेफर कर रहे हैं वह टेबल पर रख दिया जावे। मैं ग्रापसे निवेदन करता हूं कि यह 288 के नियम तो मुझे मालूम है जिसमें मन्त्री····

श्री ग्रध्यक्ष : यह तो मन्त्रियों पर लागू होता है।

श्री कैलाश मेघवाल : मन्त्री पर लागू होता है। सदस्य पर कौन सा नियम लागू होता है जिसके तहत माननीय यातायात मन्त्री यह प्रश्न उठा रहे हैं? वही मैं आपको कह रहा हूं कि वह नियम रेफर करें।

श्री अध्यक्ष : इनके लिए भी है नियम।

(विराम)

(व्यवधान)

चल रहा है हाउस।

श्री महाराम चौधरी : ये नियम ढूंढे तब तक बोल लूं, साहब, और इतना ही बोलूंगा मैं तो।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : 289 पढ़ियेगा।

श्री कैलाश मेघवाल : उसमें कम्पेल नहीं किया जा सकता है। यह 289 जो है मेज पर रखने वाला, सदस्य द्वारा उक्त प्रकार से प्रमाणित किया जावेगा।

(व्यवधान)

वे बाध्य नहीं कर सकते हैं। नियम के अन्तर्गत माननीय यातायात मन्त्री जी यह निवेदन कर रहे हैं, वे नहीं पूछ सकते कि आपने रेफर किया है तो रखिये मेज पर। यह मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : है तो रखिये, डाकूमेंट नहीं है तो ना कहिये।

श्री कैलाश मेघवाल : ओरिजनल देना नहीं चाहते।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण इतने विराजमान हैं, कृपया अपनी अपनी पुस्तिकायें देखियेगा।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय मंत्रीजी देखें। आपसे निवेदन भी उन्होंने ही किया है।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : नहीं है तो कहिये कि मैं विदड्रा करता हूं।

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने विदड्रा कर लिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : मेरे पास ओरिजनल डाकूमेंट है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज....

(विराम)

यह डायरेक्शन दिया हुआ है। स्कम्भ-148-50, 16.3.70 का है।

जिस दस्तावेज के आधार पर सदन में आरोप लगाया जाये उसे लाजिमी तौर पर सदन में प्रस्तुत किया जावे।

श्री मोहनलाल मोदी, सदस्य, विधान सभा ने अनुदानों की मांगों पर बोलते हुए सहकारिता मंत्री के प्रति एक रसीद का उल्लेख करते हुए कहा कि चूरू से आने

(श्री अध्यक्ष)

वाले माननीय सदस्य श्री शीशराम ने उन्हें एक रसीद बताई थी, जिसमें यह लिखा हुआ था, "15 हजार रुपये प्राप्त किये, यदि आपका काम नहीं हुआ तो रुपये वापस कर दिये जावेंगे।"

सहकारिता मंत्री श्री अमृतलाल यादव ने इसका विरोध करते हुए माननीय सदस्य से रसीद सदन में प्रस्तुत करने का निवेदन किया।

माननीय उपाध्यक्ष ने भी श्री मोदी को उक्त रसीद पेश करने के लिये कहा तो श्री मोदी ने बताया कि उन्हें वह रसीद श्री शीशराम ने दिखाई थी।

वाद विवाद के पश्चात् श्री उपाध्यक्ष द्वारा यह व्यवस्था दी गई :

"माननीय सदस्य इतने संगीन आरोप लगायें तो सदन यह मानकर चलता है कि जो कुछ भी आप कह रहे हैं जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं और सही कह रहे हैं। जब आप रसीद का हवाला देते हैं तो यह लाजिमी हो जाता है कि आप वह रसीद प्रस्तुत कर दें ताकि मंत्री महोदय द्वारा भी सफाई दी जा सके। किसी तरह की जांच कराई जा सके। आप इसको यूं टाल नहीं सकते कि वह किसी तीसरे व्यक्ति के पास है। आप जब हवाला देते हैं तो उसको पेश करना चाहिये।"

श्री यदुनाथ सिंह : फिर, अध्यक्ष महोदय, आंकड़ों की बात करते हैं तो उनके लिये भी डाकूमेंट और रिपोर्ट लानी पड़ेगी। फिर अव्यवस्था फैल जायेगी।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : मेरा निवेदन यह है कि माननीय स्टेट होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि चीनी अवश्य सस्ती हो जायेगी।

मैंने चैलेंज कर दिया था अभी चीनी सात आठ रुपये किलो है, अब 12 रुपये हो जायेगी तो क्या वह त्याग पत्र दे देंगे ?

श्री दुलाराम : यह हमारा विचारणीय प्रश्न है। विचारणीय विषय है ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो डायरेक्शन अभी पढ़ा, डायरेक्शन की जो भाषा थी, वह जिस रेफरेंस में जिस संदर्भ में इस सदन में कहा कि एक रसीद मन्त्री के हाथ की रिश्वत की लिखी हुई थी। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : मन्त्री के हाथ की लिखी हुई नहीं थी।

श्री कैलाश मेघवाल : किसी और की होगी। उस रसीद के आधार पर आरोप लगाया गया था और यह कहा गया था कि लाजिमी है कि रखें। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, डायरेक्शन किसी सदस्य को दी जाये यह लाजिमी है ? कई बातें ऐसी हैं, जो लाजिमी हैं, सही

(श्री कैलाश मेघवाल)

भी हैं, कहनी भी चाहिये। लेकिन जब हम स्ट्रिक्ट लीगल इन्टरप्रिटेशन पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, आ जाते हैं और जब चेयर से कोई डायरेक्शन दिया जाता है, वह उपाध्यक्ष का एक डायरेक्शन है, रूल्स में कोई हवाला नहीं था। इसलिए मैं नहीं कह सकता, मेरे पास कैसे आया। अगर रूल होता तो मैं उसके लिए निवेदन करता, लेकिन डायरेक्शन चेयर नहीं दे सकती, रखिये ही। यह वहीं लाजिमी है, आपको रखना चाहिये। यह इतना ही है, इसलिए मैं चाहूंगा आप इस बारे में अपनी व्यवस्था दें, डायरेक्शन जो आपने दिया।

श्री अध्यक्ष : यहां जो भी कोई बातें कही जाती हैं, वह तथ्यों पर आधारित होती हैं। या तो स्वयं किसी माननीय सदस्य की जानकारी हो या उसका कोई आधार हो। आधार डाकूमेंट भी हो सकता है, डाकूमेंट नहीं हो, निजी जानकारी किसी के पास है तो वह भी हो सकता है। लेकिन जब माननीय सदस्य ने किसी डाकूमेन्ट का हवाला दे दिया और कहा कि फलां दिन इस तरह का आदेश निकला है और यदि सामने वाले यह कहते हैं कि ऐसा आदेश नहीं निकला है, या हम स्पष्टीकरण उसके आधार पर देना चाहते हैं तो साधारणतः वाद-विवाद और चर्चा का नियम भी यह है कि वह आधार उनको बतायें। नहीं तो यह उचित नहीं होगा। आप तो कह देंगे, "नहीं" इस तरह का आदेश हुआ था। मन्त्री जी कहें या कोई माननीय सदस्य कहें, हमको यह ध्यान नहीं है या यह कहें कि शायद ऐसा नहीं हुआ है, या यह कह दें कि ऐसा हुआ नहीं तो उस वक्त यह आवश्यक हो जाता है। मैं समझता हूं इन आल फेयरनेस कोई इस बात को कहते हैं उनके लिये यह जरूरी हो जाता है कि वह उस चीज को सदन की मेज पर रखें, यह मेरा निवेदन है।

श्री परसराम मदेरणा : आपकी तरफ से दो माननीय सदस्य बोल चुके हैं।

श्री परसराम मदेरणा । मैं यह निवेदन कर रहा था, स्पीकर के जो डायरेक्शन्स हैं, Directions of the Speaker are as good as Rules of the Rules of Procedure इसका मतलब किसी रूलिंग से ले रहे हैं। रूलिंग के सम्बन्ध में है, स्पीकर किसी रूलिंग को ओवर रूल भी कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्शन की जो किताब है आपकी लोक-सभा और राज्य सभा में जो स्पीकर ने डायरेक्शन दिये हैं रूल्स के नीचे वह उसी तरह से लागू हैं, जैसे रूल लागू होते हैं। इसलिये डायरेक्शन का प्रश्न तो यह है। दूसरा, मैं निवेदन कर रहा था, डिप्टी स्पीकर का जो था, डायरेक्शन नहीं था। वह रूलिंग थी। जब रूलिंग हैं आप कह रहे हैं, 289 लागू नहीं होता, 288 मिनिस्टर के लिये है। अगर यह सब कुछ लागू नहीं होता तो 308 यह कहता है :-

(श्री परसराम मदेरणा)

"If any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these Rules, the decision of the Speaker shall be final."

ऐसे मामलों में आप यहां पर डाकूमेंट रेफर करते हैं और रेफर करने के बाद अगर गवर्नमेंट इस पोजीशन में नहीं है कि उस डाकूमेंट को बिना देखे सदन को कांफिडेंस में ले सके, संतोषजनक रिप्लाई दे सके, इसलिये स्पीकर ने रूलिंग यह दी है कि जिस डाकूमेंट को, जिस संदर्भ में जिस परिप्रेक्ष में आज बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य यहां रेफर कर रहे हैं, उस डाकूमेंट को जब तक सदन की टेबल पर नहीं रखते, और अगर टेबल पर नहीं रखना चाहते हैं, मिनिस्टर साहब उनको सदन की मेज पर रखने के लिये आग्रह कर रहे हैं, वह कह रहे हैं डाकूमेंट आप हमें दिखाइये ताकि हम समय पर उत्तर दे सकें। इसलिये मैं पूछता हूं कि जिस डाकूमेंट को हाथ में लिये हुए रेफर कर रहे हैं उसको दिखाने में आपको क्या कठिनाई पैदा हो रही है ? आप दिखाइये।

एक माननीय सदस्य : आसन से बोलने की व्यवस्था दी गई है।

श्री परसराम मदेरणा : वह तो आप इस सदन में ऐसी परम्परा डाल रहे थे तीन साल पहले इसलिये व्यवस्था दी गई थी। वह शीशराम के मामले में रसीद की। जब आपने डायरेक्शन दिया कि किसी देखी हुई बात के ऊपर उसका रेफरेंस नहीं दे सकते हाउस में। डाकूमेंट अगर आपके पास नहीं है और रेफरेंस देते हैं तो आपको पेश करना चाहिये।

श्री महावीरप्रसाद जैन : यह जो आसन से व्यवस्था दी गई है, पेज 230 पर ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कौन सा नियम पढ़ रहे हैं आप ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह डायरेक्शन दिया है पेज 230 पर उसका 27 वां है।

"किसी सदस्य के भाषण अथवा कथन के किसी अंश की सत्यता को चुनौती भाषण अथवा कथन की समाप्ति पर दी जानी चाहिये। भाषण के मध्य व्यवधान उपस्थित नहीं किया जाना चाहिये।'

श्री अध्यक्ष : यह तो मैं हमेशा निवेदन करता हूं।

श्री महावीरप्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यदि किसी प्रकार की चुनौती देनी है या जानकारी करनी है तो भाषण के बाद में की जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : भाषण के बाद में पेपर्स लेकर चले जायेंगे। फिर क्या करोगे ? यह तो आवश्यक हो गया था, बात कर रहे थे।

श्री सुनीलकुमार विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे, उन्होंने एक

Page No.170

162

(श्री सुनील कुमार विश्नोई)

फाइल का हवाला दिया और कहा मेरे पास फाइल मौजूद है। उन्होंने मंत्री महोदय को यहां तक चुनौती दी अगर चाहें तो मैं डाकूमेंट दे सकता हूं। उस स्थिति में मंत्री महोदय ने कागज दिखाने को कहा। लिहाजा उनके लिये जरूरी हो जाता है कि मंत्री महोदय को कागज दिखाये जायें।

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, भाषण समाप्ति पर अगर मंत्री महोदय चाहते हैं तो उनको निवेदन करना चाहता हूं मैंने एक अतारांकित प्रश्न पूछा था....

श्री अध्यक्ष : नहीं, लेकिन मूल प्रश्न पर आसन ने भी यह डायरेक्शन दिया है कि जो पत्रावली है वह सदन की मेज पर रखी जाये।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा मेरे पास फाइल है और मैं दिखा सकता हूं। दिखाइये वह।

श्री अध्यक्ष : कई बातें डराने के लिये कही जाती हैं कि हमारे पास यह है। पहले फाइल बता रहे थे, पूरी फाइल।

(व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : मेरे पास सबूत हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय चाहेंगे तो फिर मैं कह रहा हूं अभी तक आपने उन तीन मार्गों पर बसें नहीं चलायी हैं। उसका सबूत मेरे पास यह है मैंने अतारांकित प्रश्न पूछा था उसके जवाब में आपने स्वीकार किया है कि हमने नहीं चलायी।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : जनता पार्टी के बाद आपने लाखों के घोटाले की बात कही, वह मैं जानना चाहता हूं।

श्री नाथूसिंह : जो मैंने, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोट किया, मैंने लाइन पढ़ कर सुनाई....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : सदन की अनुमति से बैठक का समय आधे घण्टे और बढ़ाया जाता है 6 बजे के पश्चात्।

व्यवस्था का प्रश्न

उद्धृत पत्रों को मेज पर रखना

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो आदेश संख्या दी है वह आदेश संख्या मेरे पास है।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मैंने गंगानगर की बात कही है। कोटपूतली पर बोला ही नहीं।

श्री नाथूसिंह : गंगानगर के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि 25 फरवरी को समाचार पत्रों में एक समाचार छपा....

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : आपने पहले फाइल का रेफरेंस दिया अब आप समाचार पत्रों का कह रहे हैं।

श्री नाथूसिंह : मैं नई बात कह रहा हूं। वह नहीं कह रहा हूं।

(5.50 सायं)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभापति, पदासीन)।

(व्यवधान)

(श्री नाथूसिंह)

आप ध्यान रखें इस बात का, इसको आप खिसका नहीं सकते । माननीय मन्त्री महोदय, पंजाब की एक करोड़-पति कम्पनी ने क्या एप्लाई नहीं किया हुआ है ? सभापति महोदया, एप्लाई किया हुआ है । आप पहले सुन लीजिये ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप कुछ का कुछ बोल रहे हो, समझ में नहीं आता ।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : वह पत्र भी मैं आपको दे दूंगा ।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदया, आप उनसे डाकूमेंट रखवाइये ।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं, जितने रास्ते राष्ट्रीयकृत किये उन पर बसें क्यों नहीं चलीं और बाकी मार्गों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया जा रहा, इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिये । क्या हो रहा है इसमें ?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप अपने नेता महोदय की नकल कर रहे थे लेकिन नकल में भी अक्ल की जरूरत है ।

श्री ईश्वर लाल सैनी : कहां से लायेंगे डाकूमेंट ?

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदया मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूं । राजस्थान की जनता ....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ....

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : गंगानगर में जितने रोडवेज के परमिट हैं सब पर बसें चल रही हैं इसको मैं स्वीकार करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : मुझे खुशी है, सभापति महोदया, ...

(व्यवधान)

श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा : ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, इनसे माफी जरूर मंगाई जानी चाहिये ।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : सभापति महोदया अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि सदन के पटल पर कागज नहीं रखते हैं तो इसके लिये कारण प्रस्तुत करें कि क्यों नहीं रखते हैं ?

श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा : इनसे माफी मंगावें, सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

श्री ईश्वर लाल सैनी : डाकूमेंट का हवाला दिया है ....

(164)

एक माननीय सदस्य : व्यवस्था का प्रश्न है ....

एक माननीय सदस्य : ये कह रहे हैं कि मेरे पास फाइल मौजूद है तो या तो, सभापति महोदया, फाइल दिखा दें ....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्री जी को चैलेंज किया है। इनसे सदन में डाकूमेंट रखवाये जाये।

श्री ईश्वर लाल सैनी : ये सदन से माफी मांग लें, ये कोरे कागज दिखाते हैं, ये गुमराह करते हैं सदन को, सरकार को भी गुमराह करते हैं। इनको माफी मांगनी चाहिये। इनके पास डाकूमेंट कुछ भी नहीं है, माफी मंगवाई जाये।

श्री देवेन्द्र सिंह : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर। जो फाइल मंत्री महोदय को बताई है, सदन को बताई है उसमें क्या है, क्या नहीं है....

(व्यवधान)

श्री ईश्वर लाल सैनी : लम्बे लम्बे हाथ करके दिखा रहे थे। दिखायें वह सदन में नहीं तो सदन से माफी मांग लें खड़े होकर।

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र सिंह : जो कुछ इन्होंने कहा है, धोखा दिया है सदन को।

एक माननीय सदस्य : मेरा अनुरोध है आपसे कि फाइल सदन की मेज पर रखवायें।

श्री ईश्वर लाल सैनी : सदन से माफी मांग लें।

श्री गोकुल चन्द शर्मा : वह ग्रादेश की प्रति यहां पर रखें।

(व्यवधान)

यह ग्रासन से ग्रादेश दिया गया है, सभापति महोदया। उसे उन्होंने कोट किया है कि मंत्री महोदय ने फाइल पर लिखा है। वह दिखावें ग्रथवा सदन की टेबल पर रखें ग्रथवा दोनों ही न करें तो इस कार्यवाही को एक्सपंज किया जाये।

(व्यवधान)

(5.59 सायं)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, ग्रध्यक्ष, पदासीन)

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। ग्रार्डर प्लीज।

(व्यवधान)

ग्रार्डर प्लीज ...

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें।

ग्रापने ग्रपना भाषण समाप्त कर दिया है क्या ? नहीं। तो ऐसा है कि जिन पेपर्स का ग्रापने हवाला दिया है, माननीय सदस्य, ज्यों ही ग्रपनी बात को समाप्त कर लें उसके बाद में उन पेपर्स को यहां पर रख दें।

एक माननीय सदस्य : इनके पास में कोई पत्र नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य ।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : आसन ने व्यवस्था दे दी है । आप आसन को चैलेन्ज कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । कृपया सुनिये ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, कृपया शांत रहें ।

(व्यवधान)

अंकित न हो ।

श्री वासुदयाल जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें ।

हमारे वाद-विवाद के नियम ऐसे हैं जब भी कोई माननीय सदस्य बोल रहे हों तो उनके बीच में कोई न बोलें । जो कुछ भी उन्होंने हवाला दिया है, वे अपने भाषण के बाद कृपया सदन की मेज पर उन परिपत्र को रखें । क्योंकि उन्होंने हवाला दिया है और उसमें कुछ आरोप भी लगाया है इसलिये उनके लिये यह लाजिमी है कि जिन पत्रावलियों का उन्होंने उद्धरण दिया है, वे सदन के समक्ष रखी जायें । यदि कोई माननीय सदस्य आसन के आदेश के बाद में पत्रावलियां नहीं रखता है अथवा सदन से छिपाता है तो उसके लिये सदन के पास बहुत बड़े अख्तियार हैं ।

माननीय सदस्य, समय काफी हो गया है, इसलिये पांच मिनट में ।

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1981

माननीय सदस्य, अपनी बात को समाप्त करेंगे । उसके बाद में चूंकि समय बहुत अधिक हो गया है इसलिये एक-दो माननीय सदस्य अपनी बात को पांच अथवा सात मिनट में समाप्त करेंगे । श्री नाथूसिंह, केवल पांच मिनट ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पाइंट ऑफ आर्डर ।

श्री अध्यक्ष : मैंने एक नियम बना रखा है, नियम का हवाला दीजिये ।

एक माननीय सदस्य : इनके पास में कोई फाइल नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । इस फाईल में कितने कागज हैं वह तो बाद में देखेंगे । वह स्टेज तो आने दीजिये । क्या पता, यह उनकी खुद की फाईल हो । कई तरह के विषय की हो और उसमें एक पन्ना यह भी हो ।

श्री नाथूसिंह ।

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1० अगस्त को आल इंडिया चीनी मिल एसोसिएशन ने केन्द्रीय सरकार को यह आफर दिया कि चूंकि चीनी की कमी है इसलिये हमें पांच रुपये किलो के हिसाब

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री नाथूसिंह)

से आपको चीनी देने को तैयार हैं। केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया। उसके बाद महाराष्ट्र चीनी मिल एसोसिएशन ने यह आफर दिया कि वह साढ़े चार रुपये किलो पर चीनी देने को तैयार है। चूंकि चीनी की कमी दो महीने के लिये थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके पश्चात् 20 अगस्त को सेन्टर ने डायरेक्शन दिये कि स्टेट्स इस चीनी को लेकर अपनी कोई एजेन्सी इस तरह की बनायें जिससे कि इस चीनी का वितरण हो। लेकिन जहां सितम्बर और अक्टूबर में उन्होंने कहा, रिलीज के बारे में एजेन्सी तय करें, तो राजस्थान सरकार ने उपभोक्ता संघ का नाम तय किया कि चीनी का वितरण इसके माध्यम से होगा। 27 अगस्त को एक मीटिंग व्यापारियों और सरकारी अधिकारियों की बुलाई गई। उसमें सरकारी अधिकारी आये, सम्बन्धित उपभोक्ता संघ के प्रतिनिधि भी वहां मौजूद थे। उस समय जी. रामचन्द्र सचिव थे उन्होंने यह मीटिंग कन्डक्ट की। उस मीटिंग में यह बताया गया कि एक सितम्बर से चीनी का वितरण केवल उपभोक्ता सघ से होगा, व्यापारियों को हम चीनी नहीं देंगे। इस बात का व्यापारियों को भय लग गया। उसके बाद से व्यापारियो ने चीनी रोक ली। उसी दिन, मीटिंग के दिन ही चीनी जो 7.30 रुपये प्रति किलो बिक रही थी उसके भाव 7.90 रुपये प्रति किलो हो गये और दूसरे दिन 30 अगस्त को भाव बढ़कर 8.40 रुपये हो गये। उसी समय माननीय प्रभाकर जी का बयान आया कि इस पाबंदी के मैं विरुद्ध हूं। आपने केन्द्रीय सरकार को तार भी दिया, टेलीग्राम दिया और उसी समय वायरलैस भी किया कि इस नीति के अन्दर रद्दोबदल की जाये लेकिन सेन्टर ने नीति कोई में रद्दोबदल नहीं की और उसके पश्चात् 31 अगस्त को राजस्थान पत्रिका में खबर छपी कि एक सितम्बर से चीनी व्यापारी खुले बाजार में नहीं बेच सकेंगे। उस दिन रविवार था। उस दिन बीस रुपये किलो चीनी जयपुर शहर में बिकी। मेरा निवेदन है कि 20 रुपये 22 रुपये, 18 रुपये तक यह चीनी उस दिन बिकी है। मेरा निवेदन इसमें यह है कि उस दिन शाम तक गफलत रही, दुकानें खुली रहीं। शनिवार था। यह प्रावधान रहता है कि इन दिनों दुकानें बन्द रहेंगी लेकिन दुकानें खुली रहीं। सरकार की किसी एजेन्सी ने इसको चैक नहीं किया कि क्यों दुकानें खुली रही हैं? सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं की गई। समाचार पत्रों में घोषणा नहीं हो सकती थी परन्तु रेडियो से घोषणा करवा सकते थे, लाउड स्पीकर से घोषणा करवा सकते थे। सरकार की और एजेन्सी से घोषणा करवा सकते थे लेकिन शाम तक घोषणा नहीं करवाई गई। इसका मतलब यह हुआ कि शाम तक चीनी 20 रुपये किलो तक बिकी। इस तरह लाखों रुपया, हजारों रुपया कमाया गया। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, यह मैं

(श्री नाथूसिंह)

जानना चाहता हूं कि इसके पश्चात् सी.बी.आई. से जांच करायी गयी ? मैं मांग करता हूं कि सरकार उस सी.बी.आई. की जांच रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करे । उस रिपोर्ट में क्या लिखा है ? उसके पश्चात् मंत्री और सेक्रेटरी साहब दोनों को इस विभाग से हटाया गया । इसके पीछे क्या तथ्य हैं ? क्यों हटाया गया ? सी.बी आई. की रिपोर्ट में क्या है ? दिन भर घोषणा क्यों नहीं की गयी ? शाम तक चीनी बिकी रेडियो से घोषणा नहीं करवाई गई । इसकी जांच होनी चाहिये, मैं मांग करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं मैं थोड़ा सा शिक्षा संस्थाओं के बारे में कहूंगा ....

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज । भाषण समाप्त हुआ, पांच मिनट का समय दिया था । भाषण समाप्त हो गया ।

श्री **रतन लाल ताम्बी** : पांच से सात मिनट ।

(व्यवधान)

श्री **महावीर प्रसाद जैन** : पाइंट आफ आर्डर । अध्यक्ष महोदय, जो डाकूमेंट सदन की मेज पर रखे जायें इसके बारे में 21.2.75 को यह व्यवस्था सदन में दी है ।

"सदन में उद्धृत पत्रों को सदन की मेज पर रखने के लिए सदस्य को बाध्य नहीं किया जा सकता । राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण विधेयक, 1975 पर अपने विचार व्यक्त करते समय गुमान मल लोढ़ा, सदस्य विधान सभा ने एक विधायक के प्रति आरोपयुक्त किसी व्यक्ति के पत्र का उद्धरण दिया तो श्री राजेन्द्र भारतीय ने व्यवस्था का प्रश्न प्रस्तुत किया ....

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य इस पर लेटेस्ट व्यवस्था दे दी है ....

श्री **श्रीराम गोटेवाला** : माननीय सदस्य से पूछ तो लिया जाये कि इनके पास डाकूमेंट है या नहीं ?

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज ।

श्री **रतन लाल ताम्बी** : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में 1614.3 करोड़ रुपये ....

श्री **अध्यक्ष** : पत्रावली सदन की मेज पर रख दें, माननीय सदस्य ।

श्री रतनलाल ताम्बी : ...के एप्रोप्रिएशन बिल पर जब चर्चा हो रही है तब हमारे सामने राजस्थान की वित्तीय स्थिति, राजस्थान सरकार की कार्यप्रणाली और राजस्थान की जनता को विकास के कार्यक्रम से जो लाभ पर्याप्त रूप से मिलना है और जिन योजनाओं के राजस्थान के विकास के क्रम में लागू होने का प्रश्न है इन सारी बातों पर विस्तार से चर्चा इसलिए नहीं हो पायी कि कई मांगों पर विचार नहीं हो पाया और कई मांगों के प्रस्तुत होने के बावजूद भी हमारी पार्टी को समय नहीं

(श्री रतनलाल ताम्बी)

मिल पाया। इसलिए अब मैं संक्षेप में कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं।

इस बात को स्वीकार करके चलना पड़ेगा कि महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और गुजरात के मुकाबले राजस्थान की गाड़ी की स्पीड बहुत धीमी है इसलिए इस स्पीड को बढ़ाना होगा जब तक हमारे सन्तुलित विवेक सर्वगुण दृष्टिकोण और बुद्धि चातुर्य के बिना पर हमारा प्रशासन तेज गति नहीं पकड़ पायेगा तब तक राजस्थान की तीन करोड़ और चार लाख जनता का विकास नहीं हो पायेगा।

मैं उदाहरण देकर बहुत संक्षेप में कुछ बातें आपके सम्मुख निवेदन करना चाहता हूं। तैयारी तो मैंने काफी कर रखी थी और सुझाव भी सरकार को काफी अच्छे-अच्छे देना चाहता था लेकिन सौभाग्य से मुझे यह अवसर नहीं मिल सका, सरकार के लिए भी यह दुर्भाग्य की बात होगी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समय की सीढ़ी चढ़ कर छत पर तो आ गये लेकिन उसके बावजूद आज राजस्थान में जिस प्रकार की हमारे सामने स्थितियां मौजूद हैं उनसे ऐसा लगता है कि राजस्थान का प्रशासन एक तरह से ब्यूरोक्रेसी के हाथों में पहुंच गया है। ब्यूरोक्रेसी इस तरह से सैक्रेटेरियट पर हावी है, जिला प्रशासन पर हावी है कि उसके माध्यम से राजस्थान के विकास की योजनाओं की दृष्टि से लें, चाहे औद्योगिक दृष्टि से लें समग्र विकास नहीं हो पा रहा है। इन्फ्रास्ट्रक्चर राजस्थान का जो कुछ भी बना था वह आज आगे नहीं बढ़ रहा है उल्टे गति धीमी हो रही है। मैं राजस्थान के प्रशासन से आशा करके चलना चाहता था कि गत वर्ष की अपेक्षा आय के साधन बढ़ेंगे, आय के स्रोत बढ़ेंगे और राजस्थान में कल्याणकारी योजनायें लागू होंगी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि राजस्थान के हर क्षेत्र में आय में कमी हो गयी है। मैंने उदाहरण दिया था कि 25 करोड़ की केवल राजस्थान की आय खनिज सम्पदा से बढ़ सकती है। इसमें हमारी सरकार पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी फेल हो गयी है। सेल्स टैक्स बढ़ सकता है। वहां भी हमारी आय फेल हो गयी है नांन टैक्स रेवन्यू बढ़ सकती है वह भी नहीं बढ़ी है। अगर हम सारी आय के आधार को देखें तो राजस्थान की प्रगति जिस गति से चल रही है जिस गति से राजस्थान चल रहा है उस गति से वह देश के अन्य राज्यों की तुलना में आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली के दबाव से सिंहासन पर बैठाया तो जा सकता है पर अक्षमता से अक्षमता में बदलने का काम जब तक सब मिलकर नहीं करेंगे तब तक पिछड़ा हुआ राजस्थान आगे नहीं बढ़ पायेगा। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिये मोटे तौर पर बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जिन पर ध्यान दिया जा सकता है। उनका उदाहरण दूंगा। मैं निवेदन करना चाहता

(श्री रतनलाल ताम्बी)

हूं कि राजस्थान की जितनी कच्ची बस्तियां हैं उनको यदि नियमित कर दिया तो उससे 400 करोड़ रुपये की आय हो सकती है। लेकिन राजस्थान का प्रशासन इस दिशा में ध्यान नहीं दे रहा है। इसी तरह कृषि भूमि के रूपान्तरण को आप हाथ में ले लें तो राजस्थान को 2500 करोड़ रुपये की आय हो सकती है। इस दिशा में भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। राजस्थान में आज जो अवैध खनन का कार्य है यदि उसको वैध किया जाये तथा नये नये खनन कार्य शुरू करायें तो राजस्थान की आय बढ़ सकती है इस दिशा में भी हमारी सरकार ध्यान नहीं दे रही है।

अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने, जो मैं कहना चाहता था, एक उदाहरण प्रस्तुत किया शराब के मामले में, 100 रुपये में शराब का ठेका दिया जाता है शराब बेचने के लिये। तो शराब के दुकानदार एक करोड़ रुपया देना चाहते हैं। ऐसे कई मसले राजस्थान में हैं उनको अगर आप देखें तो आप राजस्थान की आय को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस दिशा,

(समय—समाप्ति सूचक घंटी)

में भी ध्यान नहीं दिया जाता है।

किसान के फायदे की बात की जाती है एक सर्कूलर निकाला है जयपुर के आर. टी. ओ. ने। यह नियमों में है या नहीं, यह मुझे मालूम नहीं है। किसान रैली में किसान दिल्ली से उत्साह के साथ आया था उस किसान पर, राजस्थान के किसान पर ट्रॉली की फिटनेस फीस का प्रावधान रखा गया है। ट्रॉली की क्या फिटनेस होती है? इस बार राजस्थान के किसान को नयी सरकार ने धोखा दिया है। क्या यातायात मन्त्री ने किसान रैली के बाद राजस्थान की जनता को, किसान को यह तोहफा दिया है? इसके नियम नहीं हैं। विभाग ने इसका सर्कूलर निकाला है और सर्कूलर से यह तोहफा दिया है। क्या आप इसको समाप्त करने की घोषणा करेंगे? पिछली कांग्रेस और जनता सरकार ने ट्रॉली पर टैक्स लगाया था और फिर वापस हटाया था। उस बाकी के टैक्स को वसूल करने के लिये पेनल्टी लगायी जा रही है लाखों रुपया किसान से नाजायज तौर पर वसूल कर रहे हैं इसको समाप्त करें बिना कल्याणकारी सरकार का दावा किस तरह करेंगे?

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बांगला देश के नाम पर टैक्स के साथ सरचार्ज लगाया गया था। बाद में उसको अकाल के नाम पर चालू रखा। उसके बाद अकाल समाप्त हो जाता है तो भी चलता रहता है। इस प्रकार के कई मामले हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप बड़े बड़े लोगों पर टैक्स लगाना नहीं चाहते हैं, उनसे टैक्स बकाया वसूल करना नहीं चाहते हैं और छोटे लोगों पर इस प्रकार से लगाते हैं। इसको देखना चाहिये। मैंने मोटे तौर पर बताया। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कई

(श्री रतनलाल ताम्बी)

मामलों में उदाहरण प्रस्तुत किये। कई लोगों ने आज बताया, भ्रष्टाचार है उसको रोकने की दिशा में ध्यान दें। आप सील्ड मत करिये, बिजोलिया के खनिज प्लांट को आप सील्ड मत करिये। माजी को वहां पर 4 करोड़ की जगह 13 करोड़ खर्च होने के बावजूद 3-4 करोड़ रुपया और चाहिये। आज एक्सप्लोजन प्लांट को सील्ड मत करें। एक्सप्लोजन की जो रिपोर्ट है उसको आप देख लें। वह चौंकाने वाली रिपोर्ट है। आज यह सब बातें होंगी तो अधिकारियों के कर्तव्य....

श्री अध्यक्ष : आर्डर। भाषण समाप्त हुआ।

श्री रतनलाल ताम्बी : दो मिनट दें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : दो बातें रह गयी हैं। कुछ अर्ज करना चाहता हूं। कुछ सुझाव रह गये हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पांच से सात मिनट के बाद मैंने घंटी बजायी थी। माननीय सदस्य, अब मैंने भाषण समाप्त कर दिया है। माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं राजस्थान सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि....

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। यह कोई तरीका नहीं है एक मिनट दो मिनट का। आर्डर आर्डर। श्री माधवसिंह दीवान।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से एक प्रश्न संक्षेप में पूछना चाहूंगा यह। जो बजट में आपने ग्रान्ट इन एड दिया है उसमें आपने 1980-81 का ग्रान्ट इन एड का 100 करोड़ बताया है और 81-82 का केवल 96। यह जो 100 करोड़ का घाटा ग्रान्ट इन एड में आया यह कहां से हुआ? यह बतावें और उसके कारण जो रिजल्ट हुआ....

श्री अध्यक्ष : आपको सुबह बताना चाहिये था। अब कहां से लायेंगे?

श्री माधवसिंह दीवान : यह तो मंत्री महोदय को मालूम होगा ही। तो इसका यह रिजल्ट हुआ कि 80-81 में पर हैड ग्रान्ट इन एड 108 रुपया रही और 81-82 में भी 108 रुपया पर हैड ग्रान्ट हो गयी तो यह इक्वल हो गयी। तो यह जो ग्रान्ट इन एड में 100 करोड़ की कमी हो गयी, इसके क्या कारण हैं?

श्री अध्यक्ष : यदुनाथ सिंह, आखिरी वक्ता होंगे।

श्री यदुनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो मंत्री महोदय से सिर्फ प्रश्न ही करूंगा।

श्री अध्यक्ष : आरम्भ करें।

श्री यदुनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं आयेगा। ये रोज स्लिप कर जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : जवाब आयेगा।

श्री यदुनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने वक्तव्य में जो प्रश्न किया था, क्या कारण है कि गरीबी की रेखा से नीचे 56 प्रतिशत आदमी हो गये तो सरकार इस दिशा में क्या कर रही है? सरकार की क्या योजना है इस दिशा में क्या कर रही है? नम्बर एक। नम्बर दो जो बेरोजगारी की समस्या है इसके लिये आपके पास क्या ठोस आधार है? आप कितना समय निश्चित करेंगे कि आप बेरोजगारी को समाप्त कर देंगे? इन दो प्रश्नों का जवाब दें।

तीसरा आपने जो प्रॉडक्टिव खर्चा बताया है वह 69.24 प्रतिशत बताया है और नॉन प्राडक्टिव खर्चा बताया है 30.75 प्रतिशत। तो जो 0.1 प्रतिशत है वह कहां गया? यह तो 99.99 होता है। कहां गया, यह 16 करोड़ होता है? उसको भी जोड़ घटा कर देख लें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : जो पत्र प्रस्तुत किये गये हैं इसमें कहीं भी गंगानगर का नाम नहीं है। गंगानगर में पंजाब की कम्पनी ने जो लेन-देन किया है वह जो 25 फरवरी का उल्लेख किया है वह भी इसमें नहीं है। जो प्रश्न उठाया है 3 मार्गों का जिनको चलाने की बात कही गयी उसका भी इसके अन्दर उल्लेख नहीं है। इसलिये मैं इन पत्रों को सुरक्षित रखने का निवेदन करना चाहता हूं। जो भाषण जिस रूप में दिया गया उस पर तो आपको निर्णय करना है इसमें कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, इस सारी कार्यवाही को एक्सपंज किया जाये। सदन को गलत सूचना दी गयी है इस पर भी कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष : कोई भाषण नहीं होगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पाइंन्ट आफ आर्डर। आप कोई भी निर्णय दें

(व्यवधान)

उससे पहले प्रोसिडिंग को दिखा लें। इस सारे रेफरेन्स की चर्चा की गई थी, जो पत्रावली पढ़ी गई।

(व्यवधान)

उत्तर यह था कि जमींदार एक्सप्रेस गंगानगर में खुलाने की व्यवस्था....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रोसिडिंग देखकर उसके पश्चात् निर्णय कर लेंगे।

श्री माधव सिंह दीवान : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री जी अब उत्तर देंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य से पता नहीं पढ़ने में गलती हो गई, या देखने में गलती हो गयी या कहां गलती हो गई, जानकारी उनको कैसे हो गई, एतिहातन मैं आपको पढ़ कर बता दूं जिसके बारे में ध्यान दिलाया, मेरा निवेदन अप्रेल, 80 से जनवरी 1981 तक राज्य सरकार ये सुविधायें 1816 गांवों में और उपलब्ध करा चुकी है। पता नहीं वह पत्र पढ़ा कैसे पढ़ा है? श्रीमन्, जहां तक गांवों में इलेक्ट्रिफिकेशन का सवाल है, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा, फरवरी के आखिर तक जो दो हजार का टार्गेट था उसके ऊपर निकल चुके हैं। श्रीमान्, उसके बारे में विनम्र निवेदन है कि मैं माननीय सदस्य से यह कहूंगा, कहीं हमारी गलती हो सकती है. लेकिन जहां उपलब्धियां हैं उसको कम करवाने की कोशिश न करें। मेरा आपसे निवेदन यह है कि जहां कमियां हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि दो आंकड़े जल प्रदाय योजना के बारे में, और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में देना चाहूंगा। आपको, श्रीमन्, तथ्यों जैसा है, वही निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमन्, नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने बेरोजगारी के सम्बन्ध के अन्दर····।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज,

श्री प्रद्युम्न सिंह : बेरोजगारी का बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है क्या देश से बेरोजगारी को एकदम समाप्त किया जा सकता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोरार जी भाई ने भी यह बात कही थी, 10 साल तक अगर मैं प्रधान मंत्री रहा तो देश में बेरोजगारी खतम कर दूंगा। लेकिन हमने कोई वायदा नहीं किया है। हम यह कहते हैं कि बेरोजगारों की संख्या को कम करने का हमारा निश्चित लक्ष्य था, इसको समाप्त करने की दिशा में हमने कारगर कदम उठाये हैं और हमारी छठी पंचवर्षीय योजना में दर्शाया गया है कि बेरोजगारी की समस्या पर काबू करने का हम प्रयत्न करेंगे। हो सकता है आपकी आइडियोलोजी से हमारी आइडियोलोजी नहीं मिली। जो आपके दल की नीति है वह कांग्रेस की नीति से अलग है, इसलिए आप हमारे दृष्टिकोण से असहमत हो सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं क्या आपके पास ऐसी नीति है कि ····

श्री यदुनाथ सिंह : सिक्स्थ प्लान में 56लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथ सिंह : गरीबी की रेखा क्यों आगे बढ़ती जा रही है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन्होंने योजना-बद्ध विकास को तिलान्जली दी थी, गरीबी की रेखा से लोग पहले ही नीचे थे, उनकी संख्या अधिक होने का कारण था, इनकी जो सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार, उसका योजनाबद्ध कार्य में कोई विश्वास नहीं था। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं रोलिंग प्लान के जरिये, उसकी वजह से गरीबी की रेखा के नीचे गये थे, मेरा इसका यही उत्तर है, श्रीमन्।

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न किया था, माननीय मन्त्री शायद भूल गये।

(व्यवधान)

एक प्रश्न का उत्तर दीजिये।

श्री अनंग कुमार जैन : यह उत्तर नहीं है। आप गुमराह कर रहे हैं सदन को।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की आज की कार्यवाही का समय 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : सदन की अनुमति से बैठक का समय 7 बजे तक बढ़ाया जाता है।

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1981

श्री मोहन लाल मोदी : मैंने मन्त्री महोदय से एक प्रश्न पूछा कि मजदूरी की रेट चार रुपये थी, पांच रुपये हुई और अब 7 रुपये कर दी....

श्री अध्यक्ष : पुनरावृत्ति न हो डिबेट की।

श्री मोहनलाल मोदी : उनको शायद याद नहीं रहा, इसीलिए मैं याद दिला रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह सही है, 7 रुपये की इसमें क्या दो राय है ?

श्री अनंगकुमार जैन : जो शिड्यूल्ड रेट है, उस समय 80 पर्सेन्ट काम ले रहे थे। 7 रु० कर दी अब 100 पर्सेन्ट काम ले रहे हैं। मजदूरी में कहीं फर्क नहीं पड़ा....

(व्यवधान)

(श्री अनंगकुमार जैन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रभाकर जी के विभाग से सम्बन्धित प्रश्न है। आप कर सकते हैं, उस दिन आपने घोषणा भी की थी, अकाल राहत पर....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

विधेयक पर मतदान।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर।

एक माननीय सदस्य : जवाब आने दें, अध्यक्ष महोदय।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय एक ही प्रश्न था ? उसका उत्तर नहीं आया,

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

(व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : उसका जवाब आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : विधेयक पर मतदान।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। मतदान में गलती हो जायेगी।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, सभी प्रश्नों का उत्तर आना आवश्यक नहीं है।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय माधवसिंह जी दीवान ने प्रश्न रखा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। दो करोड़ का घोटाला है, माननीय मन्त्री महोदय से उत्तर दिलवाया जाये....

(व्यवधान)

विधेयक का पारण
राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक 1981

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1981 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1981 पारित किया गया।

विधेयक का पुरःस्थापन
राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1981

विधायी कार्य। पुरःस्थापित किया जाने वाला विधेयक।

हीरालाल देवपुरा।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर : स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुर:स्थापित करता हूं।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बोलना चाहता हूं,

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यह क्या हो गया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने पुर: स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव किया था।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, पुर: स्थापित कर रहे हैं, फर्स्ट रीडिंग पर बोलने का अधिकार है, मैं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने इसको मतदान पर रख दिया। मतदान पर रखने के पश्चात् थोड़ी देर रुकता हूं, उस वक्त भी एतराज कर लेते।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पुर:स्थापित करने के लिए ही कहा है, पारित करने के लिए कैसे प्रस्ताव हो सकता है।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने पारित करने के लिए कहा ही नहीं।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय ललितजी को भ्रम हो रहा है। मैंने पुर:-स्थापित करने की आज्ञा मांगी है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने आज्ञा दी, अब मैं पुर:-स्थापित कर रहा हूं, उसमें आपको····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

व्यवस्था का प्रश्न

विधेयक की प्रतियों का विधान सभा सदस्यों को वितरण

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं रूल 66 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। कोई भी मोशन जब सदन में आता है उस मोशन के आने से पहले जो हमें विधेयक दिया जाता है, उस विधेयक के लिए व्यवस्था है कि उसकी प्रतियां कम से कम दो दिन पहले वितरित होना चाहिए। मैं नियम 66 पढ़कर निवेदन करना चाहता हूं—

"Provided that no such motion shall be made until after copies of the Bill have been made available for the use of members, and that any member may object to any such motion being made unless copies of the Bill have been so made available for two days before the day on which the

(श्री नाथूसिंह)

motion is made, and such objection shall prevail, unless the Speaker allows the motion to be made."

मेरा ग्राब्जेक्शन है कि कोई भी बिल सदन में पुरःस्थापित किया जाये या लाया जाता है तो उस बिल की कापी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उस बिल में क्या है, उस बिल पर अपने विचार प्रकट कर सकें, इसलिये सदन में बिल ग्राता है उसके कम से कम दो दिन पूर्व वितरित की जानी चाहिए ...

(6·32 सायं)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत, सभापति, पदासीन)

इसलिए, सभापति महोदया, नियम 66 के तहत मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि ग्राज जो यह बिल पेश किया गया है बिल नं. 11, ग्रधिकारियों ग्रौर सदस्यों का बिल, यह ग्रभी ग्रभी ग्राज इस सदन में जब यह बिल पुरःस्थापित किया जाने वाला था उससे 10 मिनट पूर्व हमें वितरित किया गया है। ग्राज विचार के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। सभापति महोदया, मैं ग्रापकी व्यवस्था चाहता हूं। ग्रब इस पर विचार करने वाले हैं सदन में, ग्रभी हमको कुछ समय पूर्व मिला है, हम जान नहीं सकते कि क्या इसमें लिखा हुग्रा है। ग्राखिर गवर्नमेंट इस बिल के द्वारा क्या चाहती है, इसके लिए प्रोविजन है। जब तक समझ नहीं लेते तब तक इस पर विचार व्यक्त नहीं कर सकते ग्रौर जब विचार व्यक्त नहीं कर सकते तो इसे वोट के लिए नहीं रखा जा सकता ग्रौर सदन में पास नहीं कर सकते। इसलिए मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि ग्राज चूंकि यह बिल वितरित किया गया है, दो दिन पहले वितरित किया जाता तो ग्राज प्रस्ताव करके इस पर विचार किया जा सकता था। चूंकि ग्राज ही वितरित किया गया, ग्राज सदन में रखा गया है इसलिए ग्राज सदन में कोई विचार नहीं हो सकता। यह प्रसारित नहीं किया जा सकता। इसको ग्राज पास नहीं किया गया, जब हम इस पर विचार नहीं कर सकते तो पास भी नहीं हो सकता। इसलिए ग्रापकी मैं व्यवस्था चाहता हूं।

श्री सभापति : माधव सिंह दीवान।

श्री माधव सिंह दीवान : सभापति महोदया, बांदीकुई से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने लास्ट लाइन तो बिलकुल ही छोड़ दी

"....unless the Speaker allow the motion to be made."

जब स्पीकर ने ग्रलाऊ कर दिया ....

सुश्री पुष्पा जैन : तो स्पीकर की व्यवस्था चाहिये।

(व्यवधान)

श्री माणकमल मेहता : Speaker has allowed the motion. Now the question does not arise.

सुश्री पुष्पा जैन : स्पीकर की आज्ञा से पेश कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा (मंत्री, संसदीय कार्य) : विचारार्थ की स्टेज तो आई नहीं। मैं तो इस बिल को पुरःस्थापित कर रहा हूं। पुरःस्थापित करने के लिए अध्यक्ष जी ने अनुमति दे दी। मैंने आज्ञा मांगी, उन्होंने दे दी। मैं इस बिल को पुरःस्थापित कर रहा हूं, उसके बाद दूसरा बिल पुरःस्थापित करूंगा, उसके बाद प्रस्ताव करूंगा कि विचारार्थ लिया जाये, तब माननीय सदस्यों को पूरा हक है कि वे विचार प्रकट करें। मैं कब डिनाई कर रहा हूं। मेरी समझ में नहीं आता, इतनी तेजी और उतावलापन क्यों आ रहा है। स्टेज वाई स्टेज चल रहे हैं? आगे की स्टेज आयी ही नहीं।

सभापति महोदय ने जैसी आज्ञा प्रदान की है, मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1981····

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, व्यवस्था दी जाये। मैं पढ़ कर सुनाता हूं····

श्री हीरालाल देवपुरा : ····को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

मैं राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

(व्यवधान)

श्री माणक मल मेहता : You cannot object to it when the motion has been allowed by the Speaker.

श्री नाथूसिंह : मैं व्यवस्था चाहता हूं।

श्री माणक मल मेहता : No question arises.

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, आपने व्यवस्था नहीं दी है। इसमें लिखा है कि कोई प्रस्ताव तब तक नहीं किया जायेगा जब तक विधेयक की प्रतिलिपि दो दिन पूर्व सदस्यों को उपलब्ध नहीं कराई जाये। इसलिए प्रस्ताव से पहले····

श्री माणकमल मेहता : यह तब हो सकता है जब स्पीकर इजाजत नहीं दें। स्पीकर ने इजाजत दे दी।

श्री नाथूसिंह : आप प्रस्ताव कर ही नहीं सकते। सभापति महोदय, आप व्यवस्था दीजिये।

श्री मोहनलाल मोदी : सभापति महोदय, मन भावे वाली बात है। ये लाभ भी लेना चाहते हैं अन्दर से और भाषण भी करना चाहते हैं····

(व्यवधान)

इन माननीय सदस्यों को कहना चाहिये कि इस बिल को पास कर दिया जाये।

(श्री मोहन लाल मोदी)

उसके बाद विधान सभा में कहिए कि हम नहीं लेना चाहते हैं।

श्री **रतनलाल ताम्बी** : सभापति महोदय, यह सारा प्रश्न एक अजीब ढंग से हो रहा है। इस पार्टी के सदस्यगण इस सुविधा के विरोध में हैं, इससे वंचित रहने का विचार रखते हैं, तो मैं समझता हूं, उनको इस बात की यहां पर घोषणा कर देनी चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि ये सुविधायें कोई नई नहीं हैं। ये राजस्थान मे 12–13 सालों में पहली बार बढ़ रही हैं किन्तु अन्य स्टेटों में बढ़ाई गई हैं। इनका विरोध जनता को बताने के लिए है कि हमने तो विरोध किया था। लेने के लिए कोई एतराज नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हू, यह घोषणा कर कि हम इन सुविधाओं को बिलकुल नहीं लेंगे। उसके बाद बात करनी चाहिये। इस तरह की बात करके ये दोहरा लाभ लेना चाहते हैं, एक तो जनता को बताकर लाभ लेना चाहते हैं। बाकी, वास्तव में एक विधायक के रूप में जितनी जिम्मेदारियां हैं आज के मंहगाई के युग में इस प्रकार काम नहीं चल सकता। आज सत्तारूढ़ दल ने सोच कर यह रखा है। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि कार्य सलाहकार समिति में बैठते हैं और बैठने के बाद सारी सुविधाओं को डिस्कस करते हैं, उसके बाद सहमति देते हैं। केवल राजनैतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, जनता की वाहवाही लूटने के लिए यह बात है।

(6.37 सायं)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, बिल का विरोध हो या उसके पक्ष में बोलें, वह स्टेज नहीं आई। जैसा माननीय सदस्य ने आरोप लगाया कि हम बिल को अपोज कर रहे हैं। यह बाद की स्थिति है। हम क्या करेंगे, क्या नहीं, यह तो बाद की स्टेज है। अभी तो बिल को पेश करने में जो तकनीकी मुद्दे उठाये गये....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने नियम 66 के अन्तर्गत एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसमें....उन्होंने यह चाहा है....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसमें मैं कुछ कहना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप व्यवस्था देने से पहले सुन लीजिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप धैर्य रखें। इनको पाइंट आफ आर्डर कहने दीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : रूल जो कोट किया है श्री नाथूसिंह ने, वह रूल 66 है। उसका प्रोविजो है।

"Provided that no such motion shall be made until after copies of Bill have been made available for the use of members....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, शांत रहें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : It has already been made.

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। समय न लें।

श्री भंवरलाल शर्मा : "....any member may object to any such motion being made unless copies of Bill have been so made available for two days before the day on which the motion is made, and such odjection shall prevail, unless the Speaker allows the motion to be made."

मेरा यह निवेदन है कि इस में यह व्यवस्था है, कोई भी बिल अगर आता है तो उस बिल की कापी दो दिन पहले माननीय सयस्य के पास आनी चाहिये। इसके पीछे यह लॉजिक है कि इस प्रकार का बिल हम लाने जा रहे हैं और यह बिल ऐसा है कि इसकी जानकारी विधान सभा के सदस्यों को नहीं है। जो भी माननीय सदस्य अपने अमेन्ड-मेन्ट देना चाहें, वह नहीं दे सकते हैं और न ही कोई सदस्य अपने अपने विचार ही अच्छी तरह से रख सकते हैं। यह बिल कानूनी तरीके से जिस प्रकार से, जिस उद्देश्य के लिये लाया गया है उसकी पूर्ति हम नहीं कर सकते हैं और हम अपना मानस नहीं बना सकते। इसलिए बिल का अध्ययन करने के लिये माननीय सदस्यों को दो दिन का पहले समय दिया जाये। ऐसी व्यवस्था हो जिससे कि हम उसको अध्ययन करके आते। बाकी हाउस में आप इस तरीके करना चाहते हैं तो यह कोई तरीका नही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। मैं आपका पाइंट आफ आर्डर समझ गया।

श्री भंवर लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने कम्पलीट नहीं किया है। इस तरह से यह लोग बीच में इन्ट्रप्शन कर रहे हैं तो मैं अपनी बात ही नहीं कह सकता हूं। आप अगर इसी तरह मेरी बात समझेंगे तो बहुत मुश्किल होगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि इस बिल पर दो दिन का समय दिया जाना चाहिये। इसके पीछे जो लॉजिक है उसकी वजह से बहुत फायदा है, वह बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। अगर आप दो दिन का समय नहीं रखना चाहते हैं तो आपको यह अधिकार है कि आप इस विधेयक को समाप्त कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अब आप अपने डिस्क्रिशन को काम में लेकर कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ।

श्री भंवर लाल शर्मा : आप मुझे बोलने दीजिये । You are a very senior member but you do not allow us to speak.

माननीय शिवचरण जी साहब, क्या आप हमें बोलने भी नहीं देंगे ? अध्यक्ष महोदय, इसमें आपको अपने डिस्क्रिशन से नहीं बल्कि विवेक से काम लेना चाहिये । यह बिल हमें दो दिन पहले स्टडी करने को मिलना चाहिये था ताकि हम अपने विचार यहां पर रख सकते । ऐसी कौनसी परिस्थितियां आ गयी थीं जिनसे कि इस बिल को आज ही मूव किया जाना था और आज ही इस बिल को पारित करना था ? ऐसी क्या कन्टीन्जेन्सीज आ गयी थीं ? क्या ऐसी इमर्जेन्सी आ गयी थी जिनसे कि आप माननीय सदस्यों को दो दिन का समय भी इस बिल को स्टडी करने के लिये नहीं दे रहे हैं ? अगर आप दो दिन का समय दे देते हैं तो ऐसी कौनसी गड़बड़ी हो जायेगी ? आपको कौनसा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है ? यह सारी स्थिति आपको हमें बतानी पड़ेगी । उन्होंने बिल पेश कर दिया और आपने अपना डिस्क्रिशन यूज में ले लिया, आपने अपना डिस्क्रिशन यूज में ले लिया है, ठीक है, लेकिन इन सब रूल्स का अगर वायोलेशन होता है तो आपको उसके पीछे ग्राउन्ड देना होगा कि इसकी इन कारणों से आवश्यकता है । वह नहीं दिया गया तो अगर आप दो दिन का समय दे देते तो क्या बात थी ? आप इसे दो दिन बाद पेश कर देते। There would have been no harm in it. जहां तक मुझे जानकारी है, मन्त्री महोदय ने मूव किया है उन्होंने अभी तक यह भी नहीं बताया कि what are the grounds on which you are waiving this condition. ऐसी विचाराधारा हमारे सामने आई है । इसलिये मेरा निवेदन करना है कि हाउस को कन्डीशन्स तो बताते । फार्मेलिटी पूरी करने के लिये आपको रीजन्स देने की आवश्यकता थी, वह भी आप नहीं कर सके । यह जब तक नहीं होगा तब तब आप इसका उपयोग कैसे करेंगे ? जब तक आप यह नहीं बतायेंगे तब तक आप अपना डिस्क्रिशन कैसे यूज कर लेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर आर्डर ।

एक माननीय सदस्य : आपने अपना निर्णय दे दिया है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह मुझे बोलने नहीं देंगे ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, एक मेरा नम्र निवेदन है । जैसा कि अभी हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इस बिल के

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

जो ग्राबजेक्ट्स ग्रौर रीजन्स देने चाहिये वह नहीं दिये गये हैं। मैंने इसको पढ़ा ग्रौर, ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रभी जल्दी जल्दी में पढ़ा। इन कारणों में ऐसी कोई ग्रर्जेन्सी नहीं थी। ऐसी क्या इमर्जेन्सी हो गयी थी कि इस बिल को ग्राप 24 घन्टे या दो दिन के लिये नहीं टाल सकते थे ? क्या इससे हम गरीब हो जायेंगे या कोई ग्रासमान टूट कर हमारे ऊपर ग्रायेगा, या ग्रकाल पड़ जायेगा ? ग्रध्यक्ष महोदय, यहां तो यह है कि ग्रकाल चाहे पड़ता रहे, लोग चाहे ग्रकाल के कारण भूख से मरते रहें, ग्रकाल के काम नहीं हों, पर यह बिल जरूर पास होना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर ग्रार्डर। माननीय सदस्य ग्रार्डर।

ग्रासन पैरों पर है, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : ग्रध्यक्ष महोदय, हमारी भी सुन लिजिये। ग्राज ग्रापके चैम्बर में जब बिजनेस (एडवाइजरी) कमेटी की मीटिंग हो रही थी उस सिलसिले में ग्रापने दूसरे दलों के नेता लोगों को भी बुलाया था। माननीय सदस्य लोकदल के नेता हैं, वह भी थे, मार्क्सिस्ट पार्टी के नेता भी थे ग्रौर कांग्रेस (ग्रर्स) के नेता श्री राजबहादुरजी भी थे। उस समय माननीय सदस्या उजलाजी भी ग्रायी थीं, सारा डिस्किशन ग्रापके सामने हो गया था ग्रौर उस समय यह निर्णय ले लिया गया था कि इस बिल को ग्राज ही लिया जाये ग्रौर ग्राज ही इस बिल पर डिस्कशन करके इस बिल को पारित भी ग्राज ही किया जाये। इसको सभी लोगों, वहां पर जो सदस्य थे, सभी ने एग्री भी किया था। राजबहादुरजी ने भी एग्री किया था। उसके बाद में फिर ग्रब यहां पर ग्राकर इस तरह से बहस करना शुरू कर देते हैं तो इनकी मर्जी है। ग्रगर यह कोई चीप पापूलरिटी लेना चाहते हैं तो इनकी मर्जी है। कभी यह ग्रकाल का नाम लेकर, कभी यह कुछ नाम लेकर यहां बहस करते हैं। ग्रगर इन सुविधाग्रों को माननीय सदस्य नहीं लेना चाहते तो नहीं लें ? महज एक चीप पापूलरिटी ही लेना चाहें तो लें, ग्रगर इस तरह की बात करें तो मैं इसमें एक छोटा सा प्रोविजन ग्रौर जोड़ने की सिफारिश कर दूं कि इसको कोई नहीं लेना चाहें तो नहीं लें।

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर ग्रार्डर।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : ग्रध्यक्ष महोदय, खेत सिंह जी ने मेरा नाम लिया है ग्रौर मुझ पर ग्रारोप लगाया है कि मैं मीटिंग में गई थी। मैं वहां पर, ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रापके चैम्बर में कोई काम था इसलिये गयी थी। मैंने वहां पर कुछ भी नहीं कहा ग्रौर ना ही एग्री किया। यह झूंठा ग्रारोप लगाते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर। माननीय सदस्या, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में निर्णय लिया था....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आसन पैरों पर है। अब मैं व्यवस्था दे रहा हूं। स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्या।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, हमारा और इनका मतभेद सिर्फ इतना ही है कि इन्होंने श्रीमती उजला अरोड़ा का नाम लिया है कि वह दल की तरफ से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में गयीं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके कक्ष में गयी थी तो उस समय वहां पर अनौपचारिक वार्ता चल रही थी।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। माननीय सदस्या। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। अंकित नहीं हो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप नियमों का ध्यान रखें। आसन पैरों पर है। मैं व्यवस्था दे रहा हूं। आप स्थान ग्रहण करें। मैं किसी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं हूं। स्थान ग्रहण करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, हम अपने विचार रखना चाहते हैं। हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। यहां मुख्य सचेतक महोदय ने इस प्रकार की बात की, उन्होंने श्रीमती उजला अरोड़ा का नाम लिया। वहां कौनसी बात थी ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो तर्क चीफ व्हिप महोदय ने दिया....

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य। मेरी व्यवस्था है कि जो मुख्य सचेतक महोदय ने तर्क दिया उसको मैं कन्सीडर नहीं करूंगा। उसके बाद में तो मुझे व्यवस्था देने का अधिकार है।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। अंकित नहीं हो। आर्डर अंकित नहीं हो। माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : × × ×

श्री अध्यक्ष : इस विधेयक और एक अन्य विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये संसदीय कार्य मन्त्री ने लगभग ढाई या तीन बजे एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उस प्रस्ताव पर विपक्ष के माननीय सदस्यों ने कुछ आपत्ति की थी कि उनको इस बिल की देरी से कापी दी और यह वह। तो मैंने आसन की ओर से इस विधेयक को पुरः

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

स्थापित करने की अनुमति मन्त्री जी को दे दी। उससे मैं यह समझता हूं कि नियम 66 जो है उसके उपबन्ध को ध्यान में रखते हुए यह छूट दी है। अगर वह बात भी आप नहीं मानें तो उस पर विचार रखने के लिये समय के लिये मैंने उसको स्थगित कर दिया। माननीय सदस्यों को पता है और सभी जानते हैं कि यह मसला कई अर्से से चल रहा है। कोई आज ही आज आ गया हो, वह बात नहीं है। यह पिछले 8-9 महीने से चल रहा है। इसमें इस सदन के सभी माननीय सदस्य किसी न किसी स्टेज पर भागीदार रहे हैं। इसलिए यह कहना कि माननीय सदस्यों को इसके बारे में पता नहीं था और यह अन्य विधेयकों की तरह यकायक सदन में प्रस्तुत कर दिया हो, यह बात नहीं। यह जाना माना विधेयक है। इसमें क्या प्रावधान हैं और क्या नये प्रावधान जोड़ने की व्यवस्था की जा रही है, यह सदन के सभी माननीय सदस्यों को मालूम है।

उसके बाद में कोई भी विधेयक हो, यदि उस पर अध्यक्ष यह उचित समझे कि दो दिन का समय न दिया जाये या उसकी अर्जेन्सी को देखते हुए अथवा उसके महत्व को देखते हुए अथवा सदन के पास कितना समय उपलब्ध है, सदन की सुविधा को देखते हुए यदि आसन अनुमति दे देता है तो वह बिलकुल उचित है। इन दोनों विधेयकों पर मैंने जो अनुमति दी है वह अनुमति प्रारम्भ में ही दे दी थी। उसके बाद में माननीय सदस्यों को कुछ आपत्ति थी। तो जब माननीय सदस्यों ने सदन में यह बात कही कि यह विधेयक या ये विधेयक तत्काल ही आ गये हैं और उनमें उन्हें कुछ सुझाव देने हैं या वाद-विवाद में हिस्सा लेना है तो मैंने दो तीन घंटे का समय दे दिया। यह विधेयक कोई इस तरह के नहीं हैं कि जिनके अन्दर बहुत ही गहन अध्ययन करना पड़े। चार-पांच छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपन अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उसको मैं निरस्त करता हूं, और मंत्री महोदय को पुरःस्थापित करने की अनुमति देता हूं। क्योंकि प्रस्ताव पहले हो चुका है अतः पुरः-स्थापित हो जाये उसके बाद में द्वितीय वाचन होगा, तृतीय वाचन होगा उस समय माननीय सदस्य, जो इस विवाद में हिस्सा लेना चाहें वह हिस्सा इसमें ले सकेंगे। यद्यपि यह भी बात सर्वविदित है कि आम तौर से सभी पक्षों की यह राय है कि इस पर कोई चर्चा नहीं की जायेगी।

मैं माननीय सदस्यों को यह भी सूचित कर दूं, मुझे पक्का ही याद है लेकिन शायद कोई गलती रह जाये लेकिन पंजाब

(श्री अध्यक्ष)

के इस तरह के बिल में प्रावधान यह है कि जो माननीय सदस्य बढ़ी हुई दरों पर तनख्वाह, भत्ते या अन्य सुविधायें नहीं लेना चाहें तो उसका परित्याग भी कर सकते हैं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। अब पुरःस्थापित करेंगे पहले। उसके बाद में अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

व्यवस्था के प्रश्न के बारे में दो तीन दिन से माननीय सदस्यों से निवेदन कर रहा हूं कि उसके लिए यह आवश्यक है कि कौन से नियम अथवा संविधान के कौन से अनुच्छेद की अवहेलना हो रही है वह बतलाने का कष्ट करें।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे बारे में मेरी अनुपस्थिति में····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

माननीय सदस्या, बाधा उपस्थित नहीं करें।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। माननीय सदस्या, आर्डर प्लीज

(व्यवधान)

बाधा उपस्थित नहीं करें।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा - ··· न बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग थी····

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह किस हैसियत से आई थीं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

मेरी बात तो सुनिये।

(व्यवधान)

एक मिनट के लिए विराज जाइये।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर, कृपया शांत रहें।

(श्री अध्यक्ष)

मैं माननीय सदस्या से एक स्पष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं। जिस बैठक का मुख्य सचेतक महोदय ने कहा है उसमें मैं स्वयं उपस्थित था....

श्रीमती उजला अरोड़ा : हां आप थे।

श्री अध्यक्ष : आप भी उपस्थित थीं....

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा :.... न बैठक में आऊंगी। आप लोग चाय पी चुके थे····

(व्यवधान)

वह अनोपचारिक बात हुई ····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, बाधा उपस्थित करते हैं तो उसमें और ज्यादा देर लगती है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पाइंट आफ आर्डर, सर····

श्री अध्यक्ष : आपने किस नियम के तहत पाइंट आफ आर्डर रेज किया है ? मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि हमारा जो एक्ट है उसमें भी 12 (ए) में इस तरह का प्रावधान है :

"Option to draw allowances at lesser rates. Notwithstanding anything contained in this Act, a member, who does not wish to draw allowances at the rates admissible to him under this Act, as amended from time to time, may draw such allowances and at such rates as in force on such day as he may elect by notice in writing addressed to the Speaker."

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि सदन का समय आधा घंटे के लिए और बढ़ा दिया जाये या जब तक यह पास न हो।

श्री अध्यक्ष : सदन की अनुमति से बैठक का समय इन दोनों विधेयकों के पारण तक के लिए बढ़ाया जाता है।

व्यवस्था का प्रश्न

विधेयक की प्रतियों का विधान सभा सदस्यों को वितरण

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष आर्डर आर्डर। आपस में बात न करें। आर्डर प्लीज ····

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इस विधान सभा की कई समितियां हैं उनमें से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी एक विधिवत गठित कमेटी है। उस कमेटी के सदस्य जिस प्रकार से ····

श्री अध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसका लेखा मुख्य सचेतक महोदय ने किया और आपने भी कहा। मुझे भी बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि श्रीमती उजला अरोड़ा वहां गयीं। आपने कहा कि किस हैसियत से गयीं, जैसा मुख्य सचेतक महोदय ने कहा है कि किस हैसियत में गयीं, डेलीब्रेशन में भाग लेने गयी थीं। दूसरी बात जिस प्रकार से आज बातें लगातार हो रही हैं कि लेने की तो मन में इच्छा है। मैं तो चाहता हूं कि हिम्मत से कहें मुख्य सचेतक महोदय, इसको एडमिट करें कि हम उसके अमेंडमेंट को स्वीकार करेंगे और स्वीकार करके यहां से चले जायेंगे····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ···

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट····

श्री अध्यक्ष : निरस्त किया गया। कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है इसमें। मंत्री जी, विधेयक को पुरःस्थापित कीजिए ।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो चर्चा की गयी है····

(व्यवधान)

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1981

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, विधेयक को पुरःस्थापित कीजिए।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेन्शन) (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृति)

आज्ञा प्रदान की गई :

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पाइन्ट आफ आर्डर....

श्री अध्यक्ष : यह पाइन्ट आफ आर्डर सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए उपस्थित किया जा रहा है।

(व्यवधान)

मन्त्रियों वाला और पुरःस्थापित कीजिए।

(व्यवधान)

राजस्थान मन्त्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1981

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मन्त्री वेतन (संशोधन) विधेयक

(श्री हीरालाल देवपुरा)
1981 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री **अध्यक्ष** विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

(व्यवधान)

विधेयक पर विचार

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1981

श्री अध्यक्ष : विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक।

संसदीय कार्य मन्त्री····

(व्यवधात)

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1981 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री नाथू सिंह : आन ए पाइंट आफ आर्डर, सर....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जो माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं····

(व्यवधान)

प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1981 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार ; खण्ड 2 से 7 तक कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 7 स्वीकार किये जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 7 स्वीकार किये गये।

खण्ड 8 में संशोधन प्रस्ताव।

श्री हीरा लाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं खण्ड 8 में निम्न संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

"In first proviso to sub-section (1) of section 6 A proposed to be inserted by clause 8 of the Bill, for the expression "Rs. 300" substitute the expression "Rs. 500/"

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, यह आपको सुनना चाहिये····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 8 में जो प्रभारी मन्त्री महोदय ने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 8 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

खण्ड 8 संशोधित रूप से स्वीकार किया गया।

(व्यवधान)

खण्ड 9 से 11 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 9 से 11 स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड 9 से 11 स्वीकार किये गये ।

खण्ड 12। माननीय मन्त्री महोदय।

श्री हीरा लाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं खण्ड 12 में निम्न संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :—

For sub-section (2) of Section 8 B proposed to be substituted by clause 12 of the Bill, substitute the following:-

(2) "Where a member chooses to travel by air, ship or steamer, either alone or with any other person accompanying the member, he shall be paid an amount equal to actual fare for each journey in accordance with sub-section (1); and"

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 12 में जो संशोधन प्रभारी मन्त्री जी ने रखा है इसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : राजस्थान की जनता के करों को बर्बाद किया जा रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। डूब मरो। हम जा रहे हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का बहिर्गमन)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता सांठगांठ कर रहे हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य उसको लेकर, ठीक है, वाक आउट कर गये हैं और इस बात से वचनबद्ध नहीं हैं, वे लेंगे या नहीं लेंगे लेकिन मैं यह निवेदन कर रहा हूं जो नियमों में प्रावधान है जिस प्रकार की प्रक्रिया है उन नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत इस बिल को पास करते तो जनता के बीच में सरकार की, सारे माननीय सदस्यों की प्रतिष्ठा बनती। ठीक है नियमों से चलाया है। क्या हम केवल अपने निजी स्वार्थों को लेकर नियमों की अवहेलना करना चाहते हैं, विधान की सारी प्रक्रियाओं की अवहेलना करके अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने की प्रक्रिया कर रहे हैं ? इसके ऊपर हमारा विरोध है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, नियमों की कोई अवहेलना नहीं हुई है।

(189)

श्री गोपाल पचेरवाल : विरोध यह नहीं है, इसमें जो आपने रखा····

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : इनकी पार्टी के नेता उस वक्त मौजूद थे। अब आपको अधिकार नहीं रहा है····

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : मेरी बात तो सुनिये····

श्री खेत सिंह राठौड़ : आपकी पार्टी का डिसीजन हुआ है। अगर वे नहीं चाहते हैं तो कह दें ····

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह ....

(व्यवधान)

मैं इस तरह का नाटक नहीं करना चाहता हूं। जो बात हम कहते हैं उस पर अटल हैं। हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, कोई बात बिना कहे होगी····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है ···

श्री राम रघुनाथ चौधरी : सरकारी कार मिली नहीं इसलिए वे वाक आउट कर गये ····

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

माननीय पचेरवालजी ने आपत्ति उठाई है कि नियमों के विरुद्ध इस विधेयक को पारित करवाया जा रहा है। मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने विपक्ष के जो माननीय सदस्य आपत्ति कर रहे थे उन सब की आपत्तियों को ध्यानपूर्वक सुना है। उस पर मैंने व्यवस्था दी, सदन में शान्ति बनाये रखने के लिये सहयोग चाहा लेकिन व्यवस्था के प्रश्न बार बार सदन की कार्यवाही को रोकने के लिये प्रस्तुत करना चाहते थे इसलिये मेरे समक्ष यही विकल्प हो सकता था या तो सभी माननीय सदस्यों को सदन के बाहर चले जाने के लिये निवेदन करता अथवा मैं उनको नाम से सम्बोधित करके इस सदन के द्वारा प्रस्ताव पारित करवा कर निलम्बित करता। कई दफा होता यह है कि माननीय सदस्य आवेश में आ जाते हैं, काफी भाषण देते हैं, अन्तोगत्वा उनका रोल होता है कि सदन से बहिर्गमन करके अपनी नाराजगी व्यक्त कर दें। आखिर उन्होंने जो उचित समझा किया लेकिन इसमें किसी तरह कोई नियमों का हनन नहीं हुआ है। हालांकि काफी बाधा उपस्थित की गई, आप स्वयं प्रत्यक्षदर्शी हैं हमने बड़ा धैर्य रखा, ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं होने दी जिससे आसन को कोई कार्यवाही करनी पड़ती। यद्यपि इन परिस्थितियों में बिलकुल सही कदम होता यदि मैं कठोर कार्यवाही करता। इसलिये, माननीय सदस्य, जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया पक्ष, विपक्ष, सभी दलों के प्रतिनिधियों में एक दफा नहीं काफी लम्बे समय तक विचार विमर्श हुआ उसके बाद में इसमें जो प्रावधान रखे हैं वे जाने माने प्रावधान थे, आप और हम सभी माननीय सदस्य परिचित थे। दिन में 2.30 बजे जब इस विधेयक को प्रस्तुत

(श्री अध्यक्ष)

किया गया। विपक्षी दल के माननीय सदस्यों ने आपत्ति की तो तत्काल ही मैंने उस पर विचार स्थगित करके दो तीन घन्टे का समय दे दिया। लेकिन आखिर में अल्पमत को यह तो अधिकार नहीं है जितनी देर चाहे सदन की कार्यवाही रोक सके। मुझे या आसन को अधिकार है, मैं चाहता तो कठोर कार्यवाही कर सकता था लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं माननीय सदस्यों से पुनः निवेदन करूंगा शांतिपूर्वक विचार करें। बड़ा महत्वपूर्ण विधेयक है आप अच्छी तरह से जानते हैं। परिलाभ, तनख्वाहें, भत्ते, सुविधाएं दूसरे कई हमारे पड़ोसी राज्यों के मुकाबले कम हैं। लम्बे समय से मांग थी, महंगाई बढ़ती है उससे भी आप परिचित हैं। हमारी इच्छा तो यह थी कि सभी पक्ष मिलकर उसको शान्ति से पारित करते।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेवाल : .... अध्यक्ष महोदय, जब दोनों बिलों के लेने का प्रस्ताव है तो 2–3 घंटे बहस करके, विचार करके पास करते तो एक अच्छा तरीका होता। यही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : मैं दुबारा खण्ड 12 का संशोधन रखता हूं। जो संशोधन प्रस्तुत हुआ है खण्ड 12 में उसको मैं दुबारा सदन के समक्ष प्रस्तुत कर देता हूं....

(विराम)

आप दुबारा उस संशोधन को प्रस्तुत कीजिये।

श्री हीरालाल देवपुरा : "For sub-section (2) of section 8B proposed to be substituted by clause 12 of the Bill, substitute the following:—

"(2) where a member chooses to travel by air, ship of steamer, either alone or with any other person accompanying the member, he shall be paid an amount equal to actual fare for each such journey in accordance with sub-section (1) and"

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन माननीय प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है, उसको स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 12 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

खण्ड 12 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 13 से लेकर 16 तक में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह कि खण्ड 13 से लेकर खण्ड 16 तक स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड 13 से लेकर 16 तक स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 अधिनियमन, सूत्र, प्रस्तावना व नाम आदि में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना व नाम आदि स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना व नाम आदि स्वीकार किये गयें।

विधेयक का पारण

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1981 को संशोधित रूप में पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1981 को संशोधित रूप में पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1981 संशोधित रूप में परित किया गया।

सदन की मेज पर रखा गया पत्र
राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय,.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक) अनुमान, 1981-82 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : विधि मंत्रीजी।

विधेयक पर विचार
राजयान मंत्री वेतन (संशोधक) विधेयक, 1981

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1981 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1981 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1981 को विचारार्थ लिया गया ।

विधेयक का पारण

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1981 को पारित किया जाये ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1981 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1981 को पारित किया गया ।

सदन की कार्यवाही 1 अप्रेल, 1981 के सुबह 11–00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है

———

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही स्वयं 8.15 बजे बुधवार दिनांक 1 अप्रेल, 1981 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

परिशिष्ट "क"

उदयपुर विश्व विद्यालय में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत करने हेतु आरक्षित स्थानों की तालिका

क्र. सं.	कोर्स (पाठ्यक्रम) का नाम	राज्य सरकार द्वारा मनोनयन के लिये सुरक्षित स्थान
1.	बी. एस सी. (कृषि)	4 प्रत्येक कॅम्पस (उदयपुर तथा जोबनेर) में दो दो स्थान ।
2.	एम. एस सी. (कृषि)	2
3.	वी. वी. एस सी. एण्ड ए. एच.	2
4.	वी. ई. (कृषि)	2
5.	डिप्लोमा (अभियांत्रिकी)	2
6.	बी. एस सी. (डेयरी टॅक्नोलोजी)	2
7.	बी. एस सी. (गृह विज्ञान)	1
8.	बी. एस सी. (गृह विज्ञान आनर्स)	2

————

(194)

सूची "ख"

उदयपुर विश्व विद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में वर्ष 1980–81 में राज्य सरकार द्वारा ग्रारक्षित स्थानों पर प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों की सूची।

क्र. सं. 1	नाम 2	जाति 3	प्राप्तांकों का प्रति. 4
1.	बी. एस सी. (कृषि)उदयपुर		
	1. श्री माणिक लाल शर्मा	ब्राह्मण	57.50
	2. श्री ग्रनिल कुमार शर्मा	,,	50.00
	जोबनेर		
	1. श्री श्रवण लाल सैंपट	जाट	50.50
	2. श्री मोती लाल	जाट	45.00
	3. श्री ग्रब्दुल रसीद खां	मुसलमान	53.00
		उच्च न्यायालय के ग्रादेश से	
2.	एम. एस सी., कृषि–उदयपुर		
	1. श्री विद्याधर भगेरिया		2.65/4.00
	2. श्री ग्रशोक उपाध्याय	ब्राह्मण	2.52/4.00
3.	बी. एस सी. डेयरी टैक्नोलोजी–उदयपुर		
	1. श्री महेश कुमास गुरनानी	सिंधी	62.50
4.	बी० वी० एस० सी० एण्ड ए० एच०–(पशु विज्ञान महाविद्यालय) बीकानेर		
	1. श्री इकबाल खां	मुसलमान	48.22
	2. श्री ग्रब्दुल कयूम	,,	59.33
5.	बी० ई० कृषि, उदयपुर		
	1. श्री यशपाल पूनिया	जाट	77.66
	2. श्री गोपालकृष्ण पुरोहित	ब्राह्मण	62.33
	3. श्री संजय महर्षि	,,	80.00
	4. श्री सुरेशचन्द गोपालिया	,,	64·00
	5. श्री नरेन्द्र कुमार गर्ग	ग्रग्रवाल	68·00
	6. श्री ग्रशोक कुमार शर्मा	ब्राह्मण	79.33

(1952)

1	2	3	4
6.	डिप्लोमा अभियांत्रिकी, उदयपुर		
	1. श्री संजय चौरडिया	जैन	70.00
	2. श्री राजीव गर्ग	अग्रवाल	68·33
	2. श्री सत्यप्रकाश त्रिवेदी	ब्राह्मण	63.66
	4. श्री सुधीर माथुर	कायस्थ	63.00
7.	बी० एस सी० गृह विज्ञान, उदयपुर		
	1. कुमारी कविता नाहर	जैन	52.00
	2. कुमारी रूपा गुप्ता	अग्रवाल	45·00
8.	बी० एस सी०, गृह विज्ञान, उदयपुर		
	1. कुमारी चिनम्मा जैन	ईसाई	50·00

सूची "ग"

उदयपुर विश्व विद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में विभिन्न वर्गों के छात्रों के प्राप्त अंकों का न्यूनतम एवं अधिकतम प्रतिशत जिन्हें वर्ष 80–81 में प्रवेश दिया गया है

क्रम सं.	कक्षा एवं वर्ग	प्राप्तांक	
		न्यूनतम	अधिकतम
1	2	3	4
1.	बी एस सी. कृषि		
	1. अनुसूचित जाति	46.75	58.50
	2. अनुसूचित जन जाति	52.00	61.50
	3. सैनिकों की सन्तान	54.00	57.75
	4. कृषकों की सन्तान	64.50	73.60
	5. विश्व विद्यालय कर्मचारियों की संतान	54.62	71.25
	6. सामान्य वर्ग के छात्र	62.75	79.00
	7. राज्य सरकार द्वारा मनोनीत	45.00	56.00

(196)

1	2	3	4
2.	एम. एस सी. कृषि		
	1. अनुसूचित जन जाति	2.79/4.00	एक छात्र
	2. सैनिकों की सन्तान	2.84/4.00	3.30/4.00
	3. विश्व विद्यालय कर्मचारियों की संतान	2 83/4.00	3.15/4.00
	4. भारतीय कृषि अनु. परिषद	2.60/4.00	3.83/4.00
	5. महिला छात्र	2.54/4.00	2.80/4.00
	6. राज्य सरकार द्वारा मनोनीत	2.52/4.00	2.65/4.00
	7. सामान्य वर्ग के छात्र	2.56/4.00	3.75/4.00
3.	बी. वी. एस. सी. एण्ड ए. एच. (बीकानेर)		
	1. अनुसूचित जाति	48.89	57.60
	2. अनुसूचित जन जाति	44.22	50.22
	3. सैनिकों की सन्तान	64.44	70.00
	4. विश्व विद्यालय कर्मचारियों की संतान	51.89	65.78
	5. कृषकों की सन्तान	67.33	78.67
	6. राज्य सरकार द्वारा मनोनीत	48.22	56.33
	7. सामान्य वर्ग के छात्र	67.78	90.00
4.	बी. ए. कृषि		
	1. अनुसूचित जाति	63.00	69.00
	2. अनुसूचित जन जाति	61.00	73.00
	3. सैनिक की सन्तान	62.00	68 00
	4. विश्व विद्यालय कर्मचारियों की सन्तान	68.66	79.33
	5 महिला छात्र	78.33	एक छात्रा
	6. भारतीय कृषि अनुसंधान परि. द्वारा मनोनीत	64.40	78 33
	7. राज्य सरकार द्वारा मनोनीत	62.33	79.33
	8. सामान्य वर्ग के छात्र	86.66	93 33

197

1	2	3	4
5.	बी. एस. सी. गृह विज्ञान		
	2. अनु. जाति/अनु. जन जाति	49.00	एक छात्र
	3. सैनिकों की सन्तान	47.00	70.00
	4. विश्व विद्यालय कर्मचारियों की सन्तान	53.00	59.00
	5 कृषकों की सन्तान	49.00	63.00
	6. राज्य सरकार द्वारा मनोनीत	45.00	52.00
	7. सामान्य वर्ग के छात्र	60.00	78.00
6-	बी. एस. सी. गृह विज्ञान (आनर्स)		
	1. भारतीय कृषि अनु. परिषद द्वारा मनो.	56.00	एक छात्रा
	2. राज्य सरकार द्वारा मनोनीत	50.00	,,
7.	डिप्लोमा अभियान्त्रिकी		
	1. अनु. जाति	59.00	77.00
	2. अनु. जन जाति	61.00	74.00
	3. सैनिकों की सन्तान	68.00	72.66
	4. विश्व विद्यालय कर्म. की सन्तान	65.00	72.00
	5. राज्य सरकार द्वारा मनोनीत	63.00	70.00
	6. सामान्य वर्ग के छात्र	75.66	86.69
8.	बी. एस सी. डेयरी टेक्नोलोजी		
	1. अनुसूचित जन जाति	51.75	60.25
	2. विश्व विद्यालय कर्म. की सन्तान	65.50	74.25
	3. भारतीय कृषि अनु. परि. द्वारा मनो.	67.90	एक छात्र
	4. राज्य सरकार द्वारा मनोनीत	62.50	एक छात्र
	5. सामान्य वर्ग के छात्र	77.00	83.25

परिशिष्ट 2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

रेवदर (सिरोही) में अनुसूचित जाति का छात्रावास प्रारम्भ करना

609. श्री छोगाराम बकोलिया : (रेवदर) क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने रेवदर, जिला सिरोही में एक एक अनुसूचित जाति का छात्रावास चालू करने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो इस क्षेत्र में जनजातियों के सदस्यों की संख्या की दृष्टि में यह छात्रावास अब अविलम्ब प्रारंभ करने पर क्या सरकार विचार करेगी ?

(2) क्या यह सही है कि भवन के अभाव में छात्रावास शुरू नहीं कराया जा सका ? यदि हां, तो सरकार ने इसके लिये क्या पहल की ?

उत्तर

(1) जी हां । जिला सिरोही में रेवदर में अनुसूचित जाति योजना के अन्तर्गत एक छात्रावास खोलने की स्वीकृति दिनांक 17.11.80 को दी गई थी तथा दिनांक 23.2.81 को छात्रावास प्रारम्भ कर दिया गया है ।

(2) जी नहीं । यद्यपि कोई भवन उपलब्ध नहीं हो सका किन्तु प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेवदर के सहयोग से विद्यालय के 2 कमरों में छात्रों के रहने की व्यवस्था कर दी गई है । वर्तमान में 25 स्वीकृत छात्रों के स्थान पर 24 छात्रों का प्रवेश कर उन्हें छात्रावासी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ।

जिला बांसवाड़ा में पशुपालन हेतु ऋण व अनुदान

611. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला बांसवाड़ा में पशुपालन के लिए ऋण व अनुदान नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या ऋण एवं अनुदान देने के मामलों में नियम की जटिलता के कारण व्यवधान आता है ? यदि हां, तो इस विषय में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में पशुपालन के लिये ऋण व अनुदान दिया जा रहा है ।

(2) ऋण एवं अनुदान के नियमों में जटिलता के कारण कोई व्यवधान नहीं आता है ।

पीपल्दा क्षेत्र में चिकित्सा विभाग में रिक्त पद

612. श्री हीरा लाल आर्य (पीपल्दा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में पीपल्दा क्षेत्र में चिकित्सा विभाग में कहां कहां पर कौन से पद कब से रिक्त पड़े हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त पदों के रिक्त पड़े रहने का क्या कारण है ?

(3) सरकार उक्त पदों को कब तक भर देगी ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है ।

(2) डाक्टरों के पदों पर तदर्थ नियुक्ति पर प्रतिबन्ध होने तथा शेष पद प्रशिक्षित कर्मचारियों के अभाव के कारण ।

(3) डाक्टर का पद शीघ्र भरा जायेगा तथा शेष पद प्रशिक्षित कर्मचारियों के उपलब्ध होने पर भरे जायेंगे ।

पीपल्दा क्षेत्र में चिकित्सा विभाग के रिक्त पदों की सूची

क्र. सं.	नाम चिकित्सालय	स्वीकृत पद	रिक्त पद	कब से रिक्त
1.	ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र, पीपल्दा	डाक्टर—1 एल.एच.—1 ए. एन. एम. 1. एफ.पी.एच.ए. 4. संगणक 1.	डाक्टर—1 एल. एच. वी. 1	1.10.78 चार वर्ष से
2.	उप केन्द्र नौनेरा	ए. एन. एम. 1. पार्ट टाइम 1. च. श्रे. कर्म.	ए.एन.एम. 1 पार्ट टाइम च. श्रे. कर्म.	21.5.79 "
3.	उप केन्द्र बयाना	यथा	यथा	2.11.80
4.	एडपोस्ट लुनावद	मेलनर्स ग्रेड II 1. ए. एन. एम . 1 च. श्रे. कर्म. 2	ए.एन.एम. 1	अक्टूबर, 80

(2.00)

छोटी सादड़ी चिकित्सा को एक्स–रे मशीन

613. श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेड़ा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या छोटी सादड़ी में जनता द्वारा चिकित्सालय के लिए 5 कमरे मय एक्स-रे रूम के वर्ष 1978–79 में बनवा कर दिये गये थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि छोटी सादड़ी के चिकित्सालय में एक्स-रे मशीन लगाने की अनुमति निदेशक द्वारा सन् 1978–79 में दी गई थी ?

(3) क्या इस मशीन के लिये ऑपरेटर की वेतन राशि, विभाग द्वारा मांग होने पर स्थानीय जनता के प्रतिनिधियों ने सन् 1978–79 में जमा कराई थी ? यदि हां, तो कितनी ?

(4) क्या यह सही है कि राशि जमा होने पर भी एक्स–रे मशीन चालू नहीं हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक चालू हो जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां । 2500/ रुपये (केवल 3 माह का वेतन)

(4) एक्स-रे मशीन क्रय करने के आदेश दिनांक 19.3.80 को संबन्धित फर्म को दिये गये थे, किन्तु मशीन की कीमत बढ़ जाने के कारण कम्पनी ने मशीन सप्लाई नहीं की । अगले । वित्तीय वर्ष में एक्स-रे मशीन उपलब्ध करा दी जावेगी ।

पुष्कर में आधुनिकतम चिकित्सा सुविधा

614. श्रीमती सूरज देवी (पुष्कर): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि लाखों समृद्ध विदेशी पर्यटक, जो भारत आते हैं, में से अधिकांश पुष्कर देखना चाहते हैं लेकिन वहां समुचित आधुनिक चिकित्सा न होने के कारण अपना कार्यक्रम रद्द कर देते हैं, जिससे राज्य को लाखों रुपयों की हानि होती है ?

(2) सरकार ने वहां आधुनिकतम चिकित्सा व्यवस्था करने में क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पुष्कर के लिये आवश्यक चिकित्सा सुविधा यहां पर उपलब्ध है । पर्यटक चिकित्सा सुविधा देख कर किसी स्थान पर नहीं जाते हैं ।

(2) जो भी सुविधा पुष्कर में उपलब्ध है वह आज के हिसाब से ठीक है ।

कृषि उपज मण्डी समिति चौमूं

615. श्री तेजपाल (चौमूं): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री तेजपाल)

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति चौमूं के निर्माण के लिए चौमू के किले का एक भाग खरीदा गया था ? यदि हां, तो विक्रेता से किन शर्तों के आधार पर भूमि खरीदी गई ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या नगर नियोजक, जयपुर ने चौमूं कृषि मण्डी समिति के निर्माण के लिए किले की भूमि को उपयुक्त नहीं मानते हुए खरीदने से मना कर दिया था? यदि हां, तो भूमि क्यों और किसके आदेश से क्रय की गई ?

उत्तर

(1) जी हां । विक्रेता से जिन शर्तों पर भूमि खरीदी गई थी उनका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं ।

(3) जी हां । चौमूं मण्डी समिति के विरुद्ध 5 मुकदमें अदालत में विचाराधीन हैं। इनका विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दिया गया है ।

चौमू किले के परकोटे वाले भाग की खरीद में विक्रेता से तय की शर्तें:-

(1) गढ़ के मुख्य द्वार के पश्चिम मुंख के अगवार जो खाई है व जमीन है, उसमें खाई पर पटाव होकर मुख्य द्वार में आने के लिए सड़क बनी हुई है। यह खाई के ऊपर का पटाव व सड़क उभव पक्ष के आवागमन के लिए यथावत रहेंगे। मुख्य द्वार में दोनों ओर जो किनारे बने हुए हैं उनमें उभव पक्ष के चौकीदार बैठ सकेंगे ।

(2) मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर जो चौक आता है, उसके उत्तर के ओर जो मन्दिर आदि हैं जिनकी चार-दीवारी के अन्दर सीतारामजी के मन्दिर के सामके कुछ खाली जमीन है। सीतारामजी के बराबर दक्षिण की ओर एक खुर्रा है, ऊपर होकर दरवाजे के ऊपर वाले गणेशजी के मन्दिर का आवागमन है । गढ़ के भीतर मकानात में जाने का जो दरवाजा है उसके आगे परकोटा बना हुआ है। इसकी चौक में दक्षिण शरण में उपर्युक्त परकोटा से प्रारम्भ होकर पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण हिस्से में कुछ मकानात बने हुए हैं। यह मकानात, इनके पास के गेट के आगे वाला परकोटा, मन्दिर आदि खुर्रा व मन्दिर सीतारामजी के सामने पूर्व की ओर की जमीन बतौर चौक प्रथम पक्ष के यथावत रहेंगे। चौक के दक्षिण साइड में जो मकानात हैं और अस्पताल की साइड में जो मोरी पूर्व व पश्चिम मुखी है, को चौड़ा करने के लिए प्रथम पक्ष मकानात तुड़वायेगा तो उसे 5.00 फीट चौड़ी जमीन परकोटे से मोरी के पश्चिममुखी तक रास्ते के लिए छोडनी होगी। इन टूटे मकानों की 5.00 फीट चौड़ी जमीन छोडकर शेष जमीन पर प्रथम पक्ष को प्रत्येक प्रकार का तामीरात करने का हक होगा।

(3) उपर्युक्त चौक में मुख्य द्वार के बराबर दक्षिण की ओर तीन गैरेज व एक मोरी पूर्व मुखी व पश्चिम मुखी है। और मुख्य द्वार के सामने सीतारामजी के मंदिर

222

(कृषि मन्त्री)

के अगवार की जमीन के दक्षिण में कुछ मकान पश्चिममुखी व एक मोरी पूर्वमुखी व पश्चिम मुखी है। यह तीनों गैरेज मोरी और मुख्य द्वारा के सामने कुछ मकानात जो पीले रंग से दर्शाये गये हैं व मौरी मय ऊपर के छत तथा कोट जो पीले रंग से दर्शाये गये हैं बिचौती में सम्मिलित रहेंगे जो द्वितीय पक्ष के रहेंगे। चौक में दोनों पक्षों का शामिलाती हक रहेगा। दोनों पक्षों को चौक में गाड़ियां, ट्रक खड़े करने, मलवा डालने, गन्दगी करने व किसी प्रकार का स्थाई निर्माण करने का हक नहीं होगा और न ही आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न करने का ही हक होगा। यदि कोई पक्ष चौक में सड़क को अपने कार्यवश जैसे नल, बिजली, टेलीफोन, सीवेज आदि के लिए खुदवायेगा तो तत्काल उसे अपने खर्चे से ठीक करवाना होगा।

(4) कुएं म प्रथम पक्ष का बिजली का सेट लगा हुआ है द्वितीय पक्ष भी अपना अलग पम्प सेट एक वर्ष की अवधि के भीतर लगा लेगा। इस वर्ष की अवधि के भीतर द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के पम्प से पानी लेगा। बिजली के बिल की रकम व पम्प की मरम्मत का खर्चा एक वर्ष तक दोनों पक्ष आधा आधा देंगे। प्रथम पक्ष के वाटर कनेक्शन घोरे व मोटर व स्टार्टर आदि के लिए जो कोटरी ढाणों के पास बनी हुई है यथावत रहेगी। कुएं की मरम्मत दोनों पक्षों के मुश्तर्का खर्चे से होगी।

(5) प्रथम पक्ष कोट को तुड़वाकर पूर्व पश्चिम व दक्षिण की ओर तीन गेट प्रत्येक दस फुट चौड़ा निकलवायेगा। इन गेटों से द्वितीय पक्ष मन्डी के लिए जो सड़कें बनवायेगा इनसे प्रथम पक्ष के दाल मिल में आने वाले ट्रकों व गाड़ियों का आवागमन रहेगा, जिसमें कि द्वितीय पक्ष किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति या रुकावट नहीं डालेगा।

(6) गढ़ के भीतर कोट के सहारे ठिकाना चौमू के किसी राजकुमार का जो विवाह होकर आने के दिन ही किसी लड़ाई में गये थे वहां वीरगति प्राप्त कर गए थे उनका स्थान है। इस स्थान के पश्चिम में एक गेट उत्तर मुखी है। यह स्थान राजकुमार के गद्दी के नाम से विख्यात है। इस राजकुमार के स्थान पर ठिकाना चौमू के भाई बन्धुओं का मुख्य द्वार से वाहन सहित आना जाना है वह यथावत रहेगा। इस महाराजकुमार के स्थान से सम्बन्धित जो भूमि है, उसके उत्तर की ओर जो कोट है उससे उत्तर की ओर को भूमि में कोट के साथ साथ द्वितीय पक्ष को कोई तामीरात कराने का हक नहीं होगा।

(7) पूर्व पश्चिम, दक्षिण व उत्तर की ओर के कोट में जो सात गोल बुर्जें बनी हुई हैं, बुर्जों को द्वितीय पक्ष तोड़कर कोट को सीधा करके बुर्जों को निकास जमीन को काम में लेने का अधिकारी होगा और बुर्जों का स्थान निकलने के बाद कोट को द्वितीय पक्ष अपने खर्चे से सीधा सुचारू रूप से उसी समय बनवायेगा।

(203)

कृषि उपज मण्डी समिति चौमूं के विरुद्ध विचाराधीन मुकदमों की सूची

क्र. सं.	मुकदमा करने वाला	मुकदमा न.	न्यायालय का नाम
1.	श्री राम गोपाल ,, रामेश्वर लाल ,, गोविन्द नारायण ,, हरि नारायण ,, राधेश्याम पुत्रान श्री छोटी लाल लकड़ा खण्डेलवाल. निवासी, जयपुर जीन–माता का खुर्रा ।	206/1980	मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय चौमूं ।
2.	श्री राम गोपाल श्री रामेश्वर लाल श्री गोविन्द नारायण श्री हरिनारायण श्री राधेश्याम पुत्रान श्री छोटी लाल लकड़ा खण्डेलवाल, निवासी, जयपुर जीन माता का खुर्रा ।	34/1980	मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय चौमूं ।
3.	श्री राम गोपाल श्री रामेश्वर लाल श्री गोविन्द नारायण श्री हरि नारायण श्री राधेश्याम पुत्रान श्री छोटी लाल लकड़ा, निवासी जयपुर, जीन माता का खुर्रा ।	5/1980	मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय चौमूं ।
4.	श्री गिरधारी लाल शर्मा	212/80	श्रम न्यायालय, जयपुर ।
5.	श्री मोहन लाल	161/80	श्रम न्यायालय, जयपुर ।

२०५

राजस्थान नहर परियोजना

617. श्रीबुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान नहर परियोजना प्रारंभ में कितनी लागत से बनने वाली थी एवं कब तक निर्माण कार्य पूरा होने वाला था ? अब कितने वर्षों में कितनी लागत से यह योजना पूरी हो जायेगी ?

(1) राजस्थान नहर मुख्य अभियन्ता कार्यालय के स्टोर में कितनी राशि की कितनी आवश्यक वस्तु एवं सामग्री स्टोर में पड़ी है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) 1970 के तखमीनों के अनुसार परियोजना की लागत 207·68 करोड़ आंकी गई थी और परियोजना कार्यों को 1980-81 तक पूरा करने का कार्यक्रम था। 1980 में परियोजना की लागत 450·00 करोड़ रुपये आंकी गई है और परियोजना कार्यों को मार्च, 86 तक पूरा करने का कार्य कार्यक्रम है।

(2) राजस्थान नहर मुख्य अभियन्ता कार्यालय के स्टोर में कोई अनावश्यक सामग्री फर्नीचर इत्यादि के अलावा नहीं पड़ी है। परियोजना के केन्द्रीय भंडार में 48, 30, 781.21 रुपयों की राशि की अनाश्वयक सामग्री थी जिसमें से 9,02,797.98 रुपये को सामग्री दूसरी परियोजनाओं को स्थानांतरित कर दी गई है या अन्य को निविदायें आमन्त्रित कर वेच दी गई है। बाकी बची 39,27,983·23 रुपये लागत की सामग्री को नियमानुसार डिस्पोजल की कार्यवाही की जा रही है। सामग्री की संक्षिप्त सूची संलग्न की जा रही है।

Statement showing details of surplus spares lying in R.C.P. central, store & proc. sub-DN. Ist RCP. Bikaner store's located at central stores at Suratgrah.

S. No.	Particulars of stores.	No. of item.	Cost of stores at the time of circulation.	Present cost of stores
1.	Surplus spares of 16 nos. machines (Auto Section).	1864	3,06,453.31	2,75,576.09
2.	Surplus spares of 20 nos. machines (Auto Section).	645	83,135.04	80,028·08

1	2		3	4
3.	Surplus spares of 7 nos. machines & V-Belts. (Auto Section).	262	19,381.21	17,605.25
4.	Surplus spares of M.A.N. Tractor & let screper (Auto Section).	515	95,376.12	92,531.12
5.	Surplus spares of Honomag & bedford Truck.	444	1,05,495.29	1,03,100.49
6.	Surplus spares of Cat.D-8, D-7, D-6, & D-4 Tractor & motor Grader.	446	11,92,483.71	17,15,289.11
7.	Surplus spire of Cat D-8, D-7, D-6, D-4 tractor.	3340	19,46,749.40	17,87,060.69
8.	Surlplus spares of TD-24 Tractors.	102	34,582.16	28,552.00
9.	Surplus spares of TD-18 Tractor & T-8 Crane.		99,371.06	94,229.81
10.	Surplus Air craft Tyres,	2	4,03,157.35	2,70,309.00
11.	Surplus Tyres, Tubes & Flaps.	39	3,15,870.[illegible]6	Nil.
12.	Surplus items of Civil misc. section.	430	2,28,826,30	1,75,034.32
I.	Value of surplus stores.	–	48,30,781.22	39,27,983.23
			48,30,781.21	
II.	Values of stores issued on the Project and disposed off to other concerned.		9,02,797·98	
III.	Balance of S/Store.		39,27,983.23	

Page No.214

(२०६)

मंदिरों के स्वर्णाभूषण एवं पूजा पात्र

618. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) देवस्थान विभाग के मन्दिरों में श्रद्धाभक्ति से भगवान की मूर्ति के शृंगार के लिये चढ़ाये गये स्वर्णाभूषण व चांदी के जेवर व सेवा पूजा के बर्तन आदि राजकोष में जमा किये जाने का क्या औचित्य है ? क्या भक्तों की भावना पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिये ?

(2) क्या उक्त मन्दिरों की जीर्ण-शीर्ण अवस्था में सुधार करने के लिये सरकार कुछ विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियन्त्रित राजकीय मन्दिरों के जो आभूषण व बहुमूल्य वस्तुयें नित्य प्रतिदिन मन्दिरों की सेवा पूजा एवं अन्य उत्सवों के समय उपयोग में आता है, उन्हें राजकीय कोषालयों में नहीं रखा जाकर मन्दिरों के सिंगल व डबल-लोक में रखा जाता है तथा केवल अनुपयोगी आभूषणों एवं बहुमूल्य वस्तुओं को उनकी सुरक्षा हेतु सम्बन्धित मन्दिर के ही नाम सीलबन्द बक्सों में राजकीय कोषालयों में रखा जाता है। उक्त स्थिति से भक्तों की भावनाओं का पूर्ण आदर किया जाता है, ठेस पहुंचने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(2) जी हां। राजकीय मन्दिरों व संस्थाओं की जीर्ण शीर्ण अवस्था में सुधार करने हेतु बजट में राशि का प्रावधान रखा जाता है तथा उपलब्ध साधन अनुसार समयोचित कार्यवाही की जाती है।

खाद्य सामग्री में मिलावट रोकना

619. **श्री मानसिंह देवड़ा** (श्रीमाधोपुर)
श्री अहमद बक्श (जोधपुर)
श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) एवं
श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

क्या वर्ष 1980–81 के दौरान खाद्य सामग्री में मिलावट रोकने हेतु कोई अभियान चलाया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। वर्ष 80-81 के दौरान जयपुर, नागौर, झुंझुनु में मिलावट विरोधी अभियान चलाया गया था।

भूमिहीन कृषक मजदूरों हेतु कानूनी सहायता

620. **श्री जनार्दनसिंह गहलोत** (करौली) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कुल कितने भूमिहीन कृषि मजदूर हैं ? क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है ? यदि हां, तो कब व किसके द्वारा ? कृपया सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(2) इन भूमिहीन कृषि मजदूरों को रोजगार देने की क्या कोई योजना है ?

(3) क्या कृषि मजदूरों की मजदूरी, छुट्टी, कल्याण, विवादों के निपटारे के लिये औद्योगिक मजदूरों की भांति ही कानूनी व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में अब तक कुल 96268 भूमिहीन कृषि मजदूर चयनित किये गये हैं। इनका चयन प्रत्येक जिले में स्थित लघु कृषक विकास/जिला विकास अभिकरण के द्वारा राजस्व एजेन्सी की मदद से किया जाता है।

(2) इन भूमिहीन कृषकों को एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तथा ग्रामीण युवकों के लिये स्वनियोजन हेतु प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत रोजगार एवं स्व-रोजगार देने का प्रावधान है।

(3) कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत न्यूनतम वेतन निर्धारित करने हेतु राज्य सरकार को शक्तियां प्रदत्त हैं। जहां तक विवाद के निपटारे का प्रश्न है, कृषि फार्मों के श्रमिक औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत विवाद उठा सकते हैं। परन्तु अभी तक कृषि मजदूरों के लिए कोई अलग से अधिनियम नहीं है। केन्द्र सरकार अब एक अधिनियम लाने पर विचार कर रही है। न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत साप्ताहिक अवकाश का प्रावधान है। कल्याण के लिये उक्त अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। परन्तु केन्द्र सरकार प्रस्तावित अधिनियम में इस पर प्रावधान करने पर विचार कर रही है।

नसीराबाद में वृद्धावस्था व अपंग पेन्शन अभियान चलाना

621. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि अन्य नगरों की भांति नसीराबाद नगर में भी वृद्धावस्था व अपंग पेंशन अभियान चलाया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। नसीराबाद नगर में नगर पालिका अथवा बोर्ड नहीं है वहां कन्टोनमेंट बोर्ड है जिन्होंने अपने वार्ड की दिनांक 30–3–81 को होने वाली बैठक में यह अभियान चलाने पर विचार करने हेतु प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव पारित होने पर अभियान चलाया जावेगा। संबंधित बैठक के विचारणीय बिन्दु के अंश संलग्न है।

(28)

Extract Copy of Agenda for the Business to be Transacted at an special meeting of cantonment bord Scheduled to be held on 30-3-1981 at 1000 hours in the office of THE CANTONMENT BOARD NASIRABAD

19. OLD AGE PENSION—Ref. Assembly question No.15 by member legislative assembly, Nasirabad constituency. To consider the question to impliment old age pension in Nasirabad Contonment with the financial assistance of State Government.

—-d—
Cantonment Executive Officer
Nasirabad

Anil, Kumar.
30-3-81

शाहबाद-किशनगंज क्षेत्र के सहरिया जाति की कृषि भूमि पर सवर्णों का कब्जा

622. **श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) :** क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि शाहबाद-किशनगंज क्षेत्र के सहरिया जाति की भूमि पर सवर्णों ने कब्जा कर रखा है ? यदि हां तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

यह सही है कि तहसील शाहबाद में 74 आदिवासी सहरियान जाति की कृषि भूमि पर तथा तहसील किशनगंज में 20 आदिवासी सहरियान जाति की कृषि भूमि पर सवर्णों ने कब्जा कर रखा है। इन सवर्णों का नाजायज कब्जा हटाने के लिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 (बी) के अन्तर्गत प्रार्थियान की ओर से तहसीलदारान के माध्यम से उप खण्ड अधिकारी को माह जनवरी, 81 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, जिन पर उप खण्ड अधिकारी द्वारा के न्यायालय में नियमानुसार कार्यवाही विचाराधीन है। जिनका निस्तारण शीघ्र किया जावेगा।

उनियारा के भूतपूर्व राज परिवार में विभिन्न बकाया

623. **श्री राम लाल (उनियारा) :** क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उनियारा के भूतपूर्व राज परिवार के लोगों में देवली एवं उनियारा तहसील

(श्री रामलाल)

की, राजस्व की किस किस में कितनी कितनी बकाया है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) अब तक यह बकाया सरकार द्वारा वसूल नहीं किये जाने के क्या कारण रहे अब कब तक बकाया की पूर्ण वसूली हो जावेगी ?

उत्तर

(1) उनियारा के भूतपूर्व राजपरिवार के लोगों में देवली एवं उनियारा तहसील की भू-राजस्व की बकाया सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जिलाधीश से इन बाकियात की वसूली अब तक न किए जाने के कारण पूछे जा रहे हैं व नियमानुसार शीघ्र वसूली करने के आदेश दिए जा रहे हैं।

उनियारा के भूतपूर्व राज परिवार के लोगों में कर्ज के अतिरिक्त बकाया की सूची।

क्रम सं० नाम-बाकीदार	तहसील देवली			तहसील उनियारा		
	भू० रा०	पं० सं० कर	योग	भू० रा०	पं० सं० कर	योग
1. सरदारसिंह पुत्र गुमानसिंह, उनियारा	527/	29255/	52984	12951.03	—	12951.03
2. श्री राजेन्द्रसिंह पुत्र सरदारसिंह उनियारा	6337/	194	6531/	—	—	—
3. श्री तेजेन्द्रसिंह पुत्र सरदारसिंह उनियारा	593/	—	593/	—	—	—
4. श्री उम्मेदसिंह पुत्र सरदारसिंह उनियारा	3412/	—	3412/	—	—	—
5. श्रीमती कमलेशकुमारी पत्नी श्री तेजेन्द्रसिंह नि. उनि.	663/	—	663/	—	—	—
6. श्री दलपतसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह ककोड	—	—	—	1294.75		1294.75
7. श्री दिग्वजयसिंह निवासी उनियारा	—	—	—	764.034		764.034
योग	63734	449	64193	21886.12	—	21886.12

कुल योग 86,069.12 की राशि उनियारा के भूतपूर्व राज परिवार के लोगों पर राजस्व से सम्बन्धित वसूली के बाकी है।

बाड़ी में आंगनबाड़ी योजना का शुभारम्भ

624. श्री शिव सिंह (बाड़ी) क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आंगनबाड़ी नाम से सरकार ने कोई योजना प्रारम्भ की हैं? यदि हां, तो कृपया रूपरेखा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिला भरतपुर के अन्दर यह योजना लागू की गई हैं? यदि हां, तो किन किन पंचायत समितियों में?

(3) क्या सरकार वाड़ी पंचायत समिति में भी यह योजना प्रारम्भ करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। योजना का नाम समन्वित बाल विकास परियोजना है जिसका एक अंग आंगनबाड़ी है। रूपरेखा सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। भरतपुर जिले में धौलपुर पंचायत समिति में यह योजना चलाई जा रही है।

(3) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। स्थान के बारे में निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाता है।

समन्वित बाल विकास परियोजना की रूप रेखा

(1) यद्यपि विकास के समस्त क्षेत्रों में गत पांच पंचवर्षीय योजनाओं में निःसन्देह महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुई हैं किन्तु फिर भी बाल कल्याण से संबंधित अभी भी बहुत सी समस्याएं है। बच्चों में मृत्युता, मानसिक अस्वस्थता तथा कुपोषण में विशेष कमी नहीं हुई हैं। बच्चों का शारीरिक विकास और मानसिक क्षमता का विकास होना आवश्यक होता है। असन्तोषजनक भोजन रीतियां, अल्पाहार की रीतियां, पोषाहार, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के बारे में अज्ञानता से समस्या और जटिल हो जाती है। साधनों की अपर्याप्तता समिन्वित नीति से बालकों के विकास में बाधा उत्पन्न करती है किन्तु फिर भी यह माना गया है कि इस कार्य में देरी करने से देश के उस मानव संसाधन के विकास में बाधा उत्पन्न करेगा जो विकास का एक मुख्य अंग है। अतः आरम्भिक बाल सेवाओं के संगठन को पूर्ण महत्व देते हुए यह योजनायें प्रारम्भ की गई जिनके अन्तर्गत निम्न लिखित सेवायें प्रदान की जाती हैं—

1. पूरक पोषाहार
2. प्रतिरक्षन
3. स्वास्थ्य जांच
4. सन्दर्भ सेवायें
5. पोषाहार तथा स्वास्थ्य शिक्षा
6. अनौपचारिक शिक्षा।

(समाज कल्याण मन्त्री)

इनके उद्देश्य निम्न हैः-

1–6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की पोषक तथा स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना ।

2–बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए नींव डालना ।

3–मृत्युता, मानसिक अस्वस्थता, कुपोषण तथा स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी करना ।

4–बाल विकास को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न विभागों में नीति और कार्यान्वयन में प्रभावशील समन्वय करना ।

5–उचित पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा बच्चे के सामान्य स्वास्थ्य और पोषिक आवश्यकताओं की देख भाल के लिए माताओं को योग्य बनाना ।

लाभ प्राप्त कर्ताओं को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाएंगीः-

लाभान्वित	सेवा
1. गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली मातायें ।	1. स्वास्थ्य जांच
	2. टिटेनस रोग से बचाव के लिए गर्भवती माताओं का प्रतिरक्षण
	3. पूरक पोषाहार
	4. पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा
2. 15 से 44 वर्ष आयु की अन्य महिलायें	
3. एक वर्ष से कम आयु के बच्चे	1. पूरक पोषाहार
	2. प्रतिरक्षण
	3. स्वास्थ्य जांच
	4. संदर्भ सेवायें
4. एक से दो वर्ष आयु के बच्चे	1. पूरक पोषाहार
	2. प्रतिरक्षण
	3. स्वास्थ्य जांच
	4. संदर्भ सेवायें
5. तीन से पांच वर्ष की आयु के बच्चे	1. पूरक पोषाहार
	2. प्रतिरक्षण
	3. स्वास्थ्य जांच
	4. संदर्भ सेवायें
	5. अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा

212

तहसील कुशलगढ़ में वन भूमि पर काबिज व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार प्रदान करना

625. **श्री फतेसिंह** (कुशलगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार जिला बांसवाड़ा की तहसील कुशलगढ़ में वन भूमि पर वर्ष 1971 से वर्ष 1980 तक किये गये कब्जे के आधार पर, वहां के काबिजों को खातेदारी हक प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो, क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा बहुत सोच विचार के पश्चात लिए गए निर्णय के अनुसार दिनांक 1-1-71 से पूर्व वन भूमि पर किये गये अतिक्रमण के मामलों के ही नियमन करने का प्रावधान रखा गया है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33 प्रतिशत भू-भाग पर वनों का होना आवश्यक होने के स्थान पर राज्य में केवल 10.6 प्रतिशत भू-भाग पर ही वनों के होने से वन क्षेत्र में और अधिक कमी किया जाना पर्यावरण संतुलन बनाये रखने, समाज को वनों से प्राप्त सुविधा तथा लाभ उपलब्ध करने एवम् मरुस्थल विस्तार को रोकने की दृष्टि से घातक होगा। अतः दिनांक 1-1-71 के बाद वन भूमि पर किये गये अतिक्रमणों का नियमन किया जाना लोक हित में राज्य सरकार उचित नहीं समझती।

परिशिष्ट 3

तारांकित प्रश्न संख्या 325 की सूची

कस्बा मीराना (भरतपुर) में वक्फ की सम्पत्ति पर अवैध काबिजन की फहरिस्त

नं० शुमार	नाम वक्फ जायदाद	रकबा	नाम अवैध काबिज
1.	मस्जिद खसरा नं० 1020	)1	किशन लाल राम
2.	मस्जिद सुनार वाला मय कुआं दुकान	)1	शिक्षा विभाग
3.	मस्जिद निजद कुआं नाविन्दराम	–	मस्जिद शहीद होगई है। नाजायज काबिज का पता नहीं चल सका।
4.	मस्जिद निजय कुआं मीतरवाडी	10	मस्जिद शहीद करदी गई है। एक कम्पाउण्डर ने मकान बना लिया।
5.	मस्जिद अब्दुस्न आबादी मोहल्ला पठानवाडा	)1	उमरा वल्द सावंलया
6.	मस्जिद गुम्बदवाली मय कुआं खसरा नं० 1296	)1	रामचन्द्र व अन्य
7.	मस्जिद मय कुआं ख० नं० 1279	)1	जस्सू राम वगैरह
8.	मस्जिद मय कुआं भीलूखां सं. नं. 1387	)2	फालचन्द का कब्जा है।
9.	मस्जिद कायस्थ मोहल्ला मय कुआं ख० नं० 286	)1	श्रीमती सोनू व नारायण अम्बर दार।
10.	मस्जिद फौजदार मय कुआ	)1	खाली है।
11.	मस्जिद सराय में	–	सरदार जीतसिंह गिरन्धी ने गुरुद्वारा बना लिया है।
12.	मस्जिद कसाईबाडा	–	सालगा
13.	मस्जिद तेली पाडा निजद पुराना डाकखाना	)2	बेदकाश
14.	मस्जिद ताला काजी वाली ख० नं० 143	)3	खाली है।
15.	मस्जिद जुलाहान मीतरवाड़ी	)2	गणेशीलाल
16.	जामा मस्जिद सिकारीपाडा	)1	चन्दीराम
17.	मस्जिद मुफतीपाडा	)5	कोलबों व कब्जा है।

Page No.222

(214)

1	2	3	4
18.	मस्जिद सराय गली	)1	शिवलाल वल्द सुन्दरलाल हेमराज पुत्र कन्हैयालाल
19.	ईदगाह	)2	खाली है।
20.	कब्रिस्तान खसरा नं० 272	)7	सोहनसिंह
21.	कब्रिस्तान खसरा नं० 273	)2	सोहनसिंह
22.	कब्रिस्तान खसरा नं० 299	6)11	अगमा माली
23.	कब्रिस्तान खसरा नं० 367	)12	मालियान का कब्जा है।
24.	कब्रिस्तान खसरा नं० 377	6)14	रामचरण
25.	कब्रिस्तान खसरा नं० 558	)6	नाजायज काबिज का पता नहीं चल सका
26.	कब्रिस्तान खसरा नं० 931	)3	,, ,,
27.	कब्रिस्तान खसरा नं० 1064 (1046)	1)3	काबिजान का नाम पता नहीं चल सका
28.	कब्रिस्तान खसरा नं० 1182	)6	,, ,,
29.	कब्रिस्तान खसरा नं० 1214	7)7	बद्री प्रसाद वगैरह
30.	कब्रिस्तान खसरा नं० 1215	45)17	(1) नवग्रह निर्माण समिति (2) मूलसिंह (3) बुन्दू खां (4) ओम प्रकाश (5) वली मोहम्मद (6) दुर्गा प्रसाद शर्मा (7) गंगाराम रामस्वरूप (8) रामस्वरूप
31.	कब्रिस्तान खसरा नं० 1217	29)11	(1) पंचायत समिति (2) साबूराम होटलवाला (3) दामूदर (4) महेन्द्रसिंह वकील (5) केदरू महाजन (6) द्वारका महाजन (7) अमर कालूनी (8) बिजली बोर्ड (9) दफ्तर पंचायत समिति (10) इण्डियन आयल अलावा पैट्रोल पम्प (11) नगर पालिका

1	2	3	4
32.	कब्रिस्तान खसरा नं० 1219	14)11	(1) रामजीलाल धाकड (2) रामजीलाल धाकड (3) धाकड छात्रावास (4) जलदाय विभाग (5) रघुवीरसिंह (6) भगवती देवी
33.	कब्रिस्तान खसरा नं० 1225	9)13	शिवलाल रामप्रसाद महाजन
34	कब्रिस्तान खसरा नं० 1226	5)7	लक्ष्मी नारायण महाजन
35.	कब्रिस्तान खसरा नं० 1261	)7	नाजायज काबिज का नाम पता नहीं चल सका।
36.	कब्रिस्तान खसरा नं० 1268	5)10	शिवलाल वल्द रामप्रसाद
37.	कब्रिस्तान खतरा नं० 1303	1)11	कन्हैयालाल वल्द गिरधारी लाल महाजन
38.	कब्रिस्तान 1343	1)1	करनसिंह
33.	कब्रिस्तान 1344	1)19	चरनसिंह
40.	कब्रिस्तान 1662	)4	नाम पता नहीं चल सका।
41.	कब्रिस्तान 1454	4)15	जंवहीर बालू मूलचन्द आदि
41.	कब्रिस्तान 1479	)4	मंगल पुत्र भीमा माली
43.	कब्रिस्तान खसरा नं० 1509	)2	नाम पता नहीं चल सका।
44.	कब्रिस्तान 1549	5)13	,, ,,
45.	कब्रिस्तान 1618	1)6	बदन पुत्र रोडी माली
46.	कब्रिस्तान 1659	1)2	नाम पता नहीं चल सका।
47.	कब्रिस्तान खसरा नं० 1741	5)	शिव हरित हरिचरण आदि
48.	कब्रिस्तान खसरा 1742	)7	रामचरण जगन चरन्जो
49.	कब्रिस्तान खसरा 1743	1)4	,, ,,
50.	कब्रिस्तान खसरा 1796	5)17	नाम पता नहीं चल सका
51.	कब्रिस्तान खसरा नं० 1886	1)15	,, ,,
52.	कब्रिस्तान खसरा नं० 2186	)12	,, ,,
53.	कब्रिस्तान खसरा नं० 1292	)3	रामू, अमर सिंह

216

1	2		3	4
54.	कब्रिस्तान खसरा नं० 1298	)6	नाम पता नहीं चल सका ।	
55.	सराये अन्दुरुन आबादी	—	पंजाबियों का कब्जा है ।	
56.	इमामबाड़ा जुलहान	)5	खाली	
57	तकवा नदैवगा पाडा	)1	चिरमोली सोहनसिंह	
58.	छत्री काले खां	)1	पुलिस विभाग	
59.	छत्री अकबर	)1	खाली है ।	
60.	मस्जिद कससयान	)5	आबाद है।	
61.	मजिस्द तेलीपाड़ा	)1	खाली है ।	
62.	मजिस्द आबादी सैयद पीर	)1	नाम पता नहीं चल सका ।	
63.	मस्जिद अन्दूरुन आबादी सयदवाड़ा	)1	खाली है ।	
64.	दरगाह पीर मुस्तुफा	5)16	खाली है।	
65.	इमाम बाड़ा काजी पाडा	)3	मन्दिर बना लिया है।	
66.	झझरी खसरा 1965)8	)8	पुरातत्व विभाग	
67.	सराये सैयद अली 80	3)13	पुरातत्व विभाग	

नोट :—इन जायदादों के काबिजान में निरन्तर परिवर्तन होता चला आ रहा है। इसलिये नाजायज काबिजान के नामों में परिवर्तन सम्भव है ।

———

परिशिष्ट 4

तारांकित प्रश्न संख्या 424 की सूची

भू राजस्व अधिनियम के तहत जारी किये गये बाकीदारों के खिलाफ नोटिसों की सूची ग्रामवार

क्र.सं.	नाम आसामी	ग्राम
1	2	3
1.	धनसिंह पुत्र श्री नरपत सिंह	नितोड़ा
2.	प्रेम पुत्र भीखा भील	"
3.	गेरतना, डूंगा, प्रेम पुत्र भीखा	"
4.	दीपा पुत्र देवा मेघवाल	"
5.	पन्नालाल सूरजमल अग्रवाल	"
6.	भूरा पुत्र लखा मेघवाल	"
7.	गोर्धनसिंह पुत्र प्रतापसिंह	"
8.	मूलसिंह पुत्र भामसिंह	झाडोली
9.	बापूसिंह पुत्र भूरसिंह	"
10.	लक्ष्मणसिंह पुत्र चिमनसिंह	"
11.	शंकरलाल सदाजी माली	"
12.	वीरमा पुत्र समरथा मेणा	"
13.	दीपा बुडालोवा एवं गोदा पुत्र गोवा, मेणा	"
14.	श्रीमती कंकू बाई बेवा राजा भीखा	"
15.	रूगनाथसिंह पुत्र सरदारसिंह	केर
16.	नाथा पुत्र पन्नाजी मेघवाल	"
17.	माना पुत्र दानाजी गुरू	"
18.	कान्तीलाल पुत्र जेठाभाई पटेल	"
19.	देवीसिंह पुत्र सरकारसिंह	"
20.	राजा, दीता पुत्र माना ग्रासिया	"
21.	नावा पुत्र हीराजी भील	"
22.	लाला पुत्र पन्नाजी ग्रासिया	"

1	2	3
23.	फूला भाई पुत्र गोकुल भाई पटेल	केर
24.	हाजीरासिंह पुत्र अजीतसिंह	,,
25.	वीरा पुत्र धीरा ग्रासिया	,,
26.	धुलाँ पुत्र चतरा घांची	,,
27.	गलवा पुत्र भूता ग्रासिया	,,
28.	जगा पुत्र पन्ना ग्रासिया	,,
29.	धनसिंह पुत्र बजाजी राजपूत	,,
30.	देवा पुत्र सोना ग्रासिया	गडीपा
31.	धर्माराम पुत्र भेरुा	रोहीग
32.	खीया पुत्र हीराजी हीरावाला	,,
33.	हीरादास पुत्र मोतीराम वैष्णव	,,
34.	जोरासिंह पुत्र धूलसिंह	सनवाड़ा
35.	जसराज पुत्र हंसराज सोनी	पेशुआ
36.	खीदान पुत्र सादुलदान	,,
37.	भूता पुत्र हीरा खरीक	,,
38.	लीला, लाला, रता, हीरा मेघवाल	,,
39.	अन्नाराम पुत्र धुरगाराम, सरूपाराम पुत्र वागाजी	,,
40.	माना पुत्र लुम्बा, भूवा पुत्र भलाजी	,,
41.	रताराम पुत्र मकनाराम भील	,,
42.	गलवा, कथुआ, मूला पुत्र गमना	,,
43.	शंकरदान पुत्र अनाजी भाणावत	,,
44.	अचला पुत्र चमना	,,
45.	माना पुत्र लुम्बा खसा मीणा	,,
46.	अचलाराम पुत्र चमनाराम सरगड़ा	,,
47.	चुनीया पुत्र चमना सरगडा	,,
48.	गोदा, कसा नतीया पि. केरा	फुलेरा
49.	प्रतापदान पुत्र अम्बादान	पेशुआ
50.	प्रतापदान सरपंच	,,

Page No.227

(217)

1	2	3
51.	भूरिया चमनापि दाना खापावागरी	पेशुग्रा
52.	गुलाबराय पुत्र धन्नाराय सरगडा	,,
53.	सीताराम पुत्र चुन्नीलाल दर्जी	,,
54.	राजा शंकर सबालिग पुरोहित	धनारी
55.	सावलदान पुत्र हेमदान चारण	पातूम्बरी
56.	गणेशदान पुत्र हेमदान	,,
57.	लक्ष्मणदान पुत्र हेमदान चारण	,,
58.	चुन्नीलाल पुत्र देवाजी	धनारी
59.	विजयराज बनेचन्द गांधी	कोजरा
60.	अध्यक्ष रामपीर सहकारी समिति	,,
61.	रामा पुत्र खूमा वागरी	,,
62.	लखमा पुत्र दाना मेघवाल	,,
63.	पूरा भेरा पुत्र धूला नाना ग्रासिया	शिवगढ
64.	धरपा पुत्र लीलाराय	कोजरा
65.	धर्मचन्द गांधी	,,
66.	इब्राहिम गाजाजी मोसला	जनापुर
67.	पाताराय पुत्र भावाजी	भीमाणा
68.	अमराराय पुत्र मानाराय मेघवाल,	,,
69.	जोर्वासिह पुत्र चैनसिह	खाखरवाड़ा
70.	रतना पुत्र नाथा मेघवाल	भीमाणा
71.	पूरा पुत्र कला मेघवाल	,,
72.	लालाराय पुत्र भोलाजी मेघवाल	,,
73.	खेताराय पुत्र कलाजी	,,
74.	देवाराय पुत्र गोरखा	,,
75.	काना पुत्र उजाजा गपेती	भूला
76.	देवो सजा गपेतो	वाटेरा
77.	पूना सितका पुत्र जेरा	,,
78.	सापता पुत्र रापा	वाटेरा

(220)

1	2	3
79.	चिन्हा पुत्र देवा	भूला
80.	नवा, सजा, लाल, पि. लखपा वेशया पुत्र भारता कालीया पुत्र रावापुरी	पुरी
81.	खेता पुत्र पूना भील	पुरी
82.	जेसा पुत्र काला भील	पुरी
83.	गैना. खेता पुत्र देवी मीणा	सिवेरा
84.	शिवराय पुत्र हंसाराज रावल	,,
85.	लूम्बा पुत्र रापा ग्रा.	केरलापादर
86.	भीखा तेजा मेघवाल	सिवेरा
87.	गोवा पुत्र दला भील	,,
88.	नारायण पुत्र शिव राय रावल	सिवेरा
89.	बलवन्तसिह भीम सिह	,,
90.	लसीपा पुत्र गयना भील	,,
91.	नगला पुत्र रता भील	,,
92.	सोपा पुत्र काला ग्रासिया	केरलापादर
93.	धन्ना राम पुत्र चेला राम भील	जुरी
94.	खेदा पुत्र पूना भील	सिवेरा
95.	पूनमा पुत्र गोवा भील	;,
96.	भूरा सिह पुत्र खुशाल सिह	,,
97.	भीखा पुत्र केरा	,,
98.	खीमा पुत्र हिन्दा वागरी	उन्द्रा
99.	उमला पुत्र पाता भील	मूरी
100.	हिम्मत सिह पुत्र पृथ्वी सिह	उन्द्रा
101.	दाना पुत्र काना, वाक्त पुत्र मोती मेघवाल	बसन्तगढ़
102.	पन्ना लाट पुत्र वगना राम ग्रासिया	,,
103.	चमना पुत्र मोती ग्रासिया	ग्रजारी
104.	सोभा पुत्र उदा, चेना, मेरा पि. सोपा ग्राम	बसन्तगढ़
105.	किरणसिह पुत्र गजेसिह	,,

1	2	3
106.	स्वरूप राम पुत्र कपूरा जी रावल	अजारी
107.	छोगा पुत्र खसा मेणा	,,
108.	सोपा पुत्र मंनिग ग्रासिया	,,
109.	माना पुल मेरा ग्रासिया	बसन्तगढ़
110.	लसा राम पुत्र कसना जी	,,
111.	भगा, उदा, राजा, मानाड़ा, जीवा ग्रासिया	,,
112.	खाना रापड दला राम ग्रासिया	वागादरी
113.	राधा राम पुत्र हीरा राम ग्रासिया	ढागा
114.	सोपीरा पुत्र तेजा ग्रासिया	कुण्डाल
115.	उदा पुत्र जुरा ग्रासिया	ढागा
116.	किरा, भूरा, पि. चेला अपिला, हिरका प. जैसा कालुखणी	,,
117.	भूरा राम सरपंच	धरली
118.	किराना पुत्र देवा	पिण्डवाडा
119	नाथा पुत्र गोवा मेणा	,,
120.	अन्दा राम मोती सरगड़ा	,,
121.	पोरा राम, चुन्नी लाल केश्लराम मशराम	,,
122.	सरूपराम पुत्र कपूरा रावल	नवाअरठ
123.	धरपा पुत्र हीरा जी हरिजन	पिण्डवाड़ा
124.	खूमा पुत्र भीपा	वालोरिया
125.	धरमा पुत्र गोगा	वासा
126.	हेमा पुत्र लूम्बा भील	वालोरिया
127.	पूनमा राम पुत्र धीरा जी	,,
128.	मेणीराम छतरा माला जी	,,
129.	लक्ष्मणसिह मोती सिंह पुत्र भोपाल सिंह	सनवाडा
130.	भाना, काना, गपेती. कहेरा पुत्र मारपाला गपेती	पिपरीपादर
131.	भोदा, सोना, लादा पुत्र हिन्दू गपेती	,,
132.	देवा, सपा, पि. उमा मेघवाल	,,
133.	प्रेमा पुत्र मेधवा मेणा	,,
134.	देवा राम पुत्र उमा जी मेघवाल	,,
135.	मेपरा पुत्र तेजा ग्रासिया	आपली
136.	देवीसिंह पुत्र अनार सिंह	सादेलवा
137.	जोधा, बाबला, रया पि. रतना	ओपली
138.	रूपा पुत्र वगता	,,

(222)

1	2	3
139.	गापाड पुत्र सूरता जी ग्रासिया	ग्रापली
140.	वदा पुत्र वगता	,,
141.	सामता पुत्र देवा ग्रासिया	,,
142.	दम्मेद सिंह ग्रध्यक्ष कृषि सहकारी समिति	,,
143.	दला पुत्र केता ग्रासिया	,,
144.	ग्रनोप सिंह पुत्र धन सिंह	सादलवा
145.	वजिगा पुत्र मनोरा	तोलपुर
146.	तोला पुत्र पादा भील	,,
147.	कावूला पुत्र मथा भाट	,,
148.	धटपा पुत्र उमा भील	ग्रारासना
149.	ग्रम्बा पुत्र पूरा	ग्रापरीखेडा
150.	ग्रपरा पुत्र डासू भांबी	पांडिया
151.	वागा, ग्रदापि, भागा, गोमा, कृपापि, गला	तेलपुर
152,	हंसा, सूरा, पि. मेगा भाट	नादिया
153.	दोना पुत्र जगा	ग्रापरीखेडा
154.	करपा पुत्र माना जेसगा, चमना मेघवाल	ग्रारासणा
155.	वदा पुत्र उदा ग्रासिया	लौटाणा
156.	मोती पुत्र धूला चौपाड़ा मोती	,,
157.	वदा पुत्र उदा ग्रासिया	ग्रापरीखेड़ा
158.	ताजूखा पुत्र जमाल खां	ग्रारासणा
159.	उमजी, भूलजी, सवलीग राजपूत	लौटाणा
160.	लाल खां पुत्र कासीम भाई	,,
161.	केसा पुत्र हंसा सरगडा	तूलपुर
162.	गोरकाराड़ पुत्र भूराजी	ग्रारासणा
163.	देवा पुत्र माला मेणा	,,
164.	पांचा पुत्र रण ग्रासिया	ग्रापरीखेड़ा
165.	ग्रमरा पुत्र डामा भावी	नादिया
166.	कूशा पुत्र धन्ना	ग्रापरीखेड़ा
167.	मोना, भूता पि. सोमा ग्रा.	कालाबोर
168.	गोरखा राम भूरा जी भाट	ग्रारासणा
169.	हमीर सिंह पुत्र लाल सिंह राजपूत	तेलपुर
170.	मोती चौपा पुत्र मोती	लौटाणा
171.	माना. तलसा, केणापा, गलबा सोंमा पि. भाट	तेलपुर

1	2	3
172.	भूता सोमा ग्रासिया	कानाबोर
173.	भवरा सिह पुत्र मोहब्बत सिह	तेलपुर
174.	सुलतम सिह पुत्र लालसिह	तेलपुर
175.	प्रेमसिह पुत्र मोमसिह बगैरह	वीराली
176.	मानकोरा पुत्र ग्रदा	कोटरा
177.	डासुराम पुत्र धरमाजी रावल	वीरवाडा
178.	मूलसिह पुत्र जवासिह	,,
179.	खामदास पुत्र ग्रात्माराम	,,
180.	रूपा पुत्र पदमा	,,
181.	भूमा पुत्र चेना	नवा सानवाडा
182.	रतनसिह पुत्र देवीसिह	वीराली
183.	नैनासिह पुत्र हमीरा सिह	,,
184.	भवानी सिह पुत्र पहाड़ सिह	नवासानवाडा
185.	तेजसिह पुत्र देवीसिह राणावत	,,
186.	मूरसिह करतारसिह	वीराली
187.	रणजीतसिह पुत्र देवीसिह	नयासानवाडा
188.	मोतीसिह पुत्र वनैसिह राजपूत	वीराली
189.	मगा, सोया, रामा, मेघवाल	कोटरा
190.	उम्मेदसिह पुत्र रूघनाथसिह	वीरोली
191.	कूपा पुत्र वीजा भाट	जूनासानवाडा
192.	वीरा, मांगीलाल पि. जीवा भाट	नवा सानवाडा
193.	धरमा लच्छा पुत्र वगता एदडका	वीरवाडा
194:	दानाराम पुत्र सबलीग पुरोहित	,,
195.	पदपा, सपा पुत्र सदा व जेटा मेगवाल	नवा सानवाडा
196.	मानिका पुत्र ग्रदा	कोरटरा
197.	डासु पुत्र धरघा रावल	वीरवाडा
198.	चेना पुत्र दाला मेघवाल	कोटरा
199.	पोर्मसिह पुत्र जवारसिह वीरोली	वीरोली
200.	नेनसिह हमीरसिह	,,
201.	डासुराम पुत्र धरमा रावल	वीरवाडा
202.	बाबरा पुत्र भूता घांची	नवा सानवाडा
203.	देवीसिह पुत्र यानसिह	वीरोली
204.	शिवनाथसिह पुत्र गजेसिह	परलाई

Page No.232

(224)

1	2	3
205.	हमीरसिंह पुत्र तख्तसिंह	जूमना सानवाडा
206.	सोहनलाल पुत्र जैसा खण्डेलवाल	नवासानवाडा
207.	धरमा पुत्र सांकला	,,
208.	समीपा, जेठा, मेना वगैरह	,,
209.	चमना पुत्र रामा, धन्ना पुत्र चमना मेघवाल	,,
210.	भला पुत्र चेना कुम्हार	,,
211.	रामा तलसा खेता वगैरह	,,
212.	तेजसिंह पुत्र देवीसिंह	,,
213.	नाथा पुत्र दौला मेघवाल	वीरवाडा
214.	हमीर सिंह पुत्र तख्त सिंह	जूनासानवाडा
215.	थाना राम पुत्र सवलीग	वीरवाड़ा
216.	मूरा खां पुत्र भेरा भील	परलाई
217	धरमा राम पुत्र टेकाजी रावज	वीरवाड़ा
218.	जोर सिंह पुत्र समला सिंह	जूनासानवाडा
219,	बाबला पुत्र खंगार जी मेघवाल	वीरवाड़ा
220	नैन सिंह पुत्र हमीरा सिंह	वीरोली
221.	श्याम दास पुत्र ग्राला राम वैष्णव	वीरवाडा
222.	डासू राम पुत्र धरमा रावत	,,
223.	भूराराम पुत्र सदाजी मीणा	,,
224.	रतनासिंह पुत्र देवी सिंह	वीरोली
225.	रना पुत्र चमना रावज	कोदरला
226.	,, ,, ,,	,,
227.	नैन मल पुत्र पदमा रावल	,,
228.	शंकर दास पुत्र राम लाल चारण	रामपुरा
229.	दीपा पुत्र कमाजी	कोदरला
130.	भाली पुत्र कमाजी बन्जारा	रामपुरा
231.	भेप सिंह पुत्र मान सिंह	बनास
232.	उम्मेद सिंह पुत्र सज्जन सिंह	,,
233.	नैन पाल ठेदार	कोदरला
234.	लाला राम पुत्र लीला राम कुम्हार	,,
235.	धर्म सिंह पुत्र पूनमा जी राजपूत	रीथड़ी
236.	वगताराम पुत्र पदमाराम	कादेरला
237.	भूराराम पुत्र नाथाराम	,,

1	2	3
238.	जूहारसिंह पुत्र जूठासिंह	रीथड़ी
239.	नरसाराम पुत्र अनाजी	कादेरला
240.	लूम्बा पुत्र रताजी सरगडा	चवरली
241.	भीकाडा सदा	रामपुर
242.	चेलाराम पुत्र मानाराम	कादेरला
243.	भीमाराम दीपराम	,,
244.	पूरा, जेयापि, उमासदा भील, बगांव	रामपुरा
245.	अर्जुनसिह पुत्र उमाजो	रीघणी
246.	वचनसिह पुत्र खूमसिह	,,
247.	श्रीमती भंवर कुंवर पत्नी भोपालसिह	घवरला
248.	लालाराम पुत्र लीलाराम	कोदरला
249.	रनादरा पुत्र वेलाजी	,,
250.	बचनसिह पुत्र खूथासिह	रीधणी
251.	वगता पुत्र पदमा मेणा	कादेरला
252.	लीलाराम पुत्र केदाजी	,,
253.	जुम्बरसिह पुत्र जूठसिह	रीधणी
254.	वगता पुत्र पदमाजी मेणा	कोदरला
255.	बेलीया पुत्र माना भील	,,
256.	मानाराम पुत्र पूराजी	रामपुर
257.	पूनमाराम शेरनाथ जोगी	कोदरला
258.	काना पुत्र जालमा गपेती	केदारपादर
259.	कानाराम पुत्र वेलाजी भील	कोदरला
260.	शोभाराम पुत्र तुलसीराम	,,
261.	मालाराम पुत्र नवा राम मेणा	,,
262.	माछीपा पुत्र उमा जी	रामपुर
263.	प्रेमाराम पुत्र खुदाराम भील	कोदरवा
264.	वेलाराम पुत्र माना राम	,,
265.	वेलाराम पुत्र मानाराम	कोदरला
266.	रचा पुत्र सोचा भील	रामपुरा

226

परिशिष्ट 5

अतारांकित प्रश्न 607 की सूची

Published by Ministry of law, justice and Company affairs (legis lative Department) Govt. of India. No. 151 The GAXETTE OF INDIA EXTRAPRDINARY(part 11) Dated 27th Sept., 1976

SC part XV--Rajasthan (enforced w.e.f 27th July, 1977)

1. AdiDharmi
2. Aheri
3. Badi
4. Bagri, Bagdi
5. Bairwa, Bewa
6. Bajigar
7. Balai
8. Bansphor, Bansphod
9. Baori.
10. Bargi, Vargi, Birgi
11. Bawaria, Beria
12. Bedia, Beria
13. Bhangi, Chura, Methar Olgana, Rukhi, Malkana Halakhor, lalbegi, Balmiki Valmiki, Korar, Zamalli
14. Bhand
15. Bidakia
16. Bhand Bola
17. Chamar, Bhambhi Bambhi Bhambi, Jatia, Jarava Mochi, Raidas, Rohida, Regar, Raigar, Ramdasia Asadoru, Asodi, Chamdia, Chambhar Shamgar, Haralayya, Harali Kha Khalpa, Machigar Mochigar Madar, Mading Telegu, Mechi Kamati Ranigar Rohit,, Samgar.
27. Garu, Garura, Garoda
28. Gavaria
29. Godh
30. Jingar.
31. Kalbelia, Sapera.
32. Kamad, Kamedia.
33. Kanjar, Kunjar
34. Kapadia, Sansi
35. Khangar
36. Kh-atik.
37. Koli, Kori.
38. Kocch Bhand, Kuchband.,
39. Koria
40. Madari, Bazigar
41. Mahar, Taral, Dhegumagu.
42. Mahyavanshi, Dhed Dnela Vankar Maru Vankar
43. Majhabi
44. Mang, Matang, MINIMA-DING
45. Mang Gaodi, Mang Garudi
46. Magh, Maghval, Meghval, Manghaval.
47. Mehar.
48. Nat,Nut.
49. pasi.

18. Chanadal
19. Dabgar
20 Dhanaka, Dhanuk
21. Dhankia
22. Dhobi
23. Dholi
24. Dome, Dom
25. Gandia
26. Grancha, Gancha
50. Rawal.
51. Salvi
52. Sanoi
53. Santia, Satia
54. Sarbhangi.
55. Sargara.
56. Singiwala.
57. Thori, Nayak.
58. Tirgar, Tirbanda.
59. Tori.

Part XIII–Rajastban

1. Bhil, Bhil Garasis, Dholi Bhil Dumgri, Bhil, Dungri Gara,sia Mewasi Bhil Rawal Bhil Tadvi Bhil, Bhagalia Bhilala Pawra, Vassya, Vasave
2. Bhil Mina
3. Damor, Damaria
4. Dhanka, Tadvi, Tataria Vnlvi.
5. Garasia(excluding Rajput Garasia)
6. Kathodi, Katkari, Dhor Kathidi Dhor Katkari, Son Kathidi Son Katkari
7. Kokoo, Kokni, Kokna
8. Koli Dhor, Tokre Koli
9. Mina.
10. Naikda, Nayaka Cholivala Naya Naikda,-Kapadia Nayaka Mota Nayaka, Nana Nayaka
11. patelia
12. Seharia, Sehria, Sahariya

This Central Act was notified vide govt. of India No. B.C./12016|34|76| SCT–Vand came into force w.e.f. 27 July, 1977. This issued with the conncurrence of the Govt. of Rajastban in Social welfare Department.

(228)

परिशिष्ट 6

अतारांकित प्रश्न 628 की सूची

सूची चरनोट भूमि पर नाजायज कब्जा करने वाले काश्तकारों को तहसील प्रतापगढ़

क्र सं.	नाम पंचायत	नाम काश्तकारान	कब्जे का वर्ष
1.	अमलावद	श्री कृष्णलाल/देवीलाल, प्रतापगढ़	सन् 72 से
2.	,,	श्री अम्बालाल । हीरालाल मटेवरा	नगरपालिका द्वारा
3.	,,	श्री लक्ष्मीनारायण सोनी ,,	आवंटित
4	,,	,, भैरूलाल । परसराम ,,	,,
5.	,,	,, जगदीश । मोतीलाल ,,	,,
6.	,,	,, सूरजमल । रतनलाल ,,	,,
7.	,,	,, रामरतन । नाथूलाल ,,	,,
8.	,,	,, चौधरीब्रदर्स ,,	,,
9.	,,	,, नरेन्द्र कुमार । जवाहरलाल	,,
10.	,,	,, अनीलकुमार डाबड़ा ,,	,,

हस्ता० तहसीलदार,
प्रतापगढ़

सूची चरनोट भूमि पर नाजायज कब्जा करने वाले काश्तकारों की तहसील प्रतापगढ़ (राजस्थान)

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	नाम काश्तकार		कब्जे का वर्ष
1.	अवलेश्वर	1. श्री रणसिंह पि० रायसिंह हजुरी	अवलेश्वर	2036
	,,	2. श्री उंकार पि० मेरा कुमावत	,,	,,
	,,	3. श्री डालु पिता सधीमिना	,,	,,
	,,	4. श्री भीमा पिता कालु भील	,,	,,
	,,	5. श्री राजी पिता भीमा भील	,,	,,
	,,	6. श्री हीरा पिता मेरा कुमावत	,,	,,

1	2	3	4
	अवलेश्वर	7. श्री देवा पिता अब्दा कुमावत अवलेश्वर	2036
	,,	8. श्री रूपा पिता मेरा कुमावत ,,	,,
	,,	9. श्री लादुराम पिता धन्ना ,,	,,
	,,	10. श्री मेरा पिता गुलाब मीना ,,	,,
	,,	11. श्री अमृतराम पिता रतन ,,	,,
	,,	12. श्री वजेराम पिता गुलाब ,,	,,
2.	डाबर्ड	13. श्री मुरली पिता मेरा वावरी हाडीजी का पिपल्या	,,
	,,	14. श्री रकबा पिता कहरिया अचलपुरिवर	,,
3.	अमलावड़	15. श्री गुवान पिता बागजी बगवास	,,
	,,	16. श्री मुलीबाड बेवा बाबुराम मीना बगवास	,,
	,,	17. श्री डदा पिता लक्षमा बगवास	,,
	,,	18. श्री बादा पिता लच्छीराम मिना बगवास	,,
	,,	19. श्री केलाश पिता कालु मिना हिंगोरिया	,,
	,,	20. श्री कनिराम पिता रामा कुम्हार बगवास	,,
	,,	21. श्री वनेराम पिता देवा मीना बमोतर	,,
	,,	22. श्री रामा पिता लक्षमा मिना बगवास	,,
	,,	23. श्री बन्ना पिता देवा मिना बगवास	,,
	,,	24. श्री विजिया पिता जीवा मीना बमोतर	,,
	,,	25. श्री रामा पिता भीमा मिना बमोतर	,,
	,,	26. श्री वेबीराम पिता मेरा कुमार अमलावद	,,
4.	खेरोट	27. श्री होमला पिता मुयाना मिना केरवास	,,
	,,	28. श्री कुशाला पिता अमरिया मिना बाहकापठार	,,
5.	कवोटिया	29. श्री हकरिया पिता कुशाला पिपल्या	,,
	,,	30. श्री लाला पिता कोदर बिलडी	,,
	,,	31. श्री हीरिया पिता मंगला मिना बिलडी	,,
	,,	32. श्री कमला पिता मानजी मिना बिलडी	,,
	,,	33. श्री आशिया पिता दुदिया कचोटिया	,,
	,,	34. श्री दितिया पिता पूला मिना कचोटिया	,,
	,,	35. श्री राजिमा पिता गोतम मिना कचोटिया	,,
	,,	36. श्री हुरजी पिता जोखिया मिना बिलडी	,,
	,,	37. श्री वागा पिता लालजी मिना भटण्डा	,,
	,,	38. श्री फूलजी पिता केरियग मिना भटण्डा	,,

230

1	2	3	4
6.	बसाड	39. श्री मोहम्मद हाफीज पिता खुदाबक्ष बसाड	,,
	,,	40. श्री अली पिता नुरमहम्मद बसाड	,,
	,,	41. श्री मेरा पिता लुणा बसाड	,,
	,,	42. श्री समरथमल पिता मोतीलाल महाजन माबपुरा	,,
	,,	43. श्री लक्ष्मीचन्द पिता कस्तुरा माबपुरा	,,
	,,	44. श्री नारायण पिता मेरा धोबी मानपुरा	,,
	,,	45. श्री शंकर पिता बारजी मानपुरा	,,
	,,	46. श्री बारजी पिता देवा धोबी मानपुर	,,
	,,	47. श्री रामा पिता भीमा मेड़ बसाड	,,
	,,	48. श्री रामा पिता खेमजी आंजना बसाड	,,
	,,	49. श्री नुरमहम्मद पिता खदाबक्ष बसाड	,,
	,,	50. श्री महम्मद पिता इब्राहीम बसाड	,,
	,,	51. श्री प्रेमदास पिता लक्ष्मणदास साहु बसाड	,,
	,,	52. श्री तुलसीराम पिता बुना मेड बसाड	,,
	,,	53. श्री सफीमोहम्मद पिता कादर मेड बसाड	,,
	,,	54. श्री हाफीजमोहम्मद पिता हाफीज अब्दुल बसाड	,,
	,,	55. श्री सेफू पिता कादर मुसलमान बसाड	,,
	,,	56. श्री भंवर पिता शमूत मायरी बसाड	,,
	,,	57. श्री मोतीलाल पिता चतरभूज बसाड	,,
	,,	58. श्री बखा पिता बना मोह बसाड	,,
	,,	59. श्री नारायण पिता रतनलाल बसाड	,,
	,,	60. श्री शकुर पिता करीम बसाड	,,
	,,	61. श्री इब्राहीम पिता इस्माइल बसाड	,,
	,,	62. श्री रतनलाल पिता उंकार बसाड	,,
	,,	63. श्री डालु पिता रामा मानपुरा	,,
	सिवपुरा	64. श्री नंदिया पिता टेका मिना गोपालपुरा	2037
	,,	65. श्री किशनलाल पिता रतनलाल कुलमी सिवपुरा	2038
	,,	66. श्री लालजी पिता किशनजी कुलनी सिवपुरा	,,
	,,	67. श्री जीतमल पिता घासी कलाल सिवपुर	,,
	,,	68. श्री कालु पिता मल्हा चमार सिवपुरा	,,
	,,	69. श्री मंगाराम पिता लक्ष्मण चमार सिवपुरा	,,
	,,	70. श्री कचरू पिता तुजा चमार सिवपुरा	,,
	,,	71. श्री मांगु पिता अमृतराम कुलमी सिवपुरा	2034

1	2	3	4
	,,	72. श्री रामचन्द्र पिता बालु कुलमी सिवपुरा	,,
	,,	73. श्री बाबुलाल पिता गोतम कुलमी सिवपुरा	,,
	,,	74. श्री देवराम पिता रतनलाल सिवपुरा	,,
8.	कुलथाबा	75. श्री भगवानदास पिता शोभारामदास सबोटी	2036
	,,	76. श्री बशीर खां पिता केदार खां मुसलमान कुलथाबा	,,
	,,	77. श्री गिरधारी पिता बमदीराम कुमावत कुलथाबा	,,
	,,	78. श्री रतना पिता गमेरा मिना कुलथाबा	,,
9.	कुणी	79. श्री बामुसिह पिता अर्जुनसिह राजपूत जमालपुरा	,,
	,,	80. श्री भारतसिह पिता लालसिह ,, ,,	,,
	,,	81. श्री देवीसिह पिता जुजारसिह ,, ,,	,,
10.	असावता	82. श्री भेरू पिता रोडा मिना टकरावह	,,
	,,	83. श्री अमृतराम पिता रोडा टकरावह	,,
11.	नादोला	84. श्री बमदीराम पिता भेरा मायरी बादोला	2034
	,,	85. श्री केहुराम पिता बाबरु मायरी बादोला	,,
	,,	86. श्री प्रयागलाल पिता भागीरथ दमाखेडा	2037
	,,	87. श्री चुन्नीलाल पिता गुलाब मिना दमाखेडी	,,
12.	देवगढ	88. श्री पांचिया पिता मालिया मिना जोलर	,,
13.	सुहागपुरा	89. श्री राया पिता भेरा मिना कुण्डाल	2034
	मादोला	90. श्री काना पिता नाथु कुमार बोरखेडा	2036
14.	बरमण्डल	91. श्री देवराम पिता कालु ब्राह्मण बरमण्डल	,,
15.	झांसडी	92. श्री केसरीमल पिता हीरालाल महाजन झांसडी	,,
16	थडा	93. श्री काना पिता छोगा बलाड थडा	,,
17	धोटारसी	94. श्री रूपा पिता मन्ना बंजारा कथबारा	,,
18	जयबारा	95. ,, ग्राम पंचायत जयबारा	,,
19	वकुण्डा	96. ,, रामचन्द्र पिता बाबुराम चमार वकुण्डा	,,
20	उसतावता	97. ,, भेरा पिता बावा मिश्रा रातडिया	,,
21	सेवला	98. ,, वारिमा पिता भीमजी मिश्रा उढियाबेडी	2022

1	2	3		4
22	दलोट	99	,, मोहनलाल पिता पन्नालाल कुलमी दलोट	2037
	,,	100	,, रामचन्द्र पिता चुन्नीलाल कुमावत ,,	,,
	,,	101	,, अमृतलाल पिता सागा जलाइ ,,	,,
	,,	102	,, भंवरलाल पिता अम्बाराम कुलमी ,,	,,
	,,	103	,, भैरूसिंह पिता उदयसिंह राजपूत ,,	,,
	,,	104	,, मांगु पिता वारजी मिश्रा ,,	,,
	,,	105	,, दरवा पिता भुवाल चमार ,,	,,
	,,	106	,, हीरजी पिता बिज्या मीना छोप्रीबेडी ,,	,,
	,,	107	,, जगन्नाथ पिता भागीरथ कुमावत दलोट	,,
	,,	108	,, कालु पिता कदरां मिश्रा ,,	,,
	,,	109	,, नन्दा पिता सवा कुमार ,,	,,
	,,	110	,, दयाराम पिता सवा कुमार ,,	,,
	,,	111	,, राधेश्याम पिता लक्षमण कुलमी ,,	,,
	,,	112	,, भगवाना पिता जगदीशन कुमावत ,,	,,
	,,	113	,, बरदा पिता कुंवर चमार ,,	,,
	,,	114	,, भैरू पिता प्यारा ,, ,,	,,
	,,	115	,, गोतम पिता उमजी मिश्रा ,,	,,
	,,	116	,, वरदा पिता दुरा चमार ,,	,,
	,,	117	,, आशाराम पिता भीमजी मिश्रा ,,	,,
	,,	118	,, तुलसी राम पिता भेरा बलाइ ,,	,,
	,,	119	,, श्रीकिशन पिता लालु ,,	,,
	,,	120	,, जगन्नाथ पिता रामा बलाइ ,,	,,
	,,	121	,, भांनु पिता बरदा चमार ,,	,,
	,,	122	,, कन्हैया लाल पिता जया कुलमी ,,	,,

———

(233)

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 30 की सूची

सूची भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी/ राजस्थान प्रशासनिक सेवा चयनित वेतन श्रंखला के अधिकारी जो अतिरिक्त जिलाधीश (विकास) एवं पदेन परियोजना निदेशक की हैसियत से विभिन्न जिलों में कार्यरत हैं।

1.	श्री ललित कोठारी	आई. ए. एस.	अजमेर	फरवरी, 1981
2.	,, सी. के. मैथ्यू	,,	उदयपुर	,,
3.	कु० संगीता गरूला	,,	जयपुर	,,
4.	श्री बी. बी. मोहंती	,,	कोटा	,,
5.	,, मनोहर लाल	,,	जोधपुर	,,
6.	,, जी. एस. सांखला	आर. ए. एस.	भीलवाड़ा	अक्टूबर, 1980
7.	,, ए. पंडित	,,	सवाईमाधोपुर	फरवरी, 80
8.	,, देवदत्त शर्मा	,,	बून्दी	दिसम्बर, 80
9.	,, अमर चन्द तलवार	,,	सिरोही	जनवरी, 81
0.	,, शक्ति राम महरूह	,,	झुन्झुनू	,,
11.	,, प्रद्युम्न कुमार	,,	बांसवाड़ा	जून, 79
12.	,, गुलाब सिंह दरड़ा	,,	डूंगरपुर	जुलाई, 81
13.	,, एस. एल. भट्ट	,,	अलवर	दिसम्बर, 80

(234)

विशिष्ट चयनित अधिकारी जो परियोजना निदेशक एवं पदेन अतिरिक्त जिलाधीश (विकास) की हैसियत से कार्यरत हैं।

1.	श्री सी. एस. भाटी	जैसलमेर	जनवरी, 1981
2.	,, ओ. पी. माथुर	बीकानेर	सितम्बर, 1979
3.	,, आर. पी. विजय	चूरू	फरवरी, 1977
4.	,, आर. के. सक्सेना	जालौर	अप्रेल, 1978
5.	,, एस. पी. सांघी	नागौर	सितम्बर, 1979
6.	,, एस. पी. गुप्ता	सीकर	दिसम्बर, 1980
7.	,, एम. एल. परिहार	पाली	सितम्बर, 1970
8.	,, पी. सी. भगोटिया	झालावाड़	जनवरी, 1981
9.	,, टी. एस. राजपुरोहित	बाड़मेर	मई, 1980
10.	,, बी. एल. भाटिया	टोंक	अक्टूबर, 1980
11.	,, दलबीर सिंह	चित्तौड़गढ़	फरवरी, 1981 ×
12.	—	भरतपुर	रिक्त
13.	—	गंगानगर	रिक्त

× परियोजना निदेशक के पद के विरुद्ध कार्यरत है।

———

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न 631 की सूची

चल पशु चिकित्सालय इकाई वालों द्वारा वर्ष 1980-81 के लक्ष्य के अनुपात में किया गया कार्य

क्र. सं.	कार्य माह फरवरी, 1981 तक	लक्ष्य	उपलब्धियां
1.	पशु माता रोग उन्मूलन टीका कार्य	100000	96200
2.	एच एस रोग निरोधक टीकाकरण	10000	10515
3.	बी क्यू (गलघोटू) रोग के रोकथाम के टीके	10000	2005
4.	बधियाकरण	500	668
5.	रोगी पशुओं के उपचार	यथा उपलब्धि	2158
6.	रोगी पशुओं के मालिकों को दवा वितरण	,,	5198

(236)

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 207 की सूची

सूची "क"

तहसील कोलायत क्षेत्र के काश्तकारों की नामवार सूची जिनकी भूमि नहर,सड़क व भट्टों में ली गई।

क्रम सं.	नाम काश्तकार मय विवरण	काश्तकार के धारण की कुल भूमि नाम गांव	क्षेत्र	अवाप्त भूमि बीघों में नाम गांव	क्षेत्र	किस प्रयोनार्थ अवाप्त हुई
1	2	3	4	5	6	7
	कोलायत न. 1					
1.	श्री हरी सिंह पुत्र उदयसिंह राजपूत पवांरवाला	बांगड़सर	45-11	बॉगड़सर	9-99	ईंट भट्टे में
2.	श्री जेठमाल सिंह पुत्र उदयसिंह राजपूत पवांरवाला	,,	40-05	,,	0-11	,,
3.	श्री दूला राम पुत्र हर लाल ब्राह्मण पवांरवाला	,,	29-18	,,	9-14	,,
4.	श्री मूला राम बुधा राम वशु राम पि. रामु राम मेघवंशी	,,	34-18	,,	9-07	,,
5.	श्री मुजावल खां पुत्र मेवेखां मुसलमान सा. शरूवाला	,,	86-05	,	10-00	,,
6.	श्री जाल सिंह, चैन सिंह तापकंवर भगनेऊ पि. माधा सिंह	,,	254·06	,.	10-00	,,
				योग	49-00	

1	2	3	4	5	6	7
	कोलायत नं. 2.					
7:	श्री राम रख पुत्र मानक विश्नोई निवासी मोडायत गैरखातेदार	भाडियों की ढ़ाणी	87-16	भाटियों की ढाणी	11-07	नहर बरसलपुर ब्रांच
8.	श्री देवी दत्त पुत्र लक्ष्मीनारायण चान्डक 1/2 पि. बाल किशन पुत्र करनी दान ब्राह्मण सा. बरसलपुर गैरखातेदार हाल निवासी बीकानेर	,,	228-15	,,	11-16	,,
9.	श्री मूला राम पुत्र रूपाराम दरोगा सा. छीलाकश्मीर गैरखातेदार	,, ,,	175-14	,,	0-17	,,
10	श्री मगलू राम पुत्र रावता राम दरोगा सा. छीलाकश्मीर गैर खातेदार	,,	62-17	,,	5-02	,,
11.	श्री घरनीधर पुत्र भैरू लाल महाजन (डागा) बरसलपुर गैरखातेदार	,,	56-10	,,	6.18	,,
12.	मु. मोहता बेवा खेम चन्द, मदन गोपाल, प्रयाग दास सुन्दर लाल, जमुनादास शंकर लाल, मु. माघी शहोदरा, राम प्यारी सुन्दर पि. खेमचन्द 1/5 हिस्सा बेवा जनकी चतुर्भज पुत्र 1/8 गजरा देवी, माधो दास	,,	228-06	,,	12.09	

Page No.246

(238)

1	2	3	4	5	6	7
	प्रेम दास, लूनकरण नबी, पि. माधो दास 1/8 विद्या, श्रासू पुत्र पन्ना लाल 1/8 हिस्सा सोव पूनाराम मु. राधा पि. रामनारायण 1/8 हि. पि. राठी सा. बीकानेर गैरखातेदार					
13.	श्री जवांरसिंह पुत्र गुमान सिंह पि. भेव सिंह1/5 बिस्सा मूलकंवर बेवा पार सिंह, देवी सिंह देव कंवर पिता नार सिंह 1/5 हिस्सा हरि सिंह, कानी सिंह जितेन्द्र सिंह, पि लाल सिंह 1/5 हिस्सा विक्रम सिंह कानी सिंह, 1/5 राजपूत सा. बरसलपुर गैरखातेदार	भाटियों की ढाणी	655-08	,,	7-82	जहर बरसलपुर ब्रांच में.
14.	श्री शंकर लाल पुत्र पन्ना लाल जाट, सा. बरसलपुर हालआबाद रनजीत पुरा गैरखातेदार	,,	70.01	,,	4.12	,,
15.	मु. चूडो नाथूलाल स्त्री घावर, पि. नानुराम, सुथार सा. सादोलई गैरखातेदार।	कांघरली	153.07	कांघरली	11.13	,,

1	2	3	4	5	6	7
16.	श्री हम्बा लाल शिवप्यारी, बरप्यारी, कांजा, गंगा, पांची, नारायणी, पि. भेरु लाल ब्राह्मण बरसलपुर हालफलौदी गैरखातेदार	कांवरली	404.08 62.18	कांवरली	3.12	नहर बरसलपुर ब्रांच में
17.	श्री जसीला राम पुत्र पुराराम मेघवंशी सा. बरसलपुर गैरखातेदार	,,	104.05	,,	1.07	,,
18.	सौन सिंह पुत्र अमान सिंह राजपूत सादोलाई गैरखातेदार	,,	135.08	,,	17.04	,,
19.	श्री शिव प्रताप पुत्र आदू राम सेवक सा. देव गैरखातेदार	,,	104.06	,,	3.05	,,
20.	श्री राम लाल जुथ शिव प्रसाद पुत्र आदू राम सेवक सा. देह गैरखातेदार	कांवरली	4.13	कांवरली	0.07	,,
21.	श्री राम लाल पुत्र आदू राम सेवक सा. देह गैरखातेदार	,,	215.66	,,	8.04	,,
22.	श्री कल्याण सिंह पुत्र श्री लिबयन सिंह राजपूत सा. देह गैरखातेदार	,,	238.06	,,	6.03	,,

1	2	3	4	5	6	7
23.	श्री केसर सिंह पुत्र मुलतान सिंह राजपूत पवारवाला गैरखातेदार	पवार वाला	20.15	पवार वाला	6.08	भट्टों में
24.	श्री लाल सिंह पुत्र हमीर सिंह राजपूत पवारवाला गैरखातेदार	,,	123.12		0.16	,,
25.	श्री रामप्रताप पुत्र जसवन्ताराम विश्नोई सा. पवारवाला गैरखातेदार	,,	36.18	..	3.19	,,
26.	श्री मंगला राम पुत्र सरदारा राम विश्नोई सा. मानकासर गैरखातेदार	,,	26.00	,,	5.13	,,
27.	श्री कराम, बागा राम पि. राम सुख विश्नोई सा. बज्जु गैरखातेदार	,,	46.08	,,	3.06	,,
28.	श्री रामरख पुत्र भीया राम विश्नोई सा मानकासर गैरखातेदार	,,	24.06	,,	3.00	,
29.	श्री मोहन राम रूपनाथराम 1/2 हिस्सा मानु राम पुत्र गनेधा राम विश्नोई सा. बज्जू मालवा गैरखातेदार	बज्जू खालसा	0-10	बज्जू खालसा	0-03	,,
30.	श्री मोहन राम पुत्र रूपनाथराम विश्नोई बज्जू मालवा गैरखातेदार	,,	168-08	,,	12.1[illegible]	,,

(२४९)

1	2	3	4	5	6	7
31.	श्री जोर सिंह जालु सिंह पुत्र जोगी सिंह राजपूत पवांरवाला गैरखातेदार	पवार वाला	62-14	पंवार वाला	6-18	भट्टों
32.	श्री राम प्रताप पुत्र जएता राम विश्नोई बज्जू खालसा गैरखातेदार	बज्जू खालसा	166-09	बज्जू खालसा	12-11	,,
33.	श्री जवारा वेव रूघनाथ सिंह, भंवर सिंह, मोहनी काण सिंह मानक सिंह लिखम सिंह लख सिंह, पि. रूघनाथ सिंह ब. हि. बराबर 1/4 हि. दलपत सिंह, लाल सिंह भजन सिंह पि. जोगी सिंह वहि. बराबर 3/4 हि. कोम राजपूत सा. देह खातेदार	पंवार वाला	191-04	पंवार वाला	12-02	,,
34.	श्री रूपाराम पुत्र गुलाखाराम कौम विश्नोई सा. देह गैरखातेदार	बज्जू खालसा	132.10	बज्जू खालसा	0.16	भट्टा
35.	श्री मैरा राम पुत्र हेमाराम विश्नोई सा. देह गैरखातेदार	मोडायत	74.15	मोडायत	1.05	,,
36.	श्री गोपी राम पुत्र रामरख विश्नोई सा. देह गैरखातेदार	,,	4.17	,,	6.15	,,
37.	श्री भीया राम पुत्र रामराम विश्नोई सा. देह खातेदार	,,	68.09	,,	4 05	,,

(242)

1	2	3	4	5	6	7
38.	श्री सुख राम, अर्जुन राम पि. काना राम विश्नोई सा. देह गैरखातेदार	मोडायत	242.0	मोडायल	3.156	भट्टा
39.	श्री उदा राम बीरबल, भीया पि. मंगला राम विश्नोई सा. मिठड़िया गैरखातेदार	बज्जू खालसा	93.02	बज्जू खालसा	2.00	,,
40.	श्री प्रभु सिंह पुत्र भनूत सिंह राजपूत निवासी गिरान्धी गैरखातेदार	,,	69.00	,,	10.00	,,
41,	श्री रामरख पुत्र लाघु राम विश्नोई सा. देह गैरखातेदार	मोडायत	74.15	मोडायत	1.10	जल प्रदाय योजना हेतु
42.	श्री गोपी राम पुत्र रामरख विश्नोई सा. देह गैरखातेदार	,,	47.17	,,	1.17	,,
43.	श्री बलवन्त राम पुत्र कुम्भा राम विश्नोई सा. देह गैरखातेदार	बज्जू खालसा	102.11	बज्जूखालसा	77.09	कैनाल कालोनी
44.	श्री प्रताप राम पुत्र खठारा राम विश्नोई सा. मिठड़िया गैरखातेदार	,,	14.14	,,	12.7	,,
45.	श्री रूघनाथ राम पुत्र गनपत राम विश्नोई सा. मिठड़िया	,,	10.05	,,	6.18	,,
46.	श्री रामकिशन पुत्र अमोलख राम विश्नोई सा. मिठड़िया गैरखातेदार	,,	14.10	,,	14.10	जल प्रदाय योजना हे

1	2	3	4	5	6	7
47.	श्री अनगदा राम पुत्र होरा राम विश्नोई सा. देह गैरखातेदार	खालसा	66-17	बज्जू	29-01	जल प्रदाय योजना में
48.	श्री रूपराम पुत्र गुलाना राम विश्नोई सा. देह गैरखातेदार	,,	132.10	,,	17-03	,,
49.	श्री राम लाल पोला राम पि. सुरजन राम पोकरराम पुत्र काना राम विश्नोई सा. गोड़	मोड़	430.05	मोड़	3.13	सड़क
50.	श्री लेख राम पुत्र सालग राम विश्नोई निवासी गोड़ू	,,	267.12	,,	0.16	,,
51.	श्री केश राम मु. गोमती, नारायण मनोहरी, मोहन, लक्ष्मण पूरण, हनुमान पुत्र गुल्ला राम (अपठनीय)	,,	241.01	,,	6.18	,,
52.	श्री खेताराम, कुमला-राम, बुद्धराम, सुगना पुत्र पोकरराम विश्नोई स० गोड़	219.15 मोड़	219-15	मोड़	7-16	सड़क
53.	श्री हरमलराम पुत्र रतनाराम विश्नोई स० देह	,,	46-17	,,	1-15	,,
54.	श्री रामरस पुत्र जैलाराम विश्नोई स० गोड़	,,	100-01	,,	0-11	,,
55.	श्री लेखराम पुत्र गनेशाराम विश्नोई स० गोड़	,,	438.06	,	4-11	,,
56.	श्री मोलाराम, अगने, भोली, तुलसी, पुत्र काइठाराम स० गोड़	,,	577-08	,,	3-04	,,

(२५५)

1	2	3	4	5	6	7
57.	श्री गोविन्द राम पुत्र जूताराम विश्नोई स० गौड़	मोड़	65-13	मोड़	4-06	सड़क
58.	श्री मंगलाराम पुत्र सरदाराराम विश्नोई स० मानकसर	,,	70-15	,,	0-01	,,
59.	श्री रामरस पुत्र पोदाराम विश्नोई स० गौड़	,,	280-00	,,	2-12	,,
60.	श्री आशाराम पुत्र मानकराम विश्नोई स० गौड़	,,	197-12	,,	1-19	,,
61.	श्री रामधनु, गोपीराम, अर्जनराम हरभजराम विश्नोई स० गोकुल	,,	97-01	,,	1-11	,,
62.	श्री वगदूराम पुत्र रामलाल विश्नोई स० गौड़	,,	35-14	,,	1-06	,,
63.	श्री रलाराम पुत्र मिश्रीलाल विश्नोइ 1/2 हि० भवरु पुत्र मामराज 1/2 हि० कौम विश्नोइ देह	,,	394-17	,,	1-15	,,
64.	श्री लेखराम पुत्र हरभजराम विश्नोई स० देह	,,	176-13	,,	0-19	,,
65.	श्री हरभजराम, स्याराम, रणजीतराम, साजनराम अगदूराम जीवनराम, स० विश्नोई देह अहीस्सा बराबर	,,	150-14	,,	3-03	,,
66.	श्री रामरस पुत्र भागचंद विश्नोई स० देह	,,	251-02	,,	2-18	,,
67.	श्री रनजीतराम पुत्र गीताराम विश्नोई स० रणजीतपुरा	,,	30-04	,,	0-15	,,
68.	श्री रतीराम पुत्र सालगराम विश्नोई स० देह	,,	202-06	,,	0-17	,,
69.	श्री रणजीतराम, भोलू, पूसा पि० हेमाराम विश्नोई स० देह	,,	570-18	,,	1-06	,,

1	2	3	4	5	6	7
70.	श्री चेतराम, जुगताराम, बुधाराम, सुगना पुत्र पोकरराम विश्नोई स० देह	मोड़	219-15	मोड़	708	सड़क
71.	मु० सुगनी पुत्री लाधूरम व बुधा पुत्र जीयाराम विश्नोई सा० मोडायत वहि० बराबर	मोड़	111-15	मोड़	1-09	सड़क
72.	श्री प्रभुराम पुत्र जीयाराम विश्नोई सा० मोडायत	,,	155-14	,,	1-15	,,
73.	श्री भल्लूराम पुत्र तेजाराम विश्नोई सा० मानकसर	,,	161-07	,,	6-01	,,
74.	श्री रामलाल पुत्र सुसराम विश्नोई सा० देह	,,	205-13	,,	2-13	,,
75.	श्री रामप्रताप पुत्र चूना विश्नोई सा० देह	,,	60-13	,,	1-18	,,
76.	श्री सोहनलाल पुत्र लाधूराम विश्नोई सा० गोड़	,,	145-05	,,	6-08	,,
77.	रामकरण, काना, रामेश्वर, ईश्वर गोपी, मनीराम व मु० सुरसा व मु० लक्ष्मा पुत्र मगलाराम विश्नोई सा० देह बहि० बराबर	,,	295-00	,,	5-00	,,
78.	श्री जमरराम पुत्र सुपारी पुत्री मु० घापू 1/2 वि० बहिस्सा बराबर मु० रूपा पुत्री मीथाराम 1/2 हिस्सा बराबर कौम विश्नोई सा० देह	,,	136-04	,,	6-17	,,
79.	श्री रामप्रताप पुत्र रामरस, रामकरण, देसी, सोनी, मोयी पुत्र/पुत्री पुनाराम विश्नोई सा० देह बहि० बराबर	,,	224-12	,,	1-01	,,
80.	गोविन्दराम पि० मु० रूपाराम विश्नोई-सा० देह	,,	91-01	,,	3-01	,,
81.	श्री रामकिशन पुत्र हरिकिशन विश्नोई सा० बज्जु गैरखातेदार	बज्जुखालसा	394-00	बज्जु खालसा	2-11	,,

1	2	3	4	5	6	7
82.	श्री रुपाराम पुत्र गुलाबराम विश्नोई सा० बज्जुखालसा	बज्जुखालसा	414–12	बज्जुखालसा	3–11	सड़क
83.	श्री कानाराम पुत्र नरसीगाराम विश्नोई सा० बज्जुखालसा	,,	107–02	,,	0–17	,,
84.	श्री रूगमालराम पुत्र नरसीगाराम विश्नोई सा० बज्जु	,,	107–04	,,	3–17	,,
85.	श्री किसनाराम पुत्र मगलाराम विश्नोई सा० बज्जु	,,	132–05	,,	1–02	,,
86.	श्री भंवरलाल, जगराम, मोहनलाल, मोहनी पि० मुलतानाराम रामकली बेटा मुलताना विश्नोई निवासी बज्जु	,,	131–41	,,	2–19	,,
87.	श्री सुरजानराम, भग- वानराम इजारीराम मोती- राम, शकर लाल, लाकी लुगी, पि० पालूराम, रतनी देवी बेटा पालूराम 1/3 हिस्सा लूनाराम, मुगलाराम पि० कुशलाराम 2/3 हि कीम विश्नोई स० बज्जु ।	बज्जुखालसा	172-10	बज्जुखालसा	10.80	सड़क
88.	श्री रामा, काना, पुत्र धन्ना विश्नोई ।	,,	93-03	,,	4-04	,,
89.	श्री पोजराम, धन्नाराम पूसाराम, पि० सूराराम विश्नोई बज्जु	,,	161-10	,,	1-07	,,
90.	श्री पुखराम, अर्जुनराम पि० चन्नाराम विश्नोई मोडायत	मोडायत	241-06	मोडायत	5-19	,,
91.	श्री मु० हंशी बेवा हरलाल देरीया, दतराम, श्रीचन्द ताराचन्द, रामजस, पि० हरलाल, सुरजा, पेमा कस्तूरी मिरसी, जाथूड़ी पुत्रीयान हरलाल विश्नोई	,,	159-06	,,	6-603	,,
92.	श्री प्रभु पुत्र लीलाराम विश्नोई स० देह	,,	83-13	,,	2-00	,,

1	2	3	4	5	6	7
93.	श्री बुधाराम पुत्र जीयाराम विश्नोई स० देह	मोड़ायत	103-05	मोड़ायत	0-05	सड़क
94.	मु० भीमी बेवा नेगाराम, बुधाराम, हरिकिशन राम-नारायण, लिछमा, गोमती, तुलसी, रिधी पि० बंगाराम विश्नोई स० देव	,,	78-10	,,	2-10	,,
65.	श्री लगाराम पुत्र गुलबाराम विश्नोई स० देह ।	,,	49-07	,,	3-13	,,
96.	श्री रामलाल अर्जनराम विश्नोई स० बज्जुखालसा	,,	66-19	,,	3-16	,,
97.	मु० चन्पा बेवा बीरबल शिवलाल, गोरधन, सही-राम, गोमती, रामप्यारी पि० कुशला विश्नोई स० देह	,,	148-07	,,	3-03	,,
98.	श्री भीया राम पुत्र यमुराम विश्नोई स० देह	,,	68-09	,,	0-04	,,
99.	श्री कुशलाराम पुत्र छोगाराम विश्नोई स० देह	,,	63-00	,,	1.05	,,
100.	श्री सुजनाराम. मोहनराम रामुराम, बाधी, गोमती पि० मगनराम 5/6 हिस्सा बहिस्सा बराबर मु प्रमाण बेवा, जगनाराम 1/6 हिस्सा विश्नोई स० देह	,,	195-03	,,	4-11	,,
101.	श्री रामचन्द पुत्र दुलाराम मेवंशी स० देह	,,	24-02	,,	3-10	,,
102.	श्री मूलाराम जगन्नाथ, उमरी, किस्तूरी पि० पेमाराम, मु० पन्नी बेवा पेमाराम जाट सा० देह	बज्जुतेजपुरा	28-15	बज्जुतेजपुरा	2-14	सड़क

(248)

1	2	3	4	5	6	7
103.	श्री धोकलराम पुत्र पूसाराम नाई सा० देह	बज्जुतेजनुरा	189-15	बज्जुतेजपुरा	1-12	सड़क
104.	श्री अमराराम पुत्र जेठाराम जाट सा० देह	,,	278-06	,,	0-05	,,
105.	श्री जमनाराम पुत्र जीवनराम जाट सा० देह	,,	436-02	,,	1-00	,,
106.	भंवरलाल, करनाराम, रतनी, सुगनी, सुवटी, राधा पि० पतराराम मु० रूपा बेवा चतराराम. सुनार सा० देह	,,	131-13	,,	6-11	,,
107.	श्री गणेशाराम, रूपाराम, शेराराम कानाराम, ममी बेवा पार्वती, दुर्गा, रूपा पि० हमीराराम मु० पत्नी बेवा हमीराराम दरोगा सा० देह	,,	80-10	,,	4-08	,,
108.	श्री राजेखां. सोनेसां. दलुखां. पि० बेकेसां 3/8 सोमूसां पुत्र पल्लुसां 1/8 मेटेसां. मीण सां. पि० यातर्थ 1/2 हि० मुसलमान सा० देह	,,	323-05	,,	3-09	,,
109.	श्री मउखां, पुत्र कालूखां मु० नूरा बेवा कालूखां 1/4 हि० उस्मान खां जमाल खां निजाम खां पुत्र भालु खां 3/4 हि० तेली सा० देह	,,	157-02	,,	1-14	,,
111.	सर्व श्री आशा, माना पि० मोतराम जाट सा० देह	,,	275-15	,,	2-16	,,
111.	श्री गनेशाराम पुत्र गेनाराम शर्मा सा० देह गैरखातेदार	,,	184-00	,,	0-03	,,
112.	श्री मवाराम पुत्र गिरधारी रास जाट सा० देह	,,	401-14	,,	6-08	,,
113.	श्री वगाराम, सरदारा राम जाट सा० देह	,,	242-07	,,	6-16	,,

1	2	3	4	5	6	7
114.	श्री गजनेशाराम, किस्तूराराम पि० आशाराम ब्राह्मण सा० गोठनोक गैरखातेदार	बज्जु तेजपुरा	287-10	,,	8-04	सड़क
115.	श्री सुजानाराम, शिवलाल, सुखराम, महीराम, मंगलू, नानु, सजनी, नानु पुत्र/पुत्री व मु० मिखी बेवा रामूराम विश्नोई बहिस्सा सा० देह	मोड़	393-18	मोड़	4-01	,,
116.	श्री लंगड़ू राम गोविन्द राम पि० लांखा राम विश्नोई सा. देह बहिस्सा बराबर	मोड़	142.05	मोड़	3.11	सड़क
117.	श्री बगदू राम पुत्र हजारी राम पि. भीखी राम विश्नोई सा. देह	,,	88.01	,,	3.05	,,
118.	श्री धन्ना राम पुत्र लुम्बा राम विश्नोई सा. मानकासर गैरखातेदार	,,	58.07	,,	0.13	,,
119.	श्री धन्ना राम पुत्र लुम्बा राम विश्नोई सा. मोड़ गैर खातेदार	,,	32-11	,,	2.08	,,
120.	श्री किशना राम पुत्र गंगा राम विश्नोई सा. मोड़	,,	40.06	,,	3.04	,,
121.	श्री भीया राम भगवाना राम पि. बोझ राम सा. देह बहि. बराबर	,,	258.10	,,	9.02	,,

(259)

1	2	3	4	5	6	7
122.	श्री रामरख गोविन्दराम बाबूराम रूपा, भोली पुत्र/पुत्री ममली बेटा साजनराम विश्नोई सा. देह बहिस्सा बराबर	मोड़	107.16	मोड़	3.01	सड़क
123.	श्री लादूराम जैसकी सुरानी पुत्र/पुत्री व मु. मीरा बेवा सुरजनराम विश्नोई सा. देह	,,	260.18	,,	2.15	,,
124.	श्री रामकरण पुत्र लखाराम विश्नोई सा. देह	,,	109.12	,,	1.13	,,
125.	श्री किशनाराम पुत्र लखाराम विश्नोई सा. देह	,,	105.13	,,	2.11	,,
126.	श्री रतीराम जुगता राम पि० जीताराम पि० भाग चन्द विश्नोई सा० मोडायत	,,	38.07	,,	1.15	,,
127.	श्री नानुराम पुत्र राजसुखराम विश्नोई सा० मोडायत	,,	65.15	,,	1.17	,,
128.	श्री केशरराम पुत्र चन्दाराम सा० देह	,,	282.15	,,	2.12	,,

1	2	3	4	5	6	7
129.	श्री लेखाराम पुत्र गनेशाराम बिश्नोई सा० देह	मोड़	438.18	मोड़	2.09	सड़क
	कोलायत नं० 3					
130.	अर्जुनराम पुत्र बुधाराम 1/2 हिस्सा मंगल राम पुत्र खेमाराम 1/2 हिस्सा बिश्नोई रणजीतपुरा	रणजीत-पुरा	143.00	रणजीत पुरा	3.02	
131.	श्री जमनाराम पुत्र लालूराम जाट रणजीतपुरा	,,	143.16	,,	6.02	सड़क
132.	सुगनाराम पेमाराम गनेशाराम मोटाराम भंवरू पि. जेठाराम तुलसी पुत्री जेठाराम मु० मोहनी बेवा खेमाराम मु० भरतु बेवा जेठाराम सुन्डाराम डूंगरराम अमराम पेमाराम मु० वगैरा में पुत्र रामलाल अमोलखराम गोपाल राम करनाराम मु० सुगनी वधू धिम्मा शान्ती पि० नानु मु० पूनी बेवा नानु वगैरा जाट		585.17	,,	0.02	,,
133.	सर्व श्री गनेशा उमा राम पुत्र लादूराम जाट	,,	706·06	,,	0.01	,,

सूची—ख

ऐसे काश्तकारों की सूची जिनकी 75% भूमि नहर, सड़क एवं भट्टों में आ गई

क. सं.	नाम काश्तकार मय विवरण	काश्तकार के धारण की कुल भूमि नाम गांव	क्षेत्र	अवाप्त भूमि बीघों में नाम गांव	क्षेत्र	किस प्रयोजनार्थ अवाप्त हुई
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री प्रतापराम पुत्र जवाराश विश्नोई सा० मिठड़िया गैरखातेदार	बज्जूवाला	14–14	बज्जूवाला	12–7	कैनाल कालोना
2.	श्री रुघनाथ पुत्र गनपतराम विश्नोई सा० मिठड़िया	,,	10–05	,,	8–18	,,
3.	श्री रामकिशन पुत्र अमोलखराम विश्नोई सा. मिठड़िया गैरखातेदार	,,	14–10	,,	14–10	जल प्रदाय योजना में

(253)

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 231 की सूची
राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि० उदयपुर
वर्ष 1979–80 में क्रय दरें जो कमेटी द्वारा तय की गई।

क्र.सं.	नाम उपज	क्रय दर (प्रति किलो)				विक्रय दर (प्रति किलो)	
1	2	3				4	
1.	शहद	5/-	3.50			6.05	
		उदयपुर	बांरा			6.50	अग्रिम विक्रय
2.	रतनजोत	1.40				2.10	
3.	पुवाड़ बीज	0.40	0.30			0.65	
		उदयपुर	बांरा				
4.	आवल छाल	0.40				0.85	
5.	सफेद मूसली	ए–5/-				ए 56.60	
		बी 15/-	20/-	बारां		बी 19.00	
6.	गोंद धावड़ा	ए 20/-	15/-	30/-		ए 65.00	
		उदयपुर	डूंगरपुर	बारां			
			बांसवाड़ा				
		बी 15/-	12/-	10/-	14/-	बी29.00	
		उदयपुर	डूंगरपुर	बांसवाड़ा	बारां		
		सी 8/-	6/-	8/-		सी 18.11	
		उदयपुर	बांसवाड़ा	बारां			
		डूंगरपुर					
7.	गोंद खेर	ए 5/-	7/-			ए 14.01	
		उदयपुर	बांरा			11.50	अग्रिम विक्रय
		डूंगरपुर					
		बी 3/-	5/-			बी 13.00	
8.	गोंद धोंडी	4/-				9.51	
9.	अरीठा	1.30	0.80	1/-		1.61	
		उदयपुर	डूंगरपुर	बांरा			
10.	घटबोर	0.18	0.20			0.21	
		उदयपुर	बांसवाड़ा				
		डूंगरपुर					
11.	लाख	0.60				0.85	
12.	मोम	20/	15/-			27.00	
		उदयपुर	बांरा			23.00	अग्रिम विक्रय
13.	करंज	1.40				2.05	
14.	महुआ फल (डोलमा)	2.50				3.51	अग्रिम बिक्रय

1	2	3	3		4
15.	महुआ फूल	1/- उदयपुर	0.65 डूंगरपूर बांसवाड़ा	0.50 बारां	1.31
16.	निमोली	0.30			0.65
17.	धतूरी	1.20			1.71
20.	अचार (चिरोंजी)	ए 15/- उययपुर	20/- बारां		ए 2.15
		बी 1.60 उदयपुर	2/- बारां		—
21.	माल कांगणी	1/- उदयपुर	0.60 बारां		3.00
22.	गोन्द गोदल	1/-			—
23.	अरण्डी	1/-			1.85
24.	गोन्द मिक्स	5/-			—
25.	गोंद चूरा	2/-			2.00

———